बी.सी.ओ.सी-136
आयकर विधान एवं व्यवहार

इंदिरा गांधी
राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
प्रबंध अध्ययन विद्यापीठ

यह सी.बी.सी.एस. योजना के तहत बी. कॉम कार्यक्रम में मुख्य पाठ्यक्रमों में से एक है। इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को आयकर कानून और अभ्यास से परिचित करना है। छात्र को कानून के नियमों और विनियमन को जानना चाहिए। पूरी 20 इकाइयों को दो भागों में विभाजित किया गया है, भाग-अ और भाग-ब। इस भग में दो खण्ड 4 और 5 हैं और कुल 9 इकाइयाँ हैं। भाग-ब का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है :

भाग-ब

खंड 4	**पूँजी लाभ से आय एवं अन्य स्रोत**	
इकाई 12	पूँजी लाभ	5
इकाई 13	अन्य स्रोतों से लाभ	55
इकाई 14	आयों का संकलन (आयों को इकट्ठा करना तथा मानी गई आयें) तथा हानियों को पूरा करना और उन्हें आगे ले जाना)	99
खंड 5	**कुल आय की गणना और कर दायित्व**	**149**
इकाई 15	सकल कुल आय में से कटौती	153
इकाई 16	व्यक्तियों का कर निर्धारण	196
इकाई 17	फर्म का कर निर्धारण	228
इकाई 18	आय की विवरणी दाखिल करना तथा आयकर पदाधिकारी	283
इकाई 19	आयकर विवरणी का ऑनलाइन दाखिला	305
इकाई 20	सुप्रीम कोर्ट (उच्चतम न्यायालय) द्वारा कुछ प्रमुख मामलों पर फैसले	322

कार्यक्रम डिजाइन समिति – बी.कॉम (सी.बी.सी.एस.)

प्रो. मधु त्यागी
निर्देशक, एस.ओ.एम.एस. इग्नू

प्रो. आर.पी. हुडा
पूर्व कुलपति, एम.डी. विश्वविद्यालय, रोहतक

प्रो. बी.आर. अनंथन
रानी चेन्नम्मां विश्वविद्यालय, बेलगाँव, कर्नाटक

प्रो. आई.वी. त्रिवेदी
पूर्व कुलपति, एम.एल, सुखादिया विश्वविद्यालय, उदयपुर

प्रो. पुरुषोत्तम राव (सेवानिवृत)
वाणिज्य संकाय, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद

प्रो. डी. पी. एस. वर्मा (सेवानिवृत्त)
वाणिज्य संकाय,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

प्रो. के. वी. भानुमूर्ति (सेवानिवृत्त)
डिपार्टमेंट ऑफ कामर्स
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

प्रो. कविता शर्मा
डिपार्टमेंट ऑफ कामर्स
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

प्रो. खुर्शीद अहमद बट
डीन, वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय,
कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर

प्रो. डेबब्रत्ता मित्रा
वाणिज्य संकाय,
उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय, दार्जिलिंग

प्रो. आर. के. ग्रोवर (सेवानिवृत्त)
प्रबंध अध्ययन विद्यापीठ, इग्नू

संकाय सदस्य एस.ओ.एम.एस. इग्नू

प्रो. एन.वी. नरसिम्हम
प्रो. नवल किशोर
प्रो. एम.एस.एस. राजू
प्रो. सुनील कुमार
डॉ. सुबोध केसरवानी
डॉ. रशमी बंसल
डॉ. मधुलिका पी. सरकार
डॉ. अनुप्रिया पाण्डेय

पाठ्यक्रम डिजाइन समिति

प्रो. मधु त्यागी
निदेशक, एस.ओ.एम.एस, इग्नू

प्रो. आर.के. ग्रोवर
पूर्व निदेशक, एस.ओ.एम.एस, इग्नू

डॉ. ए.एल. दुबे (सेवानिवृत)
देशबंधु कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय

डॉ. मीरा नंगिया
कॉलेज ऑफ वकेशनल इस्टडीज
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

संकाय सदस्य एस.ओ.एम.एस. इग्नू

प्रो. एन.वी. नरसिम्हम
प्रो. नवल किशोर
प्रो. मधु त्यागी
प्रो. एम.एस.एस. राजू
प्रो. सुनील कुमार
डॉ. सुबोध केसरवानी
डॉ. रशमी बंसल
डॉ. अनुप्रिया पाण्डेय
डॉ. मधुलिका पी. सरकार

संपादक एवं पाठ्यक्रम समन्वयक
डॉ. मधुलिका पी. सरकार

पाठ्यक्रम निर्माण दल

डॉ. शिरीन राथोर
साउथ कैम्पस, दिल्ली
विश्वविद्यालय, दिल्ली

श्री आर. देवराजन
इंस्टिट्यूट ऑफ चारटेड एकाउन्टेंट
ऑफ इंडिया, नई दिल्ली

प्रो. आर.के. ग्रोवर
पूर्व निदेशक, एसओएमएस
इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. मधु त्यागी
एसओएमएस
इग्नू, नई दिल्ली

डॉ. अरुण उपाध्याय
वी.एस.डी. कालेज, कानपुर
इकाई (12,13,14,15,16,17,18)

डॉ. सुबोध केसरवानी
एस.ओ.एम.एस, इग्नू, नई दिल्ली
(इकाई 19)

डॉ. मधुलिका पी. सरकार
एस.ओ.एम.एस, इग्नू, नई दिल्ली
(इकाई 19 एण्ड 20)

अनुवादक

डॉ. अरुण उपाध्याय
वी.एस.डी. कालेज, कानपुर
इकाई (11,12,13,14,15,16,17,18)

डॉ. मधुलिका पी.सरकार
इकाई (19, 20)

संपादक एवं पाठ्यक्रम समन्वयक
डॉ. मधुलिका पी. सरकार

सामग्री निर्माण

श्री वाई. एन. शर्मा
सहायक कुलसचिव (प्रकाशन)
एम.पी.डी.डी., इग्नू, नई दिल्ली

श्री सुधीर कुमार
अनुभाग अधिकारी (प्रकाशन)
एम.पी.डी.डी., इग्नू, नई दिल्ली

अक्टूबर, 2020
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 2021
ISBN :

सर्वाधिकार सुरक्षित, इस कार्य का कोई भी अंश इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के बारे में विश्वविद्यालय कार्यालय मैदान गढ़ी, नई दिल्ली से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव, सामग्री निर्माण एवं वितरण विभाग द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।

लेजर टाइप सेटिंग : टेसा मीडिया एण्ड कंप्यूटर्स, सी 206, शाहीन बाग, जामिया नगर, नई दिल्ली

मुद्रक :

पाठ्यक्रम परिचय

खण्ड 4 : पूँजी लाभ से आय एवं अन्य स्रोत

आपने आय कर की मूलभूत अवधारणा कर योग्य वेतन की गणना, मकान सम्पत्ति से आय पर कर की गणना और व्यवसाय या पेशे से आय के प्रावधानों का अध्ययन किया है। इस खण्ड में तीन इकाइयाँ है, आप अनुमोदित कटौती पर पूँजीगत लाभ के कराधान के बारे में जानेंगे। यह इकाई आप के अन्य स्रोतों एवं उसकी कर देयता के बारे में चर्चा करती है। इसमें आय के मिलान से संबंधित और घाटे से उबरने और घाटे से आगे ले जाने से सम्बन्धित प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया है।

इकाई 12 पूँजी लाभ

यह इकाई पूँजी लाभ और पूँजी सम्पत्ति और उसके प्रकारों की अवधारणा को परिभाषित करती है। यह पूँजी लाभ की गणना की भी व्याख्या करता है। यह इकाई अधिग्रहण की लागत और सुधार की लागत, सूचकांक की अवधारणा पर प्रकाश डालता है। यह अल्पकालीन पूँजीलाभ पर कर मुक्त पूँजी लाभ के बारे में बताता है। किसी कंपनी या इक्विटी ओरिएंटेड फंड की इकाइयों में इक्विटी शेयरों का स्थानांतरण और यू.टी.आई की सूचीबद्ध प्रतिभूतियों या धन के हस्तांतरण पर दीर्घकालिक पूँजी लाभ पर कर या म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी देगा।

इकाई 13 अन्य स्रोतों से आय

यह इकाई आय के अन्य स्रोतों से संबंधित है और विभिन्न कटौती की अनुमति के बारे में है। यह कराधान के नियमों का भी वर्णन करता है तथा लाभांश और इसकी सफलता और करदायित्वा को बताता है। यह इकाई लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पहेलियाँ, घुडदौड से जीती राशि से संबंधित प्रावधान, कार्ड गेम आदि के बारे में भी बताता है। यह इकाई प्रतिभूतियों पर ब्याज के आधार तथा दिखावटी लेन देन से सम्बन्धित है।

इकाई 14 आयों का संकलन (आयों को इकट्ठा करना तथा मानी गई आयें) तथा हानियों को पूरा करना और उन्हें आगे ले जातना।

इस इकाई को दो भागों में विभाजित किया गया है : भाग 'अ' और भाग 'ब'। भाग अ अवधारणा की व्याख्या करते हैं आय का मिलान एवं मानी गई आय। यह भाग बच्चे की आय और उसकी आय के मिलान के प्रावधानों से सम्बन्धित है। भाग ब घाटे को आगे ले जाना, बंद और नुकसान को आगे ले जाने की अवधारणा की व्याख्या करता है और उनसे व्यवसाय संबंधित प्रावधानों की चर्चा की गई है।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 12 पूँजी लाभ (CAPITAL GAINS)

इकाई की रूपरेखा

12.0 उद्देश्य

12.1 प्रस्तावना

12.2 पूँजी लाभ का अर्थ

12.2.1 पूँजीगत सम्पत्ति की अवधारणा

12.2.2 पूँजीगत सम्पत्ति का हस्तांतरण

12.3 पूँजी लाभ की गणना (Computation of Capital Gains)

12.4 प्राप्त करने की लागत

12.4.1 प्राप्त करने की मानी गयी लागत

12.4.2 बोनस अंशों या प्रतिभूतियों को प्राप्त करने की लागत

12.4.3 ख्याति आदि को प्राप्त करने की लागत

12.4.4 अधिकार अंशों को प्राप्त करने की लागत

12.4.5 धारा 112A के तहत दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ की गणनाा के लिए अधिग्रहण की लागत

12.4.6 मूल्यह्रास योग्य संपत्ति के अधिग्रहण की लागत (धारा 50)

12.5 सुधार करने की लागत

12.6 प्राप्त करने की एवं सुधार की सूचकांक लागत

12.7 करमुक्त पूँजी लाभ

12.8 कम्पनी के साधारण अंश या Equity Oriented Fund के यूनिट्स के हस्तान्तरण से होने वाले अल्पकालीन पूँजी लाभ पर कर–धारा 111A

12.9 धारा 10 (23D) में निर्दिष्ट सूचीकृत प्रतिभूतियों, UTI की यूनिट्स में वर्णित पारस्परिक कोष (Mutual Fund) के हस्तान्तरण से होने वाले दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर कर

12.10 करयोग्य पूँजी लाभ की गणना

12.11 सारांश

12.12 शब्दावली

12.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

12.14 स्वपरख प्रश्न/अभ्यास

12.0 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप :

- पूँजी लाभ शब्द का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे,
- करमुक्त पूँजी लाभों की सूची बना सकेंगे,
- दीर्घकालीन पूँजी लाभों से स्वीकृत कटौतियों की विवेचना कर सकेंगे,
- पूँजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत करयोग्य आय की गणना कर सकेंगे।

12.1 प्रस्तावना

आपको ज्ञात है कि ''पूँजी लाभ से आय'' का एक अलग शीर्षक है और इस शीर्षक के अन्तर्गत उस आय को शामिल किया जाता है जो पूँजीगत सम्पत्ति की बिक्री या हस्तांतरण से उदय होती है। प्रस्तुत इकाई के अन्तर्गत आपको पूँजी लाभ का अर्थ, पूँजी लाभ में शामिल होने वाली मदों, करमुक्त पूँजी लाभ तथा पूँजी लाभ से कटौतियों के बारे में बताया गया है। इसके अतिरिक्त आपको पूँजी लाभ की गणना के सम्बन्ध में भी ज्ञान कराया जायेगा।

12.2 पूँजी लाभ का अर्थ

गत वर्ष में पूँजीगत सम्पत्ति के हस्तांतरण से उदय हुआ लाभ पूँजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत करयोग्य होता है तथा हस्तांतरण वाले गत वर्ष का लाभ माना जाता है। इस प्रकार पूँजी लाभ के लिए निम्न तीन बातों का होना आवश्यक है :

a) पूँजीगत सम्पत्ति

b) पूँजीगत सम्पत्ति का हस्तान्तरण

c) लाभ और अनुलाभ

अब हम उपरोक्त तीनों बातों की विस्तृत व्याख्या करेंगे।

12.2.1 पूँजीगत सम्पत्ति की अवधारणा

धारा 2 (14) के अनुसार पूँजीगत सम्पत्ति से आशय (a) करदाता की किसी भी प्रकार की सम्पत्ति से है चाहे वह उसके व्यापार या पेशे से सम्बन्धित हो या न हो। (b) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अधीन विदेशी संस्थागत विनियोजकों द्वारा प्रतिभूतियों में विनियोजन को सम्मलित किया जाता है। सम्पत्ति के अंतर्गत, चल, अचल, मूर्त तथा अमूर्त सभी प्रकार की सम्पत्तियाँ शामिल की जाती हैं परन्तु इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं–

i) करदाता के व्यापार या पेशे के लिए रखा हुआ कोई कच्चा माल उपखंड (b) में उल्लिखित प्रतिभूतियों के अलावा, उपभोग्य समान (Consumable Stores) तथा अंतिम रहतिया (Stock-in-trade)

ii) करदाता अथवा उस पर आश्रित परिवार के किसी सदस्य के प्रयोग के लिए रखी गयी व्यक्तिगत सम्पत्तियां (Personal effects) जैसे पहनने के कपड़े, फर्नीचर इत्यादि परन्तु इसमें जेवर, पुरातात्वीय संग्रह, रेखाचित्र, रंगचित्र, मूर्ति, कला का कोई भी काम शामिल नहीं है।

iii) भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमि जो किसी नगर पालिका या छावनी परिषद् जिसकी जनसंख्या 10,000 या अधिक हो, की सीमा के अन्तर्गत न हो या ऐसी नगर पालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमा के (a) यदि जनसंख्या 10,000 से अधिक परन्तु 1,00,000 से कम हो तो 2 कि0मी0 के अन्दर (b) यदि जनसंख्या 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम हो तो 6 कि0मी0 के अन्दर (c) यदि जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो तो 8 कि0मी0 क्षेत्र के अन्तर्गत न हो। इसका अभिप्राय यह है कि कृषि भूमि यदि किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड जिसकी जनसंख्या 10,000 या अधिक है, की सीमा क्षेत्र में स्थित हो या ऐसी नगरपालिका या छावनी परिषद् की

सीमा के 2 किमी., 6 किमी, 8 किमी. (जैसी स्थिति हो) क्षेत्र के अन्तर्गत हो तो वह कृषि भूमि भी पूँजीगत सम्पत्ति मानी जाएगी और केवल वही कृषि भूमि जो उपरोक्त सीमाओं से बाहर स्थित है, पूँजीगत सम्पत्ति में सम्मिलित नहीं की जाएगी। कृषि भूमि को आकाशीय मार्ग की दूरी नापा जायेगा और जनसंख्या गत वर्ष के पहले दिन से पहले प्रकाशित अन्तिम कार्यवादी जनगणना की जायेगी।

सारणी 12.1 : कृषि भूमि की नापने की दूरी और क्षेत्र में जनसंख्या

क्र.सं.	दूरी	क्षेत्र की जनसंख्या
1	2 किमी के अन्दर	10,000 से 100,000
2	6 किमी के अन्दर	100,001 से 10,00,000
3	8 किसी के अन्दर	10,00,000 से अधिक

iv) स्वर्ण जमा बाण्ड – केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित स्वर्ण जमा बॉण्ड योजना 1999 के अन्तर्गत निर्गमित किये गये स्वर्ण जमा बाण्ड योजना, 1999 के अन्तर्गत निर्गमित किये गए स्वर्ण जमा बॉण्ड या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित स्वर्ण मुद्रीकरण योजना Gold monetization scheme) 2015 के अन्तर्गत जमा प्रमाण पत्र (Depoiste Certificates) पूँजी सम्पत्ति के अन्तर्गत नहीं आते हैं और इनके विक्रय पर होने वाले पूँजी लाभ कर योग्य नहीं होंगे।

नोट : 1) पूँजीगत सम्पत्ति में पट्टा अधिकार (lease hold and rights) फर्म में लाभ पाने का एक साझेदार का अधिकार तथा निर्माण लाइसेंस भूमि, भवन, विनियोग, प्लांट, मशीनरी, ख्याति, आभूषण, कम्पनी के अंश, परमिट, ख्याति जेवर आदि शामिल होते हैं तथा जेवर से अभिप्राय निम्न है–

a) स्वर्ण, चांदी, प्लेटिनम या किसी अन्य बहुमूल्य धातु से बने जेवर चाहे वह वस्त्रों में जड़े गये हों या न जड़े गये हों।

b) बहुमूल्य रत्न या पत्थर चाहे फर्नीचर, बर्तन या किसी पहनावे में जड़े गये हों या न जड़े गये हों।

2) विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा रखी गई प्रतिभूतियों को हमेशा पूँजीगत संपत्ति माना जाएगा; इन्हें स्टॉक के रूप में नहीं माना जा सकता है।

3) प्रतिभूतियों में शामिल हैं–

i) शेयर, अंशप्रमाण पत्र, स्टॉक, बॉन्ड, ऋण पत्र, ऋण पत्र स्टॉक या अन्य विवणन योग्य प्रतिभूतियाँ जो किसी भी शामिल कंपनी या अन्य निगमित निकाय में में शामिल हो।

ii) संजात (derivetives)

iii) ऐसी योजनाओं में निवेशकों को किसी सामूहिक निवेश योजना द्वारा जारी की गई इकाइयाँ या कोई अन्य उपकरण;

iv) सुरक्षा प्राप्तियां, को वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अन्तर्गत के खंड 2 में (जेड.जी.) में परिभाषित किया गया है।

v) किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के तहत निवेशकों को जारी किए गए यूनिट या इस तरह का कोई अन्य उपकरण;

vi) किसी भी निवेशकर्त्ता द्वारा कोई प्रमाणपत्र या किसी भी नाम से), को जारी किया गया जोकि एक अलग विशेष उद्देश्य के लिए है किसी भी ऋण या प्राप्य, बंधक ऋण सहित, ऐसी इकाई को सौंपा गया है, और ऐसे ऋण में ऐसे निवेशक के लाभकारी व्याज को स्वीकार करता है या प्राप्त, बंधक ऋण सहित, जैसे भी स्थिति हो प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा।

vii) सरकारी प्रतिभूति;

viii) ऐसे अन्य साधन जो केंद्र सरकार द्वारा प्रतिभूतियों के रूप में घोषित किए जा सकते हैं; तथा

ix) प्रतिभूतियों में अधिकार या व्याज।

स्वयं अर्जित सम्पत्तियाँ (Self Generated Assets)

ख्याति, किरायेदारी के अधिकार (Tenancy rights), वाहन मार्ग परमिट (Route permit) तथा करघा घण्टों (Loom hours) को स्वयं उपार्जित या स्वयं अर्जित सम्पत्तियों में शामिल किया जाता है। कर-निर्धारण वर्ष 1987–88 तक इन सम्पत्तियों पर पूँजी लाभ का होना नहीं माना जाता था अर्थात् यदि इन पर पूँजी लाभ होता भी था तो वह कर योग्य नहीं होता था क्योंकि इन सम्पत्तियों की प्राप्ति की लागत को ज्ञात नहीं किया जा सकता था। वर्तमान में आय–कर अधिनियम में संशोधन किया गया है। अब कर–निर्धारण वर्ष 2003–04 से स्वयं अर्जित सम्पत्तियों की प्राप्ति की लागत शून्य होगी और सम्पूर्ण विक्रय मूल्य की रकम पूँजी लाभ होगी।

स्वयं अर्जित सम्पत्तियाँ निम्नलिखित तिथियों से कर–योग्य है :

1) व्यापार की ख्याति की बिक्री (कर–निर्धारण वर्ष 1988–89 से कर–योग्य)
2) किरायेदारी के अधिकार (कर–निर्धारण वर्ष 1995–96 से कर–योग्य)
3) वाहन मार्ग परमिट (कर–निर्धारण वर्ष 1995–96 से कर–योग्य)
4) करघे के घण्टे (कर–निर्धारण वर्ष 1995–96 से कर–योग्य)
5) किसी वस्तु के उत्पादन अथवा निर्माण के अधिकार (कर–निर्धारण वर्ष 1998–99 से कर–योग्य)

पूँजीगत सम्पत्ति का वर्गीकरण (Kinds of Capital Assets)

यह एक महत्वपूर्ण बात है कि पूँजीगत सम्पत्ति का आयकर अधिनियम में वर्गीकरण उसके टिकाऊपन के आधार पर नहीं किया गया है बल्कि करदाता द्वारा रखे जाने की अवधि के आधार पर किया गया है। पूँजीगत सम्पत्तियाँ निम्न दो वर्गों में विभाजित की जा सकती हैं–

i) अल्पकालीन पूँजीगत सम्पत्ति (Short-term Capital Assets)
ii) दीर्घकालीन पूँजीगत सम्पत्ति (Long-term Capital Assets)

अल्पकालीन पूँजीगत सम्पत्ति [धारा 2(42A)]

सम्पत्ति जो दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति की श्रेणी में नहीं आती, वह अल्पकालीन पूँजी सम्पत्ति कहलाती है। यदि कोई करदाता किसी सम्पत्ति जैसे– सोना, आभूषण एवं अन्य कुछ सम्पत्तियाँ (वित्तीय सम्पत्ति (Financial Asset) जैसे, कम्पनी के अंश एवं प्रतिभूतियों, यू.टी. आई. एवं पारस्परिक कोष के यूनिट, जीरो कूपन बॉण्ड आदि को छोड़कर के क्रय करने या प्राप्त करने की तिथि से अपने पास अधिक से अधिक 36 माह (अंश एवं प्रतिभूतियों, पूनीत ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के यूनिट एवं पारस्पारक कोष के यूनिट, जीरो कूपन बॉण्ड की दशा में

अधिकतम 12 माह) तक रखता है या इससे कम अवधि के लिए रखता है तो ऐसी सम्पत्ति को अल्पकालीन पूँजी सम्पत्ति कहते हैं।

दीर्घकाली पूँजी सम्पत्ति [धारा 2(29A)]

इसका आशय यह है कि यदि काई पूँजी सम्पत्ति करदाता के पास 36 माह, 24 माह, 12 माह (जैसी परिस्थिति हो) से अधिक हस्तान्तरण की तिथि से पूर्व रहती है तो वह दीर्घकालीन पूँजीगत सम्पत्ति होगी।

अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन पूँजी लाभ (Short-term and Long-term Capital Gains) अल्पकालीन पूँजीगत सम्पत्ति के हस्तांतरण से उदय हुआ पूँजी लाभ अल्पकालीन पूँजी लाभ (shorterm capital assets S.T.C.G.) कहलाता है। जबकि दीर्घकालीन पूँजीगत सम्पत्ति के हस्तांतरण से उदय हुआ पूँजी लाभ दीर्घकालीन पूँजी लाभ [Longterm capital Assets L.T.C.G.] कहलाता है।

अल्पकालीन पूँजी लाभ एवं दीर्घकालीन पूँजी लाभ सारणी 12.2 अल्पकालीन पूँजी लाभ एवं दीर्घकालीन पूँजी लाभ में अन्तर

क्र.	आधार	अल्पकालीन पूँजी लाभ	दीर्घकालीन पूँजी लाभ
1.	सम्पत्ति की समय अवधि	सामान्यतः अल्पकालीन पूँजी लाभ में सम्पत्ति करदाता द्वारा अधिकतम 36 माह या 36 माह से कम (निर्दिष्ट मदों की दशा में अधिकतम 12 माह का 24 माह या 12 माह या 24 माह से कम) रखी जाती है।	सामान्यतः दीर्घकालीन पूँजी लाभ में करदाता द्वारा 36 माह से अधिक (निर्दिष्ट मदों की दशा में 12 माह या 24 माह से अधिक) रखी जाती है।
2.	आय कर	अल्पकालीन पूँजी लाभ जो धारा 111 के अन्तर्गत आता है पर अन्य आयों की तरह (यदि प्रतिभूति लेनदेन कर लागू नहीं है) आयकर की सामान्य दरों से कर लगाया जाता है। अल्पकालीन पूँजी लाभ जो धारा 111A के अन्तर्गत आता है (यदि प्रतिभूति लेन देन कर लागू है) उस पर 15% (+SC+HEC) की दर से कर लगाया जाता है।	दीर्घकालीन पूँजी लाभ जो धारा 112 के अन्गर्तत आता है (यदि प्रतिभूति लेनदेन कर लागू है) उस पर 20% (+SC+HEC) की दर से आय कर लगाया जाता है। यदि दीर्घकालीन लाभ धारा 112A के अन्तर्गत आता है लेन देन कर लागू है) तो दीर्घकालीन पूँजी कर योग्य होगा। इस धारा 112A के अन्तर्गत सूचीयत समता अंशों या Equity Orientated पारस्परिक निधि के यूनिटों को 1 अप्रैल 2018 को या इसके बाद बेचने से उत्पन्न पूँजी यदि 1,00,000 रु. से अधिक है (कुछ शर्तो को पूरा होने पर) तो 1,00,000 रु. से अधिक पूँजी लाभ की रकम पर 10% (+SC+HEC) के दर से कर लगेगा। इन शर्तों के पूरा न होने की दशा में पूँजी लाभ धारा 112 के अन्तर्गत 20%(+SC+HEC) की दर से कर योग्य होगा।
3.	प्राप्ति एवं सुधार की लागत	अल्पकालीन पूँजी लाभ की गणना में सम्पत्ति की प्राप्ति एवं सुधार की वास्तविक लागत दोनों को घटाया जाता है।	दीर्घकालीन पूँजी लाभ की गणना में सम्पत्ति प्राप्ति एवं सुधार की लागत की भी सूचकांक लागत निकाली जाती है और उसे घटाया जाता है।
4.	विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कर मुक्त पूँजी लाभ	अल्पकालीन पूँजी लाभों में से धारा 54B, 54D, 54G एवं 54GA के अन्तर्गत छॅटे प्राप्त हो सकती है।	दीर्घकालीन पूँजी लाभों में से धारा 54,54B,54D, 54EC, 54EE, 54F, 54G, 54GA, 54GB के अन्तर्गत छूटें प्राप्त हो सकती हैं।

उदाहरण 1

निम्नलिखित दशाओं में बताइए कि ये सम्पत्तियाँ अल्पकालीन हैं या दीर्घकालीन कारण भी दीजिए।

1) श्री अरुन भारतीय कम्पनी में मार्च 16,2018 को सूचीयत अंश क्रय करते हैं तथ इन्हें जून 12, 2019 को हस्तान्तरण कर देते हैं।

2) श्री ज़िया समता (Oriented) पारस्परिक कोष के यूनिट जुलाई 7, 2018 को क्रय करते हैं तथा इन यूनिटों को जुलाई 10, 2019 को हस्तान्तरित कर देते हैं।

3) श्री बालकिशन ने सितम्बर 12, 2016 को सोना क्रय किया और इसे उन्होंने अपने मित्र श्री चरनजीत को 30, दिसम्बर, 2017 के उपहार दे दिया। श्री चरनजीत ने यह सोना 20 अक्टूबर, 2019 को हस्तान्तरित कर दिया।

4) श्रीमती संगीता मार्च 16, 2018 को एक मकान सम्पत्ति प्राप्त करते हैं और इसे जून 12, 2019 को हस्तांरित कर देते हैं।

हल

करदाता	**सम्पत्ति**	**दीर्घकालीन सम्पत्ति बनने के लिए कम से कम समायावधि**	**सम्पत्ति रखने का समय**	**अल्पकालीन या दीर्घकालीन**
अरुण	सूचीबध अंश	12 माह से अधिक	16 मार्च 2018 से 12 जून 2019 (14 माह 27 दिन)	दीर्घकालीन
ज़िया	MF ओरीयन्ट के इक्यूटी यूनिट	12 माह से अधिक	12 माह 3 दिन	दीर्घकालीन
चरनजीत	सोना	36 माह से अधिक	12 सितम्बर 2016 से 20 अक्टूबर 2019 तक	दीर्घकालीन
श्रीमती संगीता	मकान सम्पति	24 माह से अधिक	16 मार्च 2018 से 12 जनू 2019 तक	अल्पकालीन

12.2.2 पूँजीगत सम्पत्ति का हस्तान्तरण (Transfer of Capital Assets) [धारा 2 (47)]

पूँजीगत सम्पत्ति के हस्तांतरण का आशय निम्न है–

i) किसी सम्पत्ति की बिक्री, विनिमय या त्याग

ii) सम्पत्ति के अधिकार की समाप्ति

iii) सरकार द्वारा किसी कानून के तहत अनिवार्य अधिग्रहण

iv) जहाँ मालिक द्वारा सम्पत्ति को माल में परिवर्तित कर देता है और व्यापार को चलाया जाता है, बाद में व्यापार को कम्पनी में परिवर्तित किया जाता है जोकि पूँजीगत सम्पत्ति का हस्तान्तरण माना जायेगा या

v) जीरो कूपस बान्ड की परिपक्वता होने पर या

vi) यदि कोई अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण में कोई लेन देन शामिल है जोकि अनुबन्ध का भाग है को सम्पत्ति के हस्तारण अधिनियम 1822 के लिए मान्य होगा।

vii) कोई ऐसा लेन–देन जोकि अचल सम्पत्ति को हस्तान्तरण में लाभकरी होता है।

हस्तान्तरण के उदाहरण :

i) कम्पनी द्वारा पूर्वाधिकार अंशों के भुगतान की दशा में, यह अंशधारियों के दृष्टिकोण से हस्तान्तरण माना जायेगा तथा वे पूँजी लाभ के लिये उत्तरदायी होंगे [Anarkali Sarabai Vs CIT (1997) 90 Taxman 509 (SC)]।

ii) पूर्वाधिकारी अंशों का साधारण अंशों में परिवर्तन, अंशधारियों के लिये हस्तान्तरण माना जायेगा [CIT Vs Motors and General Stores P. Ltd. (1967) 66 ITR 692 (SC)]।

iii) किसी कम्पनी के समापन पर पूँजी सम्पत्तियों का वितरण (बंटवारा), कम्पनी के दृष्टिकोण से हस्तान्तरण नहीं माना जायेगा परन्तु यह अंशधारियों के लिये हस्तान्तरण माना जायेगा।

iv) एकाधिकारी व्यापार को फर्म द्वारा अधिग्रहित करना [CIT Vs Ramakrishnan (1969) 73 ITR 356 (Ker)(FB)]।

v) किसी व्यवसाय की इकाईयों की सामूहिक बिक्री (Slump sale) (धारा 50B)।

vi) खदान पट्टे को प्रीमियम (Premium) पर देना [A.R. Krishnamurthy and Another Vs CIT(1989) 176 ITR 416 (SC)]।

vii) 99 वर्षीय पट्टे पर जमीन (Plot) प्राप्त करने हेतु प्रीमियम (Premium) अथवा सलामी (Salami) देना [R.K. Palshikar HUF Vs CIT (1988) 172 ITR 310 (SC)]।

कुछ लेन–देन हस्तान्तरण नहीं माने जाते (धारा 46 और धारा 47)(अपवाद)– धारा 47 के अनुसार निम्नलिखित व्यवहारों को हस्तान्तरण के अन्तर्गत सम्मिलित नही किया जाता है, अतः इनके हस्तान्तरण पर होने वाला लाभ 'पूँजी लाभ' शीर्षक में कर–योग्य नहीं होता है। इन लेन–देनों के फलस्वरूप यदि कोई हानि भी होती है तो इसे करदाता की अन्य आय से समायोजित नहीं किया जायेगा। ये लेन–देन निम्नलिखित हैं:

1) कम्पनी के समापन पर समत्तियों का वितरण उसके शेयर धारकों को वितरीत की जाती है, ऐसे वितरण को कम्पनी के हाथों में हस्तान्तरण नहीं माना चाएगा [धारा 46(i)]।

2) किसी हिन्दू अविभाजित परिवार के पूर्ण अथवा आंशिक विभाजन पर पूँजी सम्पत्तियों का वितरण [धारा 47(i)]।

3) उपहार, वसीयत या अखण्डनीय ट्रस्ट के अन्तर्गत किसी पूँजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण [धारा 47(iii)]।

4) किसी सूत्रधारी कम्पनी द्वारा अपनी सहायक कम्पनी को पूँजी सम्पत्तियों का हस्तान्तरा करती है, बशर्ते वह कम्पनी भारतीय कम्पनी हो [धारा 47(iv)]

नोट : सम्पत्ति का हस्तान्तरण व्यापारिक स्टाक (Stock in trade) के रूप में न किया गया हो।

5) सहायक कम्पनी के सम्पूर्ण अंश सूत्रधारी कम्पनी के पास हों, सम्पत्ति प्राप्त करने वाली कम्पनी (सहायक कम्पनी) भारतीय कम्पनी हो [धारा 47(v)]।

एक अनिवासी करदाता द्वारा दूसरे अनिवासी करदाता को अंशों अथवा बॉण्ड्स जो विदेशी मुद्रा में हों, को भारत के बाहर बॉण्ड्स अथवा अंशों के स्थान पर सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों (Global Depository Receipts) का हस्तान्तरण।

6) 01.03.1970 से पूर्व शहरी कृषि भूमि का भारत में हस्तान्तरण।

पूँजी लाभ से आय एवं अन्य स्रोत

6) एकीकरण की किसी येाजना के अन्तर्गत एकीकरण की जाने वाली कम्पनी द्वारा एकीकरण करने वाली भारतीय कम्पनी को पूँजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण [धारा 47(iii)]।

7) दो विदेशी कम्पनियों के बीच एकीकरण की किसी येाजना के अन्तर्गत एक विदेशी कम्पनी द्वारा दूसरी विदेशी कम्पनी को भारतीय कम्पनी के अंशों का हस्तान्तरण। यदि कुछ शर्तें पूरी करता हो।

8) कम्पनी के अविलयन की दशा में– एक अविलयित (Demerged) कम्पनी द्वारा पूँजी सम्पत्ति का भारतीय परिणामी कम्पनी को हस्तान्तरण। (धारा 47(VIb))

9) विदेशी अविलयित कम्पनी द्वारा विदेशी परिणामी कम्पनी (Foreign Resulting Company) को किसी पूँजी सम्पत्ति (भारतीय कम्पनी में अंश) का हस्तान्तरण।

10) अविलयन की किसी येाजना के अन्तर्गत एक परिणामी कम्पनी द्वारा अविलयित कम्पनी के अंशधारी को अंशों का निमर्गमन अथवा हस्तान्तरण। ऐसा हस्तान्तरण अथवा निर्गमन उपक्रम के अविलयन अथवा विभक्तीकरण के परिणामस्वरूप किया गया है (धारा 47(VIb))।

11) किसी बैंकिग कम्पनी का केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत की गई एवं लागू की गई योजना के अन्तर्गत किसी अन्य बैकिंग संस्था के साथ समामेलन की दशा में पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण को हस्तान्तरण नहीं कहेंगे।

12) एकीकरण की किसी भी येाजना के अन्तर्गत एकीकरण की जाने वाली कम्पनी के किसी अंशधारी द्वारा इस कम्पनी के अपने अंशों का हस्तान्तरण।

13) पूँजीगत सम्पत्ति का कोई हस्तांतरण

a) धारा 115 AC(1) में सदर्भित बॉन्ड या ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद या

b) भारतीय कम्पनी के बाण्ड या

c) एक मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज पर एक अनिवासी द्वारा बनाया गया संजात जोकि किसी भी अतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में स्थिति है और जहाँ लेन–देन विदेशी मुद्रा में भुगतान या देय है [वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा सम्मिलित करनिर्धारण वर्ष 2019-20 से प्रभावी)

14) यदि कोई पूँजी सम्पत्ति ऐसी है जो ऐसे कार्यो से सम्बन्धित है, जैसे, कला या कला संग्रह, पुरातात्विक, फोटोग्राफ, ड्राइंग, पेन्टिंग, पाण्डुलिपि, वैज्ञानिक अथवा किसी विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय संग्रहायल, राष्ट्रीय कला दीर्धा (National Art Gallery) राष्ट्रीय अभिलेखागार अथवा इसी प्रकार के केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य संग्रहालय या संस्था को किये गये हस्तान्तरण धारा 47 (ix) के अन्तर्गत हस्तान्तरण नहीं माने जायेंगे। (कर–निर्धारण वर्ष 2005–06 से इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र को किया गया हस्तान्तरण हस्तान्तरण माना जायेगा।) [धारा 47(ix)]

15) किसी कम्पनी द्वारा अपने बॉण्ड्स, ऋणपत्रों को उसी कम्पनी के अंशों या ऋण पत्रों में परिवर्तित करने पर इसे हस्तान्तरण नहीं मानेंगे [धारा 47(x)]।

16) कम्पनी के पूर्वाधिकारी अंशों का समता अंशों में परिवर्तन हस्तान्तरण को हस्तान्तरण नहीं माना जायेगा (करनिर्धारण वर्ष 2018–19 से प्रभावी)।

17) जब एक साझेदारी फर्म या एकाकी व्यवसाय को किसी कम्पनी द्वारा ले लिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप उस फर्म या एकाकी व्यवसाय की पूँजी या आदृश्य सम्पत्तियाँ कम्पनी को हस्तान्तरित हो जाती हैं तो ऐसे हस्तान्तरण को निम्नलिखित शर्तो के पूरा होने पर हस्तान्तरण नहीं माना जायेगाः

i) साझेदारी फर्म के सभी साझेदार अथवा एकाकी व्यवसायी कम्पनी द्वारा व्यवसाय ले लेने के ठीक पूर्व उस कम्पनी में उसी अनुपात में अंशधारी हो जाते हैं जिस अनुपात में व्यवसाय लेने की तिथि को फर्म द्वारा लेखा पुस्तकों में उनकी पूँजी को दर्शाया गया था।

ii) फर्म के साझेदारों को या एकाकी व्यवसायी को कम्पनी में अंशों का आवंटन होने के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का कोई लाभ या प्रतिफल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में नहीं मिलना चाहिए।

iii) फर्म के साझेदारों को अंशों के आवंटन के किसी कम्पनी से कोई प्रतिफल या लाभ, प्रत्यक्ष या परोक्षरूप से या किसी अन्य तरीके से प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

iv) कम्पनी में समस्त साझेदारों या एकाकी व्यवसायी द्वारा लिये गये अंशों की संख्या कुल मताधिकार के 50 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए तथा साझेदारों या एकाकी व्यवसायी द्वारा इन अंशों को कम से कम 5 वर्ष तक लगातार रखना होगा।

उपर्युक्त शर्तो की पूर्ति होने पर एक साझेदारी फर्म तथा एकाकी व्यवसाय को होने वाला पूँजी लाभ कर–मुक्त होगा। उपर्युक्त शर्तो की पूर्ति न होने पर फर्म या एकाकी व्यवसाय के कर–मुक्त पूँजी लाभ उस वर्ष के कम्पनी के पूंजीगत लाभ होंगे जिस वर्ष में निर्धारित शर्तो की पूर्ति नहीं की गई है।

18) एक निजी कंपनी द्वारा पूँजीगत संपत्ति या अमूर्त संपत्ति का कोई हस्तांतरण या गैर–सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी (इसके बाद कंपनी के रूप में संदर्भित इस खंड में) एक सीमित देयता भागीदारी या एक शेयरधारक द्वारा कंपनी में आयोजित किसी शेयर या शेयरों का कोई हस्तांतरण कंपनी के सीमित देयता साझेदार के रूप में परिणत होने के बाद सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 की धारा 56 या धारा 57 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाता है :

a) हस्तानतरण से पहले कंपनी की सभी परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ सीमित देयता भागीदारी की संपत्ति और देनदारियाँ बन जाती हैं;

b) हस्तानतरण से ठीक पहले कंपनी के सभी शेयरधारक सीमित देयता भागीदारी के भागीदार बन जाते हैं और सीमित देयता भागीदारी में उनके पूँजी योगदान और लाभ के बंटवारे का अनुपात उसी अनुपात में होता है, जिस दिन रूपांतरण की तारीख में कंपनी में उनकी हिस्सेदारी होती है।

c) कंपनी के शेयरधारकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप या तरीके से सीमित देयता साझेदारी में लाभ और पूँजी योगदान के अलावा किसी भी रूप या तरीके से प्राप्त नहीं होता है;

d) सीमित देयता भागीदारी में कंपनी के शेयरधारकों के लाभ के बंटवारे के अनुपात का कुल मिलाकर हस्तान्तरण की तारीख से पांच साल की अवधि के दौरान किसी भी समय पचास प्रतिशत से कम नहीं होगा;

e) गत वर्ष के पहले के तीन वर्षों में कंपनी के कारोबार में कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियां, जिसमें हस्तान्तरण साठ लाख रुपये से अधिक नहीं है; तथा

f) गत वर्ष से पहले के तीन वर्षों में कंपनी के खाते की पुस्तकों में प्रदर्शित होने वाली संपत्तियों का कुल मूल्य जिसमें हस्तान्तरण 5 करोड़ से अधिक नहीं है; तथा

g) कोई भी राशि का भुगतान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तान्तरण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए हस्तान्तरण की तारीख पर कंपनी के खातों में रखे सचित लाभ से बाहर नहीं किया जाता है [धारा 47(XIIIb)]

नोट : इस खंड के प्रयोजन के लिए ''निजी कंपनी'' और ''असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी'' का अर्थ क्रमशः सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 के तहत किया गया है [धारा 47(XIIIb)]

19) एक साझेदारी फर्म द्वारा अपने व्यवसाय का उत्तराधिकार किसी कम्पनी को दिये जाने के कारण अथवा भारत में मान्यता प्राप्त स्कन्ध विपणि का निगमित निकाय के रूप में अथवा सदस्यता कार्ड का अंश तथा व्यापार अधिकरी में परिवर्तन किये जाने के परिणमस्वरूप कम्पनी द्वारा फर्म से उत्तराधिकार प्राप्त करने के कारण पूँजी सम्पत्ति हस्तान्तरित की जाती है जिसके फलस्वरूप पूँजी लाभ होता है तो इसे हस्तान्तरण न मानकर पूँजी लाभ कर–मुक्त होगा। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तो की पूर्ति होना आवश्यक है :

a) उत्तराधिकार से पूर्व फर्म की सभी सम्पत्तियाँ व दायित्व कम्पनी की हो जाती है;

उत्तराधिकार से पूर्व फर्म के सभी साझेदार कम्पनी के अंशधारी उसी अनुपात में होंगे जिस अनुपात में उत्तराधिकार से पूर्व उनका फर्म में पूँजी का अनुपात था;

b) साझेदारों द्वारा प्राप्त अंश कुल मताधिकार के 50 प्रतिशत से कम नहीं होने चाहिए तथा इन्हें साझेदारों को धारण की तिथि से 5 वर्ष तक हस्तान्तरित नहीं करना चाहिए।

c) फर्म के साझेदारों द्वारा अंशों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का प्रत्यक्षा या अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त न किया गया हो;

20) केन्द्रीय सकरार द्वारा अधिसूचित प्रतिवर्ती बन्धक योजना (Reverse Mortagage Scheme) के अन्तर्गत पूँजी सम्पत्ति के स्तान्तरण को हस्तान्तरण नहं माना जायेगा।

21) एक पूँजीगत परिसंपत्ति के एक इकाई धारक द्वारा किसी भी हस्तांतरण एक इकाई या इकाइयों के अन्तर्गत आयोजित किया जाता है, जिसके अन्तर्गत बनायी गयी म्यूचुअल फंड की संयुक्त योजना में एक पूँजीगत सम्पत्ति के करते हैं। इन इकाइयों में म्यूचुअल फंड योजना सम्मिलित नहीं है। धारा [47(XIX)]

22) सम्मिलित इक्यूटी की दो या अधिक योजनाओं का इक्यूटी के अलावा किसी फंड की दो या अधिक योजनाएं धारा 47(XVIII)।

यह देखा जा सकता है कि उपरोक्त लेनदेन को पूँजीगत लाभ के प्रयोजनों के लिए हस्तांतरण के रूप में नहीं माना जाता है।

i) किसी पूँजी सम्पत्ति का आग द्वारा या अन्य किसी आपदा के कारण नष्ट होना।

ii) पूँजी सम्पत्ति का व्यापारिक रहतिया में परिवर्तन,

iii) सम्पत्ति को अनिवार्य रूप से अधिगृहीत करना,

iv) किसी निदिष्ट करार के अन्तर्गत कोई पूँजी सम्पत्ति का यदि हस्तान्तरण किसी व्यक्ति या हिन्दु अविभाजित परिवार को किया जाता है [धारा 45(5A)]।

12.3 पूँजी लाभ की गणना (COMPUTATION OF CAPITAL GAINS)

A) अल्पकालीन पूँजी लाभ की गणना पूंजी लाभ शीर्षक के अन्तर्गत अल्पकालीन पूँजी लाभ की गणना के लिए पूँजीगत सम्पत्ति के हस्तान्तरण के फलस्वरूप प्राप्त या उपार्जित प्रतिफल की राशि से निम्न राशियां घटायी जाती है–

a) वे व्यय जो पूर्णतया तथा विशिष्टतया ऐसी पूँजी के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में किये गये हैं, तथा

b) पूँजीगत सम्पत्ति की प्राप्ति लागत तथा उसमें सुधार पर व्यय

इस प्रकार हम उपरोक्त निम्न सूत्र से स्पष्ट कर सकते हैं–

अल्पकालीन पूँजी लाभ = प्रतिफल की संपूर्ण राशि– (प्राप्ति लागत + हस्तान्तरण करने का व्यय + सुधार की लागत)।

सारणी 12.3: अल्पकालीन पूँजी लाभ की गणना

		रु.
प्राप्त सम्पूर्ण प्रतिफल या सम्पत्ति पर विक्रय		–
घटायें : हस्तान्तरण या बिक्री व्यय		–
शुद्ध प्रतिफल		–
घटाये :		
i) सम्पत्ति को प्राप्त करने या क्रय करने की लागत	–	
ii) सम्पत्ति में किये गये सुधार की लागत	–	
सकल अल्पकालीन पूँजी लाभ		–
धटायें : धारा 54B, 54D, 54G, 54GA के अन्तर्गत कर मुक्त पूँजी लाभ		–
कर योग्य पूँजी लाभ		–

उदाहरण 2

30 जनवरी, 2020 को मि. अर्जुन ने एक भवन सम्पत्ति को 3,25,000 रु. में बेच दिया। उसने यह भवन सम्पत्ति 1.6.2018 को मिस्टर मयंक से 1,70,000 रु. में क्रय की थी तथा उसने नवम्बर 2018 में इसके सुधार पर 27,500 रु. का किये थे। कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए पूँजी लाभ की गणना कीजिए।

श्री अर्जुन की पूँजी लाभ की गणना कर निर्धारण वर्ष 2020–21

	रु.	रु.
सम्पत्ति की बिक्री		3,25,000
घटायें		
i) सम्पत्ति को प्राप्त	1,7,000	
ii) सम्पत्ति की सुधार	27,500	1,97,500
अल्पकालीन पूँजी लाभ		**27,500**

नोटः (i) अगर सम्पत्ति में सुधार 1 अप्रैल 2001 से पूर्व हुआ है तो ऐसे सुधार को पूँजी लाभ निकालते समय ध्यान नहीं दिया जाता है।

B) दीर्घकालीन पूँजी लाभ की गणना के लिए पूँजीगत सम्पत्ति के हस्तान्तरण के फलस्वरूप प्राप्त प्रतिफल की राशि में से निम्न राशियां घटा दी जाती हैं–

a) वे व्यय जो पूर्णतया ऐसी पूँजी के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में किये गये हों

b) सम्पत्ति को प्राप्त करने की सूचकांक लागत और सम्पत्ति में सुधार करने की सूचकांक लागत सम्पत्ति को प्राप्त करने की सूचकांक

$$\text{सम्पत्ति को प्राप्त करने की सूचकांक लागत} = \frac{\text{पूंजीगत सम्पत्ति की लागत} \times \text{हस्तान्तरण वर्ष का सूचकांक}}{\text{सम्पत्ति प्राप्ति के वर्ष का सूचकांक या 1.4.2001 वर्ष को सूचकांक (जो बाद में हो)}}$$

$$\text{सम्पत्ति में सुधार करने की सूचकांक लागत} = \frac{\text{सुधार करने की लागत} \times \text{हस्तान्तरण वर्ष का सूचकांक}}{\text{सुधार करने वाले वर्ष का सूचकांक}}$$

सारणी 12.4 : दीर्घकालीन पूँजी लाभ की गणना

प्राप्त सम्पूर्ण प्रतिफल या सम्पत्ति पर विक्रय	–
घटायें : हस्तान्तरण या बिक्री व्यय	–
शुद्ध प्रतिफल	–
घटायें : i) सम्पत्ति को प्राप्त करने की सूचकांक ii) सम्पत्ति सुधार की सूचकांक लागत	–
सकल दीर्घकालीन पूँजीलाभ	–
घटायें धारा 54, 54B, 54D,54EC, 54F, 54G, 54GA,54GB (यदि कोई है)	–
करयोग्य पूँजी लाभ	–

i) यदि सुधार 1 अप्रैल 2001 से पहले किया जाता है, तो सुधार की लागत को नज़र अंदाज़ कर दिया जाएगा।

ii) पूर्णप्रतिफल यह उल्लेख करता है कि हस्तांतरित में कौन सा प्रतिफल प्राप्त किया है या वो उस प्रतिफल का हकदार होगा जो पूँजी सम्पत्ति हस्तांतरित की गई हो। यह हमेशा आवश्यक नहीं है हस्तांतरित की गई सम्पत्ति का पूर्ण प्रतिफल बाज़ार मूल्य से बराबर हो।

iii) पूँजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण में केवल बिक्री ही नहीं, बल्कि विनिमय के अन्य तरीके भी शामिल हैं जैसे, विनिमय परिसंपत्ति का त्याग, पूँजीगत संपत्ति में अधिकारों का हरण आदि।

iv) अभिव्यक्तिपूर्ण मूल्य का मतलब बिना किसी कटौती के पूरी कीमत है और इसकी पर्याप्तता या कीमत की पर्याप्तता से कोई लेना–देना नहीं है। इसी तरह बाज़ार मूल्य का भी पूर्ण मूल्य से कोई संबंध नहीं है।

v) जहाँ प्रतिफल किश्तों में प्राप्त किया जातना है, परिवार का पूरा मूल्य पूँजीगत लाभ की गणना करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए जो हस्तांतरण के वर्ष में प्रभार्य हो जाता है।

vi) विनिमय की परिस्थिति में संपत्ति का बाज़ार मूल्य पूर्ण प्रतिफल मूल्य हागा।

vii) कुछ अन्य परिस्थितियों में वास्तविक प्रतिफल के स्थान पर पूर्णप्रतिफल ही आना हुआ प्रतिफल माना जायेगा। ऐसी परिस्थितियों को धारा 45 (IA), 45 (2), 45 (3), 45 (4), 45 (5 A), 46 (2), 50 (C), और 50 (D) में समझाया गया है।

viii) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के व्यय को हस्तांतरण पर व्यय माना जाएगा। पूँजीगत परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के उद्देश्य से हस्तांतरण के व्ययों में विज्ञापन व्यय, दलाली, स्टांपशुल्क पंजीकरण शुल्क और कानूनी व्यय आदि जैसे व्यय शामिल हैं।

ix) प्राप्ति की लगात और सुधार की लागत इसी इकाई में विस्तार से समझाया गया है।

x) इसी प्रकार प्राप्ति की सूचकांक लागत और सुधार की सूचकांक लागत को इसी इकाई में आगे समझाया गया है।

xi) पूँजी लाभ से उपलब्ध छूटों को घटाने के बाद कर योग्य पूँजी लाभ प्राप्त होता है।

12.4 प्राप्त करने की लागत

किसी सम्पति को प्राप्त करने की लागत वह होती है जितने मूल्य में करदाता ने उसे क्रय किया है या बनवाया है। किसी सम्पत्ति को प्राप्त करने में जो व्यय होते हैं उन्हें भी सम्पत्ति की लागत में जोड़ा जाता है। प्राप्ति की तिथि से ही लागत की गणना की जाती है न कि उस तिथि से जिस दिन से वह सम्पत्ति कर योग्य बन जाती है।

पूँजी सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिए गए ऋण पर ब्याज कानूनी व्यय जो करदाता ने वस्तु में बदलाव लाने के लिए किए है और अंशों को करदाता के नाम में पंजीकृत करने के लिए करदाता द्वारा किए गये व्यय सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत के अन्तर्गत आते हैं।

1 अप्रैल 2001 से पूर्व प्राप्त की गयी सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत [धारा 55(2) (b)]

पूँजी लाभ की गणना के लिए करदाता के पास यह विकल्प है कि वह या तो सम्पत्ति की वास्तविक लागत या 01.04.2001 को उसका उचित बाजर मूल्य को चुन सकता है बशर्ते

1) कि करदाता ने सम्पत्ति 1 अप्रैल 2001 से पूर्व खरीदी है या प्राप्त की है अथवा

2) करदाता ने यह सम्पत्ति प्राप्त करने की मानी गयी लागत के अन्तर्गत दिये गये माध्यम से प्राप्त की है जिसमें पूर्व स्वामी ने सम्पत्ति को 01.04.2001 से पूर्व प्राप्त किया है।

$$\text{सूचकांक लागत} = \frac{\text{पूर्व स्वामी की वास्तविक लागत अथवा 1.4.2001 को सम्पत्ति का वास्तविक मूल्य (दोनों में जो अधिक रकम हो)} \times \text{हस्तान्तरण वर्ष का लागत सूचकांक}}{100}$$

उचित बाजार मूल्य से अभिप्राय [धारा 2(22B)]

i) वह कीमत जो पूँजी सम्पत्ति उस सम्बन्धित तिथि को खुले बाजार में बेचने से प्राप्त करती है और

ii) जब उपर्युक्त (i) में वर्णित कीमत ज्ञात न की जा सके तो ऐसी कीमत जो आयकर अधिनियम में वर्णित नियमों के तहत ज्ञात की गयी हो। धारा 55 A के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी (उपरोक्त (i) के प्रावधान छोड़कर) निम्न परिस्थितियों में मूल्यांकन अधिकारी का सन्दर्भ कर सकता है।

   a) यदि करदाता द्वारा आंका गया मूल्य तथा उचित बाजार मूल्य कर निर्धारण अधिकारी की सम्मति में 15 प्रतिशत या 25,000 रू0 से अधिक का अन्तर रखते है (जैसी भी दशा हो) और

   b) यदि सम्पत्ति की प्रकृति एवं अन्य उपयुक्त परिस्थितियों के अनुसार ऐसा करना आवश्यक हो।

12.4.1 प्राप्त करने की मानी गयी लागत

पिछले मालिक द्वारा किए गए खर्चे को वर्तमान मालिक के लिए पूँजीगत संपत्ति के अधिग्रहण की लागत के रूप में लिया जाता है।

a) उपहार या वसीयत के तहत संपत्ति का अधिग्रहण; या

b) हिन्दू अविभाजित परिवार के विभाजन के समय सम्पत्ति के वितरण पर संपत्ति का अधिग्रहण; या

c) किसी कम्पनी के समापन के समय सम्पत्ति के वितरण से सम्पत्ति का अधिग्रहण; या

d) किसी निरस्त या अपरिवर्तनीय ट्रस्ट में स्थानांतरण के तहत परिसंपत्ति का अधिग्रहण; या

e) उत्तराधिकार या उत्तराधिकार द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण; या

f) यदि भारतीय कंपनी एक सम्मिलित कंपनी है, तो सम्मिलित कंपनी को सम्मिलित कंपनी द्वारा पूँजीगत संपत्ति के हस्तांतरण पर परिसंपत्ति का अधिग्रहण।

g) एक पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय सहायक कंपनी द्वारा अपनी सूत्रधारी कंपनी या एकीकरण करने वाली कम्पनी का सम्पत्ति का वितरीत जोकि हस्तांतरण पर अधिग्रहण।

h) परिणामी कंपनी धारा 47(vib) के लिए अविलय कम्पनी द्वारा पूँजीगत परिसम्पत्ति के किसी भी हस्तांतरण पर अधिग्रहण।

i) हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य की स्व–अर्जित सम्पत्ति का रूपांतरण को संयुक्त परिवार की संपत्ति में मिलाना।

j) कुछ शर्तों के अधीन उत्तराधिकार धारा 47(xiv) के परिणाम स्वरूप स्वयं की सम्पत्ति द्वारा कम्पनी के लिए संपत्ति के हस्तांतरण पर।

k) एक निजी कम्पनी या असूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी के रूपान्तरण के परिणामस्वरूप सीमित देयता भागीदारी द्वारा किसी भी सम्पत्ति हस्तांतरण पर अधिग्रहण।

उदाहरण 3

श्री अमित ने 2004–05 में एक रिहायशी मकान 4,00,000 रू0 का क्रय किया। उसने यह मकान 2008–09 में दिपाली को उपहार में दे दिया। उपहार के दिन मकान का उचित बाजार मूल्य 5,00,000 रू0 था। पंकज ने दिपाली पर मुकदमा चला दिया कि उपहार में मिली हुई सम्पत्ति पर उसका अधिकार है। दिपाली ने पंकज को 60,000 रू0 मुकदमें में राजीनामा करने के लिए दिये। दिपाली ने इस मकान को 15 अक्टूबर, 2019 को 20,00,000 रू0 में बेच दिया। अमित और दिपाली के लिए कर योग्य पूंजी लाभ की गणना कीजिए। 2004–05, 2008–09, 2019–20 में लागत स्फीति सूचकांक क्रमषः 113, 137 तथा 289 था।

हल : अमित ने दिपाली को सम्पत्ति उपहार में दी है। इस व्यवहार को हस्तांतरण नहीं माना जाता है इसलिए अमित के लिए पूँजी लाभ नहीं है। दिपाली ने सम्पत्ति को बेच दिया है पूँजी लाभ की गणना नीचे की गयी है।

कर योग्य पूँजी लाभ की गणना

	रू0
विक्रय मूल्य	20,00,000
घटाया :अमित के लिए प्राप्त करने की सूचकांक लागत जो कि दिपाली के लिए प्राप्त करने की मानी गयी लागत है $\frac{4,00,000 \times 289}{113}$	10,23,000
कर योग्य पूँजी लाभ	9,77,000

उदाहरण 4

मुकेश ने 10 फरवरी, 1972 को एक मकान सम्पत्ति 40,000 रू0 में क्रय की। उसने 1975–76 में 60,000 रू0 का व्यय करके मकान के ऊपर पहली मंजिल का निर्माण कराया। 10 नवम्बर, 2003 को उसकी मृत्यु हो गई। यह सम्पत्ति श्रीमती मुकेश को वसीयत द्वारा हस्तांतरित हो गई। श्रीमती मुकेश ने 2004–05 में इसके नवीनीकरण/पुनर्निर्माण पर 53200 रू0 व्यय किये। 20 जनवरी, 2020 को श्रीमती मुकेश ने इस मकान सम्पत्ति को

20,00,000 रू0 में बेच दिया (श्रीमती मुकेश ने 20,000 रू0 दलाली के भुगतान किये)। 1 अप्रैल, 2001 को मकान का उचित बाजार मूल्य 1,50,000 रू0 था। कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए कर योग्य पूँजी लाभ की गणना कीजिए–

2001–02, 2004–05 और 2019–20 का लागत स्फीति सूचकांक था 100,113,289

कर निर्धारण वर्ष 2020 – 21 मे कर योग्य पूजी की गणना

		रू0
	विक्रय मूल्य	20,00,000
घटाया :	हस्तांतरण पर व्यय	20,000
		19,80,000
घटाया :	प्राप्त करने की सूचकांक लागत $\frac{1,50,000 \times 289}{100}$ = 4,33,500	
	सुधार करने की सूचकांक लागत $\frac{53,200 \times 289}{113}$ = 1,36,060	5,69,560
	कर योग्य पूँजी लाभ	14,10,440

12.4.2 बोनस अंशों को प्राप्त करने की लागत

i) अगर बोनस अंश 1 अप्रैल 2001 से पहले प्राप्त किये गये हैं तो 1 अप्रैल, 2001 को उनका उचित बाजार मूल्य प्राप्त करने की लागत मानी जायेगी।

ii) अगर बोनस अंश 1 अप्रैल 2001 के बाद प्राप्त किये गये हैं तो उनको प्राप्त करने की लागत शून्य मानी जायेगी।

नोट : अगर बोनस अंश पूर्वाधिकार अंशधारियों को निर्गमित किये गये हैं तो पूर्वाधिकार अंशधारी माने गये लाभांश की राशि के बराबर जिस पर वह कर चूकाने के लिए उत्तरदायी था, बोनस अंशों की लागत मानी जायेगी।

12.4.3 ख्याति आदि को प्राप्त करने की लागत

व्यापार से जुड़ी हुई ख्याति, व्यापर चिन्ह अथवा ब्राण्ड नाम को प्राप्त करने की लागत अथवा किसी वस्तु अथवा चीज के बनाने, उत्पादन करने अथवा प्रसंस्करण करने अथवा किसी व्यवसाय या पेशे को चलाने का अधिकार, किरायेदारी का अधिकार स्टेज कैरेज, परमिट अथवा लूम के घन्टे निम्न प्रकार से निर्धारित होंगे।

i) यदि सम्पत्ति किसी पूर्व स्वामी से क्रय की गयी है तो क्रय राशि ही प्राप्त करने की लागत मानी जायेगी।

ii) अन्य किसी दशा में शून्य क्रय मूल्य।

iii) यदि धारा 49 (1) के वाक्य (i) से (iv) तक के अधीन यदि इसे किसी भी माध्यम से प्राप्त किया गया हो तथा पूर्व के स्वामी की लागत का उसके द्वारा भुगतान किया गया हो तो ऐसा भुगतान ही प्राप्ति की लागत होगी परन्तु यदि सम्पत्ति पूर्व के स्वामी द्वारा स्वअर्जित हो, प्राप्ति की लागत शून्य होगी।

12.4.4 अधिकार अंशों के अधिग्रहण की लागत [धारा 55(2)(aa)]

जहाँ एक करदाता कुछ अंशों को रखने के आधार पर करने किसी भी अतिरिक्त अंशों की ग्रहण करने पाने का हकदार बन जाता है :

a) मूल शेयरों के अधिग्रहण की लागत अपरिवर्तित रहेगी अर्थात् यह वास्तव में मूल शेयरों को प्राप्त करने के लिए भुगतान की गई राशि होगी;

b) अधिकार अंशों के अधिग्रहण की लागत जबकि करदाता ने अधिकार अंशों के आधार पर सदस्यता ली है, तो वास्तव में अधिकार अंशों को प्राप्त करने के लिए भुगतान की गई राशि होगी;

c) ऐसे अंशों के अधिग्रहण के अधिकार की लागत, जब इस तरह के अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में त्याग दिया जाता है तो शून्य हो जाएगा;

d) जैसाकि किसी व्यक्ति के अंशों की सदस्यता का अधिकार त्याग दिया गया है, उसके पक्ष में इस तरह के अधिकार अंशों अधिग्रहण की लागत कंपनी द्वारा शेयरों को प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा भुगतान की गई राशि होगी, साथ ही साथ त्यागने वाले व्यक्ति को सही राशि का भुगतान होगा।

12.4.5 धारा 112A के तहत दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ की गणना के लिए अधिग्रहण की लागत

लम्बी अवधि की पूँजीगत संपत्ति के संबंध में पूँजीगत लाभ की गणना के लिए अधिग्रहण की लागत के लिए

a) किसी कंपनी में एक इक्विटी शेयर, या

b) एक इक्विटी ओरीयेन्टेड फंड की एक इकाई; या

c) एक व्यापार ट्रस्ट की एक इकाई

धारा 112A में संदर्भित

धारा 55(2)(ac) के अनुसार 1/2/2018 से पहले करदाता द्वारा अधिग्रहित, सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिए इनमें से जो ज्यादा होगा।

i) ऐसी परिसंपत्ति के अधिग्रहण की वास्तविक लागत; ऐसा

ii) नीचे के

  a) ऐसी संपत्ति का उचित बाज़ार मूल्य, और

  b) पूँजीगत के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्राप्त होने वाले पूँजी सम्पत्ति का मूल्य

12.4.6 मूल्यह्रास योग्य संपत्ति के अधिग्रहण की लागत (धारा 50)

जैसाकि पहले की इकाई 'व्यापार और पेशे के लाभ' के तहत विवेचना की गई है, बिजली कंपनियों को छोड़कर सभी मूल्यह्रास संपत्ति परिसंपत्तियों के ब्लॉक का हिस्सा है। जब किसी भी हिस्से या संपत्ति के पूरे ब्लॉक के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप सम्पत्ति का पूरा मूल्य मूल्यह्रास के उस ब्लॉक के अधिग्रहण की लागत से अधिक है, तब एक पूँजीगत लाभ होगा, जोकि हमेशा एक अल्पकालिक पूँजीगत लाभ होगा। मूल्यह्रास संपत्ति के एक ब्लॉक के अधिग्रहण की लागत वर्ष की शुरुआत में उसी ब्लॉक मे आती है और उसी ब्लॉक के

भीतर आने वाली किसी भी संपत्ति के वास्तविक लागत वर्ष के दौरान अधिग्रहीत की जाती है।

अन्य शब्दों में निम्नलिखित तीन राशियों के कुल से अधिक बिक्री पर अल्पकालिक पूँजीगत लाभ होगा :

a) हस्तांतरण के संबंध में व्यय;

b) संपत्ति के मूल्य ह्रास में, संपत्ति प्राप्त करने की लागत और संपत्ति सुधार की लागत को निम्नलिखित बिन्दुओ के आधार पर निकाल सकते है।

i) वर्ष की आरम्भ में संपत्ति के ब्लॉक का लिखित मूल्य नीचे; तथा

ii) पिछले वर्ष के दौरान अर्जित संपत्ति के ब्लॉक के मध्य आने वाली किसी भी संपत्ति की वास्तविक लागत।

इस तरह की अधिकता को अल्कालीन पूँजी सम्पत्ति से होने वाला हस्तान्तरण पूँजी लाभ माना जाएगा।

उदाहरण 5

नरेश मित्तल ने 1987–88 में 10 रू0 वाले 500 समता अंश 40 रू0 प्रति अंश की दर से क्रय किये और 500 रू0 दलाली पर व्यय किये। जून, 2003–04 में उसको 100 बोनस अंश मिले। सितम्बर 2019 में उसको 30 रू0 प्रति अंश की दर से 100 अधिकार अंश मिले। नरेश मित्तल ने 100 बोनस अंश दिसम्बर, 2019 में 100 रू0 प्रति अंश के हिसाब से बचे दिए एवं 100 अधिकार अंश जनवरी 2020 में 40 रू0 प्रति अंश के हिसाब से बेच लिए। कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए कर योग्य पूँजी लाभ की गणना कीजिए। लागत स्फीति सूचकांक 2003–04 का 109 तथा 2019–20 का 289 था।

हल :

श्री नरेश मित्तल की कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए पूँजी लाभ की गणना

		रु.
	100 बोनस अंशों के विक्रय से प्राप्त राशि	10,000
घटाया :	बोनस अंशों को प्राप्त करने की लागत	शून्य
	दीर्घकालीन पूँजी लाभ	10,000
	100 अधिकार अंशों के विक्रय से प्राप्त राशि	4,000
घटाया :	अधिकार अंशों को प्राप्त करने की लागत	3,000
	अल्पकालीन पूँजी लाभ	1,000

नोटः

1) कुल पूँजी लाभ 10000 रू0 + 1000 रू0 = 11000 रू0

2) धारा 55 (2) के अनुसार यदि करदाता अधिकार अंश खरीदता है तो वास्तविक लागत प्राप्त लागत होगी।

12.5 सुधार करने की लागत [धारा 55(1)(b)]

a) पूंजीगत सम्पत्ति जो चाहे व्यापार की ख्याति अथवा किसी वस्तु के निर्माण/उत्पादन/प्रक्रिया करने का अधिकार अथवा किसी कारोबार को करने का अधिकार की दशा में सुधार करने की लागत हमेशा शून्य होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे ख्याति अथवा ऐसा अधिकार स्वयं निर्माण किया गया हो अथवा मूल्य चुकाकर प्राप्त किया हो।

b) अन्य किसी सम्पत्ति की दशा में सुधार की लागत–

   i) यदि पूँजी सम्पत्ति 01.04.2001 से पूर्व पहले के स्वामी की हो, तो 01.04.2001 को व उसके बाद पूर्व स्वामी द्वारा अथवा करदाता द्वारा सभी परिवर्तनों व सुधार पर किये गये पूँजीगत व्यय सुधार की लागत माने जायेंगे। ऐसी दशा में 01.04.2001 से पहले के खर्चों को छोड़ दिया जायेगा चाहे ये खर्चे पूर्व के स्वामी ने किये थे अथवा स्वयं करदाता ने।

   ii) अन्य मामलों में, जो सम्पत्ति 01.04.2001 के बाद प्राप्त की हो, तो करदाता या पूर्व स्वामी द्वारा किये गये पूँजीगत व्यय जो कि उसने सम्पत्ति के स्वामी बनने के बाद किये हो सुधार की लागत माने जायेंगे। धारा 49 (i) के अधीन किये गये व्यय भी जो पूर्व स्वामी ने किये हों, सुधार की लागत मानी जायेगी।

नोट : सुधार की लागत में वह व्यय सम्मिलित नहीं किये जाते, जो कि मकान सम्पत्ति से आय, अन्य साधनों से आय एवं व्यापार व पेशे से आय की गणना शीषर्क में किये गये हों।

12.6 प्राप्त करने की एवं सुधार की सूचकांक लागत

जैसा कि आप जानते हैं कि अल्पकालीन पूंजी लाभ की गणना के लिए, प्राप्त करने की लागत एवं सुधार की लागत सम्पूर्ण प्रतिफल में से घटा दिये जाते हैं जबकि दीर्घकालीन पूँजीलाभ की गणना करने के लिए प्राप्त करने की एवं सुधार करने की सूचकांक लागत को सम्पूर्ण प्रतिफल में से घटा दिया जाता है।

आइए अब हम प्राप्त करने की सूचकांक लागत एवं सुधार की सूचकांक लागत के बारे में जानें।

प्राप्त करने की सूचकांक लागत : प्राप्ति की सूचकांक लागत से आशय उस राशि से है जिसमें कि सम्पत्ति की लागत का स्फीति सूचकांक के साथ सम्बन्ध स्थापित किया गया हो और जिसका सम्बन्ध प्रथम वर्ष की सूचकांक लागत जिस वर्ष सम्पत्ति क्रय की गयी थी अथवा 01.04.2001 वाले वर्ष से है, जो भी बाद में हो।

निम्नलिखित फामूला द्वारा सम्पत्ति को प्राप्त करने की सूचकांक लागत ज्ञात किया जा सकता है।

सम्पत्ति को प्राप्त करने की सूचकांक लागत =

$$\frac{\text{सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत} \times \text{सम्पत्ति की लागत सूचकाक जिस वर्ष सम्पत्ति का हस्तान्तरण हुआ हो}}{\text{सम्पत्ति को प्राप्त करने की सूचकांक लागत जिस वर्ष सम्पति हस्तान्तरित करी गई हो या वर्ष 01.04.2001 के शुरूआत मे (जो भी बाद में हो)}}$$

लागत का स्फीति सूचकांक (Cost Inflation Index)

इसका आशय ऐसे सूचकांक से है जो कि केन्द्र सरकार द्वारा ठीक पहले के गत वर्ष में सरकारी बजट में अधिसूचित किया हो।

केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित लागत स्फीति सूचकांक निम्नलिखित है–

सारणी 12.5 लागत स्फीति सूचकांक

वर्ष	लागत स्फीति सूचकांक
2001–02	100
2002–03	105
2003–04	109
2004–05	113
2005–06	117
2006–07	122
2007–08	129
2008–09	137
2009–10	148
2010–11	167
2011–12	184
2012–13	200
2013–14	220
2014–15	240
2015–16	254
2016–17	264
2017–18	272
2018–19	280
2019–20	289

सुधार करने की सूचकांक लागत

सुधार करने की सूचकांक लागत से अभिप्राय उस राशि से है जिसका सम्पत्ति की वास्तविक लागत (प्राप्त करने की या सुधार की) से वही अनुपात होता है जो सम्पत्ति हस्तांतरित होने वाले वर्ष के लागत स्फीति सूचकांक का सम्पत्ति प्राप्त करने वाले प्रथम वर्ष के लागत स्फीति सूचकांक से होता है।

उदाहरण 6

अरूण के पास एक मकान है जो रहने के लिए किराये पर उठा हुआ है। उसने यह मकान 2008–09 में 65,000 रु. में खरीदा था। इस मकान को उसने 15 जून, 2019 को 6,00,000 रु. में बेच दिया। उसे 2008–09 में कुछ आभूषण 75,500 रु. में खरीदे। 22 फरवरी 2020

को उसने यह आभूषण 7,20,800 रु. बेच दिये। आपको कर वर्ष 2020–21 के लिए श्री अरूण का कर योग्य पूँजी लाभ ज्ञात करना है। लागत स्फीति सूचकांक निम्नलिखित है।

2008–09–137; 2019–20–289

श्री अरूण की कर निर्धारण 2020–21 के लिए मि0 करयोग दीर्घकालीन पूँजी लाभ

मकान	रु.	रु.
बिक्री	6,00,000	
घटाया : प्राप्त करने की सूचंकाक लागत $\frac{65,000 \times 289}{137}$		
दीर्घकालीन पूजीलाभ	1,32,847	4,67,153
जेवर		
बिक्री प्राप्त करने की सूचकांक	7,20,800	
घटाया : बिक्री प्राप्त करने की सूचकांक $\frac{75,500 \times 289}{137}$	154,306	
दीर्घकालीन पूँजी लाभ		5,66,494
करयोग्य दीर्घकालीन पूँजीलाभ		10,33,647

सुधार की सूचकांक लागत (Cost of indexed Improvement) – यदि किसी करदाता या पूर्व स्वामी ने दीर्घकालीन सम्पत्ति में कुछ वृद्धि की है या फेरबदल किया है तो सम्पत्ति की सुधार की सूचकांक लागत निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात की जायेगी :

सम्पत्ति में सुधार की सूचकांक लागत (Indexed Cost of Improvement)

सुधार की लागत × सम्पत्ति मे सुधार की सूचकांक लागत जबकि सम्पत्ति हस्तान्तरति की गई हो
सम्पत्ति मे सुधार की सूचकांक वर्ष जिस वर्ष सुधार किया गया हो।

उदाहरण 7

श्री अजित ने एक मकान 30 जून, 1990 को 80,000 रु. में क्रय किया। उन्होंने इस मकान के विस्तार एवं परिवर्तन में निम्नलिखित व्यय किये :

a) सन् 1993–94 में प्रथम मंजिल के निर्माण की लागत 25,000

b) सन् 2002–03 में द्वितीय मंजिल के निर्माण की लागत 70,400

c) सन् 2011–12 में परिवर्तन एवं पुर्निर्माण 42,800

निम्नलिखित अतिरिक्त सूचनाओं के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए पूँजी लाभ की गणना कीजिए।

a) 1 अप्रैल, 2001–02 को मकान का उचित बाज़ार मूल्य 93,000

b) इस मकान को 15 जून 2019 को बेचा 20,60,000

c) मकान के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में व्यय 1,95,000

d) मकान का स्टाम्प मूल्यांकन अधिकारी द्वारा आंका गया मूल्य 22,30,000

लागत स्फीति सूचकांक निम्नलिखित है :

2001–02–100;, 2002–03–105;, 2011–12–184;, 2019–20–289

कर निधरिण वर्ष 2020–21 के लिए श्री अजित की पूँजी लाभ की गणना

विवरण	रु.	रु.
सम्पूर्ण बिक्री प्रतिफल मूल्य (मूल्यांकन अधिकारी द्वारा)		22,30,3000
घटाये हस्तान्तरण का व्यय	195,000	
		20,35,000
घटायें : i) लागत स्फीति सूचकांक $\frac{90,000 \times 289}{100}$	2,68,770	
ii) लागत स्फीति सुधार $\frac{70,400 \times 289}{105}$	1,93,678	
iii) लागत स्फीति सुधार $\frac{42,800 \times 289}{184}$	67,224	5,29,672
दीर्घकालीन पूँजी लाभ		15,05,328

नोट : 1) 1 अप्रैल 2001 से पूर्व प्राप्त सम्पत्ति की दशा में वास्तविक लागत या 1 अप्रैल, 2001 को उचित बाज़ार मूल्य में से जो भी अधिक होगा उसकी सूचकांक लागत ज्ञात की जायेगी। यह प्राप्ति की लागत होगी।

2) 1 अप्रैल, 2001 से पूर्व किये गये सुधार की लागत को नहीं घटाया जायेगा। अतः 1993–94 में प्रथम मंजिल की निर्माण लागत को नहीं घटाया गया है।

3) सम्पत्ति का पूर्ण प्रतिफल स्टाम्प मूल्यांकन अधिकारी द्वारा आंका गया मूल्य माना जायेगा।

12.7 करमुक्त पूँजी लाभ

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, पूँजीगत सम्पत्ति के हस्तांतरण से उदय हुआ लाभ पूँजी लाभ कहलाता है तथा वह पूँजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत करयोग्य होता है परन्तु कुछ सम्पत्तियों, के हस्तांतरण से प्राप्त या प्राप्य ऐसे पूँजी लाभ होते हैं जो करमुक्त घोषित किये गये हैं।

आयकर अधिनियम में कर मुक्त पूँजी लाभों की चर्चा दो स्थानों पर की गई है :

A) आय कर धारा 54 के अन्तर्गत कर मुक्त पूँजी लाभ 54, 54B, 54D, 54EC, 54EE, 54F, 54G, 54GA and 54GB।

B) धारा 10 की विभिन्न उप–धाराओं के अन्तर्गत कर–मुक्त पूँजी लाभ,

A. ऐसे पूँजी लाभ निम्नलिखित हैं

i) समापन के समय कम्पनी द्वारा अपने पंजीकृत अंशधारियों को हस्तान्तरित सम्पत्ति/सम्पत्तियों के विभाजन से होने वाला पूँजीगत लाभ कर योग्य नहीं होगा।

ii) धारा 54 की शर्तो के अधीन रिहायशी मकान सम्पत्ति तथा उससे लगी हुई भूमि के स्तान्तरण से उदय हुआ पूंजी लाभ।

iii) धारा 54 B के प्रावधानों के अधीन करदाता की कृषि भूमि जो शहरी क्षेत्र के हस्तांतरण से उदय हुआ पूँजी लाभ

iv) धारा 54 D के प्रावधानों के अनुरूप करदाता की भूमि तथा भवन के अनिवार्य अधिग्रहण से पूँजी लाभ

v) धारा 54 EC की शर्तो के अधीन किसी दीर्घकालीन पूँजी लाभ

vi) सूचीकृत प्रतिभूतियो अथवा यूनिटो के हस्तान्तरण से होने वाला पूँजीलाभ धारो (54ED)

vii) धारा 54 F की शर्तो के अधीन किसी दीर्घकालीन पूँजीगत सम्पत्ति के हस्तान्तरण से प्राप्त प्रतिफल को रिहायशी मकान सम्पत्ति में विनियोजित करने पर

viii) धारा 54G की शर्तो के अनुसार किसी शहरी क्षेत्र से औद्योगिक उपक्रम को हटाने के सम्बन्ध में सम्पत्तियों के हस्तांतरण से पूँजी लाभ।

ix) औद्योगिक उपक्रम को शहरी क्षेत्र से हटाकर किसी विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में स्थापित करने पर सम्पत्तियों के हस्तान्तरण पर उत्पन्न पूँजी लाभ। (धारा 54GA)

x) रिहायशी सम्पत्ति (मकान या प्लॉट) के हस्तान्तरण पर उत्पन्न हुई दीर्घकालीन पूँजीलाभ को मान्यता प्राप्त कम्पनी के साधारण अंशो मे विनियोजित करने पर कुछ शत्तों के अन्तगर्त छूट कर निर्धारण वर्ष 2013–14 से प्रभावी) (धारा 54GB)

xi) अनिवार्यता अधिग्रहण की दशा में नई सम्पत्तियाँ क्रय करने अथवा पूँजी लाभ की राशी को विनियोग करने की समय सीमा में वृद्धि। (धारा 54H)

पूँजी लाभ खाता योजना 1988

पूँजी लाभ खाता योजना 1988 में केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। सरकार यह योजना पूँजीगत लाभ पर कर की छूट के लिए है धारा 54B, 54D, 54F, 54G और 54GA

के अन्तर्गत लागू करती है। सरकार इसे कम से कम पूँजी की बिक्री पर किए गए पूँजीगत लाभ को विक्रेता द्वारा संपत्ति को पूनर्निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है अगर ऐसा है तो पूँजीगत लाभ को कर से राहत प्रदान की जाती है।

कई मामलों में पूँजीगत लाभ एक निश्चित समय के भीतर कुछ निर्दिष्ट संपत्तियों में फिर से निवेश किया जाता है जोकि उपलब्ध समय सीमा और यहां तक कि रिर्टन भरने की नियत तारीख से अधिक है। इसे सक्षम बनाने के लिए करदाता अपने धन को तब तक एकत्रित करके रखता जब तक कि वे निर्धारित उद्देश्य के लिए निवेश नहीं कर देता है अतः पूँजी लाभ खाता योजना (CGAS) अवधारणा की शुरुआत पूँजी लाभ खाता योजना में निवेश कर पूँजी लाभ से पूँजी लाभ में छूट मिलती है क्योंकि धन को पुनः निवेश कर सकते हैं अतः पूँजी लाभ में छूट मिलती है।

पूँजीगत लाभ खाता किसी भी अधिकृत बैंक शाखा में खोला जा सकता है ऐसे अधिकृत बैंकों की ग्रामीण शाखाओं को छोड़कर दो प्रकार के जमा कर सकते पूँजीगत लाभ खाता योजना बचत जमा खाता तरह ही खाता खोल सकते हैं किसी भी बैंक के नियमित बचत बैंक खाते कम समान इसमें भी ब्याज दर है बैंक खाते के ब्याज की बचत के समान ही समय–समय पर और भी जमा किए जा सकते हैं जिसके लिए खाता धारक को पासबुक भी जारी किया जाता है। बचत जमा की तरह, यह खाता बेहतर तरलता प्रदान करता है और निकासी किसी भी किसी भी समय की जा सकती है जोकि दूसरा खाता है, सावधिक खता जमा बैंक के सावधि जमा खाते के समान है, जिसमें सावधि जमा पर ब्याज दर प्रदान करता है और साविध जमा खाता की तरह ही प्रतिबध भी जारी करता है। सावधि जमा खाते के लिए अधिकतम अवधि की अनुमति 3 साल की है। जमाकर्ता को अपनी योजना के आधार पर कार्यकाल चुनने की आवश्यकता होती है जैसे नए घर की संपत्ति की खरीद के लिए निर्दिष्ट निवेश 2 वर्ष या निर्माण के लिए 3 साल जोकि बैंक के सावधिक जमा खाता की तरह होगा।

सावधि जमा खाता की तरह इस खाता में भी प्रमाण पत्र प्राप्त करें जिसमें जमा राशि का विवरण हो और आवश्यकता पड़ने पर निकासी के समय जमा कर दिया जाएगा। इसके अलावा, नियमित सावधि जमा की तरह यह खाता भी संचयी या गैर संचयी हो सकता है, अर्थात, ब्याज यह तो संचयी हो सकता है या मूधन के साथ दुबारा निवेश कर सकते हैं नियमति अन्तराल के लिए दोनों ही तरह के जमा के लिए ब्याज की दर रिर्जव बैंक ऑफ इण्डिया के द्वारा निर्धारित होता है।

I) समाप्त के समय कम्पनी द्वारा अपने पंजीकृत अंशधारियों को हस्तान्तरित सम्पत्ति/सम्पत्तियों के विभाजन से होने वाला पूँजीगत लाभ कर योग्य नहीं हैं उपरोक्त बिन्दु को चर्चा की आवश्यकता नहीं क्योंकि यह सम्पत्ति का हस्तान्तरण नहीं हुआ हे।

ii) रिहायशी मकान सम्पत्ति के हस्तांतरण से पूँजी लाभ (धारा 54)

इस धारा के अन्तर्गत पूँजी लाभ को करमुक्त होने के लिये निम्न शर्तें पूरी करना आवश्यक है–

a) ऐसा मकान किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार के स्वामित्व में हो।

b) ऐसा मकान रिहायशी हो तथा इसकी आय ''मकान सम्पत्ति से आय'' शीर्षक के अंतर्गत करयोग्य हो।

c) ऐसा मकान के हस्तांतरण की तिथि पर करदाता को दीर्घकालीन पूँजी लाभ होना चाहिये।

d) यह छूट केवल मकान समिप्ति के संबंध मे उपलब्ध होगी, जो कर दाता द्वारा हस्तान्तरण से 36 महीने पहले की अवधि के लिए रखी गयी थी। हालाकि वित्तीय वर्ष 2017–18 (से प्रभावी अचल सपत्तियो जैसे भूमि, भवन और गृह–संपत्ति के लिए 36 महीने के मापदंड़ को घटाकर 24 महीने पर दिया गया है।)

e) करदाता ने रिहायशी मकान के हस्तांतरण की तिथि से पूर्व एक वर्ष में या हस्तांतरण की तिथि के पश्चात् 2 वर्ष में नया रिहायशी, मकान खरीद लिया है अथवा हस्तांतरण की तिथि के पश्चात् 3 वर्ष में नया रिहायशी मकान बनवा लिया है।

f) ऐसे रिहायशी मकान के हस्तांतरण से होने वाला पूँजी लाभ नये रिहायशी मकान की लागत के बराबर कर मुक्त होगा बशर्ते नया रिहायशी मकान निर्धारित अवधि में खरीद लिया गया है अथवा बनवा लिया गया है। इसका अर्थ यह है कि अगर सम्पूर्ण पूँजी लाभ नये मकान में विनियोजित कर दिया गया है तो सम्पूर्ण पूंजी लाभ कर मुक्त होगा। अगर पूँजी लाभ का कुछ भाग ही विनियोजित किया गया है तो शेष भाग कर योग्य होगा।

g) यदि करदाता अपनी आय का विवरण दाखिल करने की देय तिथि तक पूँजी लाभ की राशि से नया मकान खरीदने या बनवाने में प्रयोग नहीं कर पाया हो तो वह आय का विवरण दाखिल करने की देय तिथि तक (धारा 139) के अन्तगर्त यह राशि पूँजी लाभ खाता योजना, 1988 के अन्तर्गत SBI अथवा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित है में खाता खोलकर जमा कर देता है तो जमा की गयी राशि एवं पुनः विनियोजन के लिए प्रयुक्त राशि नए मकान की लागत मानी जायेगी। बैंक में जमा की गयी राशि करदाता को तीन वर्ष के अन्दर नए मकान के खरीदने अथवा बनवाने में प्रयोग करनी होगी।

h) करदाता नए मकान को इसके खरीदने अथवा बनवाने की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर नहीं बेच सकता है। अगर तीन वर्ष के अन्दर बेच देता है तो उसे इस मकान के सम्बन्ध में प्राप्त छूट रद्द कर दी जायेगी तथा इस मकान के बेचने से होने वाला पूँजी लाभ एवं पुराना पूँजी लाभ दोनों उस वर्ष में कर योग्य होंगे जिस वर्ष में नए मकान को बेचा गया है। अगर नए मकान के बेचने से हानि हुई है तो यह हानि पुराने मकान के बेचने से होने वाले पूँजी लाभ में से कम कर दी जाएगी तथा शेष राशि उस वर्ष में कर योग्य होगी जिस वर्ष में नया मकान बेचा गया है।

i) अगर बैंक में जमा राशि निर्धारित अवधि में मकान के खरीदने अथवा बनवाने में प्रयोग नहीं की जाती है तो न प्रयोग की गयी राशि उस वर्ष में कर योग्य होगी जिस वर्ष में यह निर्धारित अवधि समाप्त होती है।

कर मुक्त रकम की सीमाः इस धारा के अन्तर्गत पूँजी लाभ की रकम नये क्रय किए गए अथवा निर्माण किए गए मकान की लागत तक कर मुक्त होगी। यदि नये मकान के क्रय अथवा निर्माण की लागत पूँजी लाभ की रकम से अधिक है तो सम्पूर्ण पूँजी लाभ कर मुक्त होगा। यदि नये मकान की लागत पूँजी लाभ की राशी से कम है तो मकान की लागत तक पूँजी लाभ कर मुक्त होंगे और शेष पूँजी लाभ की रकम कर योग्य होगी। उदाहरण के लिए, एक रहने के मकान के हस्तान्तरण पर 2,40,000 रु. का दीर्घकालीन पूँजी लाभ होता है और करदाता एक अन्य नया मकान 2,70,000 रु. क्रय करता है तो पूँजी लाभ की सम्पूर्ण राशि (2,40,000 रु.) कर मुक्त होगी। कर योग्य पूँजी लाभ की रकम शून्य होगी। इसी प्रकार यदि अन्य मकान 2,70,000 रु. के बजाय 2,00,000 रु. में क्रय किया गया होता तो पूँजी लाभ की 2,00,000 रु. की राशि कर मुक्त होगी तथा शेष 40,000 रु. पूँजी लाभ कर योग्य होगा।

उदाहरण 8

मोहित अपना बैंगलोर में रहने का मकान 26 सितम्बर, 2019 को 26,00,000 रू0 में बेच देता है तथा हस्तांतरण के सम्बन्ध में 30,000 रू0 व्यय करता है। मोहित के लिए इस मकान की लागत वर्ष 1979 में 2,00,000 रू0 थी तथा 1 अप्रैल, 2001 को इसका उचित बाजार मूल्य 3,00,000 रू था। 15 जनवरी, 2020 को उसने एक रिहायशी मकान बैंगलौर में 4,00,000 रू0 का खरीदा एवं 2,00,000 रू0 पूँजी लाभ खाता योजना के अन्तर्गत जमा किए। कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए उसके कर योग्य पूंजी लाभ की गणना कीजिए। लागत स्फीति सूचकांक 2001–02 के लिए 100 तथा 2019–20 के लिए 289 था।

हल :

कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए मोहित के पूँजीलाभ की गणना

विवरण	रु.	रू.
विक्रय मूल्य		26,00,000
घटाया :विक्रय से सम्बन्धित व्यय		30,000
शुद्ध विक्रय मूल्य		25,70,000
घटाया :सम्पत्ति को प्राप्त करने की सूचकांक लागत $\frac{3,00,000}{100} \times 289$	8,67,000	
दीर्घकालीन पूँजी लाभ		17,03,000
घटाया : धारा 54 के अन्तर्गत छूट		
नये मकान की लागत	4,00,000	
पूँजी लाभ खाता योजना में जमा	2,00,000	6,00,000
कर योग्य पूँजी लाभ		11,03,000

III) कृषि भूमि के हस्तांतरण से पूंजी लाभ (धारा 54 B)

शहरी क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि के हस्तांतरण से उदय हुआ पूँजी लाभ, निम्न शर्तो के पूरा होने पर करमुक्त होता है–

a) कृषि भूमि एक व्यष्टि व्यक्ति के स्वामित्व में हो।

b) करदाता द्वारा या उसके माता–पिता द्वारा कम से कम 2 वर्ष पूर्व से भूमि का प्रयोग कृषि कार्यों के लिए होना चाहिए।

c) करदाता के हस्तांतरण की तिथि से 2 वर्षो के अंतर्गत अन्य कोई कृषि भूमि खरीद ली हो।

d) ऐसी कृषि भूमि के हस्तांतरण से होने वाला पूँजी लाभ ऊपर लिखित (C) मे उस सीमा तक करमुक्त होगा जितना निर्धारित अवधि के अंतर्गत नयी कृषि भूमि खरीदने की सीमा तक छूट है। अतः यदि सम्पूर्ण पूँजी लाभ पुनः विनियोजित किया जाता है तो शेष पूँजी लाभ कर मुक्त होगी यदि इसका केवल एक हिस्सा फिर से निवेश किया जाता है तो शेष शशि करयोग्य होगी।

e) यदि करदाता संपूर्ण पूँजी लाभ का पुनः विनियोग आय की विवरणी कर दाखिल करने की तिथि से पूर्व नहीं कर पाता तो वह विवरणी दाखिल करने की तिथि तक शेष पूँजी लाभ को पूँजी लाभ खाता योजना, 1988 के अंतर्गत अधिसूचित बैंकों में जमा कर देगा और इस प्रकार नयी भूमि में पुनः विनियोग की राशि तथा उपरोक्त येाजना में जमा की गयी राशि के योग को नयी कृषि भूमि की लागत माना जाएगा और उस राशि तक करदाता को कर से छूट प्राप्त होगी। यदि जमां की गई राशि का उपयोग दो वर्षो के भीतर नई कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से उपयोग नही किया जाता है, तो उपयोग की गई रांशि को दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ के रूप मे नही माना जायेगा।

f) अगर नयी कृषि भूमि क्रय करने की तिथि से 3 वर्ष के अन्दर हस्तांतरित कर दी जाती है तो जो छूट पहले ली जा चुकी है वह रद्द कर दी जायेगी और नयी कृषि भूमि के हस्तांतरण से होने वाला पूँजी लाभ एवं पुरानी कृषि भूमि के बेचने से जो पूँजी लाभ हुआ था दोनों ही उस वर्ष में कर योग्य होंग जिस वर्ष में नयी कृषि भूमि को बेचा गया है।

कर मुक्त रकम की सीमा: नई कृषि भूमि की लागत पूर्व कृषि भूमि के हस्तान्तरण पर प्राप्त पूँजी लाभ के बराबर या उससे अधिक हो तो पूँजी लाभ की सम्पूर्ण रकम कर मुक्त होगी। यदि नई कृषि भूमि की लागत पूँजी लाभ से कम हो तो नई कृषि भूमि की लागत के बराबर राशि कर मुक्त पूँजी लाभ होगा।

उदाहरण 9

पूणे में स्थित कृषि भूमि को 2004–05 में 32,200 रू0 में खरीदा गया और 02.09.2019 को 4,00,000 रू0 में बेच दिया गया। 21.10.2019 को करदाता ने कृषि भूमि का एक हिस्सा 60,000 रू0 में खरीदा और 15.12.2020 को पूँजी लाभ खाता योजना, 1988 में 40,000 रू0 जमा किये। कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए कर योग्य पूँजी लाभ की गणना कीजिए। 2004–05 के लागत स्फीति सूचकांक 113 था तथा 2019–20 के लिए 289 था।

हल :

कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए कर योग्य पूँजी लाभ की गणना

		रू.
	विक्रय मूल्य	40,00,000
घटाया :	प्राप्त करने की सूचकांक लागत $\frac{32,200}{113} \times 289$	82,353
	दीर्घकालीन पूँजी लाभ	3,17,647
घटाया :	नयी कृषि भूमि की लागत 60,000 रू0	
	पूँजी लाभ खाता योजना में जमा 40,000 रू0	1,00,000
	कर योग्य पूँजी लाभ	**2,17,647**

IV) औद्योगिक उद्यम की भूमि या भवन के अनिवार्यतया अधिग्रहण से पूँजी लाभ (धारा 54 D)

करदाता को औद्योगिक उद्यम की भूमि एवं भवन के अनिवार्य अधिग्रहण पर होने वाला पूँजी लाभ आयकर से मुक्त है, बशर्ते कि निम्न शर्ते पूरी हों–

a) भूमि एवं भवन करदाता द्वारा औद्योगिक उद्यम में प्रयोग की गयी थी।

b) भूमि एवं भवन करदाता द्वारा ऊपर वर्णित उद्देश्य के लिए हस्तांतरण की तिथि से पूर्व 2 वर्ष की अवधि में करदाता द्वारा प्रयोग हो रही थी।

c) हस्तांतरण की तिथि के बाद 3 वर्ष के अन्दर उक्त उद्योग को नये स्थान पर ले जाने अथवा पुनः स्थापित करने के लिए करदाता नयी भूमि अथवा भवन खरीद लेता है अथवा भवन बनवा लेता है।

d) औद्योगिक उद्यम के हस्तांतरण से होने वाला पूँजी लाभ नयी भूमि या भवन में निदिष्ट समय के भीतर विनियोजित राशि के बराबर कर मुक्त होगा।

e) यदि करदाता आय का विवरण दाखिल करने की देय तिथि से पहले पूँजी लाभ को नई भूमि या भवन के खरीदने अथवा बनवाने में प्रयोग नहीं करता है तो यह राशि करदाता द्वारा पूँजी लाभ खाता योजना, 1988 के अन्तर्गत जमा करा दी जायेगी और इस राशि का उपयोग खाता योजना के अनुसार होगा। पुनः विनियोजन के लिए प्रयोग की गयी राशि एवं उपरोक्त खाते में जमा राशि कर से मुक्त होगी।

f) नयी भूमि या भवन करदाता द्वारा इसके क्रय की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर हस्तान्तरित नहीं की जानी चाहिए अगर यह तीन वर्ष के अन्दर हस्तांतरित कर दी जाती है तो पहले मिली हुई छूट रद्द कर दी जायेगी और पुराना पूँजी लाभ एवं नया पूँजी लाभ (अगर कोई है) उस वर्ष में कर योग्य होंगे जिस वर्ष में नयी सम्पत्ति का हस्तांतरण हुआ है।

g) अगर पूँजी लाभ खाता योजना में जमा राशि ऊपर वर्णित उद्देश्य के लिए निर्धारित अवधि में प्रयोग नहीं की जाती है तो न प्रयोग की गयी राशि उस वर्ष में कर योग्य होगी जिस वर्ष में तीन वर्ष की निर्धारित अवधि समाप्त होती है।

पूँजी लाभ की कर मुक्त रकम की सीमाः करदाता द्वारा नये औद्योगिक उद्यम के लिए क्रय की गई भूमि एवं भवन में विनियोजित राशि तक के पूँजी लाभ कर मुक्त होगें। यदि सम्पूर्ण पूँजी लाभ की राशि विनियोजित कर दी जाती है तो पूँजी लाभ की सम्पूर्ण राशि कर मुक्त होगी।

उदाहरण 10

Y Co. Ltd. का आन्ध्र प्रदेश में एक औद्योगिक उपक्रम है। एक भवन जो अगस्त, 2005 में बनवाया था और प्रारम्भ से ही इस औद्योगिक उपक्रम के लिए प्रयोग हो रहा था, आन्ध्र प्रदेष सरकार द्वारा 14.08.2019 को 10,00,000 रू0 में अनिवार्यता अधिग्रहण कर लिया गया। इसका अपलिखित मूल्य 01.04.2019 को 5,00,000 रू0 था। कम्पनी ने 28.10.2019 की एक अन्य भवन का निर्माण 4,50,000 रू0 की लागत पर करवाया जिसमें वह विभाग चला जायेगा जिसे सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है। कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए कर योग्य पूँजी लाभ की गणना कीजिए।

हल :

Y लि0 कम्पनी की कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए कर योग्य पूँजी लाभ की गणना

विवरण	रू.
आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त क्षतिपूर्ति	10,00,000
घटाया :भवन का अपलिखित मूल्य	5,00,000
अल्पकालीन पूँजी लाभ	5,00,000
घटाया : दूसरे भवन का निर्माण (28.10.2019) मे लागत जो धारा 54D के अर्न्तगत कर मुक्त है	4,50,000
कर योग्य पूँजी लाभ	50,000

v) दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्तियों के हस्तांतरण से होने वाला पूँजी लाभ निर्दिष्ट दीर्घकालीन बाण्ड्स में विनियोग करने पर कर से छूट (धारा 54 EC) कर निर्धारण वर्ष 2019-20 से प्रभावी

a) पूँजी लाभ की कर मुक्त रकम की अधिकतम सीमा प्राप्त हुए पूँजी लाभ की रकम तक होगी। यदि विनियोजित रकम पूँजी लाभ की रकम से कम है तो सम्पत्ति की लागत तक रकम कर मुक्त होगी। यदि अधिक है तो पूँजी लाभ की सम्पूर्ण रकम कर मुक्त होगी।

b) दीर्घकालीन विशिष्ट सम्पत्ति (Long-term Specified Asset) से आशय ऐसे शोधनीय बॉण्डों से है और ये 5 वर्ष बाद शोधनीय होंगे तथा इनका निर्गमन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India – NHAI) अथवा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (Rural Electrification Corporation Limited – RECL) या इस हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किये गये हैं।

c) पूँजी लाभ की रकम सम्पत्ति के हस्तान्तरण की विधि से 6 माह के अन्दर कुछ विशिष्ट दीर्घकालीन सम्पत्तियों में विनियोजित की जानी चाहिए।

d) यदि करदाता ने धारा 54EC के अन्तर्गत छूट प्राप्त की है तो इन बॉण्ड्स की क्रय की लागत पर भाग 80C के अन्तर्गत कटौती नहीं दी जाएगी।

e) यदि करदाता इन विशिष्ट बॉण्ड्स की प्रतिभूति पर कोई ऋण प्राप्त करता है तो इसे मुद्रा से परिवर्तन समझा जायेगा।

f) यदि उपर्युक्त विशिष्ट बाण्ड्स को निर्गमन की तारीख से 5 वर्ष के अन्दर हस्तान्तरित कर दिया जाता है या मुद्रा में परिवर्तित कर दिया जाता है तो इस दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर उस वर्ष में कर लगेगा जिस क वर्ग ऐसा हस्तान्तरण किया जायेगा।

g) 1.4.2018 से इन विशिष्ट सम्पत्ति NHAI तथा RECL या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित बॉण्ड के विनियोजित की जाने वाली अधिकतम रकम की सीमा गत वर्ष तथा आगामी वर्षों में 50 रु. लाख है।

h) करदाता द्वारा पूँजी सम्पत्ति रहतिये में परिवर्तित करने पर विनियोग करने के लिए 6 माह की अवधि की रहतिये की विक्रय तिथि या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण की तिथि से की जायेगी।

उदाहरण 11

श्री अनुज अपना रिहायशी मकान अक्टूबर, 2019 में 17,00,000 रू0 में बेच देता है। यह मकान 2001–02 में 3,00,000 रू0 में खरीदा गया था। उसने जनवरी, 2020 में धारा 54EC के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में 2,00,000 रू0 का पूँजी लाभ बॉण्ड्स में विनियोग किया। लागत स्फीति सूचकांक 2001–02 में 100 था तथा 2019–20 में यह 289 था। कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए कर योग्य पूँजी लाभ की गणना कीजिए।

हल :

श्री अनुज की कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए कर योग्य पूँजी लाभ की गणना

विवरण	रू.
विक्रय मूल्य	17,00,000
घटाया : प्राप्त करने की सूचकांक लागत $\frac{3,00,000}{100} \times 289$	8,67,000
दीर्घकालीन पूँजी लाभ	8,33,000
घटाया : धारा 54EC के अन्तर्गत छूट	2,00,000
कर योग्य दीर्घकालीन पूँजी लाभ	6,33,000

vi) सूचीकृत प्रतिभूतियों अथवा यूनिटों के हस्तान्तरण से होने वाला पूँजी लाभ (धारा 54ED)

लंबी अवधि की सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ या निवेश की गई इकाइयों के कारण पूँजीगत लाभ निर्दिष्ट इक्विटी शेयरों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन छूट दी जाएगीः पूँजी से आय लाभ निम्नलिखित है।

a) मूल संपति का हस्तान्तरण नई संपत्ति की तारीख से 6 महीने के अन्दर खरीदी जानी चाहिए।

b) पूँजीगत लाभ को नई संपत्ति की लागत की सीमा तक छूट दी जाएगी।

c) यदि नई संपत्ति एक वर्ष के अन्दर बेची जाती है तो उस दिन से उसका अधिग्रहण पूँजीगत लाभ की छूट राशि के लिए उत्तरदायी होगा। जिस वर्ष में कर लगाया जाता है और जिसमें नई संपत्ति हस्तांतरित की जाती है।

नोट : निर्दिष्ट इक्विटी शेयरों का मतलब इक्विटी शेयरों को जारी करना निम्नलिखित शर्तों को सन्तुष्ट करता है।

i) शेयर भारत में गठित और पंजीकृत एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा जारी किया गया शेयर है।

ii) शेयरों को जनता की सदस्यता के लिए जारी किया जाना चाहिए।

VII) रिहायशी मकान के अतिरिक्त अन्य दीर्घकालीन सम्पत्तियों के हस्तान्तरण पर पूँजी लाभ यदि प्राप्त प्रतिफल को नये आवासीय मकान में विनियोजित कर दिया जाये (धारा 54 F)

इस धारा के अन्तर्गत पूँजी सम्पत्तियों के हस्तांतरण से होने वाला लाभ तभी कर मुक्त होगा, जब निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाये–

a) करदाता एक व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार हो।

b) करदाता द्वारा हस्तांतरित सम्पत्ति रिहायशी मकान नहीं होना चाहिए।

c) मूल सम्पत्ति के हस्तांतरण की तिथि पर करदाता के पास एक से ज्यादा रिहायशी मकान नहीं होने चाहिए सिवाय उसके जो शर्त (c) के अन्तर्गत प्राप्त किया गया है।

d) करदाता हस्तांतरण की तिथि से एक वर्ष पूर्व अथवा दो वर्ष के अन्दर एक नया रिहायशी मकान क्रय कर लेता है अथवा 3 वर्ष के अन्दर कोई रिहायशी मकान निर्माण करवा लेता है (मकान के निर्माण से अभिप्राय मकान के पूरा होने से है)

e) करदाता को नये रिहायशी मकान से आय 'सम्पत्ति से आय' शीर्षक में कर योग्य होगा।

f) मूल सम्पत्ति के हस्तांतरण की तिथि से एक वर्ष के अन्दर करदाता कोई नया रिहायशी मकान क्रय नहीं कर सकता है अथवा तीन वर्ष के अन्दर कोई नया रिहायशी मकान नहीं बनवाया जा सकता है सिवाय उस मकान के जिसका उल्लेख उपर्युक्त (C) में किया गया है।

g) यदि नये मकान की क्रय/निर्माण लागत, पूँजी सम्पत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त शुद्ध प्रतिफल से कम न हो अथवा अधिक हो तो सम्पूर्ण पूँजी लाभ कर मुक्त होगा। और यदि नये मकान की लागत, पूँजी सम्पत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त शुद्ध प्रतिफल से कम हो तो केवल आनुपातिक पूँजी लाभ कर–मुक्त होगा।

h) यदि शुद्ध प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि नये रिहायशी मकान में क्रय अथवा बनवाने में प्रयोग नहीं की जाती है तो इस प्रकार न प्रयोग की गयी राशि यदि पूँजी लाभ खाता योजना, 1988 के अर्न्तगत आय का विवरण दाखिल करने की देय तिथि तक जमा कर दी जाये तो दोनों का योग नये रिहायशी मकान की लागत माना जायेगा और इसके अनुसार ही छूट प्रदान की जायेगी।

i) करदाता नये रिहायशी मकान को क्रय करने की तिथि से 3 वर्ष के अन्दर हस्तांतरण नहीं कर सकता है और यदि 3 वर्ष से पहले हस्तांतरण कर देता है तो पूँजी लाभ जो पहले कर मुक्त हो गया था वह और नयी सम्पत्ति के हस्तांतरण से होने वाला पूँजी लाभ (अगर कोई है) दोनों ही उस वर्ष में कर योग्य होंगे जिस वर्ष में नयी सम्पत्ति को हस्तांतरित किया गया।

j) अगर पूँजी लाभ खाता योजना में जमा सम्पूर्ण राशि निर्धारित अवधि में रिहायशी मकान के खरीदने अथवा बनवाने में 3 वर्ष के अन्दर प्रयोग नहीं की जाती है तो न प्रयोग की गयी राशि उस वर्ष में कर योग्य होगी जिस वर्ष में निर्धारित अवधि समाप्त होती है।

इस आनुपातिक रकम की गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जाएगी।

$$\frac{\text{दीर्घकालानी पूँजी लाभ} \times \text{नये मकान में विनियोग राशि}}{\text{कुल बिक्री प्रतिफल}}$$

उदाहरण 12

श्री अनुप मुम्बई का निवासी है। उसका अपना कोई मकान नहीं है और वह किराये के मकान में रहता है। 1 अप्रैल, 2001 को उसने 1,20,000 रू0 में आभूषण खरीदे। सितम्बर 03.09. 2019 को उसने इन आभूषणों को 8,00,000 रू0 में बेच दिया और विक्रय राशि को 01.10. 2019 को दो रिहायशी मकानों में विनियोग कर दिया जो मुम्बई तथा नागपुर में है और क्रमशः 6,00,000 रू0 तथा 2,00,000 रू0 के हैं। क्या वह कर–निर्धारण वर्ष 2020–21 में कर चुकाने के लिए उत्तरदायी है? अगर हां, तो कर योग्य पूँजी लाभ की गणना कीजिए। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, अगर अनुप

i) सम्पूर्ण 8,00,000 रू0 की राशि केवल मुम्बई के एक ही मकान में विनियोग कर देगे।

ii) 2,00,000 रू0 नागपुर वाले रिहायशी मकान में विनियोग कर दे तथा शेष 6,00,000 रू0 की राशि बैंक में जमा कर दे?

2001–02 का लागत स्फीति सूचकांक 100 था और 2019–20 का 289 है। करनिर्धारण 2020–21 के लिए श्री अनुप का कर योग्य कर निर्धारण पूँजी लाभ निकाले।

हल

उपरोक्त स्थिति में अनुप पूँजी लाभ पर कर चुकाने के लिए उत्तरदायी है और वह धारा 54F के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं है क्योंकि उसने दो मकान क्रय किये हैं।

विवरण	**रू.**
विक्रय मूल्य	8,00,000
घटाया :प्राप्त करने की सूचकांक लागत $\frac{1,20,000 \times 289}{100}$	3,46,800
दीर्घकालीन पूँजी लाभ	4,53,200
i) अगर सम्पूर्ण 8,00,000 की राशि केवल मुम्बई वाले एक **ही मकान में विनियोग की जाती है तो**	
दीर्घकालीन पूँजी लाभ	4,53,200
घटाया : धारा 54F के अन्तर्गत छूट	4,53,200
कर योग्य पूँजी लाभ	शून्य
ii) अगर एक रिहायशी मकान में 2,00,000 विनियोग किये जाते हैं तो दीर्घकालीन पूँजी लाभ	4,53,200
घटाया :धारा 54F के अन्तर्गत छूट $\frac{4,53,200 \times 2,00,000}{8,00,000}$	1,13,300
कर योग्य पूँजी लाभ	**3,39,900**

VIII) शहरी क्षेत्र से औद्योगिक उद्यम को हटाने के सम्बन्ध में सम्पत्तियों के हस्तांतरण पर पूँजी लाभ में से छूट (धारा 54 G)

किसी औद्योगिक उद्यम को शहरी क्षेत्र से गैर–शहरी क्षेत्र में ले जाने के सम्बन्ध में होने वाला पूंजी लाभ निम्न शर्ते पूरी होने पर कर मुक्त होता है।

a) करदाता या तो दीर्घकालीन पूँजीलाभ या अल्पकालीन पूँजी सम्पत्ति प्रकृति जो कि संयंत्र, मशीनरी या भूमि या भवन हो परन्तु फर्नीचर न हो।

b) यह पूँजी सम्पत्ति इस उद्योग के व्यवसाय के शहरी क्षेत्र में प्रयोग हो रही थी।

c) सम्पत्ति का हस्तांतरण उद्योग को शहरी क्षेत्र में ले जाने के सम्बन्ध में हुआ हो।

d) हस्तांतरण की तिथि से एक वर्ष पूर्व अथवा हस्तांतरण की तिथि के बाद 3 वर्ष के अन्दर पूँजी लाभ की राशि करदाता ने निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए प्रयोग कर ली है।

   i) औद्योगिक संस्थान के लिए गैर शहरी क्षेत्र में नई मशीनरी खरीद के लिए हों।

   ii) गैर शहरी क्षेत्र में भवन या जमीन प्राप्त कर ली है अथवा भवन का निर्माण करा लिया है।

   iii) अपनी सभी मूल सम्पत्तियाँ नये स्थान (गैर शहरी क्षेत्र) पर स्थानान्तरित करा ली है।

   iv) करदाता द्वारा किये गये सभी व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित होने चाहिए।

e) नयी सम्पत्ति करदाता को प्राप्त करने के बाद तीन वर्ष तक अपने स्वामित्व में रखनी होगी।

f) ऐसे हस्तांतरण से होने वाला पूँजी लाभ उस राशि तक कर मुक्त होगा जहाँ तक यह राशि उपर्युक्त उद्देश्येां के लिए प्रयोग कर ली गयी हो।

g) यदि पूंजी लाभ की सम्पूर्ण राशि उपुर्यक्त उद्देश्यों के लिए आय का विवरण दाखिल करने की देय तिथि तक प्रयोग नही की जाती है तो न प्रयोग की गयी राशि पूँजी लाभ खाता योजना में जमा कर दी गयी है और इस योजना के अनुसार प्रयोग की जाती हैं तो नयी सम्पत्ति की लागत एवं इस प्रकार जमा राशि का योग नयी सम्पत्ति की लागत मानी जायेगी और इसके अनुसार छूट प्रदान की जायेगी।

h) नई सम्पत्ति को करदाता इसके क्रय करने की तिथि से 3 वर्ष के अन्दर हस्तांतरण नहीं कर सकता है और अगर कर देता है तो पूर्व कर मुक्त पूँजी लाभ उस वर्ष में कर योग्य होगा जिस वर्ष में नयी सम्पत्ति को हस्तांतरण किया गया है।

i) यदि करदाता शहरी क्षेत्र के उद्यम में प्रयोग की जाने वाली मूल सम्पत्ति के हस्तान्तरण की तिथि से तीन वर्ष के भीतर उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत जमा राशि अथवा उसके किसी भाग का उपयोग में सम्पत्ति के क्रय अथवा निर्माण करने में नहीं करता है तो उपयोग न की गई राशि तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने पर इस गत वर्ष का पूँजी लाभ मान ली जायेगी।

कर मुक्त पूँजीलाभ की सीमा

a) यदि नई क्रय की गई सम्पत्तियो की लागत एवं व्ययो का योग ऐसी पूँजी लाभ से अधिक है तो पूँजी लाभ की सम्पूर्ण रकम कर मुक्त होगी।

b) यदि क्रय की गई नई सम्पत्तियों की लागत एवं गैर शहरी श्रेत्र मे स्थान्तरण पर व्ययों का योग ऐसे पूँजी लाभ से कम है तो लागत एवं व्ययो को योग कर मुक्त होगा।

उदाहरण 13

श्रीमती रेखा के पास एक औद्योगिक उपक्रम है जो कि रोहतक के शहरी क्षेत्र में स्थित है। रेखा इसे रोहतक के नजदीक एक ग्रामीण क्षेत्र में ले गयी। ग्रामीण क्षेत्र में ले जाने के लिए उसे उपक्रम की निम्न सम्पत्तियाँ बेचनी पड़ी।

	प्लांट व मशीन	भूमि एवं भवन	फर्नीचर
कब प्राप्त की	2005	2007	2008
शुद्ध विक्रय राशि	25,00,000	35,000,000	1,00,000
बिक्री की तारीख	20.08.2019	24.09.2019	26.10.2019
धारा 50 (2) के अन्तर्गत प्राप्त करने की लागत	9,00,000	10,00,000	40,000
नयी सम्पत्ति क्रय करने की लागत	5,00,000	7,00,000	60,000
क्रय करने की तिथि	15.10.2019	16.11.2019	12.12.2019

यदि औद्योगिक उपक्रम को 25.03.2019 को ग्रामीण क्षेत्र में ले जाया जाये तो कर–निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए कर योग्य पूँजी लाभ की गणना कीजिए।

हल :

कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए श्रीमती रेखा के कर योग्य पूँजी लाभ की गणना

	प्लांट तथा मशीन	भूमि एवं भवन	फर्नीचर
विवरण	रु.	रु.	रु.
शुद्ध विक्रय मूल्य	25,00,000	35,00,000	1,00,000
घटाया: प्राप्त करने की लागत	9,00,000	10,00,000	40,000
धारा 50(2) के अन्तर्गत अलपकालीन पूँजी लाभ	16,00,000	25,00,000	60,000
धारा 54 G के अन्तर्गत छूट के लिए योग्य राशि			41,00,000
(16,00,000 रू0 प्लाटं तथा मशीन +25,00,000 रू0 भूमि और भवन)			
घटाया : प्लाटं तथा मशीन एवं भूमि और भवन में निर्धारित अवधि मे विनियोग की गयी राशि		12,00,000	
(5,00,000+7,00,000)			29,00,000
जोड़िये: धारा 50(2) के अन्तर्गत फर्नीचर का अलपकालीन पूँजी लाभ			60,000
कर योग्य पूँजी लाभ			29,60,000

IX) औद्योगिक उपक्रम को शहरी क्षेत्र से हटाकर किसी विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में स्थापित करने पर सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर उत्पन्न हुए पूँजी लाभ की कर मुक्ति [धारा 54GA]

किसी मशीन, प्लाण्ट, भवन, भूमि या व भूमि में कोई अधिकार के हस्तान्तरण जो किसी औद्योगिक उपक्रम को श्हारी क्षेत्र से हटाकर किसी विशिष्ट आर्थिक शहरी क्षेत्र में स्थापित करने पर पूँजी लाभ उत्पन्न होता है तो ऐसा पूँजी लाभ (अल्पकालीन/दीर्घकालीन) कर मुक्त होगा। इस क्रम में निम्निलिखित बातें महत्वपूर्ण हैं :

a) उपर्युक्त पूँजी लाभ की कर मुक्ति सभी श्रेणियों के करदाताओं को प्रदान की जायेगी।

b) उपर्युक्त प्रकार के पूँजी लाभ की कर मुक्ति तभी प्रदान की जायेगी जब उपक्रम को शहरी क्षेत्र से हटाकर विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में स्थापित किया जाता है। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र को किसी शहरी क्षेत्र के अन्य क्षेत्र में विकसित किया जा सकता है।

c) इसमें फर्नीचर व फिटिंग्स को शामिल नहीं किया जायेगा।

d) पूँजी लाभ अल्पकालीन या दीर्घकालीन हो सकता है। सामान्यतः ऐसा पूँजी लाभ अल्पकालीन ही होता है क्योंकि ह्रास योग्य सम्पत्तियां औधोगिक उपक्रम में ही होती हैं।

e) ऐसे पूँजी लाभ का प्रयोग सम्पत्ति हस्तान्तरण के 1 वर्ष पूर्व अथवा 3 वर्ष के बाद किसी विशिष्ट उद्देश्य से प्रयोग किया जाना चाहिए।

कर मुक्ति की सीमाः धारा 54 G के अनुसार होगी।

नोटः

1) अन्य किसी क्षेत्र का आशय है जिसे शहरी क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है।

2) शहरी क्षेत्र का आशय है ऐसा क्षेत्र जो नगरपालिका या नगर निगम की सीमाओं के अन्तर्गत आता है। केन्द्रीय सरकार इस धारा के उद्देश्यों के लिए कुछ तत्वों; जैसे, जनसंख्या, उद्योगों की स्थिति, उस क्षेत्र की उचित नियोजन की आवश्यकता एवं अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं को ध्यान में रखकर एक सामान्य या विशेष आदेश पारित करके किसी भी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र घोषित कर सकती है।

3) विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र का आशय है जिसे विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उपधारा(1) तथा धारा 3 की उपधारा (4) के प्रावधानों के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है। इसमें स्वतन्त्र व्यापार एवं भण्डारण क्षेत्र तथा विद्यमान विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र भी शामिल है।

X) रिहायशी सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर उत्पन्न हुई दीर्घकालीन पूँजी लाभ को एक नई स्टार्टआप के लघु एवं मध्यम उघय (SME) कम्पनी के इक्विटी पर दीर्घ कालीन पूँजी लाभ 54G

इस धारा को प्रमुख बाते निम्नलिखित है :

a) कर छूट एक व्यक्ति एवं हिन्दू अविभाजित परिवार को प्रदान की जायेगी।

b) रिहायशी सम्पत्ति मकान या भूखण्ड (Plot of land) होना चाहिए।

c) रिहायशी सम्पत्ति हस्तान्तरण की तिथि पर दीर्घकालीन सम्पत्ति होनी चाहिए तथा यह हस्तान्तरण 1 अप्रैल 2012 व 31 मार्च, 2017 के दौरान होना चाहिए। योग्य स्टार्ट अप में निवेश की स्थिति में, रिहायशी सम्पत्ति 31.03.2019 तक हस्तान्तरित की जा सकती है।

d) छूट तभी प्रदान की जायेगी जब करदाता आय का विवरण जमा करने की तिथि तक दीर्घकालीन सम्पत्ति के हस्तान्तरण से प्राप्त शुद्ध प्रतिफल को योग्य कम्पनी के साधारण अंशों में विनियोजित करना होगा। यदि सम्पूर्ण रकम को विनियोजित नहीं किया जाता तो जितनी रकम विनियोजित की जाती है उसी अनुपात में छूट प्रदान की

जायेगी। छूट की आनुपातिक रकम की गणना निम्नलिखित सूत्र से की जा सकती है :

छूट की अनुपालिक रकम

$$= \frac{\text{पात्र कम्पनी द्वारा नई सम्पत्ति में निवेश की गई रकम} \times \text{पूँजी लाभ की रकम}}{\text{शुद्ध विक्रय प्रतिफल}}$$

e) योग्य करदाता द्वारा पूँजी लाभ की रकम को अंशों में विनियोजित करने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर कम्पनी द्वारा नई मशीनरी क्रय की जानी होगी।

f) योग्य कम्पनी द्वारा उपरोक्त बिन्दु (v) के अनुसार मशीनरी क्रय नहीं की जाती तो यह रकम बैंक में पूँजी लाभ जमा खाते में जमा करनी होगी।

g) योग्य कम्पनी द्वारा बैंक को उक्त खाते में रकम जमा करने का प्रमाण पत्र करदाता को अपने आय के विवरण के साथ संलग्न करना होगा।

h) योग्य कम्पनी द्वारा बैंक के उक्त खाते में जमा की गयी रकम को निर्धारित अवधि में (जमा करने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर) नयी मशीनरी क्रय करने में प्रयुक्त नहीं की जा सके तो प्रदान की गयी पूँजी लाभ की छूट रद्द हो जायेगी अर्थात् प्रदान की गयी छूट को उस गत वर्ष का कर योग्य पूँजी लाभ समझा जायेगा जिस गत वर्ष में पूँजी लाभ के बैंक में जमा करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि समापत होती है।

i) यदि योग्य कम्पनी द्वारा क्रय की गयी मशीनरी क्रय करने की तिथि से पाँच वर्ष में विक्रय कर दी जाती है या किसी अन्य प्रकार से उसका हस्तान्तरण कर दिया जाता है तो भी प्रदान की गयी छूट रद्द समझी जायेगी तथा इस रकम को उस वर्ष का कर योग्य पूँजी लाभ माना जायेगा जिस गत वर्ष में मशीन बेची गयी है या हस्तान्तरण की गयी है।

XI) अनिवार्यतया अधिग्रहक की दशा में नई सम्पत्तियाँ क्रय करने अथवा पूँजी लाभ की राशि को विनिवेश करने की समय सीमा में वृद्धि [धारा 54H] –

प्रायः सम्पत्ति के अनिवार्यतया अधिग्रहण वाले गत वर्ष में तथा रकम प्राप्त होने वाले वर्ष में करदाता को स्वीकृत क्षतिपूर्ति की रकम प्राप्त नहीं होती है बल्कि हस्तान्तरण की तिथि के बाद प्राप्त होती है तो उत्पन्न हुए पूँजी लाभ से विभिन्न धाराओं (धारा 54, 54B, 54D, 54EC तथा 54F) के अन्तर्गत क्रय की जाने वाली सम्पत्ति की निर्धारित अवधि जो प्रायः कहीं 6 माह, कहीं एक वर्ष, कहीं 2 वर्ष व कहीं 3 वर्ष है अतः पूँजी लाभ खाता योजना, 1988 में जमा करने की अवधि में वृद्धि कर दी जाती है। इस बढ़ी हुई अवधि की गणना का दिन से की जायेगी जिस दिन क्षतिपूर्ति की रकम प्राप्त होती है न कि उस दिन से जब सम्पत्ति का मूल रूप से हस्तान्तरण हुआ है। करदाता नई सम्पत्ति का क्रय अथवा योजना से विनियोग इस बढ़ी हुई अवधि में करता है तो उसे कर से छूट प्रदान की जायेगी।

संक्षेप में, धारा 54H की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं :

i) सम्पत्ति का हस्तान्तरण उस वर्ष में माना जायेगा जिस वर्ष सम्पत्ति का अनिवार्यतया अधिग्रहण किया गया अर्थात् इस वर्ष के सूचकांक का सम्पत्ति के क्रय मूल्य में गुणा किया जायेगा।

ii) पूँजी लाभ उस वर्ष में हुआ मानेंगे जिस वर्ष में पूर्ण या आंशिक क्षतिपूर्ति की रकम प्राप्त होती है।

iii) धारा 54, 54B, 54D, 54EC तथा 54F के अन्तर्गत नई सम्पत्तियों में विनियोग करने के लिए समय की गणना उस तिथि से की जायेगी जब क्षेतिपूर्ति की रकम प्राप्त होती है।

iv) यदि क्षतिपूर्ति की रकम किस्तों में प्राप्त होती है तो विनियोग के लिए समय की सीमा पृथक् रूप से अलग–अलग किस्त की तिथि से की जायेगी। यद्यपि सम्पूर्ण पूँजी लाभ उसी का होगा, जबकि प्रथम किस्त प्राप्त की गई है।

v) यदि क्षतिपूर्ति की रकम बढ़ा दी जाती है तो इसके लिए विनियोग का समय बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति प्राप्त होने की तिथि से लिया जायेगा।

बोध प्रश्न क

1) पूँजी लाभ खाता योजना 1988 पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

.....

.....

.....

2) रिक्त स्थान की पूर्ति करे।

a) धारा 54 के अन्तगर्त करमुक्त उपलब्ध है .....

b) एक व्यक्ति के लिए दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर कर की दर है .....

c) पूँजी लाभ योजना 1988 में रूपया जमा करते है .....

d) …….. पेशा को पूँजीसम्पत्ति नहीं माना जायेगा।

e) ..... दीर्घकालीन पूजी लाभ की गणना करता है।

B) धारा 10 की विभिन्न उपधाओं के अन्तर्गत कर मुक्त पूँजीलाभ।

I) यूनिटों के हस्तांतरण से होने वाले पूँजी लाभ में से छूट [धारा 10 (33)]

पूँजी सम्पत्ति जो कि UTI, 1964 की युनिट योजना की एक युनिट है के हस्तांतरण से होने वाली आय कर योग्य नहीं है बशर्ते कि ऐसा हस्तांतरण 31 मार्च 2002 के बाद हुआ हो।

II) पात्र समता अंशों के हस्तांतरण से उत्पन्न दीर्घकालीन पूँजी लाभ [धारा 10 (36)]

किसी दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति, जो किसी कम्पनी के 1 अप्रैल, 2003 से 1 मार्च, 2004 के मध्य क्रम किये गये पात्र समता अंश है, जिन्हें करदाता ने 12 माह या अधिक की अवधि के लिए अपने पास रखा है, के हस्तांतरण से उत्पन्न दीर्घकालीन पूंजी लाभ कर मुक्त होगा।

पात्र समता अंशों से अभिप्राय किसी कम्पनी के समता अंश से है, जो कम्पनी 1 मार्च, 2003 को BSE-500 (स्टाक एक्सचेंज, मुम्बई का सूचक) की संघटक है तथा इन अंशों का हस्तांतरण भारत के किसी प्रमाणित स्टाक एक्सचेंज के माध्यम से हुआ है।

III) शहरी कृषि भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण से उत्पन्न पूँजी लाभ [धारा 10 (37)]

यह छूट एक व्यक्ति करदाता अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार के निम्नलिखित शर्ते पूरी करने पर मिलेगी–

i) करदाता शहरी क्षेत्र में किसी कृषि भूमि का स्वामी है।

ii) ऐसी कृषि भूमि करदाता द्वारा अथवा उसके माता–पिता द्वारा हस्तांतरण की तिथि से ठीक पूर्व 2 वर्षो में कृषि कार्यों में प्रयुक्त की जा रही है।

iii) ऐसी कृषि भूमि का हस्तांतरण अनिवार्य अधिग्रहण के माध्यम से हुआ है अथवा हस्तांतरण का प्रतिफल केन्द्रीय सरकार अथवा रिर्जव बैंक द्वारा अनुमोदित हुआ है।

iv) पूंजी लाभ करदाता को 31 मार्च, 2004 के बाद प्राप्त हुआ है।

12.8 कम्पनी के साधारण अंश या इक्यूटी ओरियटिड फण्ड के यूनिट्स के हस्तांतरण से होने वाले अल्पकालीन पूँजी लाभ पर कर [धारा 111A]

जब कम्पनी के साधारण अंश या Equity Oriented Fund के यूनिट के हस्तांतरा से अल्पकालीन पूँजी लाभ होता है तो अल्पकालीन पूँजी लाभ पर 15 प्रतिशत + अधिभार यदि देय है, + स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4 प्रतिशत (आयकर एवं अधिभार की राशि पर) की दर से कर लगेगा बशर्ते कि निम्नलिखित शर्ते पूरी हों।

i) कम्पनी के अंश या (Equity Oriented Fund) के यूनिट अल्पकालीन पूँजी सम्पत्ति है।

ii) इनका विक्रय 01.10.2004 को या इसके बाद किया गया है।

iii) ऐसे व्यवहार पर प्रतिभूति व्यवहार कर लगता है।

12.9 धारा 10 (23D) में निर्दिष्ट सूचीकृत प्रतिभूतियों, यूटीआई की यूनिट्स में वर्णित पारस्परिक कोष (Mutual Fund) के हस्तान्तरण से होने वाले दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर कर

सूचीकृत प्रतिभूतियों भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिट्स अथवा धारा 10 (23D) में वर्णित पारस्परिक कोष (Mutual Fund) के युनिट्स अथवा जीरो कूपन बॉण्ड के हस्तांतरण से होने वाले दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर निम्नलिखित दर से कर लगेगा।

i) प्राप्ति की लागत को बिना सूचकांकित किए 10 प्रतिशत की दर से अथवा

ii) प्राप्ति की लागत की लागत को सूचकांकित करके 20 प्रतिशत की दर से जो भी दोनों में कम हो।

आयकर पर अधिभार

i) व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का संघ एवं व्यक्तियों के समूह की दशा में यदि कुल आय (i) 50,00,000 रू0 से अधिक है परन्तु 1 करोड़ रू0 से कम हो तो 10 प्रतिशत (ii) 1 करोड़ रू0 से अधिक आय पर– 15 प्रतिशत।

ii) फर्म एवं सहकारी समिति तथा स्थानीय सत्ता की दशा में @ 12% (अगर कुल आय 1 करोड़ रू0 से ज्यादा है)

iii) घरेलू कम्पनी की दशा में (i) यदि कुल आय 1 करोड़ से अधिक परन्तु 10 करोड़ से कम हो तो 7% (ii) 10 करोड़ से अधिक आय पर 12 प्रतिशत

iv) विदेशी कम्पनी की दशा में 2 प्रतिशत जब आय 1 करोड़ रू0 से अधिक परन्तु 10 करोड़ रू0 से कम हो। जहाँ आय 10 करोड़ रू0 से अधिक हो वहाँ यह दर 5% होगी।

नोटः 1 करोड़ रू0 से अधिक आय की दशा में सीमान्त लाभ (Marginal Relief) के नियम लागू होते है।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर– आयकर एवं अधिभार की राशि पर 4 प्रतिशत की दर से लगेगा।

उदाहरण 14

कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए संजय मित्तल के दयेकर की गणना कीजिए–

		रू0
1)	i) 10.06.2003 को साधारण अंश खरीदे	23,150
	ii) ये अंश मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में 15.12.2019 को बेचे	26,000
	iii) दलाली के 500 रू0 एवं प्रतिभूति व्यवहार करके 100 रू0 दिए	
2)	i) 08.05.2018 को साधारण अंश खरीदे	1,50,000
	ii) ये अंश मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में 06.02.2019 को बेचे	3,00,000
	iii) दलाली के 1000 रू0 एवं प्रतिभूति व्यवहार कर के 400 रू0 दिए	
3)	i) 09.05.2004 को साधारण अंश खरीदे	60,000
	ii) कम्पनी ने अपने अंश अंशधारितयों से गत वर्ष में खरीद लिए तथा तथा संजय मित्तल को भुगतान किया	5,00,000
4)	अन्य आय	70,000

वर्ष 2004–05, 2003–04 तथा 2019–20 का लागत स्फीति सूचकांक क्रमशः 113, 109 तथा 289 था।

हल

श्री सजय मित्तल की कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए करयोग्य पूँजी आय की गणना

	रू0	रू0
1) साधारण अंशों का विक्रय मूल्य		26,000
घटाया : प्राप्त करने की सूचकांक लागत $\frac{23,150 \times 289}{109}$	61,379	
दलाली	500	61,879
दीर्घकालीन पूँजी हानि (a)	(a)	35,879

2)	साधारण अंशों का विक्रय मूल्य		3,00,000
	घटाया : प्राप्त लागत	1,50,000	
	दलाली	1000	1,51,000
	धारा 111A के अन्तर्गत अल्पकालीन पूँजी लाभ (b)		1,49,000
3)	साधारण अंशों का विक्रय मूल्य		5,00,000
	घटाया : सूचकांक लागत $\frac{60,000 \times 289}{113}$		1,53,451
	दीर्घकालीन पूँजी लाभ (c)		3,46,549
	अन्य आय (d)		70,000
	कुल आय (a+b+c+d)		5,29,670
	देय करः		
1)	70,000 रू0 पर कर (अन्य आय)		शून्य
2)	LTCG पर कर (3,46,549–35,879) = 3,10,670 @20%		62,134
	प्रतिभूति व्यवहार कर नहीं चुकाया गया है इसलिए धारा 10 (38) के अन्तर्गत कर मुक्त नहीं है		14,900
3)	धारा 111 के अन्तर्गत STCG पर कर 1,49,000 रू0 @ 10%		
	कुल कर 62,134 रू0 + 14900 रू0 =		77,034
	जोड़ा : अधिभार		शून्य
	जोड़ : शिक्षा उपकर 4 प्रतिशत		3,081
	कुल देयकर		80,115
	सन्निकटीकृत देये कर		80,120

12.10 करयोग्य पूँजी लाभ की गणना (Computation of Taxable Income from Capital Gains)

पूंजी लाभ की गणना करने के पश्चात् दीर्घकालीन पूँजी लाभ से धारा 54, 54B, 54D, 54EC 54ED, 54F, 54G में वर्णित छूट घटा देने के पश्चात् शेष बची हुई राशि ''पूँजी लाभ'' शीर्षक की करयोग्य आय होती है। इसे समझने के लिए कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं–

उदाहरण 15

कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए आरूशि के कर योग्य पंजी लाभ की गणना कीजिए–

सम्पत्तियाँ	**आभूषण**	**ऋण पत्र**
क्रय वर्ष	2003–04	नवम्बर 2013
विक्रय वर्ष	2019–20	2019–20

	रु.	रु.
प्राप्ति की लागत	1,20,000	1,30,000
2005–06 सुधार करने की लागत	39,900	–
विक्रय व्यय	–	5000
प्राप्त प्रतिफल	12,00,000	1,50,000

वर्ष 2003–04, 2005–06, 2013–14 एवं 2019–20 का लागत स्फीति सूचकांक क्रमषः 109, 117, 220 तथा 289 था–

हलः कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए पूँजी लाभ की गणना

		रू0
1)	आभूषणों के विक्रय मूल्य से प्राप्त राशि	12,00,000
	घटाया : प्राप्त की सूचकांक लागत $\frac{1,20,000 \times 289}{109}$	3,18,165
		8,81,835
	घटाया : सुधार करने की सूचकांक लागत $\frac{39,900 \times 289}{117}$	98,556
	दीर्घकालीन पूँजी लाभ	7,83,279
2)	ऋणपत्रों के विक्रय मूल्य से प्राप्त राशि	1,50,000
	घटाया : विक्रय व्यय	5000
	शुद्ध विक्रय मूल्य	1,45,000
	घटाया : प्राप्ति की लागत	1,30,000
	दीर्घकालीन पूँजी लाभ	15,000

कुल कर योग्य पूँजी लाभ = 796256 रू0 + 15000 रू0 = 7,98,279 रू0

नोट : ऋणपत्रों की आरूशि ने अपने पास 12 महीनों से ज्यादा रखा है इसलिए ऋणपत्रों पर होने वाला पूँजी लाभ दीर्घकालीन पूँजी लाभ होगा।

उदाहरण 16

श्रीमती रेखा ने एक प्लाट 30.08.2000 को 2,50,000 रू0 में खरीदा। उसने प्लाट को प्राप्त करने के लिए 90,000 रू0 दलाली तथा अन्य व्यय किये। 01.04.2001 को उसका उचित बाजार मूल्य 5,00,000 रू0 था। उसने नवम्बर, 2018 में प्लाट की 25,00,000 रू0 बेच दिया। कर निर्धरण वर्ष 2020–21 के लिए पूँजी लाभ की गणना कजिए। क्या वह उसके द्वारा चुकाये गये 10,000 रू0 भूमि किराये की उस अवधि के लिए कटौती की मांग कर सकती है जिस अवधि में उसके पास सम्पत्ति रही। लागत स्फीति सूचकांक 2001–2002 के लिए 100 था तथा 2019–20 के लिए 289 था।

हलः श्रीमती रेखा की कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए पूंजी लाभ की गणना–

विवरण	रू0
विक्रय मूल्य	25,00,000
घटाया : प्राप्त करने की सूचकांक लागत $\frac{5,00,000 \times 289}{100}$	14,45,000
दीर्घकालीन पूँजी लाभ	10,55,000

भूमि किराया अनुरक्षण व्यय की प्रकृति का है इसलिए इसकी कटौती नहीं मिलेगी।

उदाहरण 17

श्री मनसुख ने 2003–04 में 2,32,000 रू0 में खरीदी गई कृषि भूमि दिसम्बर, 2019 में 12,00,000 रू0 में बेच दी। उसने जनवरी, 2020 में अन्य कृषि भूमि 1,00,000 रू0 में खरीदी तथा अप्रैल, 2020 में 60,000 रू0. पूँजी लाभ खाता योजना, 1988 में जमा किये। कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए श्री मनसुख के करयोग्य पूँजी लाभ की गणना कीजिए। लागत स्फीति सूचकांक 2003–04 के लिए 109 तथा 2019–20 के लिए 289 था।

हलः

श्री मनसुख की कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए कर योग्य पूँजी लाभ की गणना

		रू0
विक्रय मूल्य		12,00,000
घटाया : भूमि को प्राप्त करने की सूचकांक लागत $\frac{2,32,000 \times 289}{109}$		6,15,119
दीर्घकालीन पूँजी लाभ		5,84,881
घटायाः कृषि भूमि की लागत	1,00,000	
पूंजी लाभ खाता योजना में जमा राशि	60,000	160000
कर योग्य पूँजी लाभ		4,24,881

उदाहरण 18

निम्नलिखित सूचनाओं से कुल आय तथा बोनस यूनिटों की लागत (यदि कोई है) की गणना कीजिए–

i) पारस्परिक कोष (Mutual Fund) की 4000 यूनिट्स 01.09.2019 को 80,000 रू0 में खरीदी।

ii) रिकार्ड करने की तिथि 10.10.2019

iii) रिकार्ड तिथि पर 2000 बोनस यूनिट्स आवंटित की गयी।

iv) 08.03.2020 को 4000 मूल यूनिट्स 60,000 रू0 में बेच दी गयी।

v) अन्य अल्पकालीन पूँजी लाभ 1,50,000 रू0

कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए पूँजी लाभ की गणना

हलः

	रू0
4000 यूनिट्स की लागत	80,000
4000 यूनिट्स का विक्रय मूल्य	60,000
बेचने से हानि	20,000

a) ये यूनिट्स रिकार्ड तिथि से 9 महिने के अन्दर बेच दी गयी इसलिए इन यूनिटों के विक्रय से हुई हानि को अन्य आय से पूर्ति नहीं की जा सकती।

b) **बोनस यूनिटों की लागतः** मूल यूनिटों से बेचने से हुई हानि बोनस यूनिटों की लागत 20,000 रू0. मानी जायेगी धारा 94 (8) के अन्तर्गत।

उदाहरण 19

श्री X ने 1998 में 15 रू0. प्रति अंश की दर से 400 सूचीबद्ध अंश क्रय किये। इन अंशों का 01.04.2001 को बाजार मूल्य 25 रू0 प्रति अंश था। यदि उपरोक्त अंश 05.11.2019 को निम्न मूल्यों पर बेच दिये गये हों तो श्री X द्वारा देय पूँजी लाभ की गणना कीजिये।

(a) 2,10,000 रू0 (b) 1,40,000 रू0। अंशों का विक्रय मान्यता प्राप्त (Recognised) शेयर बाजार के माध्यम से नहीं किया गया है।

हल : X की कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिये पूँजी लाभ की गणना

	केस A रु.	केस A रु.
i) सूचकांक लागत के साथ		
विक्रय मूल्य	2,10,000	1,40,000
घटाया : प्राप्त करने की सूचकांक लागत $(15\times400) = 6,000 \times \frac{289}{100}$	17,340	17,340
सूचकांक लागत के पश्चात दीर्घकालीन पूंजी लाभ	1,92,660	1,22,660
कर 20 प्रतिशत की दर से	**38,532**	**24,532**
	केस A	**केस B**
ii) सूचकांक लागत के बगैर		
विक्रय मूल्य	2,10,000	1,40,000
घटाया : लागत (15 × 400)	6,000	6,000
दीर्घकालीन पूंजी लाभ	2,04,000	1,34,000
कर 10 प्रतिशत (सूचकांक रहित दशा में)	**20,400**	13,400
देय कर (उपरोक्त (i) अथवा (ii) में जो कम है)	20,400	13,400
जोडियेः स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4 प्रतिशत	816	536
देयकर	21,216	13,936
देयकर सन्निकटीकृत	21,220	13,940

उदाहरण 20

निम्न सूचनाओं से Z का कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिये पूँजी लाभ तथा देयकर की गणना कजिये :

i) 50,000 रू0 के 31.08.2002 को सूचीबद्ध अंश क्रय किये।

ii) 01.11.2019 को मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में अंशों का विक्रय 5,00,000 रू0।

iii) 31.01.2019 को उचित बाजार मूल्य 3,70,000 रू0।

हलः कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिये Z पूँजी लाभ की गणना

	रू0
विक्रय मूल्य	5,00,000
घटाइये : प्राप्त करने की लागत (नोट देखिये)	3,70,000
दीर्घकालीन पूँजी लाभ	1,30,000

कर की गणना

उपरोक्त दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर 20 प्रतिशत कर

$$1,30,000 \times \frac{20}{100}$$ 26,000

जोडिये : स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4 प्रतिशत 1040

शुद्ध देय कर 27,040

नोट : प्राप्त करने की लागत की गणना

निम्न में जो अधिक होः

i) प्राप्त करने की लागत 50000

ii) निम्न में जो कम हो

a) उचित बाजार मूल्य – 370000

b) अंशों का विक्रय मूल्य – 5,00,000

अतः उपरोक्त (i) 50,000 रू0 तथा (ii) 370000 रू0 में जो अधिक हो प्राप्त करने की लागत होगी। अतः प्राप्त करने की लागत = 3,70,000 रू0

उदाहरण 21

X के पास वाले 10 रू0 RMP Ltd. के 100 अंश है जो उसने 1997 में प्राप्त किये थे। 01.06.2019 को इन अंशों का बाजार मूल्य 250 रू0 था। कम्पनी ने उसे 160 रू0 प्रति अंश की दर से 100 अधिकार अंशों के लिए अभिदान करने का अधिकारी प्रदान किया। निम्न दशाओं में उसकी प्राप्त करने की लागत ज्ञात कीजिये :

a) जब X अंशों के लिये अभिदान करे।

b) जब X 50 रू0 प्रति अंश की दर से अपना अधिकार Y के पक्ष में छोड़ दे।

c) जब Y 100 अंशों के लिये अभिदान करे

हल :

a) **प्रथम दशा में :**	
प्राप्त करने की लागत :	
(i) मूल 100 अंशों हेतु	10 प्रति अंश
(ii) 100 अधिकार अंशों हेतु	160 प्रति अंश
b) **द्वितीय दशा में :**	
प्राप्त करने की लागत :	
सम्पूर्ण 5000 रू0 (100×50) पूंजी लाभ माना जायेगा।	शून्य
c) **तृतीय दशा में :**	
Y के लिये प्राप्त करने की लागत :	
i) कम्पनी को भुगतान राशि (100×160)	16,000
जोडियेः ii) अधिकार छोड़ने हेतु दी गयी राशि। (50×100)	5,000
Y के लिये प्राप्त करने की लागत	21,000

उदाहरण 22

निम्न दशाओं में पूँजी लाभ की गणना कीजिये :

a) i) K ने एक व्यापार 15.04.2002 को प्रारम्भ किया तथा 18.04.2018 को ख्याति के लिये 12,00,000 रू0 लेकर इस व्यापार को बेच दिया।

यदि K द्वारा इस व्यापार को 4,00,000 रू0 देकर प्राप्त किया होता तो आपका उत्तर क्या होगा।

b) X मुम्बई में मार्च 1983 से प्रैक्टिस करने वाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट है। उसने (X ने) 5,00,000 रू0 ख्याति के लिये लेकर अपनी पैक्टिस को 13.07.2018 को हस्तान्तरित कर दिया।

c) T द्वारा प्राप्त एक स्थान के लिये मई 1994 से 500 रू0 प्रतिमाह का किराया भुगतान किया जाता है। मकान मालिक ने 5,00,000 रू0 स्थान खाली कराने के देने पर उसने वह स्थान 16.07.2018 को खाली कर दिया।

d) 01.04.1999 को M द्वारा 4,00,000 रू0 में किरायेदारी का अधिकार तय किया गया। उसने इस अधिकार को 14.08.2019 को 20,00,000 रू0 में बेच दिया। इस किरायेदारी अधिकार का 01.04.2001 को बाजार मूल्य 5,50,000 रू0 था।

		रू0
a)	i) विक्रय प्रतिफल	12,00,000
	घटाइये : प्राप्त करने की सूचकांक लागत (स्वतः उत्पन्न)	शून्य
	दीर्घ कालीन पूँजी लाभ	12,00,000

ii) विक्रय प्रतिफल 12,00,000

घटाइये : प्राप्त करने की सूचकांक लागत

$4,00,000 \times \frac{289}{105}$ 11,00,952

दीर्घ कालीन पूँजी लाभ 99,048

b) क्योंकि यह (सम्पत्ति) पेशे की ख्याति से है न कि व्यवसाय की ख्याति से अतः यह स्व अर्जित मानी जायेगी। स्व अर्जित सम्पत्ति पर कोई पंजी लाभ नहीं है। शून्य

c) विक्रय प्रतिफल 5,00,000

घटाइये : प्राप्त करने की सूचकांक लागत (स्व–अर्जित) शून्य

दीर्घ कालीन पूँजी लाभ 5,00,000

घ) विक्रय प्रतिफल 20,00,000

घटाइये : प्राप्त करने की सूचकांक लागत

$4,00,000 \times \frac{289}{100}$ 11,56,000

दीर्घ कालीन पूँजी लाभ 8,14,000

बोध प्रश्न ब

1) निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर पर निशान लगाईए–

i) 30.12.2001 को लखनऊ में खरीदी गयी कृषि भूमि जो सब्जियाँ उगाने में प्रयोग की जा रही थी को 31.07.2019 को बेचने पर 50,000 रू0 का लाभ हुआ। इस लाभ को कर निर्धारण वर्ष 2020–21 का निम्न लाभ माना जाएगा–

a) अल्पकालीन पूँजी लाभ

b) दीर्घकालीन पूँजी लाभ

c) करयोग्य नही क्योकि कृषि भूमि बचने पर लाभ

ii) ''अ'' द्वारा 10.01.2002 को व्यक्तिगत प्रयोग के लिए 20,000 रू0 में मोटर साइकिल खरीदी गयी। जिस पर 5,000 रू0 अन्य व्यय हुए। उसे 31.07.2019 को 35,000 रू0 में बेच दिया गया। कर–निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए निम्न पूँजी लाभ माना जाएगा–

a) 10,000 रू0

b) 5,000 रू0

c) शून्य

iii) एक व्यक्ति करदाता के लिए दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर आय कर की दर है–

a) 10 प्रतिशत

b) 20 प्रतिशत

c) 15 प्रतिशत

d) 30 प्रतिशत

vi) घरेलू फर्नीचर के विक्रय से आय है–

a) कर योग्य आय

b) कर मुक्त आय

c) पूँजी लाभ

d) आयगत लाभ

निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

i) हिंदू अविभाजित परिवार के बंटवारे पर सम्पत्ति का विभाजन हस्तांतरण .... है।

ii) दीर्घकालीन पूँजीगत सम्पत्ति का आशय ऐसी सम्पत्ति से है जो करदाता के पास .. .. महीने से अधिक अवधि से हो।

iii) चालू वर्ष में पूर्ति न की गयी दीर्घकालीन पूँजी हानि को अगले ..... वर्षों तक ले जाया जाता है।

iv) पूँजी लाभ खाता योजना 1988 के अन्तर्गत जमा राशि ..... है।

v) 1981 के पश्चात बोनस अंशों को प्राप्त करने की लागत ..... मानी जाती है।

12.11 सारांश

गत वर्ष में किसी पूँजीगत सम्पत्ति के हस्तांतरण से उदय हुआ लाभ, ''पूँजी लाभ'' शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य होता है। पूँजीगत सम्पत्ति का आशय करदाता की सभी प्रकार की चल तथा अचल सम्पत्तियों से है चाहे वे उसके व्यापार तथा पेशे से सम्बन्धित हो या न हों परन्तु पूँजीगत सम्पत्ति की परिभाषा में व्यापार–रहतिया, व्यक्तिगत वस्तुएं नही आते है। पूँजीगत सम्पत्तियाँ दो वर्गों में विभाजित की जा सकती हैं– प्रथम, दीर्घकालीन पूँजी तथा द्वितीय, अल्पकालीन पूँजी सम्पत्ति। दीर्घकालीन पूँजीगत सम्पत्ति वे होती हैं जो करदाता के पास हस्तांतरण की तिथि से 36/24/12 महीने से भी ज्यादा अवधि तक होती हैं, जबकि अल्पकालीन पूँजीगत सम्पत्ति वह होती है जो करदाता के पास हस्तांतरण की तिथि से पूर्व 36/24/12 महीने (जैसी स्थिति हो) से कम अवधि होती है।

दीर्घकालीन पूँजीगत सम्पत्ति के हस्तान्तरण से उदय हुए लाभ को दीर्घकालीन पूँजी लाभ कहा जाता है जब कि अल्पकालीन पूँजीगत सम्पत्ति के हस्तान्तरण से उदय हुआ लाभ अल्पकालीन पूँजी लाभ कहलाता है।

हस्तांतरण का आशय बिक्री, विनिमय, अधिकार की समाप्ति सरकार द्वारा अनिवार्य अधिग्रहण प्राप्ति तथा पूँजीगत सम्पत्ति का व्यापार रहतिये में परिवर्तन आदि से है। ''पूँजी लाभ'' शीर्षक की करयोग्य आय की गणना के लिए पूँजीगत सम्पत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त अथवा प्राप्य प्रतिफल की राशि से निम्न घटा दिया जाता है (i) हस्तांतरण के सम्बन्ध में विशिष्ट तथा पूर्णतया किया गया व्यय (ii) पूँजीगत सम्पत्ति की प्राप्ति लागत तथा उसके सुधार पर व्यय।

दीर्घकीन पूँजी लाभ निश्चित शर्तो के पूरा होने पर धारा 54, 54EC, 54 ED, तथा 54F, के

अन्तर्गत कर मुक्त होते है तथा इसी प्रकार निश्चित शर्तो के पूरा होने पर धारा 54B , 54 D, तथा 54G के अन्तर्गत भी कर–छूट दी जाती है।

12.12 शब्दावली

पूँजीगत सम्पत्ति : पूँजीगत सम्पत्ति का आशय सभी प्रकार की सम्पत्तियों से है जो करदाता के अधिकार में हों चाहे वे उसके व्यापार एवं पेशे से सम्बन्धित हो या न हो परन्तु पूंजीगत सम्पत्ति की परिभाषा के अंतर्गत व्यापार, रहतिया, व्यक्तिगत वस्तुएं तथा नहीं आते।

पूँजी लाभ : पूंजीगत सम्पत्ति के हस्तांतरण से उदय हुआ लाभ पूँजी लाभ कहलाता है।

दीर्घकालीन पूँजी लाभ : करदाता द्वारा 36/24/12 महीने जैसी भी स्थिति हो से अधिक अवधि तक रखी गयी सम्पत्ति के हस्तांतरण से उदय हुआ लाभ दीर्घकालीन पूँजी लाभ कहलाता है परन्तु शेयरों के सम्बन्ध में 12 महीने की अवधि लागू होगी।

अल्पकालीन पूँजी लाभ : 36/24/12 महीने जैसी भी स्थिति हो से कम अवधि तक रखी गयी पूँजीगत सम्पत्ति के हस्तांतरण से उदय हुआ लाभ अल्पकालीन पूँजी लाभ कहलाता है जबकि शेयरों के सम्बन्ध में 12 महीने की अवधि लागू होती है।

हस्तातरण : पूँजीगत सम्पत्ति के हस्तांतरण का आशय बिक्री, विनियम, अधिकार (सम्पत्ति), सरकार द्वारा अनिवार्य अधिग्रहण तथा पूँजीगत सम्पत्ति का व्यापार–रहतिये के रूप में परिवर्तन से है।

12.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

क) 2 (a) व्यक्ति और हिनु अविभाजित परिवार

(b) 20 % (c) करमुक्त (d) ख्याति (e) सूंचकाक

ख) 1) (i) b (ii) c (iii) b (iv) b

2) i) नहीं माना जाता

ii) 36

iii) 8

iv) कर मुक्त

v) शून्य

12.14 स्वपरख प्रश्न/अभ्यास

1) आयकर अधिनियम में ''पूँजी लाभ'' से क्या आशय है?

2) निम्न शब्दों की आयकर अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर व्याख्या कीजिए–

i) पूँजीगत सम्पत्तियाँ

ii) अल्पकालीन पूँजी सम्पत्तियाँ

iii) पूँजीगत सम्पत्तियों का हस्तान्तरण

iv) सुधार करने की लागत

v) पूँजी सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत

3) आयकर अधिनियम की धारा 54 F के अन्तर्गत वर्णित करमुक्त पूँजी लाभ से सम्बन्धित प्रावधानों की व्याख्या कीजिए।

4) मि. अजीत कुमार की निम्नलिखित सूचनाओं से कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए उनके कर योग्य पूँजी लाभ की गणना कीजिए :

a) उन्होंने जून 2002 में अपना व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु स्थान की ख्याति के 43,600 रु. दिए थे, इसे उन्होंने मई 2019 में 4,51,600 में विक्रय कर दिया। 2002–03 का लागत वृद्धि सूचकांक 105 है।

b) वे एक किराये के मकान में रहते हैं जो 2000 में 200 रु. प्रति माह के किराये पर लिया था, नवम्बर 2019 में खाली कर दिया एवं किरायेदारी अधिकार के बदले में मालिक से 3,60,000 रु. प्राप्त किये एवं अपने आवास के लिए 2,50,000 रु. में एक नया मकान 10 जनवरी 2020 को क्रय करने में विनियोजित किये।

c) उन्होंने जनवरी 2005 में 80,000 रु. के जेवर क्रय किये जो 8 दिसम्बर, 2010 को 1,50,000 रु. में बेच दिये थे तथा उससे 10 जनवरी, 2011 को 1,00,000 रु. के पूँजी लाभ में से भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिट क्रय किये थे। इन यूनिटों का मई 2019 में 6,24,296 रु. में विक्रय कर दिया गया। 2010–11 वर्ष के लिए लागत वृद्धि सूचकांक 167 है।

उत्तर :

दीर्घकालीन पूँजी लाभ = 3,31,600 + 1,10,000 + 4,51,243 = 8,92,843 रु.

5) श्री भानु ने वर्ष 2019–20 में सम्पत्तियों की विक्री का निम्न विवरण दिया :

	जेवर	प्लाट	सोना
विक्रय के (Sale Price)	3,36,653	18,24,000	3,36,653
विक्रय के व्यय (Expenses on Sale)	शून्य	1,24,000	शून्य
प्राप्ति की लागत (Cost of Acquisition)	70,000	2,80,000	1,00,000
प्राप्ति का वर्ष (Year of Acquisition)	2006-07	2004-05	2016-17

उसने 1.3.2020 को एक मकान 12 लाख रु. का खरीदा। कर योग्य पूँजी लाभ की गणना कीजिए यदि 2004–05, 2006–07, 2016–17 तथा 2019–20 का लागत स्फीति सूचकांक क्रमशः 113, 122, 264 तथा 289 है।

उत्तर :

दीर्घकालीन पूँजी लाभ = 1,61,314 + 7,16,106 + 2,27,184 = 11,04,604

6) 1 जुलाई 2019 को श्री मनीष ने इन्फोसिस लिमिटेड के शेयरो को 4 लाख रु0 मे बेच दिया और दीर्घकालीन पूँजी लाभ 1,50,000 रु0 अर्जित किये। 1 नवम्बर 2019 को उन्होने 50,000 रु0 का निवेश सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से xyz लिए कम्पनी के इक्यूटी शेयरों को खरीदा जो जनता के सारवान हीत मे जारी किया गया और उस पर धारा 54 ED के अन्तगर्त छूट। 1 फरवरी 2019 को उन्होने एक आवसीय मकान क्रय किया जिसकी कीमत 2,40,000 रु0 थी और बची हुई रकम 1,00,000 रु0 ऋण पत्रो में निवेशीत कर दिया। कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए उनकी कर योग्य पूँजी लाभ ज्ञात कीजिए।

नोटः 1. ऋण पत्रो पर कोई छूट नही मिलेगी।

उत्तर : कर योग्य पूजीलाभ = 60,000 रु0

7) श्री आशीष के कोलकत्ता मे तीन आवासीय मकान दिनॉक 23 मई 2019 को 24,93,800 रु0 को है। यह मकान उन्होने 1 अप्रैल 2007 को 8,00,000 रु0 में खरीदा। उन्होने 30 मई 2019 को दिल्ली में अपने दमाद के लिए आवासीय फ्लैट 8,70,000 रु0 मे क्रम किया। 1 मार्च 2020 को अपना दिल्ली वाला फ्लैट 1310,000 रु0 मे बेच दिया। श्री आशीष के दोनो लेने देरो से होने वाले पूँजी लाभ की गणना कीजिए। क्या श्री आशीष अपने दूसरे मकान के बेचने पर धारा 54 के अन्तगर्त छूट के हकदार है वितीय वर्ष 2007–2008 और 2019–20 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक 129 और 280 है।

[उत्तर : कर योग्य पूजीलाभ = 10,57,366 रु.]

नोटः इस इकाई को अच्छी तरह समझने के लिए यह प्रश्न और अभ्यास आपको सहायता करेंगे। इनके उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। परन्तु अपने उत्तर विश्वविद्यालय को न भेजें। ये केवल आपके अभ्यास के लिए हैं।

इकाई 13 अन्य स्रोतों से आय [INCOME FROM OTHER SOURCES]

इकाई की रूपरेखा

13.0 उद्देश्य

13.1 प्रस्तावना

13.2 ''अन्य स्रोतों से आय'' शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य आय

13.3 स्वीकृत कटौतियाँ

13.4 लाभांश

- 13.4.1 लाभांश कराधान सम्बन्धी नियम
- 13.4.2 लाभांश को सकल बनाना
- 13.4.3 लाभांश के प्रकार
- 13.4.4 लाभांश आय पर कर देयता
- 13.4.5 लाभांश से सम्बन्धित उदारण

13.5 लाटरी, वर्ग पहेली, घुड़दौड़, ताश के खेल इत्यादि से जीती गई राशि (आकस्मिक आय)

- 13.5.1 लाटरी आदि की जीत पर करदेयता (धारा 115BB)
- 13.5.2 लाटरी आदि की जीत सकल बनाना (Grossing up of Lottery Income etc.)

13.6 प्रतिभूतियों पर ब्याजः

- 13.6.1 कर दायित्व का आधार
- 13.6.2 प्रतिभूतियों के प्रकार/वर्गीकरण
- 13.6.3 ''प्रतिभूतियों पर ब्याज'' को सकल बनाना
- 13.6.4 दिखावटी लेन–देन
- 13.6.5 करमुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज
- 13.6.6 प्रतिभूतियाँ जिन पर कर की स्त्रोत पर कटौती नहीं होती
- 13.6.7 व्यक्ति जिन पर कर की स्त्रोत पर कटौती नहीं होती
- 13.6.8 प्रतिभूतियों पर ब्याज सम्बन्धी उदाहरण

13.7 मशीनरी, प्लांट अथवा फर्नीचर को किराये पर देने से आय

13.8 मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर तथा भवन को संयुक्त रूप से किराये पर देने से आय

13.9 कर्मचारियों से प्राप्त अंशदान

13.10 प्रतिफल विहीन (बिना प्रतिफल के) प्राप्तियाँ

13.11 एक मृतक कर्मचारी के वैधानिक उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त पारिवारिक पेंशन

13.12 फर्म अथवा कम्पनी द्वारा अंशों की प्राप्ति

13.13 उचित बाजार मूल्य से अधिक अंशों का प्रीमियम

13.14 क्षतिपूर्ति अथवा बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति पर ब्याज

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

13.15 मानी गयी आयों पर कर–देयता

13.16 विविध उदाहरण

13.17 सारांश

13.18 शब्दावली

13.19 बोध प्रश्नों के उत्तर

13.20 स्वपरख प्रश्न/अभ्यास

13.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आपः

- अन्य साधनों से आय शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य आयों की विभिन्न सूची समझ सकेंगे,
- लाभांश तथा प्रतिभूतियों पर ब्याज के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या कर सकेंगे। इसके साथ ही कुछ अन्य आयों के सम्बन्ध में भी आयकर प्रावधानों को ज्ञात कर सकेंगे।

13.1 प्रस्तावना

अभी तक आपने आय के चार शीर्षकों (four heads) के बारे में पढ़ा है तथा आप यह जानते हैं कि किसी आय को उससे सम्बन्धित विशिष्ट शीर्षक के अन्तर्गत ही रखा जाता है। ''अन्य साधनों से आय'' (Income from other sources) शीर्षक के अन्तर्गत शामिल की जाने वाली आयों के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम हैं–

i) वह विभिन्न आयों की परिभाषा के अन्तर्गत हो,

ii) वह आयकर से मुक्त न हो, तथा

iii) वह आय के अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत अर्थात् वेतन, मकान सम्पत्ति से आय, व्यापार तथा पेशे की आय एवं पूंजीगत लाभ शीर्षक के अन्तर्गत न आती हो।

iv) दूसरे शब्दों में यह आय का अवशिष्ट (residuary) शीर्षक है और यदि कोई आय किसी विशिष्ट शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य न हो तो उसे ''अन्य साधनों से आय'' शीर्षक के अन्तर्गत रखा जाता है। प्रस्तुत इकाई में आपको ''अन्य साधनों से आय'' शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली आयों के सम्बन्ध में जानकारी दी जाएगी तथा इस प्रकार की आय के करारोपड़ सम्बन्धी प्रावधान बताये जायेंगे।

13.2 ''अन्य साधनो से आय'' शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य आय

धारा 56 (2) के अनुसार वे सभी आय जो न तो आयकर अधिनियम की किसी धारा के अंतर्गत करमुक्त हों और न ही किसी अन्य शीर्षक के अनतर्गत करयोग्य हो, उन्हें ''अन्य स्त्रोतों से आय'' शीर्षक के अन्तर्गत रखा जाता है।

धारा 56 (2) के अनुसार ''अन्य साधनों से आय'' शीर्षक के अन्तर्गत निम्नलिखित आय को करयोग्य बनाया गया है–

1. लाभांश

2. लाटरी, वर्ग पहेली (crossword puzzles), घुड़दौड़, ताश के खेल जुआ, सट्टेबाजी और अन्य किसी खेल इत्यादि से जीती गई राशि।

3. किसी नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के वेतन से विभिन्न निधियों जैसे भविष्य निधि अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि, ... जो कर्मचारी बीमा योजना 1948 के अन्तगर्त स्थिपित हुआ हो के सम्बन्ध में काटी गई राशि निश्चित तिथि तक निधि के खाते में जमा नहीं कर दी जाती तो वह नियोक्ता की ''अन्य स्त्रोतों से आय'' मानी जाएगी बशर्ते कि यह राशि ''व्यापार या पेश के लाभ'' शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य न हो।

4. ''प्रतिभूतियों पर ब्याज'' (Interest on security) से आय बशर्ते कि ब्याज की राशि ''व्यापार या पेशे के लाभ'' (profit and gain of business or professions) शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य न हो।

5. करदाता द्वारा मशीन, प्लांट या फर्नीचर को किराए पर उठाने से आय बशर्ते कि वह ''व्यापार अथवा पेशे की आय'' शीर्षक के अंतर्गत करयोग्य न हो।

6. यदि करदाता मशीन, प्लांट तथा फर्नीचर के साथ भवन भी किराए पर उठाता है, जिससे उसे संयुक्त किराया मिलता है तथा भवन का किराया अलग करना संभव न हो तो ऐसा संयुक्त किराया ''अन्य स्त्रोतों से आय'' शीर्षक के अंतर्गत करयोग होगा बशर्ते कि यह ''व्यापार अथवा पेशे की आय'' शीर्षक के अंतर्गत करयोग्य न हो।

7. कीमेंन (Keyman) बीमा पॉलसी से प्राप्त राशि (बोनस सहित) बशर्ते कि वह व्यापार अथवा पेशे अथवा वेतन शीर्षक में कर योग्य न हो।

8. बिना प्रतिफल के प्राप्त 50,000 रू0 से अधिक की कुल राशि अथवा ऐसी चल एवं अचल सम्पत्ति जो 1 अप्रैल 2017 को अथवा उसके पश्चात बिना प्रतिफल के अथवा अपर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की जाये बशर्ते कि ऐसे उपहार या अपर्याप्त प्रतिफल की रकम 50,000 रू0 से अधिक हो। इसका विस्तृत अध्ययन की इकाई के बिन्दु 13–10 मे करेगे।

9. यदि कोई कम्पनी जिसमें जनता का सारवान हित नहीं है किसी निवासी को अंश निर्गत करती है जिसका प्रतिफल अंश कर पर अंकित मूल्य से अधिक हो तो इन पर प्राप्त कुल प्रतिफल का उचित बाजार मूल्य के ऊपर अधिक्य कर योग्य होगा। हालाकि यह आय के कुछ अपवाद भी है।

10. क्षतिपूर्ति अथवा बढ़ी हुई क्षतिपूति (करयोग्य 50%) पर प्राप्त ब्याज की आय, प्राप्ति के वर्ष में कर योग्य होगी।

11. किसी पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण हेतु प्राप्त अग्रिम राशि यदि जब्त कर ली जाती है, तो वह इस शीर्षक में करयोग्य होगी।

12. सेवा (नौकरी) से निकाले जाने अथवा सेवा की शर्तो में परिवर्तन के कारण प्राप्त अथवा प्राप्य राशि इस शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित आय को भी ''अन्य स्त्रोतों से आय'' शीर्षक के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है–

i) किसी कर्मचारी को अपने नियोक्ता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त फीस या कमीशन या अन्य पारिश्रमिक।

ii) किसी वसीयत (will) के अंतर्गत स्वीकृत वार्षिकी की राशि तुरन्त इसमें किसी कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा स्वीकृत वार्षिकी की राशि शामिल नहीं की जाती।

iii) प्रतिभूतियों पर ब्याज के अतिरिक्त अन्य प्रकार के ब्याज की राशि जैसे– बैंक जमा पर ब्याज, ऋण पर ब्याज इत्यादि।

iv) एक किराएदार द्वारा किराए के भवन को पुनः किराये पर उठाने (sub-letting) से आय।

v) एक गैर–पेशेवर व्यक्ति को किसी परीक्षक (examiner) के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक।

vi) रायल्टी से आय

vii) निदेशक शुल्क (directors fee)

viii) भवन से लगी हुई भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि से किराया।

ix) भारत से बाहर स्थित भूमि से कृषि आय।

x) हाट, बाजार या मछली पालन से आय।

xi) पट्टे (lease) पर रखी हुई सम्पत्ति से आय।

xii) करदाता की कुल आय में शामिल होने वाली किसी अन्य व्यक्ति की आय जैसे– यदि करदाता तथा उसका जीवनसाथी (spouse) एक ही फर्म में साझेदार हों, तो जीवनसाथी का फर्म से लाभ करदाता की ''अन्य स्त्रोतों से आय'' शीर्षक के अन्तर्गत रखा जाएगा।

xiii) किसी गैर–पेशेवर व्यक्ति द्वारा किसी पत्रिका में लिखने से प्राप्त पारिश्रमिक।

xiv) विदेशी प्रतिभूतियों पर ब्याज।

xv) किसी अस्पष्ट स्त्रोत (undisclosed source) से आय।

xvi) किसी कर्मचारी को अप्रमाणित भविष्य निधि के अंशदान पर प्राप्त ब्याज

xvii) किसी संसद सदस्य (MP) एवं विधायक (MLA) का वेतन।

xviii) सहकारी समिति की प्रतिभूतियों पर ब्याज

xix) मृत कर्मचारी की विधवा तथा उत्तराधिकारियों को प्राप्त परिवार पेंशन की राशि।

xx) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के युनिट से प्राप्त लाभांश।

xxi) राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) के जमा राशि में से निकाली गई राशि (ब्याज सहित) जिसके सम्बन्ध में करदाता को धारा 80 CCA के अंतर्गत कटौती दी गई हो।

xxii) लाटरी आदि के अतिरिक्त आकस्मिक आय।

xxiii) बीमा एजेन्ट की कमीशन से आय। यदि यह आय वित्तीय वर्ष में 15000 रू0 से अधिक हो तो स्त्रोत पर कर की कटौती होती है। अतः इस स्थिति में कमीशन की राशि को सकल बनाकर आय में जोड़ा जायेगा।

आयों की उपरोक्त सूची अंतिम नहीं है। क्योंकि यह सूची आयों के शीर्षकों में अन्तिम शीर्षक की आय सूची है अतः कोई भी प्रथम 4 शीर्षकों में शामिल न हो सकी कर योग्य आय इस शीर्षक में शामिल की जा सकती है।

13.3 स्वीकृत कटौतियाँ

धारा 57 के अन्तर्गत ''अन्य स्त्रोतों से आय'' शीर्षक की करयोग्य आय निकालने के लिए निम्न कटौतिया दी जाती हैं–

1) a) लाभांश तथा प्रतिभूतियों पर ब्याज के सम्बन्ध में करदाता द्वारा व्यय की गई उचित राशि जो कमीशन या पारिश्रमिक के रूप में किसी व्यक्ति को ब्याज संग्रह करने के बदले में दी गई हो, परन्तु एक विदेशी कम्पनी को यह कटौती नहीं दी जाती।

b) अंश अथवा प्रतिभूतियों के क्रय हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज की कटौती स्वीकृत होगी।

c) इस प्रकार की आय के अर्जन हेतु किया गया गैर पूँजीगत उचित व्यय की भी कटौती माँगी जा सकती है।

2) यदि भविष्य निधि इत्यादि में कर्मचारी का अंशदान नियोक्ता की आय मानी गई हो तो वह नियोक्ता के ''अन्य स्त्रोतों के आय'' शीर्षक के अन्तर्गत शामिल की जाती है। ऐसी स्थिति में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी भविष्यनिधि में देय तिथि पर या उससे पहले जमा राशि कटौती के रूप में स्वीकृत होती है। हाकि उपरोक्त आय यदि व्यापार एंव पेशे शीषर्क के अन्तगर्त आते है तब इस प्रकार की आय के अन्य स्त्रोत्रो से आय शीषर्क मे कर योग्य नही होगे।

3) ऐसी मशीन, प्लांट तथा फर्नीचर का किराया जो भवन के साथ किराये पर दिया गया हो तथा जिसका किराया ''अन्य स्त्रोतों से आय'' शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य हो, निम्नलिखित कटौतियाँ दी जाती हैं–

i) मशीन, फर्नीचर, प्लांट तथा भवन के सम्बन्ध में किया गया चालू मरम्मत व्यय।

ii) मशीन, फर्नीचर, प्लांट तथा भवन के सम्बन्ध में भुगतान की गई बीमा प्रीमियम की राशि जो इस नष्ट होने के जोखिम के बदले दी गई हो।

iii) मशीन, फर्नीचर, प्लांट तथा भवन के सम्बन्ध में ह्रास (depreciation) की राशि।

iv) फैक्ट्री और सम्पत्ति से सम्बन्धित आय व्यय।

v) अशोधित ह्रास नियमों के अधीन स्वीकृत कटौती होगी

4) मृत कर्मचारी की विधवा अथवा उसके उत्तराधिकारियों को प्राप्त परिवार पेंशन के सम्बन्ध में ऐसी आय का $33\frac{1}{3}\%$ या 15000 रू0 दोनों में जो भी कम हो, कटौती के रूप में स्वीकृत होगा।

5) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई आयगत व्यय जो इस शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य आय के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से किया गया हो, परन्तु ऐसा व्यय व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। एक विदेशी कम्पनी को यह कटौती नहीं दी जाती।

6) धारा 57 (iv) के अधीन क्षतिपूर्ति या बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति पर ब्याज की आय का 50% कटौती के ऋण में स्वीकृत होगा परन्तु इस दशा में अन्य कोई कटौती इस धारा के अधीन अमान्य होगी।

नोटः अन्य स्त्रोत से आय के अन्तगर्त कोई भी क्षतिपूर्ति उसी वर्ष मे आयकर कानून के अनूसार निधार्रित किया जा सकता है और वित्तिय वर्ष मे निधार्रित आय को आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है।

13.4 लाभांश [DIVIDEND]

साधारण अर्थो में लाभांश का तात्पर्य उस राशि से है जो एक कम्पनी अपने लाभ में से अपने अंशधारियों को बांटती है, परन्तु धारा 2 (22) के अनुसार लाभांश में निम्नलिखित शामिल होते हैं–

a) एक कम्पनी द्वारा अपने एकत्रित लाभों में से अपने अंशधारियों को किया हुआ कोई ऐसा वितरण जिससे कम्पनी की सम्पत्ति घट जाए। इस प्रकार एकत्रित लाभ नकद हो सकते हैं अथवा वस्तु के रूप में। यदि वे वस्तु के रूप में होते है तो अंशधारियों के लिये इस प्रकार की वस्तुओं का बाजार मूल्य लाभांश माना जाता है।

b) कम्पनी द्वारा अपने संचित लाभों में से अपने अंशधारियों को वितरित किया गया ऋण पत्र तथा जमा प्रमाण पत्र एवं अपने पूर्वाधिकारी अंशधारियों को वितरित किया गया बोनस अंश।

c) कम्पनी के समापन की दशा में कम्पनी के पास सूचित लाभ हो अथवा नहीं समापन से पहले इसके संचित लाभों का अंशधारियों में वितरण।

d) कम्पनी द्वारा पूंजी की कटौती की दशा में अपने एकत्रित लाभों से अंशधारियों में किया गया वितरण। चाहे वह पूँजीकत हो अथवा न हो।

e) एक ऐसी कम्पनी द्वारा जिसमें जनता का सामान हित न हो, अपने किसी ऐसे अंशधारियों को जिसके पास कम से कम 10% मताधिकारी अंश हो या किसी ऐसी संस्था को जिसमें ऐसा अंशधारी सदस्य अथवा साझेदार हो, को कम्पनी के एकत्रित लाभ से दिया गया ऋण या अग्रिम राशि। परन्तु यदि ऐसा ऋण या अग्रिम कम्पनी द्वारा सामान्य व्यापार के व्यवहारों के अन्तर्गत दिया गया हो और कम्पनी मुख्य रूप से मुद्रा उधार देने के व्यापार में संलग्न हो तो उसे लाभांश नहीं माना जाएगा।

लाभांश में निम्नलिखित बिन्दु शामिल नहीं होते हैं–

i) उपरोक्त (c) तथा (d) के आधार पर किया गया वितरण यदि ऐसे अंश के लिए किया गया हो जिसका पूर्ण प्रतिफल नकद रूप में मिला हो तथा ऐसा अंशधारी कम्पनी के समापन की दशा में सम्पत्तियों के आधिक्य (surplus) में से कोई हिस्सा पाने का अधिकारी न हो।

ii) यदि किसी कम्पनी का समापन (liquidation) सरकार अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित किसी निगम द्वारा कम्पनी के अनिवार्य अधिग्रहण (compulsory acquisition) के फलस्वरूप हुआ हो तो समापक (liquidator) द्वारा अंशधारियो को किया गया वितरण लाभांश नहीं माना जाएगा। बशर्ते वह समापन वर्ष के ठीक 3 वर्ष पूर्व एकत्रित लाभों में से किया गया हो। जो कि गत वर्ष से तुरन्त पहले के वर्षो कम्पनी को अधिग्रहीत की गई है।

iii) यदि मुद्रा का उधार या लेन–देन कम्पनी का मुख्य व्यवसाय हो तो ऐसी कम्पनी द्वारा अपने व्यापारिक व्यवहार के अन्तर्गत किसी अंशधारी को या किसी संस्था को दिया गया कोई ऋण या अग्रिम।

iv) यदि कोई कम्पनी लाभांश के भुगतान की पूर्ति (set off) उपरोक्त (e) के अन्तर्गत दिए हुए ऋण या अग्रिम (advances) से कर दे तो लाभांश की पूर्ति की गई राशि।

v) यदि एकीकरण योजना (scheme of amalgamation) के अन्तर्गत एक कम्पनी दूसरी कम्पनी को अपनी सम्पत्ति हस्तांतरित करती है तो ऐसे हस्तान्तरण को लाभ का बंटवारा नहीं माना जाना चाहिए भले ही ऐसे हस्तांतरण में एकत्रित लाभ भी शामिल हो।

13.4.1 लाभांश कराधान सम्बन्धी नियम

लाभांश पर कराधान के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम हैं–

i) लाभांश जिस गत वर्ष में घोषित किया जाता है वह अंशधारी के उसी गत वर्ष की आय में शामिल किया जाता है।

ii) अंतरिम लाभांश अंशधारी के उस गत वर्ष की आय मानी जाएगी जिसमें कम्पनी ऐसे लाभांश का भुगतान अंशधारियों को बिना किसी शर्त भुगतान करने को तत्पर हो। दूसरे शब्दों में अंतरिम लाभांश के घोषित होने का वर्ष महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि वह वर्ष महत्वपूर्ण है जिसमें कम्पनी ऐसे लाभांश का भुगतान करती है।

iii) एक भारतीय कम्पनी द्वारा भारत के बाहर लाभांश का भुगतान भारत में ही उदय (arise) या अर्जित हुआ माना जाएगा।

iv) कम्पनी द्वारा लाभांश की राशि में स्त्रोत पर की गई कर कटौती (tax deducted at source) अंशधारी द्वारा प्राप्त शुद्ध लाभांश की राशि में जोड़ दी जाती है और इस प्रकार अंशधारी को लाभांश की सकल राशि (gross amount) पर कर देना पड़ता है परन्तु उद्गम पर कटे हुए आयकर की राशि को अंशधारी द्वारा देय कुल आयकर की राशि से घटा दिया जाता है।

v) एक विदेशी कम्पनी से प्राप्त लाभांश कर योग्य होता है। यदि विदेशी कम्पनी लाभांश भुगतान में से कर के रूप में कोई राशि काट लेती है और इस कटी हुई

राशि में से भारत सरकार को कोई राशि नहीं देती है तो ऐी काटी गयी कर की राशि को अंशधारी की आय में शामिल नहीं किया जायेगा और विदेशी कम्पनी से प्राप्त शुद्ध लाभांश को ही अंशधारी की आय में जोड़ा जायेगा।

13.4.2 लाभांश को सकल बनाना (Grossing up of Dividends)

लाभांश करमुक्त या करयुक्त हो सकता है। करमुक्त लाभांश का तात्पर्य उस लाभांश से है जिसमें से उद्‌गम स्थान पर आयकर की कटौती नहीं की जाती और घोषित लाभांश की सम्पूर्ण राशि करदाता को कम्पनी द्वारा भुगतान कर दी जाती है। जबकि आयकर का भुगतान कम्पनी द्वारा अंशधारी की ओर से किया जाता है। अतः करयोग्य लाभांश निकालने के लिए कम्पनी द्वारा दी गई आयकर की राशि को भी लाभांश में शामिल कर लिया जाता है। इसका आशय यह है कि करमुक्त लाभांश को सकल (Gross up) बनाया जाता है।

इस तरह करयुक्त (Less tax) लाभांश की सकल राशि में से कम्पनी आयकर की राशि काट लेती है और केवल शुद्ध लाभांश अंशधारी को प्राप्त होता है। परन्तु करारोपण के लिए अंशधारी द्वारा प्राप्त शुद्ध लाभांश को भी सकल बनाया जाता है। अतः करमुक्त लाभांश को सकल (gross up) बनाने के लिए

$$\frac{\text{शुद्ध लाभांश} \times 100}{100 \text{ (–) स्त्रोत पर कर की कटौती}}$$

के सूत्र का प्रयोग होगा परन्तु निम्न दशाओं में लाभांश से उद्‌गम पर आयकर की कटौती नहीं की जाती –

i) यदि अंशधारी गैर–कम्पनी निवासी है तथा वह कर–निर्धारण अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र ले लेता है कि उसकी राय में अंशधारी की कुल आय कर योग्य आय सीमा से कम होगी।

ii) जनता के सारवान हित वाली कम्पनी (Widely held company) द्वारा एक भारतीय निवासी अंशधारी को लाभांश का भुगतान करना बशर्ते

   a) कि लाभांश की राशि 2500 रू0. से अधिक न हो तथा

   b) लाभांश का भुगतान एकाउन्ट पेयी (Account payee cheque) रेखांकित चैक द्वारा किया गया हो।

नोटः अधिकार (यदि देय हो) तथा 4% स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर (Cess) वसूला जायेगा चाहे भले ही करदाता की एकमात्र आय लाभांश से ही हो और अन्य कोई आय न हो।

13.4.3 लाभांश के प्रकार (Kinds of Dividend)

सामान्य अर्थ में लाभांश कम्पनी के अंशधारी द्वारा प्राप्त वह राशि है जो कम्पनी के लाभों के वितरण के रूप में दी जाती है। लाभांश प्रमुख रूप से निम्न प्रकार के होते है:

a) सामान्य अथवा अन्तिम अथवा वार्शिक लाभांष (Normal or Final or Annual Dividend):

किसी कम्पनी द्वारा अपनी वार्षिक साधारण सभा (Annual General Meeting) में घोषित कोई भी लाभांश उस गतवर्ष की आय होती है जिसमें यह कम्पनी द्वारा घोषित किया गया हो।

b) अन्तरिम लाभांश (Intermim Dividend)

किसी वर्ष की वार्षिक साधारण सभा से पूर्व कम्पनी द्वारा किसी भी समय घोषित किया गया लाभांश अन्तरिम लाभांश कहलाता है। अन्तरिम लाभांश भुगतान किये जाने वाले वर्ष कम्पनी द्वारा सदस्य को बिना शर्त्त दिया जायेगा की आय मानी जाती है।

c) माना गया लाभांश (Deemed Dividend)

माना गया लाभांश वास्तव में लाभांश के रूप में नहीं भुगतान किया जाता है किन्तु इसे आयकर के नियमों के अधीन धारा 2 (22) (a) से (e) तक लाभांश माना जाता है। यह निम्न प्रकार समझा जा सकता हैः

i) सम्पत्ति के वितरण को लाभांश मानना [2 (22) (a)]

ii) ऋण पत्रों, ऋण पत्र स्टाक अथवा ऋण पत्र सर्टीफिकेट के वितरण को लाभांश मानना। पूर्वाधिकारी अंशधारियों को दिये जाने वाले अंश भी इसमें शामिल किये जाते है। [धारा 2 (22) (b)]

iii) समापन पर सम्पत्ति के वितरण को लाभांश मानक [धारा 2 (22) (c)

iv) अंश पूँजी की कमी पर वितरण [धारा 2 (22) (d)]

v) एकाधिकारवत् (Widely held company) द्वारा दिया गया ऋण एवं अग्रिम [धारा 2 (22)(e)]

उपरोक्त सभी दशाओं में माना गये लाभांश की रकम लाभ की संग्रहित पूँजीगत राशि तक सीमित की जाती है।

13.4.4 लाभांश की आय की कर योग्यता (Taxability of Dividend Income)

i) लाभांश पर कर उस व्यक्ति पर लगता है जो इसे प्राप्त करता है अथवा प्राप्त करने का अधिकारी होता है।

ii) लाभांश पर कर देने का उत्तरदायित्व (नियमों के अधीन) उस अंशधारी का होता है जिसके पास अंश उस दिन थे जिस दिन लाभांश घोषित होता है।

iii) अंशधारी की आय में (लाभांश के करमुक्त भाग को छोड़कर) सकल लाभांश जोड़ा जाता है।

iv) यदि अंशधारी द्वारा शुद्ध लाभांश (लाभांश स्त्रोत पर कर की कटौती) प्राप्त होता है तो इसे सकल बनाकर अंशधारी की आय में जोड़ा जाता है।

v) यदि लाभांश में से स्त्रोत पर कर की कोई कटौती नहीं की गयी है तो अंशधारी को प्राप्त राशि सकल होती है और इसे सकल नहीं बनाया जाता है।

vi) सकल लाभांश में से मान्य कटौतियाँ घटाकर नियमों के अधीन करदाता की आय में जोड़ा जाता है।

vii) करमुक्त लाभांश की राशि से कोई भी कटौती स्वीकृत नहीं है।

viii) यदि लाभांश गैर–घरेलू कम्पनी से अथवा विदेशी कम्पनी से प्राप्त किया गया हो तो इन कम्पनियों से प्राप्त लाभांश में से धारा 10 (34) के अन्तर्गत छूट (exemption) नहीं प्राप्त होगी।

ix) सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश सकल होता है (क्योंकि सहकारी समिति द्वारा स्त्रोत पर कर नहीं काटा जाता है) अतः इसे सकल नहीं बनाया जाता है और प्राप्त राशि ही करदाता की आय में जोड़ी जाती है।

x) निम्न दो शर्तों के पूर्ण होने पर, घरेलू कम्पनी से प्राप्त 10 लाख रूपये से अधिक लाभांश पर 10% कर + अधिभार (यदि कोई हो) + स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर कर, कर निर्धारण वर्ष 2017–18 से प्रभावी होगा।

   a) कर निर्धारण वर्ष 2017–18 हेतु करदाता एक निवासी व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार अथवा फर्म हो। अथवा कोई भी व्यक्ति जो एक घरेलू कम्पनी न हो, अथवा निधि अथवा संस्था अथवा प्रन्यास अथवा विश्वविद्यालय अथवा शिक्षा संस्थान अथवा चिकित्सालय अथवा धारा 10 (23c), (iv), (v), (vi), (vi a) में सन्दर्भित अन्य चिकित्सा संस्थान अथवा धारा 12 A/12 AA के अधीन पंजीकृत प्रन्यास अथवा संस्था (कर निर्धारण वर्ष 2018–19 से प्रभावी)।

   b) यदि करदाता की कुल आय में लाभांश की कुल आय घरेलू कम्पनी द्वारा घोषित अथवा वितरित अथवा भुगतान की गयी राशि 10 लाख रूपये से अधिक है।

xi) 10 लाख रू0 से अधिक के लाभांश पर करारोपड़न सकल बनाने के आधार पर होगा परन्तु धारा 2 (22) (e) के अधीन माने गये लाभांश (धारा 115-BBDA के अन्तर्गत) पर कर लागू नहीं होगा।

xii) माने गये लाभांश की आय उस गत वर्ष की आय समझी जाती है जिस वर्ष में इसका वितरण अथवा भुगतान किया जाता है।

xiii) भारतीय यूनिट ट्रस्ट से प्राप्त लाभाश कुछ सीमा तक कर योग्य होगा कुछ सीमा के अन्तगर्त।

13.4.5 लाभांश सम्बन्धी उदाहरण (Illustration on Dividend)

उदाहरण 1

पूँजीकृत (Capitalised) लाभों को छोड़कर अर्थात (10 लाख रू0 के अतीत में निर्गत बोनस अंश), एक कम्पनी के संचित लाभ 30 लाख रूपये है। कम्पनी ने 25 लाख रूपये की सम्पत्तियाँ अंशधारियों को बाँटी है। यदि वितरण की तिथि पर सम्पत्तियों का बाजार मूल्य निम्न प्रकार हो तो लाभांश के रूप में वितरित होने वाली राशि की गणना कीजियेः–

(i) रू0 20 लाख (ii) रू0 35 लाख (iii) रू0 45 लाख

हल:

माना गया लाभांश (संचित लाभ) अंशधारियों हेतु कर मुक्त है परन्तु इस पर कम्पनी द्वारा कर दिया जायेगा। कम्पनी द्वारा इस राशि पर 15 प्रतिशत वितरण कर (Distribution Tax) (सकल राशि पर) + अधिभार 12% + 4% स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर दिया जायेगा जोकि सम्पत्ति के वितरण की तिथि पर बाजार मूल्य की उस राशि तक हो सकता है जो अधिकतम लाभ से अधिक न हो (पूँजीकृत अथवा गैर–पूँजीकृत)।

अतः माने गये लाभांश की राशि निम्न प्रकार होगी।

i) रू0 20 लाख

ii) रू0 35 लाख

iii) रू0 40 लाख (संचित लाभ+बोनस अंशों तक सीमित)

नोटः– विसकृत व्याख्या के लिए धारा 2(22)(A) को पढ़े

उदाहरण 2

X लिमिटेड की अंश पूँजी 10 रू0 के 20,000 अंशों में विभक्त है। कम्पनी ने अपनी पूँजी को 10 प्रतिशत 1 रू0 प्रति0 अंश की दर से घटा दिया। कम्पनी का संचित लाभ 12,000 रू0 था। श्री सतीश के पास कम्पनी के 500 अंश है। श्री सतीश हेतु माने गये लाभांश की मूल्य गणना कीजिये।

हल:

श्री सतीश द्वारा प्राप्त राशि (500 अंश × 1 रु. प्रति अंश) = 500 रु.

$$\text{संचित लाभ से प्राप्त राशि} = \text{संचित लाभ} \times \frac{\text{घटित अंशों की संख्या}}{\text{अंशों की सम्पूर्ण संख्या}}$$

$$= 12000 \times \frac{500}{20,000} = 300 \text{ रू0}$$

अतः 300 रू0 श्री सतीश के लिये माना गया लाभांश (Deemed Dividend) होगा तथा 200 रू0 (500 रू0 – 300 रू0) पूँजी की वापसी (Refund of Capital) माना जायेगा।

उदाहरण 3

श्री जुबिन K.K. Ltd. में 10 रू0 वाले 500 समता अंश धारक है। K.K. Ltd. एक भारतीय कम्पनी है। 31 मार्च 2020 को कम्पनी से 36,00 रू0 लाभांश के रूप में प्राप्त हुये और इसी तिथि पर 300 बोनस अंश भी उसने प्राप्त किये। कम्पनी के अंशों का बाजार मूल्य 25 रू0 प्रति अंश था।

श्री जुबिन लाभांश एवं बोनस अंशों पर आयकर करारोपड़ को समझाइये।

हल:

i) कम्पनी से प्राप्त लाभांश की राशि 3600 रू0 दी गयी है अतः यह सकल राशि है और इसे श्री जुबिन की कर निर्धारण वर्ष 2020–21 की कुल आय में जोड़ा

जायेगा परन्तु एक भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांश धारा 10 (34) के अधीन एक सीमा तक कर मुक्त है। अतः लाभांश की राशि पर कर का भुगतान नहीं किया जायेगा।

ii) श्री जुबिन को प्राप्त बोनस अंशों पर भी कोई कर नहीं लगेगा क्योंकि इनका निर्गमन समता अंशधारियों को किया गया है। समता अंशधारियों हेतु बोनस लाभांश नहीं माना जाता।

उदाहरण 4

कर निर्धारण वर्ष 2020–21 हेतु श्री उत्क्रर्ष द्वारा अपनी आय का वितरण निम्न प्रकार दिया गया है:

		रू0
a)	वेतन शीर्षक के अन्तर्गत आय (आगणित)	5,50,000
b)	मकान सम्पत्ति से आय	3,50,000
c)	घरेलू कम्पनी से लाभांश	12,00,000

कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए कुल आय एवं कर की गणना कीजिए।

हल:

कर निर्धारण वर्ष 2020–21 हेतु श्री उत्क्रर्श कुल आय एवं कर की गणना।

	कुल आय की गणना	**रू0**	**रू0**
A)	वेतन से आय		5,50,000
a)	मकान सम्पत्ति से आय		3,50,000
b)	अन्य आय स्त्रोतों से आयः		
	भारतीय कम्पनी से लाभांश	12,00,000	
	घटाइये धारा 10 (34) के अन्तर्गत कटौती	10,00,000	2,00,000
	कुल कर योग्य आय		11,00,000
(B)	**देय कर**	**रू0**	**रू0**
(a)	लाभांश पर कर 10% (रू0 2,00,000 × $\frac{10}{100}$)		20,000
(b)	शेष आय पर कर (आय रू0 9,00,000)		
	(i) प्रथम रू0 2,50,000	**शून्य**	**शून्य**
	(ii) अगले रू0 2,50,000 - 5%	12,500	
	(iii) शेष रू0 4,00,000 - 20%	80,000	92,500
	कुल कर		1,12,500
	जोडियेः स्वास्थ्य एवं शिक्षा कर - 4%		4500
	देय कर		1,17,000

13.5 लाटरी, वर्ग पहेली, घुड़दौड़, ताश के खेल इत्यादि से जीती गई राशि (आकस्मिक आय)

लाटरी, वर्ग पहेली, घुड़दौड़, ताश के खेल तथा अन्य प्रकार के शर्त व जुए से जीती गई आय ''अन्य स्त्रोतों से आय'' शीर्षक के अन्तर्गत धारा 56 (2) () के अन्तगर्त करयोग्य होती है तथा ऐसी आय की गणना करते समय किसी प्रकार के व्यय अथवा हानि की कटौती नहीं की जाती। यद्यपि घुड़दौड़ के घोड़ों के रख–रखाव के व्यय कटौती हेतु मान्य है। इसी प्रकार धारा 80 (c) से 8dv तक की कटौतियाँ भी इस आय से मान्य नहीं है। टेलीविजन पर किसी मनोरंजन कार्यक्रम की जीत भी इस आय की श्रेणी में मानी जाती है। इसी प्रकार टैक्सी, ड्राइवर अथवा होटल के वैटर की बख्शीष (Tips) की आय भी आकस्मिक आय होती है।

13.5.1 लाटरी आदि की जीत पर करदेयता (धारा 115 BB)

लाटरी आदि की जीत पर आयकर की विशेष दर 30% से कर लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त 4% स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर भी कर की राशि पर लिया जाता है। आयकर की विशेष दर लागू होने के कारण यदि व्यक्ति की केवल लाटरी आदि की जीत से आय हो (अन्य किसी शीर्षक में आय न हो) और वह 2,50,000 रू0 अथवा 3,00,000 रू0 (वरिष्ठ नागरिक की दशा में) से कम है तो भी मूल आयकर मुक्त सीमा से कम आय होने पर भी करदाता को आयकर एवं उपकर का भुगतान करना होगा।

13.5.2 लाटरी आदि की जीत को सकल बनाना (Grossing up of Lottery Income etc.)

जब कभी लाटरी आदि की जीत की आय 10,000 रू0 से अधिक होती है तो इस पर स्त्रोत पर कर की कटौती (T.D.S.) 30 / से की जाती है और करदाता को जीत की राशि से कर की राशि घटाकर शुद्ध राशि का भुगतान किया जाता है। अतः इस करदाता की कुल आय की गणना हेतु इस राशि को सकल बनाया जाता है। शुद्ध (Net) अथवा प्राप्त राशि को सकल बनाने हेतु निम्न सूत्रों का प्रयोग किया जाता है।

a) व्यक्ति (Individual), हिन्दी अविभाजित परिवार (H.U.F.), व्यक्तियों का संगठन (A.O.P.), व्यक्तियों का समूह (B.O.I.), फर्म (Firm), कृत्रित न्यायिक व्यक्ति (Artificial Judicial Person), सहकारी समिति (cooperative society), स्थानीय सत्ता (Local Anthorit) तथा घरेलू कम्पनी की दशा में (अधिभार हो अथवा नही):

$$\frac{\text{शुद्ध जीत की राशि} \times 100}{100 - \text{स्त्रोत पर कर की कटौती की दर}}$$

अथवा

$$\text{शुद्ध जीत की राशि} \times \frac{100}{100-30}$$

उपरोक्त सकल आय पर देयकर पर 4% स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर भी देय होता है।

b) अनिवासी (Non-resident) एवं विदेशी कम्पनी की दशा में:

$$\text{जीत की राशि} \times \frac{100}{100 - (30+30 \text{ का } 4\% \text{ उपकर})}$$

अथवा

$$\text{जीत की राशि} \times \frac{100}{68.8}$$

नोटः

यदि विदेशी कम्पनी की आय 1 करोड़ रूपये अथवा 10 करोड़ रूपये से अधिक होती है तो उन पर अधिभार लगता है। इन दोनों दशाओं में अधिभार की दर भिन्न है।

उदाहरण 5

श्री अनुपम के कर निर्धारण वर्ष 2020–21 हेतु 'अन्य साधनों से आय' की गणना कीजिए।

		रू0
i)	घुड़दौड़ से जीत	10,000
ii)	ताश के खेल में हानि	3,000
iii)	शर्त से जीत	25,000
iv)	लाटरी की जीत की राशि	66,500
v)	टी0वी0 कार्यक्रम में जीत की राशि (सकल)	50,000

हल

श्री अनुपम की कर निर्धारण वर्ष 2020–21 हेतु 'अन्य स्त्रोतों से आय' की गणना।

		रू0
i)	घुड़दौड़ से जीत	10,000
ii)	शर्त से जीत	25,000
iii)	लाटरी की जीत (सकल) [66,500 रू0 $\times \frac{100}{100-30}$]	95,000
iv)	टी0वी0 कार्यक्रम में जीत की राशि	50,000
	अन्य साधनो से आय	**1,80,000**

नोटः

ताश के खेल की हानि की कटौती नहीं मिलेगी। यह कटौती ताश के खेल की आय से ही उस समय दी जा सकती है जब ताश के दो खेल हो और उनमें से एक में आय और दूसरे में हानि हो।

1) बताइये क्या निम्न कथन सत्य है अथवा असत्य हैः

a) वेतन शीर्षक, मकान सम्पत्ति से आय शीर्षक, व्यवसाय अथवा पेश के लाभ शीर्षक तथा पूँजी लाभ शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली आयों के अतिरिक्त अन्य सभी आयों को अन्य स्त्रोतों की आय शीर्षक में सम्मलित करते है।

b) संसद सदस्यों का वेतन, वेतन शीर्षक की आय में कर योग्य होता है।

c) एक वेतन भोगी कर्मचारी की लाटँरी से आय 'वेतन' शीषर्क मे कर योग्य होगी।

d) लाटरी की हानि को पूरा नहीं किया जा सकता।

2) निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजियेः

a) वर्ग पहेली की जीत की आय ..... शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य है।

b) वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु लाटरी की जीत की आय पर स्त्रोत पर कर की कटौतती की दर ..... है।

c) लाटरी टिकट क्रय करने की लागत को जीत की राशि से ..... सकते है।

d) एक भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांश ..... है।

13.6 प्रतिभूतियों पर ब्याज [INTEREST ON SECURITIES]

''आय स्रोतों से आय'' शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य प्रतिभूतियों पर ब्याज का आशय निम्न है–

i) केन्द्र तथा राज्य सरकार की किसी प्रतिभूति पर ब्याज।

ii) स्थानीय सत्ता द्वारा या उसकी ओर से मुद्रा के बदले निर्गमित किए हुए ऋण पत्रों अथवा अन्य प्रतिभूतियों पर ब्याज।

iii) किसी भारतीय या विदेशी कंपनी द्वारा मुद्रा के बदले निर्गमित किए हुए ऋण पत्रों पर ब्याज।

iv) वैधानिक निगमों द्वारा या उनकी ओर से मुद्रा के बदले निर्गमित किए हुए ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियों पर ब्याज।

प्रतिभूति का आशय ऋण पत्रों, बांडों, इत्यादि के रूप में किसी ऋण लेने के प्रमाण पत्र से है, जो केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा, स्थानीय सत्ता द्वारा, वैधानिक निगमों द्वारा या किसी कम्पनी द्वारा निर्गमित किया जाता है। विदेशी सरकार या विदेशी कम्पनी द्वारा निर्गमित की गई प्रतिभूतियों के ब्याज को भी इस शीर्षक के अन्तर्गत शामिल किया जाता है।

13.6.1 कर दायित्व का आधार (Basis of Charge)

1) यदि करदाता अपने लेखों के लिए व्यापारिक पद्धति (mercantile system) अपनाता हो तो ब्याज देय होने पर करयोग्य माना जाएगा। परन्तु यदि करदाता की लेखा पद्धति रोकड़ आधार पर आधारित हो तो ब्याज को प्राप्ति के आधार पर कर योग्य माना जाएगा। यदि करदाता द्वारा कोई भी लेखा पद्धति नियमित रूप से न अपनायी गयी हो तो प्रतिभूतियों पर ब्याज पर उस गत वर्ष में कर योग्य आय माना जायेगा जिसमें वह देय हो चाहे भले ही उसकी प्राप्ति बाद में हो।

2) प्रतिभूतियों पर ब्याज दिन–प्रतिदन की दर से अर्जित हुआ नहीं माना जाता है परन्तु यह उस निश्चत तिथि पर उदय (accrue) हुआ माना जाता है जिस पर ब्याज देय (due) होता है तथा जिसका उल्लेख प्रतिभूति पर किया गया होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रतिभूति पर ब्याज का कर दायित्व उस व्यक्ति का होता है जो ब्याज की देय तिथि पर, प्रतिभूतियों का स्वामी (owner) हो। यदि किसी प्रतिभूति का ब्याज की देय तिथि से पूर्व बेच दिया जाए तो देय तिथि पर मिलने वाले ब्याज का कर दायित्व क्रेता पर होता है, क्योंकि ब्याज के देय तिथि पर मिलने वाले ब्याज को क्रेता तथा विक्रेता में नहीं बांटा जाता प्रतिभूतियाँ ब्याज सहित अथवा ब्याज रहित में से किसी भी रूप में क्रय–विक्रय की गयी हो हर दशा में करदेयता क्रेता की होगी।

3) यह प्रतिभूतियाँ व्यापार के रहतिए (stock in trade) के रूप में रखी गई हो तो प्रतिभूतियों पर ब्याज की राशि ''व्यापार या पेशे से लाभ'' शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य होगा परन्तु यदि प्रतिभूतियाँ विनियोग (investment) के रूप में रखी गई है तो प्रतिभूतियों पर ब्याज की राशि ''अन्य स्रोतों से आय'' शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य होगी।

13.6.2 प्रतिभूतियों का वर्गीकरण (Kinds of Securities)

प्रतिभूतियाँ निम्न दो प्रकार की होती हैं–

1) सरकारी प्रतिभूतियाँ (Government Securities)
2) व्यापारिक प्रतिभूतियाँ (Commercial Securities)
3) सरकार द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियो को सरकारी प्रतिभूति कहते है इसी प्रकार कम्पनी और अन्य व्यापारिक कम्पनी जारी की जाती है तो उन्हे व्यापारिक प्रतिभूति कहा जाता है इन प्रतिभूतियो का विकरण निम्नलिखित है।

सरकारी प्रतिभूतियों को पुनः दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है–

1) करयुक्त प्रतिभूतियाँ (Less Tax Securities)
2) करमुक्त प्रतिभूतियाँ (Tax-free Securities)

इसी प्रकार व्यापारिक प्रतिभूतियों को भी दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

1) करयुक्त प्रतिभूतियाँ (Less Tax Securities)
2) करमुक्त प्रतिभूतियाँ (Tax-free Securities)

1) सरकारी प्रतिभूतिया (Government Securities)

i) **करयुक्त सरकारी प्रतिभूतियाँः (less Tax Securities)**

ऐसी प्रतिभूतियों पर उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती है लेकिन ऐसी प्रतिभूतियों पर ब्याज की राशि कर योग्य होती है इसलिए इनको सकल (gross-up) करने की जरूरत नहीं होती।

ii) **करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियाँः (Tax free Securities)**

करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज की राशि आयकर से मुक्त होती है और उसे विनियोगकर्ता की करयोग्य आय में शामिल नहीं किया जाता है। करमुक्त प्रतिभूतियाँ सरकार द्वारा घोषित की जाती है। परन्तु यदि सरकार द्वारा कुछ करदाताओं को सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज पर कर छूट दी जाती है, तो ऐसी प्रतिभूतियों को करमुक्त प्रतिभूतियाँ नहीं कहा जाएगा।

बल्कि ऐसे करदाताओं को सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज पर आयकर नहीं देना पड़ता है। ऐसी प्रतिभूतियों पर ब्याज न तो कुल आय में शामिल किया जाता है और न ही यह करयोग्य है।

2) व्यापारिक प्रतिभूतिया (Commercial Securities)

i) **करयुक्त व्यापारिक प्रतिभूतियाँः (less Tax Securities)**

ऐसी प्रतिभूतियों पर ब्याज की राशि में उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती ब्याज का जो प्रतिशत प्रतिभूतियों पर दिया रहता है के आधार पर की जाती है। अगर ब्याज की दर दी गयी है तो यह सकल (gross-up) नहीं की जाती है और यदि ब्याज की शुद्ध राशि दी गयी है तो इसे सकल किया जायेगा।

ii) **करमुक्त व्यापारिक प्रतिभूतियाँः (Tax Free Securities)**

ये प्रतिभूतियों किसी कम्पनी या अन्य व्यापारिक संस्था द्वारा निर्गमित की जाती है। इनका ब्याज वास्तव में करमुक्त नहीं होता, क्योंकि ऐसी ब्याज पर देय आयकर का भुगतान उस कम्पनी या व्यापारिक संस्था द्वारा किया जाता है, जिसने प्रतिभूतियों निर्गमित की हैं। ऐसी प्रतिभूतियों को करमुक्ख इसलिए कहा जाता हैं क्योंकि ब्याज की कुल देय रकम बिना स्त्रोतों पर कर कटौती किए करदाता को दे दी जाती है तथा आयकर की राशि कम्पनी संस्था द्वारा विनियोगकर्ता की और से जमा कर दी जाती है। अतः ब्याज की आय निकालते समय कम्पनी या संस्था द्वारा दिया गया आयकर ब्याज की देय राशि निकालते समय कम्पनी या संस्था द्वारा दिया गया आयकर ब्याज की देय राशि में जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार ब्याज की सकल (gross-up) राशि करदाता की आय मानी जाती है एसी प्रतिभूति के ब्याज पर किसी प्रकार की राहत या छूट नहीं दी जाती, परन्तु कम्पनी या संस्था द्वारा विनियोगकर्ता की ओर से जमा किया गया आयकर विनियोगकर्ता द्वारा देय कुल आयकर की राशि से घटा दिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी कम्पनी द्वारा 10 प्रतिशत करमुक्त ऋण पत्र निर्गमित किए गए हों तो ऋण पत्रधारी को अपनी विनियोग राशि निकालने के लिए विनियोगकर्ता द्वारा प्राप्त ब्याज की राशि में कम्पनी द्वारा ऐसे ब्याज पर दी गई आयकर की राशि को भी जोड़ दिया जाएगा। परन्तु कम्पनी द्वारा भुगतान किए गए आयकर को विनियोगकर्ता द्वारा देय कुल आयकर की राशि में से घटा दिया जाएगा।

13.6.3 ''प्रतिभूतियों पर ब्याज'' को सकल बनाना (Grossing up of Interest on Securities)

प्रतिभूतियों पर ब्याज को सकल बनाने से सम्बन्धित नियम निम्न प्रकार है–

1) यदि प्रतिभूति पर ब्याज की दर दी गई हो तो केवल करमुक्त व्यापारिक प्रतिभूतियों के ब्याज को ही सकल बनाया जाता है जबकि अन्य प्रकार की प्रतिभूतियों के ब्याज को सकल बनाने के आवश्यकता नहीं है।

2) करमुक्त व्यापारिक प्रतिभूतियों के ब्याज को सकल बनाना आवश्यक है चाहे ब्याज की दर या विनियोगकर्ता द्वारा प्राप्त कुल ब्याज की राशि ज्ञात हो।

3) करमुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज को सकल बनाना तभी आवश्यक होता है, जब विनियोगकर्ता द्वारा प्राप्त ब्याज की राशि दी गई हो।

विभिन्न परिस्थितियों में एकल ब्याज की गैर निगमित (Non-corporate) निवासी करदाता हेतु निम्न तालिका द्वारा अवलोकन:

प्रतिभूतियों के प्रकार **(Kind of Securities)**	स्त्रोत पर कर कटौती की दर **(T.D.S. Rate)**	जब प्रतिभूति का मुख मूल्य तथा ब्याज की दर दी हो **[When Nominal value of security and rate of interest is given]**	जब ब्याज की वास्तविक राषि दी हो **When actual amount of interest received is given**
1. करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ (Tax free Government securities) (सकल नही करते)	शून्य	ब्याज की राशि % दर से राशि (Interest amount as per % rate)	प्राप्त ब्याज (Interest Received)
2. करयुक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ (Less tax Government Securities) (सकल नही करते)	शून्य	ब्याज की % दर से राशि (Interest amount as per % rate)	प्राप्त ब्याज (Interest Received)
3. गैर सरकारी कर मुक्त प्रतिभूतियाँ (Tax free non government securities)			
(a) सूचीबद्ध (Listed)	10%	$\frac{\text{\% द्वारा आगणित राशि }\%\times 100}{90}$ $\left[\frac{Amt. calculated\ by\ \% \times 100}{90}\right]$	$\frac{\text{प्राप्त ब्याज}\times 100}{90}$ $\left[\frac{\text{Interest received} \times 100}{90}\right]$
(b) गैर सूचीबद्ध (Unlisted)	10%	$\frac{\text{\% द्वारा आगणित राशि }\times 100}{90}$ $\left[\frac{Amt. calculated\ by\ \% \times 100}{90}\right]$	$\frac{\text{प्राप्त ब्याज}\times 100}{90}$ $\left[\frac{\text{Interest received} \times 100}{90}\right]$
4. करयुक्त गैर सरकारी प्रतिभूतियाँ (Less Tax Non-government securities)			
(a) सूचीबद्ध (Listed)	10%	ब्याज का प्रतिशत दर से राशि सकल नहीं करते (Interest amount as per % rate)	$\frac{\text{प्राप्त ब्याज}\times 100}{90}$ $\left[\frac{\text{Interest received} \times 100}{90}\right]$
(b) गैर सूचीबद्ध (Unlisted)	10%	ब्याज का प्रतिशत दर से राशि सकल नहीं करते (Interest amount as per % rate)	$\frac{\text{प्राप्त ब्याज}\times 100}{90}$ $\left[\frac{\text{Interest received} \times 100}{90}\right]$

इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि करयोग्य ब्याज का आशय निवेशकर्ता द्वारा प्राप्त ब्याज की राशि का उद्‌गम पर काटे गए आयकर की राशि अथवा ब्याज देने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति/संस्था द्वारा स्वयं सरकारी खजाने में जमा की गई राशि के योग से है। इस प्रकार ब्याज की सकल राशि =

$$\frac{\text{प्राप्त शुद्ध ब्याज} \times 100}{100 - \text{उद्‌गम पर काटा गया कर (T.D.S.)\%}}$$

13.6.4 दिखावटी लेन–देन (Bond washing Transactions)

ऐसे लेन–देन वास्तविक नहीं होते बल्कि यह कर से बचने का एक तरीका है। प्रतिभूतियों पर ब्याज सामान्यतया छमाही या वार्षिक किसी निश्चित तिथि पर देय है। चूँकि प्रतिभूति का पूरा देय ब्याज उस व्यक्ति की करयोग्य आय में शामिल किया जाता है जो ब्याज की देय तिथि पर प्रतिभूतियों के स्वामी होते हैं। अतः कुछ चतुर करदाता ब्याज की देय तिथि से कुछ दिन पूर्व प्रतिभूतियों को ब्याज सहित (cum-interest) किसी अपने मित्र या सम्बन्धी को बेच देते हैं तथा ब्याज की तिथि के कुछ दिन बाद उसे पुनः ब्याज रहित (ex-interest) खरीद लेते हैं। इस प्रकार ब्याज की देय तिथि पर वे प्रतिभूतियों के स्वामी नहीं रहते और उन्हें ब्याज की राशि पर कर देने का दायित्व नहीं होता। दूसरी ओर जिस व्यक्ति को प्रतिभूतियाँ बेची जाती हैं उसकी कुल आय या तो करयोग्य सीमा से कम होती है या उसे कम दर से आयकर देना पड़ता है। इसके कारण विक्रेता ब्याज पर आयकर से बच जाता है तथा क्रेता या तो आयकर नहीं देता या नीची दर से देता है जिसे क्रेता गुप्त रूप से विक्रेता को भुगतान कर देता है। ऐसे क्रय–विक्रय के व्यवहार को दिखावटी लेन–देन कहते हैं परन्तु दिखावटी लेन–देन से कर की हानि बचाने के लिए अब यह नियम बनाया गया है कि कर–निर्धारण अधिकारी को दिखावटी लेन–देन का पता लग जाये तो वह उसी व्यक्ति की कुल आय में ब्याज की राशि को शामिल करेगा जिसने दिखावटी लेन–देन द्वारा कर बचाने का प्रयत्न किया है।

13.6.5 करमुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज (Interest on Securities Exempt from Tax)

1) ब्याज द्वारा प्राप्त आय, प्रीमियम पर क्षतिपूर्ति या ऐसी ही प्रतिभूतियों पर अन्य भुगतान, बांड, वार्षिक प्रमाण पत्र, बचत प्रमाण पत्र और दूसरे प्रमाण पत्र जो भारत सरकार द्वारा जारी किये गये हों और इस सम्बन्ध में जिन्हें, अधिसूचना की सीमा के अन्तर्गत किया गया हो।

धारा 10 (15) के अनुसार निम्नलिखित प्रतिभूतियाँ ब्याज मुक्त हैं–

A) **सभी करदाताओं के लिएः**

i) 12 वर्षीय राष्ट्रीय बचत वार्षिक प्रमाण पत्र

ii) राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड, 1980

iii) विशेष धारक बांड, 1991

iv) राजकोष (ट्रेजरी) बचत जमा प्रमाण–पत्र (10 वर्षीय)

v) डाकघर नगदी प्रमाण पत्र (5 वर्षीय)

vi) राष्ट्रीय योजना बचत प्रमाण पत्र (10 वर्षीय)

vii) राष्ट्रीय येाजना बचत प्रमाण–पत्र (12 वर्षीय)

viii) डाकघर राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र (7/12 वर्षीय)

ix) डाकघर बचत बैंक खाता (एक व्यक्ति के खाते पर 3500 रू0 तक तथा संयुक्त खाते पर 7000 रू0 तक कर मुक्त)

x) डाकघर सावधि संचयी जमा खाता (15 वर्षीय)

xi) राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र के अन्तर्गत स्थायी जमा योजना (स्थायी जमा नियम 1968)

xii) डाकघर द्वारा संचालित स्थायी जमा योजना (स्थायी जमा नियम 1968)

xiii) विशेष जमा येाजना 1981

xiv) डाकखाने सर्वसाधारण (Public) खाता (5000 रू0 तक)

xv) स्वर्ण निक्षेप योजना 1999 के अन्तर्गत निर्गत स्वर्ण निक्षेप बाण्ड

xvi) मौद्रीकरण योजना (Gold Monetisation Scheme) 2015 के अन्तर्गत निर्गत जमा प्रमाण –पत्र

xvii) वह बाण्डस जो किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा विर्निदिष्ट किये गये है।

xviii) आगे जनता के हित मे व्यक्तिगत खाते के लिए 3500 रू और 7000 रू सयुक्त खाते के लिए कर मुक्त होता है, डाकघर के नियम के अनुसार सार्वजनिक खाता स्थानीय निकाय द्वारा खोला जा सकता है।

xix) भारत में निवासी या असाधारण निवासी को विदेश स्थित बैकिंग इकाई (Offshare Banking unit) में 31.03.3005 के पश्चात जमा की गई राशि पर प्राप्त ब्याज

xx) एक अवकाश प्राप्त सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी द्वारा अवकाश के लाभों में से विशिष्ट योजना में किये गये जमा पर ब्याज।

B) **एक व्यक्ति और हिन्दू अविभाजित परिवार के लिए**

i) 7% पूँजी निवेश बाण्ड का ब्याज जो केवल HUF करदाता और व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है।

ii) 10% राहत बाण्ड, 1995 पर ब्याज, 9% राहत बाण्ड, 1999, 8.5% राहत बाण्ड, 2001, 8% राहत बाण्ड, 2002, 6.5% बचत बाण्ड, 2003

C) अनिवासी भारतीयों के लिये अधिसूचित बॉण्डस पर अनिवासी भारतीयों को ब्याज।

D) सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के अधिसूचित बाण्ड्स तथा ऋण पत्रों पर ब्याज।

E) भारतीय रिर्जव बैंक में जो प्रतिभूतियाँ भोपाल गैस पीड़ितों के कल्याण आयुक्त (Welfare Commissioner) के पास है, उन पर ब्याज।

नोटः विस्तृत अध्ययन हेतु धारा 10 (15) का अध्ययन कीजिये।

13.6.6 प्रतिभूतियाँ जिन पर कर की स्त्रोत पर कटौती नहीं होती

धारा 193 के अनुसार कर की कटौती निम्नलिखित प्रतिभूतियों मे उद्यगम स्थान पर नहीं होगी।

1) 4.25% राष्ट्रीय सुरक्षा बॉड्स 1972 जो कि एक निवासी व्यक्ति के पास हों।

2) एक व्यक्ति द्वारा धारित 4.25% राष्ट्रीय सुरक्षा ऋण 1968 अथवा 4.75% राष्ट्रीय सुरक्षा ऋण 1972

3) राष्ट्रीय विकास बॉण्डस

4) 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (IV निर्गमन)

5) किसी संस्था अथवा सत्ता, अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी अथवा सहकारी समिति अथवा सहकारी भूमि विकास बैंक तथा सहकारी भूमि बन्धक बैंक द्वारा निर्गत अधिसूचित ऋणपत्र

6) एक निवासी व्यक्ति द्वारा धारित 10,000 रू0 अंकित मूल्य से कम के 6.5% स्वर्ण बाण्ड 1977, अथवा 7% स्वर्ण बाण्ड 1980 सम्बन्धित ब्याज की अवधि में 10,000 रू0 की उक्त सीमा टूटनी नहीं चाहिये।

7) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार की कोई भी प्रतिभूति पर ब्याज जो 10,000 रू0 से अधिक न हो। 8% बचत कर योग्य बॉण्डस 2003 अथवा 7.75% बचत कर योग्य बॉण्डस 2018

8) ऐसी कम्पनी द्वारा जनता का सारवाहहित हो सूचीबद्ध ऋण पत्रों पर ब्याज यदि

   a) यदि कम्पनी द्वारा ब्याज का भुगतान खाते में जमा (A/c Payee cheque) द्वारा किया जाये।

   b) गतवर्ष में ब्याज की राशि 5000 रू0 से अधिक न हो।

9) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा धारित अथवा जिसमें उसका पूर्ण हित निहित हो ऐसी प्रतिभूति पर भारतीय जीवन बीमा निगम को देय ब्याज।

10) भारतीय सामान्य बीमा निगम द्वारा धारित अथवा जिसमें उसका पूर्ण हित निहित हो ऐसी प्रतिभूतियों पर भारतीय सामान्य बीमा निगम को देय ब्याज।

11) अन्य किसी बीमाकर्ता द्वारा धारित अथवा जिसमें उसक पूर्ण हित निहित हो ऐसी प्रतिभूतियों पर देय ब्याज।

12) किसी कम्पनी द्वारा निर्गत किसी भी प्रतिभूति पर देय ब्याज चाहे वह प्रतिभूति Securities contract (Regulation) Act 1956 अथवा उसके अधीन नियमों के अधीन अभौतिक रूप में तथा भारत के किसी स्टाक एक्सचेन्ज में सूचीबद्ध हो।

नोट– उपरोक्त सभी के विस्तृत हेतु धारा 193 का अध्ययन कीजिए।

13.6.7 व्यक्ति जिन पर कर की स्त्रोत पर कटौती नहीं होती

यदि प्रति भूतियाँ निम्नलिखित व्यक्तियो के पास है तो कर की कोई कटौती उसके उद्यगम स्थान से नहीं होगी क्योकि ये प्रतिभूतियाँ कर से मुक्त है – धारा 10, 11 और 13 A के अनुसार–

i) स्थानीय सत्ता धारा 10(20) के अधीन।

ii) स्वीकृत वैज्ञानिक अनुसंधान संघ धारा 10(21)

iii) कोई भी फण्ड अथवा गैर सार्वजनिक फण्ड (Non- public found) धारा 10 (23 AA) के अधीन।

iv) धारा 10 (23 B) के अधीन कोई भी संस्था जो पूर्णतः खादी एवं ग्रामीण उद्योग के विकास हेतु स्थापित हो।

v) धारा 10 (23 BB) के अन्तर्गत खादी एवं ग्रामीण उद्योग हेतु स्थापित सत्ता।

vi) धारा 10 (23 BBA) के अन्तर्गत किसी धार्मिक ट्रस्ट अथवा अक्षय निधि (Endowment) के प्रशासन हेतु कोई संस्था।

vii) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष, लोक कला प्रोत्साहन हेतु प्रधानमंत्री कोष, धारा 23 (c) के अन्तर्गत प्रधानमंत्री की विद्यार्थियों की सहायता हेतु कोष।

viii) धारा 10 (24) के अन्तर्गत पंजीकृत श्रम संघ।

ix) धारा 10 (25) वैधानिक भविष्य निधि, प्रमाणित भविष्य निधि, अनुमोदित सेवा निवृत्ति कोष, अनुमोहित अनुग्रह (Annuity) राशि कोष।

x) धारा 10 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के सदस्य।

xi) धारा 10 (26 B) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितों के प्रोत्साहन हेतु कोई संस्था निगम अथवा संस्थान (Institution)

xii) धारा 11 के अन्तर्गत सार्वजनिक धमार्थ एवं दान ट्रस्ट अथवा संस्था

xiii) धारा 13 के अन्तर्गत भारतीय चुनाव आयोग में पंजीकृत कोई राजनैतिक दल।

xiv) कोई भी अधिसूचित फण्ड, संस्था अथवा सत्ता।

नोट– उपरोक्त सभी के विस्तृत अध्ययन हेतु धारा 10, 11 एवं 13 का अध्ययन कीजिये।

13.6.8 प्रतिभूतियों पर ब्याज से सम्बन्धित उदाहरण (Illustration on interest from securities)

उदाहरण 6

श्री जितेन्द्र द्वारा गत वर्ष 2019–20 के दौरान किए गए निवेश (Investment) का विवरण निम्न है–

i) 10% की दर से 30,000 रू0 का उ0प्र0 सरकार का ऋण

ii) 10% की दर से 1,0000 रू0 का जूट मिल के ऋण पत्र

iii) सहकारी समिति के ऋण पत्रों पर प्राप्त ब्याज 2,000 रू0

iv) 6% की दर से 15,000 रू0 की विदेशी सरकार द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियाँ

v) 7% की दर से 10,000 रू0 के राष्ट्रीय योजना प्रमाण पत्र

vi) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया से प्राप्त लाभांश 1,500 रू0

vii) करयुक्त सरकारी प्रतिभूति से प्राप्त ब्याज 3,600 रू0

ब्याज को एकत्रित करने का बैंक कमीशन 99 रू0 दिया गया है प्रतिभूतियों का ब्याज।

1 जनवरी तथा 1 जुलाई को देय होता है। कर–निर्धारण 2020–21 के लिए अन्य साधनों से आय की गणना कीजिए–

हलः

कर निर्धारण वर्ष 2020–21 अन्य स्त्रोतों से आय

	विवरण	रू0
i)	10% उ0प्र0 सरकार का ऋण पर ब्याज एक वर्ष हेतु	3,000
ii)	10% जूट मिल कम्पनी ऋण पत्र पर ब्याज 1 वर्ष हेतु	1,000
iii)	सहकारी समिति ऋणपत्र पर ब्याज (सकल नहीं किया जायेगा)	2,000
iv)	विदेशी सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज (सकल नहीं होगी)	900
v)	नेशनल प्लान सर्टीफिकेट पर ब्याज	करमुक्त
vi)	U.T.I. से ब्याज (सकल नहीं होगी)	करमुक्त
vii)	कर युक्त सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज (सकल नहीं होगा)	3600
		10,500
	घटाइये ब्याज संग्रहण हेतु बैंक का कमीशन	99
	अन्य स्त्रोतो से आय	**10,401**

टिप्पणी

1) सहकारी समिति के ऋण तथा विदेशी सरकार की प्रतिभूति के ब्याज को कभी भी सकल नहीं बनाया जाता है।

2) राष्ट्रीय योजना प्रमाण पत्र पर ब्याज करमुक्त होता है।

उदाहरण 7

श्री सुबोध का गत वर्ष जो 31 मार्च 2020 को समाप्त होता है, में निवेश निम्न है–

i) थापर कंपनी लिमिटेड के 10,000 रू0 के अंश पर 28 फरवरी 2020 को 10% लाभांश की घोषणा की गई जब कि श्री सुबोध का 15 अप्रैल 2020 को लाभांश प्राप्त हुआ।

ii) बिरला जूट कंपनी के 12,000 रू0 के अंश जिस पर 15 फरवरी, 2020 को 10% अंतरिम लाभाश की घोषणा की गई जबकि लाभांश का भुगतान 15 अप्रैल 2020 को किया गया।

iii) एक कम्पनी के 45,000 रू0 के करमुक्त ऋण पत्र जो स्टॉक एक्सेचेन्ज की सूची में नहीं है, गत वर्ष में 3582/– रू0 ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ।

iv) उ0प्र0 बिजली परिषद के 10% वाले 10,000 के बाण्ड।

v) 10,000 रू0 का डाकघर बचत खाते का ब्याज 600 रू0

vi) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बाण्ड 9% की दर से 10,000 रू0

vii) 10,000 रू0 के विशिष्ट बेयरर बाण्ड जिन पर 1,000 रू0 प्रीमियम के रूप में मिला।

viii) करदाता ने 1 सितम्बर 1989 को 7% दर वाले 20,000 रू0 के अंकित मूल्य के पूँजी निवेश बाण्ड खरीदे जिसके लिए 10% की दर से 10,000 रू0 का ऋण लिया गया।

श्री सुबोध की कर विधरिण वर्ष 2020–21 के लिए आय के अन्य स्रोता से आय की गणना कीजिए।

हल:

श्री सुबोध के कर निर्धारण वर्ष 2020–21 हेतु अन्य स्त्रोतों से आय की गणना

	विवरण	**रु.**
i)	समता अंशो पर लाभांश	करमुक्त
ii)	समता अंशों पर अन्तरिक लाभांश कर योग्य नहीं	शून्य
iii)	एक कम्पनी के करमुक्त ऋण पत्रों पर ब्याज (गैर सूचीबद्ध) सकल किये गये $\left(\frac{3582\times100}{90}\right)$	3980
iv)	उ0प्र0 बिजली परिषद के बाण्ड पर ब्याज 1,000	
v)	डाकघर बचत खाते का ब्याज	करमुक्त
vi)	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बाण्ड पर ब्याज	900
vii)	विशिष्ट प्रीमियम बाण्ड पर प्रीमियम करमुक्त	
viii)	7% पूंजी निवेश बाण्ड पर ब्याज करमुक्त	
	अन्य स्त्रोतों से आय	रू0 **5880**

नोट:

1) डाकघर बचत खाते पर ब्याज करमुक्त होता है।

2) 7% पूँजी निवेश बांड पर ब्याज धारा 15 (113) के अन्तर्गत करमुक्त है।

3) विशिष्ट बियरर बाण्ड पर ब्याज धारा 5 (1) के अन्तर्गत करमुक्त है।

4) करमुक्त – पर ब्याज पर कटौती नही है क्योकि यह करयोग्य प्रतिभूति नही है।

5) चूँकि पूँजी निवेश का ब्याज करयुक्त है। अतः इसका क्रय के उद्देश्य से लिए गए ऋण का ब्याज कटौती योग्य नहीं है।

उदाहरण 8

सुश्री कुसुम ने गत वर्ष 2019–20 के लिए अपने निवेश निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया।

i) 7 % नगरपालिका ऋण पत्र 25,000 रू0

ii) 8 % गोवा राज्य सरकार ऋण 20,000 रू0

iii) 18 % करमुक्त कम्पनी के ऋण पत्र जो मान्यता प्राप्त स्टाक एक्चेज मे सूचीत है।

iv) 7 % भारत सरकार का पूँजी निवेश बाण्ड 15,000 रू0

ग्त वर्ष उन्होने प्राप्त किया।

1) केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियो पर ब्याज 4000 रू0
2) राज्य सरकार की प्रतिभूति पर ब्याज 3000 रू0
3) बैंक जमा पर ब्याज 1000 रू0
4) मित्र को ऋण देने पर ब्याज 2000 रू0 उनकी आय के अन्य स्रोतो पर आय की गणना किजिए।

v) 7% नगरपालिका पत्र 25,000 रू0

हलः

श्रीमती कुसुम की कर निर्धारण वर्ष 2020–21 हेतु अन्य स्त्रोतों से आय की गणना

		रू0
i)	नगर पालिका ऋण पत्र	1750
ii)	गोवा राज्य सरकार का ऋण	1600
iii)	सूचीकृत पर मुक्त ऋण पत्र $\left(\text{Rs.}3600 \times \frac{100}{90}\right)$	4000
iv)	7% पूँजी विनियोग बाण्ड	करमुक्त
v)	केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज	4000
vi)	राज्य सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज	3000
vii)	बैंक में जमा पर ब्याज	1000
viii)	मित्र को दिये गये ऋण पर ब्याज	2000
	अन्य स्त्रोतों से आय	**17350**

नोटः– कर मुक्त ऋण पत्र की गणना निम्न प्रकार दी गई है

20,000 X 18% = 3600

बोध प्रश्न ख

1) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

i) प्रतिभूति का आशय किसी ऋण के पावती प्रमाण पत्र से है जो ..... के रूप में केन्द्रीय या राज्य सरकार या स्थानीय सत्ता या एक कंपनी द्वारा निर्गमित किया जाता है।

ii) यदि करदाता ने नियमित रूप से किसी लेखा विधि का पालन न किया हो तो प्रतिभूतियों का ब्याज ..... के आधार पर करयोग्य होता है।

iii) प्रतिभूतियों पर ब्याज ..... अर्जित नहीं होता बल्कि एक निश्चित तिथि को देय होता है।

iv) यदि प्रतिभूतियाँ ब्याज की दो देय तिथियों के बीच में बेची जाती है तो देय तिथि पर मिला ब्याज..... की आय में शामिल किया जाता है।

v) दिखावटी लेन–देन ..... नहीं होते बल्कि ..... किए जाते हैं।

vi) किराये पर ली गयी सम्पत्ति को किराये पर उठाने से आय .....शीर्षक में कर योग्य है।

2) बताइए कि निम्न विवरण सत्य हैं या असत्य–

i) किसी विदेशी कम्पनी द्वारा निर्गमित ऋण पत्र पर ब्याज को प्रतिभूतियों पर ब्याज में शामिल नहीं किया जाता।

ii) यदि किसी प्रतिभूति को ब्याज की देय तिथि से पूर्व बेचा गया हो तो क्रेता केवल उस अवधि के ब्याज पर ही आयकर देने के लिए उत्तरदायी है जिस अवधि में प्रतिभूतियाँ उसके स्वामित्व में हों।

iii) प्रतिभूतियों पर ब्याज की करदेयता उस व्यक्ति की होती है जो ब्याज की देय तिथि पर प्रतिभूतियों का स्वामी होता है। इस सामान्य नियम का कोई अपवाद नहीं है।

iv) करदाता के लिए करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों तथा करमुक्त व्यापारिक प्रतिभूतियों में कोई अन्तर नहीं है।

v) करमुक्त व्यापारिक प्रतिभूतियों पर ब्याज को सकल बनाना आवश्यक है भले ही ब्याज की दर क्यों न दी गई हो।

vi) भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांश करमुक्त होता है।

vii) पेंशन वेतन से आय शीर्षक में कर योग्य होती है।

13.7 मशीनरी, प्लांट, अथवा फर्नीचर को किराये पर देने से आय (धारा 56 (2)(ii)) [INCOME FROM COMPOSITE LETTING OF MACHINERY, PLANT, FURNITURE AND BUILDING]

यदि करदाता द्वारा कोई मशीनरी, प्लाण्ट अथवा फर्नीचर किराये पर उठाया जाता है और इससे वह आय प्राप्त करता है और इससे वह आय प्राप्त करता है तो ऐसी आय ''अन्य स्त्रोतो से आय'' शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य होगी परन्तु यदि करदाता इन्हें किराये पर उठाने का व्यवसाय करता है तो इस दशा में यह आय व्यवसाय अथवा पेशे से आय शीर्षक में करयोग्य होगी।

13.8 मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर तथा भवन को संयुक्त रूप से किराये पर देने से आय (धारा 56 (2)(iii)) [INCOME FROM COMPOSITE LETTING OF MACHINERY, PLANT, FURNITURE AND BUILDING]

यदि करदाता द्वारा कोई मशीनरी, प्लाण्ट, फर्नीचर के साथ–साथ भवन को भी किराये पर उठाना पड़ता है क्योंकि इन्हें (मशीनरी, प्लाण्ट तथा फर्नीचर को) भवन से पृथक नहीं किया जा सकता तो किराये की इस आय को संयुक्त/मिश्रित किराया (Composite Rent) कहते है। संयुक्त किराये की आय अन्य स्त्रोतों से आय शीर्षक में कर योग्य होती है परन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार से इन सम्पत्तियों को किराये पर उठाने का करदाता का व्यवसाय नहीं होना चाहिये। यदि ऐसा करना करदाता का व्यवसाय हो तो प्राप्त किराया व्यापार एवं पेशे के लाभ शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य होगा। इसी प्रकार करदाता द्वारा फैक्टरी, सिनेटरी, सिनेमा हाल, रेस्टोरंट अथवा होटल आदि के व्यवसाय से प्राप्त आय व्यापार एवं पेशे के लाभ शीर्षक में कर योग्य होगी।

नियमों के अधीन, मशीनरी, प्लाण्ट, फर्नीचर तथा भवन से सम्बन्धित ह्रास चालू मरम्मत (Current Repair) बीमा व्यय तथा अन्य व्यय (जो पूँजीगत न हों) तथा जो पूर्णतः और केवल इस प्रकार की आय के अर्जन में किये गये हों, की कटौती स्वीकृत हो सकती है।

13.9 कर्मचारियों से प्राप्त अंशदान (धारा 56 (2)(IC)) [CONTRIBUTIONS RECEIVED FROM THE EMPLOYEES]

यदि कोई करदाता धारा 24 (x) के अन्तर्गत अपने कर्मचारियों से निम्न में से कोई राशि प्राप्त करता है तो ऐसी प्राप्त राशियों पर उसे अन्य स्त्रोतों से आय शीर्षक के अन्तर्गत कर देना होगाः

i) किसी भविष्य निधि में अंशदान

ii) अधिवर्षिता निधि (Superannuation fund) में अंशदान

iii) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अधीन स्थापित निधि में अंशदान

iv) कर्मचारियों के कल्याण हेतु अन्य किसी निधि में अंशदान

सेवायोजक द्वारा प्राप्त उपरोक्त अंशदान की राशियों उस समय तक उसकी मानी गई आय रहती है जब तक कि वह उस निधि में जमा न कर दी जाये जिसके अंशदान के रूप में उसे प्राप्त किया गया है। परन्तु जब सेवायोजक संग्रहीत अंशदान की राशि निर्धारित समय के अन्तर्गत सम्बन्धित निधि में जमा कर देता हे, तो वह इस राशि की कटौती हेतु अधिकृत हो जाता है। इस प्रकार अंशदान की राशि (सेवायोजक ''करदाता'' के लिये मानी गई आय) पहले उसकी कुल आय में 'अन्य स्त्रोतों से आय' शीर्षक के अन्तर्गत जोड़ी जाती है तथा जब यह राशि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित निधि में जमा कर दी जाती है तो इस राशि की कटौती स्वीकृत होती है।

13.10 प्रतिफल विहीन (बिना प्रतिफल के) प्राप्तियाँ [RECEIPTS WITHOUT CONSIDERATION]

यदि कोई करदाता गतवर्ष में बिना प्रतिफल धारा 56 (2) (x) के अन्तर्गत निम्न प्राप्तियाँ करता है तो यह प्राप्तियाँ करदाता के लिये 'अन्य स्त्रोतों से आय' शीर्षक में कर योग्य होंगी।

a) कोई भी धनराशि जो 50,000 रू0 से यदि अधिक है तो इस प्रकार प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि कर योग्य होगी।

b) ऐसी अचल सम्पत्ति जिसका स्टॉम्प ड्यूटी मूल्य (Stamp duty value) 50,000 रू0 से अधिक हो तो स्टाम्प ड्यूटी मूल्य की सम्पूर्ण राशि प्राप्तकर्ता की कर योग्य आय मानी जायेगी।

c) यदि अचल सम्पत्ति को प्रतिफल देकर प्राप्त किया गया है और यदि उस सम्पत्ति का स्टाम्प ड्यूटी मूल्य प्रतिफल से अधिक है तथा ऐसी आधिक्य की राशि (a) 50,000 रू0 तथा (b) प्रतिफल के 5% के बराबर की राशि (जो दोनों में से अधिक हो) से अधिक है तो स्टाम्प ड्यूटी मूल्य तथा प्रतिफल की राशि के अन्तर की रकम सम्पत्ति प्राप्तकर्ता की आय मानी जायेगी।

d) यदि अचल सम्पत्ति के अतिरिक्त किसी अन्य सम्पत्ति के बिना प्रतिफल के उपहार की दशा में यदि प्राप्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 50,000 रू0 से अधिक है तो सम्पत्ति का सम्पूर्ण उचित बाजार मूल्य प्राप्तकर्ता की आय में जोड़ा जायेगा तथा उस पर लगाया जायेगा।

e) प्रतिफल के बदले में अचल सम्पत्ति के अतिरिक्त अन्य सम्पत्तियों के उपहार की दशा में यदि सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य तथा प्रतिफल के अन्तर की राशि 50,000 रू0 से अधिक है तो अन्तर की सम्पूर्ण राशि प्राप्तकर्ता की करयोग्य आय मानी जायेगी।

धारा 56 (2) (x) के प्रावधान निम्न दशाओं में नहीं लागू (प्रभावी) होंगे (धारा 56 (2) (x) के अपवाद)

i) कुछ शर्तो के अधीन रिश्तेदारों से प्राप्त कोई भी राशि।

ii) किसी व्यक्ति के विवाह के अवसर पर प्राप्त कोई भी राशि।

iii) उत्तराधिकार अथवा वसीयत के अन्तर्गत प्राप्त कोई राशि।

iv) भुगतानकर्ता अथवा दानदाता की मृत्यु की आशंका में प्राप्त कोई राशि

v) किसी भी स्थानीय सत्ता से प्राप्त कोई भी राशि।

vi) आयकर अधिनियम के प्रावधानों में सन्दर्भित किसी कोष/संस्था/विश्वविद्यालय/अन्य शैक्षिक संस्था/अस्पताल अथवा अन्य चिकित्सीय संस्था से प्राप्त कोई राशि।

vii) धारा 10 (23) (c) में सन्दर्भित अथवा धारा 12 AA में पंजीकृत किसी संस्था अथवा ट्रस्ट से प्राप्त राशि।

viii) धारा 47 के अन्तर्गत हस्तान्तरण न माने जाने वाले व्यवहारों के अन्तर्गत प्राप्त कोई राशि अथवा सम्पत्ति।

ix) एक व्यक्ति से अथवा उसके द्वारा अपने रिश्तेदारों के हित के लिए निर्मित ट्रस्ट से प्राप्त काई राशि अथवा सम्पत्ति।

x) कोई सम्पति 01–04–2017 से पहले प्राप्त की हो।

13.11 एक मृतक कर्मचारी के वैधानिक उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त पारिवारिक पेंशन [FAMILY PENSION RECEIVED BY THE LEGAL HEIRS OF A DECEASED EMPLOYEE]

एक मृतक कर्मचारी के वैधानिक उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त पारिवारिक पेंशन 'अन्य स्त्रोतों से आय' शीर्षक के अर्न्तगत कर योग्य होगी। पारिवारिक पेंशन से आशय सेवायोजक द्वारा अपने कर्मचारी की मृत्यु की दशा में, मृतक कर्मचारी के वैधानिक उत्तराधिकारी (पारिवारिक सदस्य) को मासिक नियमित रूप से देय होती है। धारा 57 (ii a) के अनुसार इस पेंशन राशि पर वैधानिक उत्तराधिकारी को 33 $^{1}/_{3}$% अथवा 15,000 रू0 (जो दोनों में कम हो) की मानक कटौती दी जायेगी।

यदि कर्मचारी की सेवारत रहते हुये मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में उसकी पत्नी (विधवा) को राजकीय उपक्रमों/स्थानयी सत्ता/राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा दी गयी एक मुश्त राशि प्राप्तकर्ता के लिये कर योग्य नहीं होगी।

सेवारत रहते हुये यदि कर्मचारी की मृत्यु होती है तो मृतक की पत्नी अथवा अन्य किसी वैधानिक उत्तराधिकारी को कोई अनुकम्पा राशि अथवा क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है तो वह आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कर योग्य नहीं होती है।

13.12 एक फर्म अथवा कम्पनी द्वारा अंशों की प्राप्ति [RECEIPT OF SHARES BY A FIRM OR A COMPANY]

निम्न शर्तो के पूरा होने पर, धारा [56 (2) (VII A)] के प्रावधान एक फर्म अथवा एकाधिकारवत् कम्पनी (Closely held company) को एक एकाधिकारवत् कम्पनी में प्राप्त अंशों पर प्रभावी (लागू) होंगे:

1) प्राप्तकर्ता एक फर्म अथवा एकाधिकारवत् कम्पनी (Closely held company) होनी चाहिये।

2) एकाधिकारवत् कम्पनी से ऐसे अंशों को 10 जून 2010 के पश्चात परन्तु 1 अप्रैल 2017 से पूर्व बिना प्रतिफल अथवा अपर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त किया गया हो।

3) **यह प्रावधान उस स्थिति में लागू नहीं होंगे जहाँ ऐसी प्राप्त सम्पत्ति हस्तान्तरण नहीं मानी जाती है।**

यदि उपरोक्त शर्तों की पूर्ति होती है तो ऐसे प्राप्त अंशों का मूल्य प्राप्तकर्ता (फर्म अथवा एकाधिकारवत् कम्पनी) के लिये निम्न प्रकार से करयोग्य होगाः

a) यदि बिना प्रतिफल के इस प्रकार प्राप्त अंशों का कुल बाजार मूल्य गतवर्ष में 50,000 रू0 से अधिक नहीं है तो प्राप्तकर्ता पर कोई कर नहीं लगेगा।

b) यदि इस प्रकार बिना प्रतिफल के प्राप्त अंशों का कुल बाजार मूल्य गतवर्ष में 50,000 रू0 से अधिक है तो कुल बाजार मूल्य प्राप्तकर्ता के लिये कर योग्य होगा।

c) यदि अंशों को उचित बाजार मूल्य से कम प्रतिफल पर प्राप्त किया गया है और कुल अन्तर 50,000 रू0 से अधिक नहीं है तो प्राप्तकर्ता पर कोई कर नहीं लगेगा। परन्तु जहाँ कुल अन्तर 50,000 रू0 से अधिक है तो कुल बाजार मूल्य में से कुल प्रतिफल को घटाकर प्राप्त राशि पर, प्राप्तकर्ता द्वारा कर दिया जायेगा।

13.13 अंश प्रीमियम का उचित बाजार मूल्य पर अधिक्य धारा 56 (2) (VIIb) [SHARE PREMIUM IN EXCESS OF FAIR MARKET VALUE]

यदि निम्न शर्ते पूरी होती है तो, अंशों पर प्राप्त प्रतिफल का उन्हीं अंशों के उचित बाजार मूल्य पर आधिक्य धारा [56 (2) (vii b)] के अन्तर्गत प्राप्तकर्ता कम्पनी हेतु 'अन्य स्त्रोतों से आय' शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य होगा।

शर्तेः

i) प्राप्तकर्ता कम्पनी एक एकाधिकारवत् (Widely held) कम्पनी नहीं होनी चाहिये।

ii) इसके द्वारा भारत में निवासी व्यक्ति से समता अंशों अथवा पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन पर प्रतिफल प्राप्त किया गया हो।

iii) अंशों को अधिमूल्य (Premium) (प्राप्त प्रतिफल–सम मूल्य) (consideration face value) पर निर्गत होना चाहिये।

कर दायित्व के उपरोक्त प्रावधान उस दशा में नहीं लागू होंगे यदि अंशों के निर्गमन का प्रतिफल निम्न से प्राप्त किया होः

a) एक जोखिम पूँजी उपक्रम द्वारा एक जोखिक पूँजी कम्पनी से अथवा जोखिम पूँजी निधि (Venture Capital Found) से प्राप्त प्रतिफल

b) एक कम्पनी द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकसूचित किन्हीं व्यक्ति समूह अथवा व्यक्तियों के समूहों से प्राप्त प्रतिफल। उचित बाजार मूल्य निम्न में से जो अधिक होगा वह माना जायेगाः

   i) निर्धारित (Prescribed) विधि द्वारा मूल्य का निर्धारण।

   ii) वह मूल्य जो कम्पनी द्वारा अदृश्य सम्पत्तियों जैसे ख्याति, ज्ञान (Know-how), पेटेन्ट, कापीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेन्चाइजी और इसी प्रकार के

अन्य व्यवसायिक अधिकारों के आधार पर आयकर अधिकारी संतुष्टि हेतु सिद्ध किया जा सके।

13.14 क्षतिपूर्ति अथवा बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति पर ब्याज (धारा 56 (2)) (viii) [INTEREST ON COMPENSATION OR ON ENHANCED COMPENSATION]

करदाता को प्राप्त क्षतिपूर्ति की रकम अथवा प्राप्त बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति की रकम पर मिलने वाला ब्याज अन्य स्त्रोतों से आय शीर्षक में सम्मलित किया जायेगा। धारा 57 (iv) के प्रावधानों के अनुसार इस ब्याज की रकम को उस वर्ष की आय माना जायेगा जिस वर्ष यह प्राप्त हुई हो तथा प्राप्त ब्याज के 50% की कटौती स्वीकृत होगी परन्तु आय कोई कटौती स्वीकृत नहीं होगी।

13.15 मानी गयी आयों पर कर देयता (धारा 59) [DEEMED INCOME CHARGEABLE TO TAX]

धारा 59 के अनुसार, अधिनियम की धारा 41 (i) के प्रावधान अन्य स्त्रोतों से आय शीर्षक की आय पर उसी प्रकार प्रभावी (लागू) होंगे जैसे वे व्यापार अथवा पेशे से आय शीर्षक को आय पर प्रभावी होते है। यदि किसी कर निर्धारण वर्ष में अन्य स्त्रोतों से आय शीर्षक की आय से किसी वर्ष के लिये यदि हानि, व्यय अथवा व्यापारिक दायित्व के लिये कोई कटौती करदाता द्वारा की गयी हो परन्तु बाद के किसी गतवर्ष में नकद अथवा अन्य किसी प्रकार से कोई राशि प्राप्त होती है अथवा दायित्व में कोई छूट मिलती है तो प्राप्त राशि अथवा लाभ के मूल्य को अन्य स्त्रोतों से आय शीर्षक मे हो जायेगा और उस गतवर्ष की आय माना जायेगा जिसमें राशि प्राप्त हुई हो।

13.16 विविध उदाहरण (MISCELLANEOUS ILLUSTRATIONS)

Format for Computing Taxable Income from Other Sources

S.No.	Particulars	Amount
1.	Dividend	—
2.	Interest on securities	—
3.	Bank interest on fixed deposits	—
4.	Casual Income(Winnings from lottery, cards game, tips received etc)	—
5.	Income from family pension	—
6.	Composite rent	—
7.	Income from subletting	—
8.	Director's fees or commission	—
9.	Salaries received by member of parliament or MLA or MLC	—
10.	Rent from Land	—

11.	Examination fees received by a teacher (not from the employer)	—
12.	Interest on employee's contribution to an URPF	—
13.	Interest on employee's contribution to an URPF	—
14.	Remuneration received for writing articles in Journal/Magazine	—
15.	Rental income from machinery, plant or furniture	—
16.	Gifts	—
17.	Insurance Commission	—
18.	Deemed Incomes	—
19.	Mining rent/Royalties/Ground rent	—
20.	Withdrawal from National Saving Schemes	—
21.	Agricultural income from a place outside India	—
22.	Other Incomes, if any (to be specified) Less: Exemption u/s 57	—
23.	Any expenditure incurred wholly for the purpose of earning the income is deductible provided such expenditure is neither of capital nature nor of personal nature.	—
	Taxable Income from Other Sources	—

उदाहरण 9

श्री मिस्टर A गत वर्ष 2019–20 की अपनी आय का निम्न विवरण प्रस्तुत करता है। उसकी कर निर्धारण वर्ष 2020–21 हेतु सकल आय की गणना कीजिये।

		रू0
i)	समता अंशों पर लाभांश	600
ii)	पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश (सकल)	3200
iii)	एक मिश्रित पट्टे पर किराये पर उठाये गये भवन तथा मशीन से आय	27,000
iv)	बैंक जमा पर ब्याज	12,500
v)	संचालकों की बैठक में भाग लेने की फीस प्राप्त की	1200
vi)	भूमि किराया	600
vii)	अदृश्य साधनों से आय	10,000
viii)	लॉटरी का इनाम प्राप्त किया (शुद्ध)	14,000
	वह निम्न कटौतियों की मांग करता है:	
	(a) लाभांश संग्रह करने के व्यय	20
	(b) भवन तथा मशीन पर स्वीकृत ह्रास	4000
	(c) भवन तथा मशीन का अग्नि बीमा	100

हलः

श्री मिस्टर A की सकल आय की गणना *(कर निर्धारण वर्ष 2020–21)*

	विवरण	रू.	रू.
1.	समता अंशों पर लाभांश		कर मुक्त
2.	पूर्वाधिकारी अंशों पर लाभांश		कर मुक्त
3.	एक मिश्रित पट्टे पर किराये पर उठाये गये भवन एवं मशीन से आय		27,000
4.	बैंक जमा पर ब्याज (12,500 – 10,000)		2,500
5.	डाइरेक्टर फीस		1,200
6.	भूमि (किराया)		600
7.	अघोषित स्त्रोत से आय		10,000
8.	लाटरी जीत से प्राप्ति (सकल 14,000×100÷70)		20,000
			61,300
	घटाइयेः भवन एवं मशीनरी पर ह्रास	4,000	
	भवन एवं मशीनरी का अग्नि बीमा संग्रह व्यय	100	
	संग्रह व्यय (घटाया नहीं जायेगा)	—	4,100
	आय के अन्य स्त्रोतों से सकल आय		**57,200**

उदाहरण 10

श्री शंकरलाल की आय का विवरण निम्नांकित प्रकार हैः

i) इन्होंने 1,000 रू0 प्रति माह पर एक मकान किराये पर लिया एवं इसे पुनः 1,600 रू0 प्रति माह किराये पर उठा दिया। इसके अतिरिक्त उनके निजी स्वामित्व के मकान से भी 5,000 रू0 किराया प्राप्त हुआ।

ii) एक भारतीय कम्पनी से लाभांश 4,000 रू0 सकल।

iii) सट्टे के व्यापार से लाभ 6,000 रू0 एवं किक्रेट के सट्टे (जुए) से आय 500 रू0।

iv) श्री लका में स्थित कृषि भूमि से आय 10,000 रू0, यह आय भारत में नहीं लाई गई। कानपुर में स्थित कृषि भूमि से आय 18,000 रू0।

v) विधानसभा सदस्य के रूप में वेतन 30,000 रू0 एवं दैनिक भत्ते 4,000 रू0।

vi) हिन्दू अविभाजित परिवार की आय में हिस्सा 8,500 रू0।

vii) सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश 6,000 रू0।

श्री शंकरलाल की आय के अन्य स्रोतो से आय ज्ञात कीजिए।

हल:

श्री शंकरलाल के आय के अन्य स्त्रोतों की गणना

1.	शिकमी किराये की आय	रू0	रू0
	प्राप्त किराया	19,200	
	घटाइये: किराये का भुगतान	12,000	7,200
2.	भारतीय कम्पनी से लाभांश		कर मुक्त
3.	क्रिकेट के जुए से आय		500
4.	श्री लकां की कृषि भूमि से आय		10,000
5.	कानपुर की कृषि भूमि से आय		कर मुक्त
6.	विधायकी वेतन (दैनिक भत्ता कर मुक्त)		30,000
7.	सहकारी समिति से लाभांश		6,000
	अन्य स्त्रोतों से आय		53,700

नोट :

(1) विदेशो से कृषि भूमि की आय भारत मे कर योग्य होगी।

उदाहरण 11

31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में श्री के विनियोग निम्न थे:

		रू
(i)	7% सरकारी प्रतिभूतियाँ	25,000
(ii)	8% आगरा म्युनिसिपल बॉण्ड	15,000
(iii)	9% मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट बॉण्ड	20,000
(iv)	7- वर्षीय डाकखाना नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट	10,000
(v)	7% सरकारी बॉण्ड	18,000
(vi)	7% नेशनल प्लान सर्टिफिकेट	5,000
(vii)	6% विदेशी सरकार की प्रतिभूतियाँ	15,000

उसने प्रतिभूतियों पर कर–योग्य ब्याज को संगृहीत करने के लिए 60 रू0 कमीशन का भुगतान किया। मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट बॉण्ड को क्रय करने के लिए गए ऋण पर उसने 1,200 रू0 ब्याज के चुकाए। श्री P के कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए आय के अन्य स्रोतो से आय ज्ञात करे।

हल:

श्री P के अन्य स्त्रोतों से आय शीर्षक के अन्तर्गत आय की गणना *(कर निर्धारण वर्ष 2020–21)*

विवरण			रू.
(i) 7% सरकारी प्रतिभूतियाँ			1,750
(ii) 8% आगरा म्यूनिसिपल बॉण्ड			1,200
(iii) 9% मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट बॉण्ड			1,800
(iv) 7- वर्षीय डाकखाना नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट			कर मुक्त
(v) 7% सरकारी बॉण्ड			1,260
(vi) 7% नेशनल प्लान सर्टिफिकेट (धारा 10 (15) के अन्तर्गत)			कर मुक्त
(vii) 6% विदेशी सरकार की प्रतिभूतियाँ			900
			6,910
घटाइये: संग्रहण व्यय	60		
ऋण पर ब्याज	1,200		1,260
अन्य स्रोतो से आय			5,650

उदाहरण 12

श्री विवेक लखनऊ से एक संसद सदस्य हैं। गत वर्ष 2019–20 के लिए श्री विवेक की आय का विवरण निम्न है–

i) संसद सदस्य के रूप में 10,000 रू0 प्रतिमाह वेतन तथा विभिन्न सत्रों में उपस्थिति होने पर दैनिक भत्ता 7,000 रू0 है।

ii) श्री विवेक के विनियोग निम्नलिखित हैं–

a) दौराला चीनी मिल के 6,000 रू0 के 10 प्रतिशत पूर्वाधिकार अंश।

b) डी0सी0एम0 लिमिटेड के प्रत्येक 10 रू0 के 2,000 साधारण अंश। कंपनी ने 15 फरवरी 2019 को 10 प्रतिशत अंतरिम लाभांश की घोषणा की जबकि भुगतान 1 मई, 2019 को हुआ। इन्हीं अंशों पर 31 मार्च 2019 को 10% अंतिम लाभांश की घोषणा कंपनी द्वारा की गयी।

c) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लखनऊ में 15,000 रू0 का सावधि जमा जिस पर 10% ब्याज वर्ष के अंत में लगाया जाता है।

iii) वर्ग पहेली से जीत की आय 10,000 रू0

iv) 1 सितम्बर, 2019 को उसने जमीन का एक हिस्सा अपने लिए मकान का निर्माण करने के लिए क्रय किया। कोष (Funds) कम होने की वजह से वह अपने मकान

का निर्माण नहीं कर सका और उसने जमीन का यह हिस्सा 1 नवम्बर, 2019 से 200 रू0 प्रतिमाह किराये पर दे दिया।

v) भवन, फर्नीचर तथा मशीन को संयुक्त किराये 6,000 रू0 प्रतिमाह पर श्री पूनीत को किराये पर उठा दिया गया जिस पर गत वर्ष में 2,000 रू0 मरम्मत के रूप में व्यय किया गया तथा फर्नीचर व भवन के स्वीकृत ह्रास की राशि 12,000 रू0।

vi) लाभांश को एकत्रित करने से संबंध का कमीशन 25 रू0।

श्री विवेक की अन्य ''स्रोतों से आय'' शीर्षक के कर योग्य राशि की गणना कीजिए।

हलः

श्री विवके की अन्य स्त्रोतों से आय शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य आय की गणना *(कर निर्धारण वर्ष 2020–21)*

	विवरण	रु.	रू0
1.	सांसद के रूप में वेतन (10,000×12)		1,20,000
2.	पूर्वाधिकारी अंशों पर लाभांश		करमुक्त
3.	समता अंशों पर लाभांश		करमुक्त
4.	स्थायी जमा पर ब्याज		1,500
5.	क्रासवर्ड पहेली की जीत		10,000
6.	भूमि किराया (5 माह का)		1,000
7.	मशीनरी फर्नीचर एवं भवन से किराये की आय 72,000		
	घटाइयेः मरम्मत व्यय	2,000	
	ह्रास	12,000	58,000
			1,90,500
	घटाइये बैंक कमीशन	25	
	अन्य स्त्रोतों से आय रू0		190,475

टिप्पणीः

i) धारा 10 (17) के अन्तर्गत किसी संसद सदस्य को संसद सत्र के दौरान दिया गया दैनिक भत्ता करमुक्त होता है।

ii) भारतीय कम्पनी से लाभांश से मुक्त है।

उदाहरण 13

डॉ0 कोमल प्रसाद अर्थशास्त्र के प्राध्यापक तथा भारतीय निवासी हैं। कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए उनकी ''अन्य साधनो से आय'' का विवरण निम्न है–

1) वे अर्थशास्त्र की पुस्तक के लेखक हैं, जिससे उन्हें, 50,000 रू0 रायल्टी के रूप में प्राप्त हुआ। इस सम्बन्ध में उनके व्ययों का विवरण निम्न है–

a) क्लर्क का वेतन 500 रू0 प्रतिमाह जो उनकी पुस्तक के लिए आँकड़े एकत्रित करता है तथा प्रूफ पढ़ता है।

b) पुस्तक लेखन के सम्बन्ध में क्रय की गई पुस्तकों की लागत 1,000 रू0

c) पुस्तक प्रकाशन तथा वितरण के सम्बन्ध में टेलीफोन का व्यय 1,800 रू0

2) पत्रिकओं (इनकम टैक्सेसन एंव ट्रैक्समैन) में लेख देने से प्राप्त आय 4,000 रू0

3) वे किराए के मकान में रहते हैं जो बहुत बड़ा है। अतः उन्होंने भवन का एक तिहाई भाग 350 रू0 प्रतिमाह किराए पर उठा दिया है। पूरे मकान का किराया 600 रू0 प्रतिमाह है तथा डॉ0 कोमल ने इस सम्बन्ध में 600 रू0 स्थानीय कर तथा 900 रू0 मरम्मत व्यय किया है।

4) डॉ0 कोमल को किसी अन्य संस्था में व्याख्यान देने पर 1000 रू0 प्रति व्याख्यान की दर से 20 व्याख्यान का पारिश्रमिक मिला है।

5) अन्य विश्वविद्यालयों में परीक्षक के रूप में कार्य करने का पारिश्रमिक 3,000 रू0।

6) डॉ0 कोमल की अन्य आय निम्न है–

i) ताश के पत्तों के खेल से जीत 8,000 रू0

ii) सरकारी प्रतिभूति (यू0 के सरकार से) पर ब्याज 1,500 रू0

iii) जनता की सारवान हित वाली कंपनी से प्राप्त लाभांश 2500 रू0 जो रेखांकित एकाउंटपेयी चेक से प्राप्त हुआ।

हलः

S/O कोमल प्रसाद की आय अन्य स्त्रोतों से आय शीर्षक के अन्तर्गत आय की गणना *(कर निर्धारण वर्ष 2020–21)*

	विवरण		रु.	रु.
1.	रायल्टी से आय		50,000	
	घटाइयेः किये गये व्ययः			
	a) लिपिक का वेतन	6,000		
	b) क्रय की गई पुस्तकों की लागत	1,000		
	c) टेलीफोन व्यय	1,800	8,800	41,200
2.	शोध पत्र प्रकाशन से आय			4,000
3.	प्राप्त किराया (3500x12)	4,200		
	1/3 भाग का भुगतान किया गया किराया	2,400	1,800	
	घटाइये अनुपातिक व्ययः			
	1/3 नगर पालिका कर	200		
	1/3 मरम्मत	300	500	1,300
4.	व्याख्यानों से आय			20,000

5.	परीक्षण के रूप में आय		3,000
6.	विदेशी सरकार की प्रतिभूतियों से आय		1,500
7.	ताश के खेल से आय		8,000
8.	लाभांश		कर मुक्त
	अन्य स्त्रोतों से आय		**79,000**

नोटः रायेलटी की आय पर कटौती नहीं प्राप्त होगी।

उदाहरण 14

गत वर्ष 2019–20 के लिए श्रीमती प्रीति अपनी आय का निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करती हैं–

	विवरण	**रू0**
i)	समता अंशों पर लाभांश	6,00
ii)	पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश (सकल)	3,000
iii)	संयुक्त किराये के अन्तर्गत भवन और मशीन को किराये पर देने से आय	25,000
iv)	बैंक जमा से ब्याज (सावधि जमा)	14,000
v)	संचालक बैठक शुल्क	2,000
vi)	भूमि किराया	1,000
vii)	अदृश्य साधनों से आय	15,000
viii)	लॉटरी से जीत (सकल)	10,000

इसके द्वारा निम्नलिखित कटौतियों की मांग की गयी

a)	लाभांश संग्रह करने के व्यय	50
b)	भवन तथा मशीन पर स्वीकृत ह्रास	5,000
c)	भवन तथा मशीन का अग्नि बीमा	500

हलः

श्रीमती प्रीति की सकल आय की गणना *(कर निर्धारण वर्ष 2020–21)*

	विवरण	**रू.**	**रू.**
i)	समता अंशों पर लाभांश –	-	कर मुक्त
ii)	पूर्वाधिकारी अंशों पर लाभांश	-	कर मुक्त
iii)	मशीन एवं भवन के किराये से आय	25,000	
	घटाइये 1. भवन एवं मशीनरी पर ह्रास	5,000	
	2. भवन एवं मशीनरी पर अग्नि बीमा	500	19,500
iv)	बैंक में जमा पर ब्याज		4,000

v)	डाइरेक्टर बैठक फीस		2,000
vi)	भूमि किराया		1,000
vii)	अप्रकट स्त्रोतों से आय		15,000
viii)	लाटरी की जीत की आय		10,000
	सकल कुल आय		**51,500**

नोटः सवाधि जमा के ब्याज पर 10,000 रू0 तक कर मुक्त होता है।

उदाहरण 15

a) श्री X की सम्पत्ति वर्ष 2015 में अनिवार्य रूप से अधिग्रहित की गयी और 10.12. 19 को वृद्धि सहित 8,00,000 रू0 की बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई। इस राशि में वृद्धि बढ़ी हुई राशि पर 2,00,000 रू0 का ब्याज सम्मलित है। इस क्षतिपूर्ति की क्या कर देयता होगी?

b) श्री P ने 04.06.2019 को एक बैंक से 48,000 रू0 का ऋण 10% वार्षिक ब्याज पर उधार लिया तथा इस राशि को एक विदेशी कम्पनी के अंशों में विनियोजित कर दिया। गत वर्ष में कम्पनी से कोई लाभांश प्राप्त नहीं हुआ यद्यपि P द्वारा भुगतान किये गये ब्याज की राशि की उसके द्वारा कटौती की मांग की गयी। क्या उसकी माँग उचित है?

हलः (a)

i) बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति (8,00,000 रू0 – 2,00,000 रू0) = 6,00,000 रू0 पूँजी आय शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य होगी।

ii) बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति पर ब्याज अन्य स्त्रोतों से आय शीर्षक में कर योग्य हैः

	रू0
बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति पर ब्याज	2,00,000
घटाइयेः कटौती की 50% दर से	1,00,000
कर योग्य ब्याज	1,00,000

b) लोन भले ही अंशों से कोई भी आय अथवा लाभांश न अर्जित हुआ हो तो भी अंश क्रय हेतु लिय गये ऋण पर ब्याज कटौती योग्य होगा।

उदाहरण 16

श्री प्रसून ने निम्न विनियोग किये। उसकी अन्य स्त्रोतों से आय शीर्षक के अन्तर्गत आय की गणना कीजिये। इस आय पर स्त्रोत पर कर की कटौती (T.D.S.) को भी बताइये।

a) 01.01.2020 को I.D.B.I. के 2500, 12% ऋण पत्र क्रय किये प्रत्येक वर्ष ब्याज की देय तिथि 31 मार्च है। ऋण पत्रों का निर्गमन मूल्य 100 रू0 है।

b) 01.07.2019 को 200, 12% I.D.B.I. के ऋण पत्र (अंकित मूल्य 1000 रू0) बाजार से 1050 रू0 की दर से क्रय किये। ब्याज की देय तिथि प्रतिवर्ष 31 मार्च है तथा ऋण पत्र 2013 में निर्गत हुये थे।

c) 31.10.2019 को स्टाक एक्सचेन्ज में सूचीबद्ध R.P. Ltd. के 300, 14% ऋण पत्र प्रत्येक 100 की दर से दलाल से क्रय किये। ब्याज की देय तिथियों प्रत्येक वर्ष 30 जून एवं 31 दिसम्बर है।

d) A.M. Ltd. के प्रत्यक्ष अभिदान द्वारा 100, 12% ऋण पत्र प्रत्येक 100 रू0 की दर से क्रय किये ं निर्गमन की तिथि 31.10.2019 है। ब्याज प्रत्येक वर्ष 30 जून एवं 31 दिसम्बर को देय होता है।

e) 15.06.2019 को बाजार से 60 रू0 प्रति अंश की दर से T.P. Ltd. के 1000 अंश (अंकित मूल्य 10 रू0) क्रय किये। कम्पनी ने 30.09.2019 को 20% की दर से लाभांश घोषित किया।

हलः

श्री प्रसून अन्य स्त्रोतों से आय की गणना *(कर निर्धारण वर्ष 2020–21)*

	विवरण	उद्गम से कर की कटौती TDS. (रू0)	आय (रू0)
(a)	प्रत्यक्ष रूप से क्रय किये गये I.D.B.I. के 12% ऋण पत्रों पर 3 माह का ब्याज	750	7,500
(b)	बाजार से क्रय किये गये I.D.B.I. के 12% ऋण पत्रों पर ब्याज	2400	24,000
(c)	R.P. Ltd. के ऋणपत्रों पर 6 माह का ब्याज	शून्य	2,100
(d)	A.M. Ltd. के 12% ऋणपत्रों पर ब्याज	शून्य	200
(e)	T.P. Ltd. से लाभांश	शून्य	करमुक्त
	अन्य स्त्रोतों से कुल आय i) **घरेलू कम्पनी से प्राप्त लाभाशं करमुक्त है**		**33,800**

13.17 सारांश

ऐसी आय जो करदाता की कुल आय में तो शामिल की जाती है परन्तु आय के किसी अन्य शीर्षक के अन्तर्गत नहीं आती, उसे ''अन्य स्त्रोतों से आय'' शीर्षक के अन्तर्गत रखा जाता है। एसी आय में लाभांश, लाटरी की जीत, वर्ग पहेली, घुड़दौड़ तथा ताश व जुए के खेल से जीती गई राशि शामिल होती है। इसके अतिरिक्त इसमें प्रतिभूतियों पर ब्याज, तथा मशीन, प्लांट व फर्नीचर के किराए से आय को भी शामिल किया जाता है बशर्ते इन आयों को व्यापार की आय के रूप में करयोग्य न किया जाये।

लाभांश तथा प्रतिभूतियों पर ब्याज की आय से ऐसी आय को एकत्रित करने के सम्बन्ध में बैंक या किसी व्यक्ति को दिया गया कमीशन घटा दिया जाता है तथा भवन के साथ किराए पर उठाए गए फर्नीचर मशीन व प्लान्ट की आय से मरम्मत व्यय, बीमा प्रीमियम तथा ह्रास की राशि घटा दी जाती है।

किसी मृत कर्मचारी की विधवा या उत्तराधिकारियों को मिलने वाली परिवार पेंशन की राशि से ऐसी आय का 33.3% या 15,000 रू0 (दोनों में से जो कम हो) कटौती के रूप में स्वीकृत होता है।

इसके अतिरिक्त इस शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य आयों के सम्बन्ध में पूर्णतया तथा विशिष्टतया किए गए आयगत व्ययों को भी कटौती के रूप में घटा दिया जाता है।

लाभांश दो प्रकार के होते हैं, प्रथम अंतिम लाभाश तथा द्वितीय अंतरिम लाभांश। अंतिम लाभांश उस गत वर्ष की आय माना जाता है जिसमें उसका कम्पनी द्वारा भुगतान किया जाता है। लाभांश की सकल राशि करयोग्य होती है।

अतः कम्पनी द्वारा उद्‌गम पर काटा गया आयकर शुद्ध लाभांश या प्राप्त लाभांश में जोड़ दिया जाता है। परन्तु कम्पनी द्वारा लाभांश से काटी हुई आयकर की राशि को करदाता द्वारा देय आयकर की राशि से घटा दिया जाता है। लाटरी से जीत, वर्ग पहेली इत्यादि से आय आकस्मिक आय की प्रकृति की होती है। तथा ''अन्य स्रोतों से आय'' शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य होती है।

''प्रतिभूतियों पर ब्याज'' का तात्पर्य केन्द्रीय तथा राज्य सरकार, स्थानीय सत्ता, कंपनी तथा किसी वैधानिक निगम द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियों पर ब्याज से है। ऐसे ब्याज ''अन्य स्रोतों से आय'' शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य होते हैं। प्रतिभूति पर ब्याज दिन प्रतिदिन की दर से अर्जित नहीं होता बल्कि निश्चित तिथि पर देय होता है। प्रतिभूतियाँ सरकारी तथा व्यापारिक दो प्रकार की होती हैं तथा इन्हें करमुक्त तथा करयुक्त दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। करमुक्त व्यापारिक प्रतिभूतियाँ वास्तव में करमुक्त इसलिए होती हैं क्योंकि निवेशकर्ता को ब्याज की रकम बिना आयकर कटौती के दे दी जाती है और आयकर का भुतान निवेशकर्ता की ओर से कम्पनी करती है। लाभांश की भांति कुल आय में शामिल करने से पूर्व ब्याज की राशि को भी सकल बनाया जाता है। प्रतिभूतियों पर ब्याज में से ऐसे ब्याज को एकत्रित करने का बैंक कमीशन तथा ऐसे निवेश के सम्बन्ध में लिए गए ऋण का ब्याज घटा दिया जाता है।

13.18 शब्दावली

दिखावटी लेन–देन (Bond washing Transactions): यदि किसी प्रतिभूति को ब्याज देय होने के कुछ दिन पूर्व किसी सम्बन्धी या मित्र को बेच दिया जाता है तथा देय तिथि के बाद पुनः क्रय कर लिया जाता है तो उसे दिखावटी लेन–देन कहते हैं जो कर बचाने के उद्‌देश्य से किया जाता है।

लाभांशः (Dividends): कम्पनी द्वारा एकत्रित लाभों का अंशधारियों में वितरण जिससे कम्पनी की सम्पत्ति घट जाती है या दायित्व बढ़ जाता है या कम्पनी के समापन पर अंशधारियों में वितरण या कम्पनी की पूँजी कम करके अंशधारियों में वितरण लाभांश कहलाता है।

प्रतिभूमि पर ब्याजः (Security) प्रतिभूति पर ब्याज से आशय केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सत्ता अथवा किसी कम्पनी द्वारा निर्गमित ऋणपत्रों एवं बाण्ड इत्यादि से होता है। इन पर छमाही या वार्षिक ब्याज दिया जाता है।

करमुक्त व्यापारिक प्रतिभूतिया (Tax-free commerical securities): ऐसी प्रतिभूतियाँ कम्पनी द्वारा या अन्य व्यापारिक संस्थाओं द्वारा निर्गमित की जाती है। ऐसी प्रतिभूतियाँ वास्तव में आयकर से मुक्त नहीं होती बल्कि आयकर का भुगतान निवेशकर्ता की ओर से कम्पनी द्वारा किया जाता है और निवेशकर्ता को पूरा देय ब्याज भुगतान कर दिया जाता है।

13.19 बोध प्रश्नों के उत्तर

क) 1) i) सत्य; ii) असत्य; iii) असत्य; iv) सत्य.

2) i) आकस्मिक, अन्य स्रोतों से आय

ii) 30% iii) कटौती नहीं दी जाती, iv) करमुक्त

ख) 1) i) ऋण पत्र बाण्ड इत्यादि ii) देय; iii) दिन प्रतिदिन अर्जित

iv) पूरा, क्रेता; v) वास्तविक, कर बचाने के लिए;
vi) अन्य स्रोत

2) i) असत्य, ii) असत्य, iii) असत्य, iv) असत्य, v) सत्य, vi) सत्य, vii) सत्य

13.20 स्वपरख प्रश्न/अभ्यास

स्वपरख प्रश्न

1) भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार 'लाभाश' शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित करे और लांभाश सम्बम्धी बिन्दु जो की आयकर के नियमो के अनुसार है को बताये।

2) विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियो की चर्चा करे। करमुक्त व्यापारिक प्रतिमूति को सकल बनाये के नियमो को समझाये।

3) दिखावटी लेन देन – (Bond Washing Trasation) को समझाये। इस लेने देने के द्वारा कर को किस तरह टाला जा सकता है।

4) श्री राम कपूर के निम्न विवरण से उनकी कर–निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए अन्य साधनों से आय शीर्षक में आय की गणना कीजिए:

i) X कम्पनी लिमिटेड के संचालक की हैसियत से उसे 12,000 रू0 मासिक वेतन तथा 1,200 रू0 मासिक मनोरंजन भत्ता मिल रहा है। कम्पनी ने उसे एक मोटर कार दफ्तर तथा निजी काम के लिए दे रखी है। निजी उपयोग का अनुमान 50% है। कम्पनी ने मोटर के चलाने व रख–रखाव पर (कार्यालय तथा निजी दोनों उपयोगों के लिए) 16,000 रू0 व्यय किया तथा कार पर ह्रास 14,000 रू0 मान लिया जाये।

ii) वह एक अन्य कम्पनी का भी संचालक था जहाँ से उसे 13,000 रू0 संचालक शुल्क प्राप्त हुआ।

iii) एक सहकारी बैंक लि0 में जमा धन पर ब्याज प्राप्त हुआ 2,000 रू0।

iv) एक विदेशी कम्पनी से प्राप्त लाभांश 6,000 रू0।

v) लॉटरी में जीत 24,500 रू0 प्राप्त हुए।

vi) इंग्लैण्ड में खेती से आय 78,000 रू0।

vii) एक रजिस्टर्ड सोसाइटी में व्याख्यान देने का आनरेरियम प्राप्त हुआ 1,200 रू0।

उत्तर – 1,35,200 रू0।

संकेत :

1) वेतन तथा मनोरंजन का अनुलाभ वेतन शीर्षक में कर योग्य है क्योंकि वेतन तथा अन्य सुविधाएँ एक संचालक को तभी स्वीकृत होती है जबकि वह प्रबन्ध संचालक हो अथवा अधिशासी संचालक हो।

2) लॉटरी का इनाम पूर्णतः कर योग्य है।

5) एक निवासी व्यक्ति मिस्टर तरूण एक्स 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपनी आय का निम्न विवरण प्रस्तुत करता है:

1) कोयले की खान से रॉयल्टी की आय 20,000 रू0।
2) श्री लकां में कृषि आय 15,000 रू0।
3) एक वर्ष में अर्धकालीन सेवा के लिए वेतन 21,000 रू0।
4) संसद सदस्य के रूप में वेतन 36,000 रू0।
5) संसद सदस्य के रूप में दैनिक भत्ता 15,000 रू0।
6) उसने रिहायशी मकान 1,000 रू0 प्रति माह के किराये पर लिया जिसमें से आधा भाग 1,200 रू0 प्रति माह पर पुनः किराये पर उठा दिया।
7) एक सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश 5,000 रू0।
8) उसने निम्न व्यय किये:
   a) लाभांश संग्रह करने के लिए 100 रू0 संग्रह व्यय का भुगतान किया।
   b) रॉयल्टी की आय कमाने और संग्रह करने पर 3,000 रू0 व्यय किये।

कर निर्धारण वर्षा 2020–21 के लिए मि0 तरूण की आय के अन्य स्त्रोत की गणना किजिए।

उत्तर– रू0 81,300

6) श्री मंगल सिंह एक राजनीतिक नेता हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए उनकी आय का विवरण इस प्रकार है:

i) उम्मीदारवार के समर्थक मे भाषण देने के प्राप्त किये रकम X केन्द्र सरकार से परिवार पेन्शन के गत वर्ष में 1,000 रू0 प्रति माह की दर से 12,000 रू0 प्राप्त किए।

ii) 2,000 रू0 नगर पालिका चुनाव में एक उम्मीदवार के समर्थन में भाषण देने के उपलक्ष में प्राप्त किए।

iii) 3,000 रू0 फ्रैण्ड्स एण्ड कम्पनी से अधिकार–शुल्क के प्राप्त किए जिसे उन्होंने एक राजनीतिशास्त्र की पुस्तक प्रकाशित करने का अधिकार दिया है।

iv) उनके पास कुछ मशीनें हैं, जिन्हें वे किराए पर देते हैं। इस सम्बन्ध में 15,500 रू0 कुल किराया प्राप्त हुआ। मशीनों की मरम्मत पर 1,000 रू0 व्यय हुए।

v) उन्होंने अपनी कृषि भूमि एक ठेकेदार को ईंटों का भट्टा बनाने के लिए किराए पर दी व 5,600 रू0 किराया प्राप्त किया।

vi) डाकखाने में बचत बैंक खाते में जमा राशि पर ब्याज 800 रू0।

vii) रेडियों पर वार्ता प्रस्तुत करने का पारिश्रमिक प्राप्त किया 1,000 रू0।

कर निर्धारण वर्ष के लिए उनकी करयोग्य आय, अन्य के अन्य स्त्रोत शीर्षक मे निकाले।

उत्तर– 34,100

1) श्रीमती कोमल की आयों का विवरण निम्न है:

		रू.
(i)	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	9,000
(ii)	विदेशी कम्पनी से लाभांश प्राप्त ब्याज	8,000
(iii)	लॉटरी से जीत के प्राप्त हुए	66,500
(iv)	शर्त में जीते	25,000
(v)	निजी कार को किराए पर उठाने से आय (कार किराए पर उठाना श्रीमती कोमल का व्यापार नहीं है)	40,000
(vi)	पारिवारिक पेंशन (प्रति माह)	1,500

उसने निम्न व्यय किए:

i) अंश एवं प्रतिभूतियाँ क्रय करने हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज चुकाया 7,000 रू0।

ii) लाभांश एवं ब्याज एकत्र करने पर बैंक को 2% कमीशन दिया।

iii) लॉटरी के टिकट क्रय करने में 1,500 रू0 व्यय किए।

iv) निजी कार का किराए की अवधि का व्यय (ह्रास सहित) 12,000 रू0।

कर–निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए श्रीमती कोमल की 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक की गणना कीजिए।

उत्तर– रू0 1,69,660

नोट: इस इकाई को अच्छी तरह समझने के लिए यह प्रश्न और अभ्यास आपको सहायता करेंगे। इनके उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। परन्तु अपने उत्तर विश्वविद्यालय को न भेजें। ये केवल आपके अभ्यास के लिए हैं।

इकाई 14 आयों का संकलन (आयों को इकट्ठा करना तथा मानी गई आयें) तथा हानियों को पूरा करना और उन्हें आगे ले जाना

[AGGREGATION OF INCOMES (CLUBBING OF INCOMES AND DEEMED INCOMES) AND SET OFF AND CARRY FORWARD OF LOSSES]

भाग–अ

(आयों का संकलन)

14.0 उद्देश्य

14.1 प्रस्तावना

14.2 संकलित आय (Aggregated Income)

14.3 मानी गई आयें (Deemed Income)

- 14.3.1 नकद साख
- 14.3.2 स्पष्ट न किया गया विनियोग
- 14.3.3 स्पष्ट न की गयी धनराशि इत्यादि
- 14.3.4 पुस्तकों में प्रदर्शित अस्पष्ट विनियोग इत्यादि
- 14.3.5 स्पष्ट न किया गया व्यय इत्यादि
- 14.3.6 हुन्डी पर लिया गया ऋण अथवा उसका भुगतान
- 14.3.7 मानी गई आय पर करदेयता

14.4 आयों को इकट्ठा करना (Clubbing of Income)

- 14.4.1 सम्पत्ति के हस्तान्तरण किये बिना आय का हस्तान्तरण
- 14.4.2 सम्पत्तियों का खण्डनीय हस्तान्तरण
- 14.4.3 जीवन साथ को भुगतान किया गया वेतन, कमीशन, फीस अथवा अन्य कोई पारिश्रमिक
- 14.4.4 जीवन साथी को हस्तान्तरित सम्पत्ति से आय
- 14.4.5 पुत्र–वधू (पुत्र की पत्नी) को हस्तान्तरित सम्पत्ति से आय
- 14.4.6 जीवन साथी के हित के लिये अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समुदाय को सम्पत्ति का हस्तान्तरण
- 14.4.7 पुत्र–वधू (पुत्र की पत्नी) के हित के लिए अन्य या व्यक्तियों के समुदाय को सम्पत्ति का हस्तान्तरण
- 14.4.8 जीवन साथी एवं पुत्र–वधू को हस्तान्तरित सम्पत्ति के विनियोग से आय

14.5 अवयस्क संतान (बच्चे) की आय

14.6 परिवर्तित सम्पत्ति की आय

14.7 सम्पत्ति में वृद्धि से आय

14.8 नकारात्मक आय (हानि) को इकट्ठा करना

- 14.8.1 बेनामी व्यवहार
- 14.8.2 आपसी हस्तान्तरण (Cross Transfer)

14.9 कर वसूली
14.10 आयों का संकलन (Aggregation of Income)
14.11 सारांश
14.12 शब्दावली (भाग 'अ')
14.13 बोध प्रश्नों के उत्तर (भाग 'अ')
14.14 स्वपरण प्रश्न/अभ्यास (भाग 'अ')

भाग–ब

(हानियों को पूरा करना और उन्हें आगे ले जाना)

14.15 आय के शीर्षक एवं आय के स्त्रोत
14.16 हानि की पूर्ति से आशय
14.17 हाँनियों की पूर्ति सम्बन्धी प्रावधान (Provisions Regarding set off of Losses)
14.17.1 अन्तर स्त्रोत समायोजन (पूर्ति)
14.17.2 अन्तर शीर्षक समायेाजन (पूर्ति)
14.17.3 सामान्य व्यवसाय की हानियों की पूर्ति
14.17.4 सट्टे के व्यवसाय की हाँनियों की पूर्ति
14.17.5 विशिष्ट व्यवसायों की हानियों की पूर्ति
14.17.6 पूँजी लाभ शीर्षक के अन्तर्गत हानियों की पूर्ति
14.17.7 घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व एवं उनके रखरखाव की हानियों की पूर्ति
14.17.8 लाटरी, शर्त, जुए, क्रास वर्ड पहेली, अथवा ताश के खेल आदि की हानियों की पूर्ति
14.17.9 साझेदारी फर्म की हानियों की पूर्ति
14.17.10 व्यक्तियों के संघ (A.O.P.) अथवा व्यक्तियों के समूह (B.O.I.) की हानियों की पूर्ति
14.18 हानियों को आगे ले जाना तथा हानियों की पूर्ति से आशय
14.19 हानियों को आगे ले जाना तथा हानियों की पूर्ति सम्बन्धी प्रावधान (Provisions Regarding Carry Forward and Set off of Losses)
14.19.1 मकान सम्पत्ति से हानि
14.19.2 व्यापार की हानियाँ
14.19.3 संचित अथवा एकत्रित हानि (Accumulated Loss) तथा अशोधित ह्रास (Unabsorbed Depreciation)
14.19.4 सट्टे की हानियाँ
14.19.5 विशिष्ट व्यवसायों की हानियाँ
14.19.6 पूँजी हानियाँ
14.19.7 घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व एवं उनके रखरखाव के कारण उत्पन्न हानियाँ
14.19.8 फर्म की हानियाँ
14.19.9 फर्म के संगठन में परिवर्तन होने पर फर्म की हानियाँ
14.19.10 फर्म के उत्तराधिकार में परिवर्तन की दशा में हानियाँ
14.19.11 विरासत में परिवर्तन के कारण व्यावसायिक उत्तराधिकार सम्बन्धी हानियों की दशा में
14.19.12 कुछ कम्पनियों की दशा में हानियाँ
14.19.13 लाटरी, क्रास वर्ड पहेली, जुआ तथा शर्त इत्यादि के कारण हानियाँ
14.19.14 व्यक्तियों के संगठन अथवा व्यक्तियों के समूह की दशा में हानियाँ
14.19.15 बोनस अनावृत (Bonus Stripping) के कारण उत्पन्न हानियाँ

14.19.16 हानि की विवरणी
14.19.17 पूर्ति क्रम (Order of set off)
14.20 सारांश ((भाग 'ब')
14.21 शब्दावली (भाग 'ब')
14.22 बोध प्रश्नों के उत्तर (भाग 'ब')
14.23 स्वपरख प्रश्न/अभ्यास (भाग 'ब')

भाग–'अ'

(आयों का संकलन)

14.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप

- ऐसी आयों का अध्ययन कर सकेंगे है, जो दूसरे व्यक्तियों की होती है परन्तु उन्हें ऐसे करदाता की आय में जोड़कर कर लगाया जाता है जो आय के उच्च खण्ड से उत्पन्न उच्च कर को बचाने का प्रयास करते है।
- आप समझ सकेंगे कि पूर्ति हेतु, एक करदाता अपनी वास्तविक आय को वैध रूप से अन्य अपने निकट के व्यक्तियों को हस्तान्तरण इस प्रकार करता है कि उसके स्वयं का कर दायित्व न्यूनतम सम्भावित सीमा में रहे।
- इस इकाई में आप समझ सकेंगे कि ऐसे व्यवहारों को ज्ञात करना तथा इस प्रकार की कर वंचना को किस प्रकार रोका जाये, इसका अध्ययन करना है।

14.1 प्रस्तावना

एक करदाता अपनी ऐसी आयों के भुगतान के लिये उत्तरदायी होता है जो अन्यथा कर मुक्त न हों। भारतीय आयकर विधान में कर लगाने के लिये खण्ड पद्धति को अपनाया गया है तथा जिन करदाताओं की उच्च आय है, उन्हें उच्च कर खण्ड में रखकर उन पर ऊँची दर पर कर लगाया जाता है। कुछ करदाता आयकर बचाने के उद्देश्य से अपनी आय को दूसरे व्यक्तियों को जिनकी आय या तो शून्य आयकर खण्ड में होती है या निचले कर खण्ड में होती है हस्तान्तरित कर देते है जिससे उनकी (करदाताओं की) आय निम्न खण्ड में आ जाती है और उन पर कम दर से आयकर लगता है। इस स्थिति से बचने हेतु हस्तान्तरित आय और हस्तान्तरित आय पर अर्जित आय उस करदाता की आय में जोड़ दी जाती है जिसने हस्तान्तरण किया हो। इस प्रकार कुछ दशाओं में करदाता अन्य व्यक्तियों की आयों पर भी कर देने के लिये उत्तरदायी होता है।

14.2 संकलित आय

करदाता की संकलित (Aggregated) आय में निम्न को शामिल किया जाता हैः–

- करदाता की आयें (इसका अध्ययन पिछली इकाईयों में किया जा चुका है)
- मानी गयी आय (Deemed Incomes)
- आयों को इकट्ठा करना (अन्य व्यक्तियों की आयें, करदाता की आय में इकट्ठी करने योग्य) (Clubbing of Income)
  a) व्यक्तियों के संगठन (A.O.P.) तथा
  b) व्यक्तियों के समूह (B.O.I.) की आय में इनके सदस्यों का हिस्सा। आय के संकलन की विस्तृत व्याख्या इस इकाई के आगे के पृष्ठों में की गयी है।

14.3 मानी गयी आयें (DEEMED INCOMES)

सामान्यतः प्रत्येक करदाता अपने स्वयं की आय पर कर देने हेतु उत्तरदायी होता है परन्तु आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अधीन कुछ ऐसी आयें एवं राशियाँ है जो प्रत्यक्ष रूप में करदाता की आयें नहीं है पर वे करदाता की आयें मानी जाती है। इस प्रकार की आयें करदाता की आय में जोड़ी जाती है और उन्हें मानी हुई आय कहा जाता है। इस प्रकार की मानी हुई आयें या राशियाँ निम्न प्रकार हैः–

14.3.1 नकद साख (Cash Credits) (धारा– 68)

यदि किसी करदाता की पुस्तकों में गतवर्ष में कोई ऐसी राशि जमा की गयी हो जिसके सम्बन्ध में पूँछे जाने पर वह कर–निर्धारण अधिकारी को इस जमा के स्त्रोत एवं प्रकृति के विषय में संतोषजनक व्याख्या न कर सके तो ऐसी जमा राशि को करदाता की आय में जोड़ा जा सकता है और उस पर कर लगाया जा सकता है। अंशों पर प्रार्थना पत्र की राशि, अंश पूँजी सिक्योरिटी प्रीमियम रिर्जव आदि की राशि यदि एक एकाधिकारवत् कम्पनी (Closely held Company) के खातों में जमा मिलती है तो उसे उस समय तक अस्पष्ट समझा जायेगा जब तक ऐसे निवासी व्यक्ति द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को सन्तोषजनक स्पष्टीकरण न दिया जाये जिसके नाम से यह राशि कम्पनी की पुस्तकों में जमा थी। यदि कर निर्धारण अधिकारी निवासी व्यक्ति के स्पष्टीकरण से सन्तुश्ट न हो तो कम्पनी के खातों में जमा राशि को, कम्पनी की मानी गयी आय माना जायेगा। यदि रकम जोखिम पूँजी कम्पनी (Venture Capital Company) अथवा जोखिम पूँजी निधि (Venture Capital Fund) के नाम में जमा की गयी है तो उपर्युक्त प्रावधान लागू नहीं होंगे। स्पष्ट न किया गयी आय @60% की दर + अधिभार (यदि उपयुक्त हो) + 4% शिक्षा और स्वास्थ्य उपकर की दर से कर योग्य होगी।

14.3.2 स्पष्ट न किया गया विनियोग (Unexplained Investments) (धारा–69)

सम्बन्धित गत वर्ष में यदि करदाता ने एसे विनियोग किये है जिनका लेखा उसने अपने बही खाते में नहीं दर्शाया है तथा करदाता विनियोजित धन की प्रकृति एवं स्त्रोत का कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है अथवा कर निर्धारण अधिकारी की सम्मति में करदाता द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है तो ऐसे विनियोग का मूल्य करदाता की उस गत वर्ष की आय मान ली जाती है जिसमें यह विनियोग किया गया था तथा उसे करदाता की आय में सम्मलित करके उस पर आयकर लगाया जाता है।

14.3.3 स्पष्ट न की गयी धनराशि इत्यादि (Unexplained Money Etc.)- धारा–69 A

यदि किसी वित्तीय वर्ष में करदाता के स्वामित्व में ऐसा धन, धातु, जेवर अथवा अन्य मूल्यवान वस्तुयें पायी जाती हैं जिसे उसने अपने बही खाते में नहीं लिखा है तथा करदाता धन, धातु जेवर तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं की प्राप्त के स्त्रोत एवं प्रकृति का कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है अथवा कर निर्धारण अधिकारी की सम्मति में करदाता द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है तो ऐसे धन तथा धातु, जेवर अथवा अन्य मूल्यवान वस्तुओं का मूल्य करदाता की उस वर्ष की आय मानी जायेगी और उसे करदाता की उस वर्ष की कुल आय में जोड़कर कर लगाया जायेगा।

14.3.4 पुस्तकों में प्रदर्शित अस्पष्ट विनियोग इत्यादि (Investment Amount Etc. Not fully disclosed in the Books of Accounts) - (धारा 69 B)

यदि किसी वित्तीय वर्ष में करदाता ने विनियोग किये है अथवा उसके स्वामित्व में धातु (सोना चाँदी), जेवर, अथवा अन्य मूल्यवान वस्तुयें पायी जाती है और कर–निर्धारण अधिकारी यह पाता है कि इन विनियोगों में जो राशि लगाई गयी है अथवा इन धातुओं (सोना, चाँदी), जेवर अथवा अन्य मूल्यवान वस्तुओं पर जो व्यय किया गया है वह करदाता द्वारा अपने बही खाते में इस सम्बन्ध में प्रदर्शित राशि से अधिक है तथा कारदाता ऐसे अधिक्य का स्पष्टीकरण नहीं देता है अथवा उसके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण से कर–निर्धारण अधिकारी संतुश्ट नहीं है तो यह आधिक्य की राशि करदाता की उस वित्तीय वर्ष की आय मानी जा सकती है जिस वर्ष में विनियोग किया गया है अथवा विनियोगों का स्वामी पाया गया है तथा इस आधिक्य की राशि को करदाता की कुल आय में जोड़कर उस पर कर लगाया जाता है।

14.3.5 स्पष्ट न किया गया व्यय इत्यादि (Unexplained Expenditure Etc.) - (धारा 69 C)

यदि एक करदाता ने किसी वित्तीय वर्ष में कोई ऐसा व्यय किया है जिसके धन के स्त्रोत का वह पूर्णतः अथवा आंशिक रूप में स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है तो ऐसे व्यय की राशि उसकी उस वित्तीय वर्ष की आय मानी जायेगी जिस वित्तीय वर्ष में व्यय किया गया है तथा उसे उसकी कुल आय में जोड़ा जायेगा तथा उस पर आयकर लगाया जायेगा। ऐसे स्पष्ट न किये गये व्यय को जिसे करदाता की आय माना जाता है किसी भी आय के शीर्षक से नहीं घटाया जा सकता है।

14.3.6 हुन्डी पर लिया गया ऋण अथवा उसका भुगतान (Amount Borrowed or Repaid on Hundi) - (धारा 69 D)

हुन्डी पर उधार ली गयी राशि तथा उसका भुगतान, ''खाते में भुगतान चेक'' (Account Payee Cheque) द्वारा किया जाना चाहिये अन्यथा यह उधार ली गयी राशि या भुगतान की गयी राशि ऋण लेने वाले की अथवा भुगतान करने वाले की उस गत वर्ष की आय मानी जायेगी जिस वर्ष में यह व्यवहार किये गये हों। भुगतान की राशि में ऋण का ब्याज भी सम्मिलित होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि जब हुन्डी पर ऋण लिया गया हो और उसे आय मान लिया गया हो तो भुगतान के समय उसे पुनः आय नहीं माना जायेगा और पुनः कुल आय में जोड़कर कर नहीं लगाया जायेगा।

14.3.7 मानी गयी आय पर करदेयता (Taxation of Deemed Incomes)

धारा 68, 69, 69 A, 69 B, 69 C तथा 69 D के अन्तर्गत आने वाली आयें, मानी गयी आयें होती है तथा उन पर 30% कर + (अधिभार यदि देय है) + शिक्षा उपकर की दर से कर लगाया जाता है। उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत आय की गणना किये जाने में किसी व्यय अथवा भत्ते की कटौती नहीं मिलेगी। इसी प्रकार मानी गयी आय की गणना करने में किसी भी हानि की पूर्ति भी नहीं की जा सकेगी।

14.4 आयों को इकट्ठा करना (CLUBBING OF INCOMES)

एक व्यक्ति की आय पर कर लगाने हेतु खण्ड विधि का (Slab system) प्रयोग किया जाता है। क्योंकि प्रगामी कर विधि (Progressive Tax System) अपनायी जाती है। अतः कर की

दरें भी प्रगतिशील/प्रगामी होती है। अतः जैसे जैसे आय बढ़ती है आयकर की दरें भी बढ़ती है। जिन करदाताओं की आय, उच्च आय खण्ड में होती है उनके द्वारा अपनी आय का आंशिक हस्तान्तरण ऐसे अपने रिश्तेदारों या निकट के व्यक्तियों को हस्तान्तरित करने की प्रवृत्ति होती है जिनकी आय निम्न आय खण्ड में अथवा पूर्णतया कर मुक्त होती है। ऐसा करके करदाता अपने आय खण्ड को निम्न श्रेणी में ले आते है और अपनी आय पर कर की उच्च दर से कर भुगतान से बच जाते है। आयकर अधिनियम की धारा 60 से धारा 65 तक कर बचाने की इन प्रथाओं को रोकने के प्रावधान दिये गये है। इन प्रावधानों के अन्तर्गत अन्य व्यक्ति को किये गये आय की हस्तान्तरण सीमा तक अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्तान्तरित आय पर अर्जित आय को करदाता की कुल आय में जोड़ा जाता है। अन्य व्यक्ति की ऐसी आयों को करदाता की आय के साथ जोड़ना ही आय को इकट्ठा करना (Clubbing of Incomes) कहते हैं। **आय को इकट्ठा करने के प्रावधान निम्न प्रकार है:–**

14.4.1 सम्पत्ति को हस्तान्तरित किये बिना आय का हस्तान्तरण (Transfer of Income without Transfer of Asset) (धारा-60)

यदि एक व्यक्ति द्वारा किसी सम्पत्ति से अर्जित आय दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरित कर दी जाती है परन्तु ऐसी सम्पत्ति को हस्तान्तरित नहीं किया जाता है तो ऐसी सम्पत्ति की आय सम्पत्ति हस्तान्तरित करने वाले की आये मानी जायेगी तथा उसकी कुल आय में सम्मलित की जायेगी।

14.4.2 सम्पत्तियों का खण्डनीय हस्तान्तरण (Revocable Transfer of Asset) (धारा-61)

जब एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सम्पत्ति का खण्डनीय हस्तान्तरण किया गया हो तो ऐसी सम्पत्ति से उत्पन्न अथवा प्राप्त आय सम्पत्ति हस्तान्तरणकर्ता की मानी जायेगी तथा उसकी कुल आय में सम्मलित की जायेगी।

एक हस्तान्तरण निम्न दशाओं में खण्डनीय माना जायेगा यदिः–

i) हस्तान्तरण में कोई ऐसा प्रावधान है जिसके कारण सम्पूर्ण सम्पत्ति अथवा आय या इसका कोई भाग प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हस्तान्तरणकर्ता को हस्तान्तरित हो जाता है।

ii) हस्तान्तरण किसी भी प्रकार से हस्तान्तरणकर्ता को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सम्पूर्ण सम्पत्ति या आय अथवा इसके किसी भाग पर पुनः अधिकार प्राप्त कर सकता है। हस्तान्तरण के अन्तर्गत कोई भी बन्दोबस्त (Settlement), प्रन्यास (Trust), अनुबन्ध (Contract), ठहराव (Agreement) अथवा विन्यास (Arrangement) सम्मलित हेाता है। (धारा–63)

14.4.3 जीवन साथी को भुगतान किया गया वेतन, कमीशन, फीस अथवा अन्य कोई परिश्रमिक (Salary, Commission, Fees or Any Other Remuneration of Spouse) (धारा 64)

एक व्यक्ति के जीवन–साथी द्वारा नकद अथवा वस्तु के रूप में ऐसी संस्था से जिसमें उस व्यक्ति का सारवान हित हो, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में वेतन, कमीशन, फीस अथवा पारिश्रमिक के किसी अन्य रूप में आय प्राप्त की हो तो ऐसे उस व्यक्ति की कुल आय की गणना में जोड़ा जायेगा। यद्यपि यह प्रावधान ऐसे जीवन साथी की उस आय पर लागू नहीं होगा जो उसके द्वारा अपनी तकनीकी अथवा पेशेवर योग्यता एवं अनुभव के प्रयोग से पूर्णतः

अर्जित की गयी हो। कम्पनी की दशा में, एक व्यक्ति का कम्पनी में सारवान हित उस समय माना जाता है जब उसके तथा उसके रिश्तेदारों के पास जोड़कर गत वर्ष में कम से कम (20%) मताधिकार वाले अंश हों।

कम्पनी को छोड़कर अन्य दशाओं में, यदि एक व्यक्ति का उसके रिश्तेदारों सहित लाभ में 20% या इससे अधिक का हिस्सा होता है, तो उसका उस संस्था (व्यवसाय) में सारवान हित माना जाता है।

यदि किसी व्यावसायिक संस्था में दोनों जीवन साथियों का सारवान हित हो तथा दोनों ऐसी संस्था से पारिश्रमिक प्राप्त करते हों तो इस स्थिति में पारिश्रमिक उस जीवन साथी (पति अथवा पत्नी) की आय में जोड़ा जायेगा जिसकी आय इस पारिश्रमिक के जोड़ने से पूर्व अधिक हो।

जीवन साथी से आशय पति अथवा पत्नी से है तथा आय का जोड़ना (Clubbing) जीवन साथी द्वारा प्रत्यक्ष अथा अप्रत्यक्ष, नकद अथवा वस्तुओं में प्राप्त वेतन, कमीशन, फीस अथवा अन्य किसी पारिश्रमिक प्राप्त करने तक सीमित होगा।

14.4.4 जीवन साथी को हस्तान्तरित सम्पत्ति से आय (Income from Assets Transferred to Spouse) धारा [64 (i) iv]

जब एक व्यक्ति अपने जीवन साथी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में मकान सम्पत्ति को छोड़कर अन्य कोई सम्पत्ति हस्तान्तरित करता है तो ऐसी सम्पत्ति की आय हस्तान्तरणकर्ता की आय मानी जायेगी। यद्यपि यह प्रावधान निम्न दशाओं में लागू नहीं होंगेः–

i) जब हस्तान्तरण पर्याप्त प्रतिफल के बदले में किया गया हो।

ii) जब हस्तान्तरण स्वेच्छा से अथवा कानूनी रूप से, जीवन साथियों (पति–पत्नी) के मध्य अलग रहने के किसी समझौते के अधीन हुआ हो।

उन परिस्थितियों में जबकि प्रतिफल पर्याप्त न हो, हस्तान्तरणकर्ता की आय में हस्तान्तरित सम्पत्ति की अनुपातिक आय जोड़ी जायेगी।

जीवन साथी को हस्तान्तरित मकान सम्पत्ति की आय पर कर 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक के अन्तर्गत हस्तान्तरणकर्ता द्वारा देय होगा न कि उस व्यक्ति द्वारा जिसको हस्तान्तरण किया गया है।

14.4.5 पुत्र वधू (पुत्र की पत्नी) को हस्तान्तरित सम्पत्ति से आय [धारा 64(i) vi]

यदि 1 जून 1973 अथवा उसके पश्चात एक व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बिना पर्याप्त प्रतिफल के कोई सम्पत्ति अपनी पुत्र वधू को हस्तान्तरित की जाती है तो ऐसी हस्तान्तरित सम्पत्ति से प्राप्त आय, हस्तान्तरणकर्ता की कुल आय में शामिल की जायेगी।

14.4.6 जीवन साथी के हित के लिये किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के संगठन (AOP) को हस्तान्तरित सम्पत्ति की आय [धारा 64 (i) vii]

यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन साथी के हितों के लिये कोई सम्पत्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति को अथवा व्यक्तियों के संगठन को हस्तान्तरित की है तो ऐसी सम्पत्ति से प्राप्त आय का वह भाग जो जीवन साथी के वर्तमान अथवा स्थगित हित के लिये हो, हस्तान्तरणकर्ता की कुल आय में सम्मलित किया जायेगा।

14.4.7 पुत्र वधू (पुत्र की पत्नी) के हित के लिये किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के संगठन (AOP) को हस्तान्तरित सम्पत्ति की आय [धारा (64 (i) viii)]

31.05.1973 की तिथि के पश्चात एक व्यक्ति द्वारा पुत्र वधू (पुत्र की पत्नी) के हितों के लिये कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के संगठन (AOP) को हस्तान्तरित की जाती है तो ऐसी सम्पत्ति से प्राप्त आय का वह भाग जो पुत्र वधू के वर्तमान अथवा स्थगित हित के लिये हो, हस्तान्तरणकर्ता की कुल आय में सम्मलित किया जायेगा।

14.4.8 जीवन साथी अथवा पुत्र वधू की हस्तान्तरित सम्पत्ति के विनियोग से आय (Income To The Spouse Or Son's Wife from Invetment of Transferred Assets)

यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन साथी अथवा पुत्र वधू को कोई सम्पत्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हस्तान्तरित की है तथा हस्तान्तरिती (Transferee) द्वारा उसका विनियोग कर दिया जाता है तो

a) यदि ऐसा विनियोग उसके द्वारा किसी फर्म के व्यवसाय में पूँजी अंशदान के रूप में अथवा हितों में सम्मलित किये जाने के कारण किया जाता है तो निम्न प्रकार से गणना की गयी राशि हस्तान्तरणकर्ता की कुल आय में शामिल की जायेगीः

$$= \frac{\text{गत वर्ष के प्रथम दिन हस्तान्तरणकर्ता द्वारा हस्तान्तरित सम्पत्ति का मूल्य} \times \text{हस्तान्तरिती को व्यवसाय से आय}}{\text{गत वर्ष के प्रथम दिन हस्तान्तरिती द्वारा किये गये विनियोग का कुल मूल्य}}$$

गत वर्ष के प्रथम दिन कुल हस्तान्तरित विनियोग का कुल मूल्य

b) यदि किसी व्यापार में ऐसा विनियोग साझेदारी फर्म में साझेदार के रूप में, पूँजी के अंशदान हेतु किया गया है, तो निम्न प्रकार से गणना की गयी राशि, हस्तान्तरणकर्ता की कुल आय में जोड़ी जायेगीः गत वर्ष के प्रथम दिन हस्तान्तरणकर्ता द्वारा किया गया पूँजी अंशदान × हस्तान्तरणी द्वारा फर्म से प्राप्त कुल आय।

$$= \frac{\text{गत वर्ष के प्रथम दिन हस्तान्तरित द्वारा किया गया पूँजी अंशदान} \times \text{हस्तान्तरिती द्वारा फर्म से प्राप्त कुल आय}}{\text{गतवर्ष के प्रथम दिवस पर हस्तान्तरणी द्वारा किया गया कुल पूँजी अंशदान।}}$$

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हस्तान्तरणकर्ता की आय में वह आय जोड़ी जायेगी जो हस्तान्तरित सम्पत्ति द्वारा अर्जित की गयी है।

14.5 अवयस्क संतान (बच्चे) की आय (INCOME OF A MINOR CHILD) धारा [(64(IA)]

अवयस्क संतान (बच्चे) जो धारा 80 U के अन्तर्गत वर्णित किसी प्रकार की असाध्यता (Disability) से ग्रसित नहीं है, की प्रत्येक आय उसके माता अथवा पिता की आय में जोड़ी जायेगी। आय के अन्तर्गत अवयस्क के लिये उदय हुई अथवा अर्जित हुई, दोनों प्रकार को सम्मलित किया जाता है परन्तु निम्न आयों को माता अथवा पिता की आय में सम्मलित नहीं किया जायेगा :

i) अवयस्क को प्राप्त अथवा उसके द्वारा अर्जित वह आय जो उसने अपने शारीरिक परिश्रम से अर्जित की हो।

ii) कोई आय जो अवयस्क द्वारा अपने ऐसे कार्यकलाप द्वारा अर्जित अथवा उपार्जित की जाती है जिसके अर्जन में उसके कौशल, बुद्धिमत्ता, विशिष्ट योग्यता तथा अनुभव का प्रयोग किया गया हो।

एक अवयस्क की आये को माता अथवा पिता की आय में सम्मलित (Clubbing) करने सम्बन्धी नियम

a) यदि माता–पिता विवाहित स्थिति में रहते है तो अवयस्क की आय माता अथवा पिता दोनों में जिसकी कुल आय (अवयस्क की आय के अतिरिक्त) अधिक हो उसमें जोड़ी जायेगी। उदाहरणार्थ यदि माता की कुल आय गतवर्ष में 6,00,000 रू0 तथा पिता की कुल आय इसी गतवर्ष में 7,00,000 रू0 (दोनों दशाओं में अवयस्क की आय शामिल न करते हुए) है और इस गतवर्ष में अवयस्क की आय यदि 2,00,000 रू0 हो तो उसे पिता की आय में जोड़ा जायेगा क्योंकि माता अथवा पिता में, पिता की आय अधिक है।

b) यदि अवयस्क के माता–पिता का विवाहित जीवन न हो, (सम्बन्ध विच्छेद के कारण) तो अवयस्क की आय उस माता अथवा पिता की आय में जोड़ी जायेगी जो उस अवयस्क का भरण पोषण एवं देखभाल करता है।

यदि माता अथवा पिता किसी एक की आय में अवयस्क की आय जोड़ दी गयी है तो उसे माता–पिता में से दूसरे की आय में अगले वर्षो में तब तक सम्मलित नहीं किया जा सकता जब तक कर निर्धारण अधिकारी ऐसा करने हेतु सन्तुश्ट न हो और इसकी अनुमति न प्रदान करें।

यदि किसी व्यक्ति (माता अथवा पिता) की कुल आय में अवयस्क की आय जोड़ी जाती है तो ऐसे व्यक्ति को प्रति अवयस्क के लिये आय से निम्न छूट (Exemption) प्राप्त होगी :

अवयस्क की जोड़ी गयी आय अथवा 1500 रू0 (जो दोनों में से कम हो)।

14.6 परिवर्तित सम्पत्ति की आय (INCOME FROM CONVERTED PROPERTY) धारा [(64 (2)]

यदि एक व्यक्ति अपने स्वामित्व वाली किसी सम्पत्ति को 31.12.1969 के पश्चात, बिना पर्याप्त प्रतिफल के, ऐसे हिन्दू अविभाजित परिवार को हस्तान्तरित कर देता है जिसका वह स्वयं भी सदस्य है तो उस सम्पत्ति की आय इस व्यक्ति (हस्तान्तरणकर्ता) की आय मानी जायेगी न कि हिन्दू अविभाजित परिवार की आय।

यदि इस प्रकार परिवर्तित सम्पत्ति भविष्य में पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप में परिवार के सदस्यों में विभाजित की जाती है तो ऐसी परिवर्तित अथवा हस्तान्तरित सम्पत्ति से अर्जित/प्राप्त आय में से वह आय का हिस्सा जो हस्तान्तरणकर्ता के जीवन साथी का होता है, वह हस्तान्तरणकर्ता की आय माना जायेगा और उसकी कुल आय में शामिल किया जायेगा।

14.7 सम्पत्ति में वृद्धि से प्राप्त आय (INCOME FROM THE ACCRETON TO ASSETS)

बिना प्रतिफल के हस्तान्तरती को हस्तान्तरित सम्पत्ति की आय हस्तान्तरणकर्ता की आय में कर योग्य होती है। यदि हस्तान्तरती को ऐसा सम्पत्ति की आय से वृद्धि अथवा हस्तान्तरित सम्पत्ति से आय संचित होती है तो ऐसी आयों को हस्तान्तरणकर्ता की आय में सम्मलित नहीं किया जायेगा तथा ऐसी आय हस्तान्तरिती की आय में सम्मलित करके उस पर कर लगाया जायेगा।

14.8 नकारात्मक आयों (हानियाँ) का इकट्ठा करना [CLUBBING OF NEGATIVE INCOMES (LOSSES)]

हॉनियों को नकारात्मक आय भी कहते है। क्योंकि अन्य व्यक्तियों (हस्तान्तरिती) की आयों को हस्तान्तरणकर्ता की आय में जोड़ा जाता है, अतः आयों को इकट्ठा करने (Clubbing of Incomes) हेतु नकारात्मक आयों अथवा हानियों का भी ध्यान ऐसी आयों की गणना करते समय रखा जायेगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आयों के जोड़ने के प्रावधानों में (Clubbing Provisions) आय के अन्तर्गत हानि को भी शामिल किया जाता है।

14.8.1 बेनामी व्यवहार (Benami Transacton)

जब कोई व्यक्ति किसी अवस्वाविक व्यक्ति अथवा नकली नाम के व्यक्ति से कोई व्यवहार करता है तो इसे बेनामी व्यवहार कहा जाता है तथा जिस व्यक्ति के नाम पर ऐसा व्यवहार किया जाता है उसे बेनामीदार कहते है। इस प्रकार के व्यवहार का उद्देश्य कर बचाना होता है। यदि कर–निर्धारण अधिकारी की सम्मति में कोई व्यवहार बेनामी है तो वह उस व्यवहार की आय वास्तविक व्यक्ति की आय मान सकता है और वह उसी वास्तविक व्यक्ति से उस व्यवहार की आय पर कर वसूल सकता है।

14.8.2 आपसी व्यवहार/हस्तान्तरण (Cross Transfers)

आपसी हस्तान्तरण के अन्तर्गत ऐसे हस्तान्तरणों को शामिल करते है जो आपस में एक दूसरे का प्रतिफल होते है तथा एक दूसरे से एक व्यवहार के साथ, समझौते द्वारा इस प्रकार निकट रूप से जुड़े होते है कि वह इस व्यवहार का अंश बन जाते हैं। अन्य शब्दों में दोनों व्यवहार लगभग एक ही व्यवहार के दो भाग होते है। इस प्रकार के आपसी हस्तान्तरण में आय, माने गये हस्तान्तरणकर्ता की आय में जोड़ी (Clubb) जायेगी तथा धारा 64 के प्रावधान प्रभावी होगे। आपसी व्यवहार या हस्तान्तरण को एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। यदि × द्वारा अपने भाई Y की पत्नी को एक घर क्रय करने के लिये 1,00,000 रू0 नकद का उपहार दिया जाता है और उसी समय Y द्वारा X की पत्नी को अपने अंशों में से कुछ अंशों को उपहार के रूप में दिया जाता है तो इसे आपसी व्यवहार माना जायेगा और X एवं Y की पत्नियों की इस व्यवहार से उत्पन्न आय हस्तान्तरित सम्पत्ति से मानी जायेगी तथा माने गये हस्तान्तरणकर्ता की आय में जोड़ी (Clubb) जायेगी। इस परिस्थिति में X की पत्नी की आय X की आय में जोड़ी (Clubb) जायेगी और Y की पत्नी की आय Y की आय में जोड़ी (Clubb) जायेगी।

14.9 कर वसूली (RECOVERY OF TAX) धारा-65

अन्य व्यक्ति की ऐसी आय जो करदाता की आय मानी गयी हो और उसकी (करदाता की) आय में जोड़ी गयी हो पर आगणित (Computed) कर की राशि करदाता से अथवा अन्य व्यक्ति से वसूली जा सकती है। परन्तु अन्य व्यक्ति का दायित्व ऐसी जोड़ी गयी आय (Clubbed Income) के ऊपर आगणित कर की राशि तक ही सीमित होगा। ऐसे अन्य व्यक्ति का दायित्व कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांग की सूचना (Notice of Demand) दिये जाने के पश्चात ही उत्पन्न होता है।

संयुक्त, हस्तान्तरिती (दो या अधिक व्यक्ति) ऐसे कर के लिये संयुक्त एवं पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे।

बोध प्रश्न क (भाग अ)

1) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये

   a) स्पष्ट न किये गये व्यय, करदाता की ..... मानी जायेगी।

   b) यदि सम्पत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के साथ पुत्र की पत्नी को हस्तान्तरित की जाती है तो ..... के वाद ऐसी सम्पत्ति की आय हस्तान्तरणकर्ता की आय में जोड़ी जायेगी।

   c) जब आय का हस्तान्तरण बिना सम्पत्ति के हस्तान्तरण के होता है तो ऐसी आय के जोड़ने (Clubbing) से सम्बन्धित प्रावधान धारा ..... में दिये गये है।

   d) आयकर अधिनियम की धारा ..... में 'हस्तान्तरण' तथा 'खण्डनीय हस्तान्तरण' परिभाषित किया गया है।

2) बताइये कि निम्न कथन सत्य है अथवा असत्य।

   a) मानी गयी आय पर कर की दर 20% है।

   b) एक अवयस्क संतान की आय उस माता अथवा पिता की आय में जोड़ी जाती है जिसकी आय अधिक हो।

   c) पुनः क्रय करने की शर्त के साथ की गयी बिक्री एक 'खण्डनीय हस्तान्तरण' का उदाहरण है।

   d) श्री X अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति को अविभाजित हिन्दू परिवार को हस्तान्तरित कर देता है। ऐसी सम्पत्ति की वार्षिक आय अविभाजित हिन्दू परिवार की आय के रूप में कर योग्य होगी।

3) सही उत्तर चुनिये।

   a) श्री सुगन्ध द्वारा शादी से पूर्व की किसी तिथि पर सुश्री रौनक को एक सम्पत्ति हस्तान्तरित की जाती है। कुछ समय पश्चात श्री सुगन्ध की रौनक से शादी हो जाती है। श्रीमती रौनक ने ऐसी हस्तान्तरित सम्पत्ति से 3,50,000 रू0 की आय अर्जित की। 3,50,000 पर कर–देयता किसकी होगीः–

   (i) स्वयं श्रीमती रौनक। (ii) श्रीमती रौनक के पति श्री सुगन्ध। (iii) श्रीमती रौनक के माता–पिता। (iv) उक्त (i), (ii) और (iii) सभी की संयुक्त रूप से।

b) गत वर्ष में एक 15 वर्षीय अवयस्क संतान की विनियोग से आय 12,500 रू0 है। अवयस्क संतान की आय जो माता या पिता की आय में जोड़ी जायेगी वह निम्न में से कौन सी होगीः–

(i) 12,500 रू0 (ii) 11,000 रू0 (iii) 10,000 रू0 (iv) (i), (ii) तथा (iii) में से कोई भी नहीं।

c) हस्तान्तरिती को प्राप्त हस्तान्तरित सम्पत्ति में हुई वृद्धि से उत्पन्न आय में वृद्धि/आय के संचय, पर कर देयता किसकी होगीः–

i) हस्तान्तरणकर्ता।

ii) हस्तान्तरिती।

iii) हस्तान्तरणकर्ता एवं हस्तान्तरिती दोनों।

iv) इनमें से किसी की भी नहीं।

d) एक ससुर (Father-in-law) द्वारा बिना प्रतिफल के अपनी पुत्र वधू (पुत्र की पत्नी) को हस्तान्तरित सम्पत्ति की आय पर कर देयता किसकी होगीः–

i) हस्तान्तरणकर्ता। (Father-in-law)

ii) हस्तान्तरिती। (पुत्र की पत्नी)

iii) पुत्र वधू का पति।

iv) (i), (ii) तथा (iii) सभी।

उदाहरण

भाग–A

उदाहरण 1

श्री विशेष के पास एक मताधिकारी वाले 22% अंशों का स्वामी है। उसकी पत्नी श्रीमती सोमन उसी कम्पनी में 8000 रू0 प्रतिमाह के वेतन पर कार्यरत है। श्री विशेष की कुल अन्य आय 2,00,000 रू0 है जबकि उसकी पत्नी की अन्य कुल आय 1,20,000 रू0 है जिसमें उसके वेतन की आय शामिल नहीं है। कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिये श्री विशेष की कुल आय की गणना आय के जोड़ने (Clubbing of Income) के प्रावधानों के अन्तर्गत कीजिये।

हल :

कर निर्धारण वर्ष 2020–21 हेतु कुल आय की गणना

	श्री विशेष		श्रीमती सोनम	
	रू.	रू.	रू.	रू.
अन्य आयें :		2,00,000		
जोड़ियेः श्रीमती सोनम की वेतन से आय (8000×12)	96000			
घटाइये : कटौतियाँ	शून्य	96,000		
श्रीमती सोनम की अन्य कुल आयें				1,20,000
कुल आय		2,96,000		1,20,000

उदाहरण 2

श्री पवन ने सुमन को जो कि एक महिला है, एक सम्पत्ति बिना प्रतिफल के हस्तान्तरित की। गत वर्ष 2019–20 में इस हस्तान्तरित सम्पत्ति से 1,00,000 रू0 की आय प्राप्त की निम्न दशाओं में कर निर्धारण वर्ष 2020–21 में 1,00,000 रू0 पर कर भुगतान हेतु कौन उत्तरदायी होगा।

a) यदि पवन सम्पत्ति के हस्तान्तरण के कुछ समय बाद सुमन से विवाह कर ले।

b) यदि पवन द्वारा सुमन से विवाह न किया जाये तथा सम्पत्ति का हस्तान्तरण खण्डनीय हो।

हल

a) क्योंकि सम्पत्ति के हस्तान्तरण के समय सुमन का पवन से विवाह नहीं हुआ था अतः 1,00,000 रू0 की आय पर सुमन का कर देने का दायित्व होगा।

b) क्योंकि सम्पत्ति का हस्तान्तरण खण्डनीय है अतः ऐसी सम्पत्ति पर सुमन (हस्तान्तरिती) द्वारा अर्जित 1,00,000 रू0 की आय पर कर देने का दायित्व पवन (हस्तान्तरणकर्ता) का होगा।

उदाहरण 3

श्री टोनी का व्यवसायिक उपक्रम में सारवान हित है। इसी उपक्रम से टोनी की पत्नी मैरी को 30,000 रू0 का कमीशन प्राप्त हुआ। गत वर्ष में उपक्रम के व्यवसाय से 1,00,000 रू0 की हानि हुई। टोनी 50% लाभ का हिस्सेदार है। टोनी एवं श्रीमती मैरी की अन्य आयें क्रमशः 1,00,000 रू0 तथा 60,000 रू0 हैं। कर निर्धारण वर्ष 2020–21 हेतु श्री टोनी एवं श्रीमती मैरी की कर योग्य आय की गणना कीजिये।

हल

कर निर्धारण वर्ष 2020–21 हेतु कर योग्य आय की गणना

	श्री टोनी		श्रीमती मैरी	
	रू.	रू.	रू.	रू.
व्यवसाय अथवा पेशे की आय (हानि)		–50,000		
अन्य स्त्रोतों से आय अन्य आयें	1,00,000			
जोड़िये पत्नी का कमीशन	30,000	1,30,000		
अन्य स्त्रोतो से आय				60,000
कर योग्य आय		**80,000**		**60,000**

उदाहरण 4:

एक परिवार की आय निम्न प्रकार है :

		रू0
i)	श्री सागर की व्यवसाय से आय	2,00,000
ii)	श्रीमती लहर (सागर की पत्नी) की वेतन से आय	2,10,000

iii) सागर के अवयस्क पुत्र की ब्याज से आय 20,000

iv) गायन एवं नृत्य से सागर के अवयस्क पुत्र कुन्दन की आय 18,000

v) श्री सागर की अवयस्क पुत्री (सुश्री रोशनी) की विनियोग से आय 22,000

कर निर्धारण वर्ष 2020–21 हेतु श्री सागर, उनकी पत्नी श्रीमती लहर तथा अवयस्क पुत्र कुन्दन की कुल आय की गणना कीजिये।

हल

कर निर्धारण वर्ष 2020–21 हेतु कुल आय की गणना

	श्री सागर		श्रीमती लहर		श्री कुन्दन	
	रू0	रू0	रू0	रू0	रू0	रू0
व्यवसाय से आय		2,00,000				
वेतन से आय				2,10,000		
अवयस्क पुत्र की ब्याज से आय			20,000			
घटाइयेः कर मुक्त			1,500	18,500		
अवयस्क पुत्री (सुश्री रोशनी) की विनियोग से आय			22,000			
घटाइयेः कर मुक्त			1,500	20,500		
नृत्य एवं गायन से आय						18,000
कुल आय		2,00,000		2,49,000		18,000

नोटः

i) माता एवं पिता में से श्रीमती लहर की आय अधिक है। अतः अवयस्क पुत्र एवं पुत्री की आय उनकी (लहर) आय में जोड़ी जायेगी।

ii) प्रत्येक अवयस्क संतान हेतु 1500/– रू0 कर–मुक्त है।

iii) यद्यपि कुन्दन अवयस्क है परन्तु उसने अपने कौशल से स्वयं आय अर्जित की है। अतः उसे नहीं जोड़ा गया है।

उदाहरण–5

31.01.2019 को श्री सार्थक अपनी पत्नी श्रीमती श्रीमती संध्या को 3,00,000 रू0 उपहार में देता है। श्रीमती Y 5,00,000 रू0 विनियोजित करके जिसमें 3,00,000 रू0 उपहार के भी शामिल है, 15.02.2019 को व्यापार प्रारम्भ करती है। इस व्यवसाय से वह 31.03.2019 एवं 31.03.2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में क्रमशः 1,20,000 रू0 तथा 3,60,000 रू0 की आय कमाती है। वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 हेतु जोड़ी जाने वाली आय (Income to be clubbed) की गणना कीजिये।

हल :

कर निर्धारण वर्ष 2019–20 में सार्थक की आय में जोड़ी जाने वाली आय की गणना

$$\frac{\text{गतवर्ष के प्रथम दिन सार्थक द्वारा उपहार में दी गयी राशि} \times \text{व्यवसाय से आय}}{\text{हस्तान्तरिणी द्वारा गतवर्ष के प्रथम दिन किया गया कुल विनियोग}}$$

$$= \frac{\text{रु. } 3,00,000 \times 1,20,000}{5,00,000} = \text{रु.}72,000$$

कर निर्धारण वर्ष 2020–21 में श्री सार्थक की आय में जोड़ी जाने वाली आय की गणना

$$\frac{\text{वर्ष के प्रथम दिन अपर्याप्त प्रतिफल के साथ हस्तान्तरित सम्पत्ति में से विनियोजित राशि} \times \text{व्यवसाय से आय}}{\text{हस्तान्तरिती द्वारा गतवर्ष के प्रथम दिवस पर कुल विनियोजित राशि}}$$

$$= \frac{\text{रु. } 3,00,000 \times 3,60,000}{6,20,000} = \text{रु.}1,74,194$$

नोटः

i) यह नया व्यवसाय है तथा 1.4.2019 को विद्यमान नहीं था, अतः व्यवसाय प्रारम्भ करने की तिथि (15.02.2019) को ही गत वर्ष का प्रथम दिन माना जायेगा।

ii) कर निर्धारण वर्ष 2020–21 हेतु गत वर्ष 01.04.2020 को प्रारम्भ होगा। इस तिथि को कुल विनियोग 3,00,000 रू0 + 2,00,000 रू0 + 1,20,000 = 6,20,000 रू0 होगा अथवा 5,00,000 रू0 उपहार राशि सहित प्रारम्भिक विनियोग + कर निर्धारण वर्ष 2019–20 का 1,20,000 रू0 लाभ की राशि = 6,20,000 रू0।

उदाहरण 6

कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिये श्री D और उनके परिवार के सदस्यों की कुल आय की गणना निम्न सूचनाओं के आधार पर कीजिये।

		रू0
i)	श्री D की व्यवसाय से आय	3,00,000
ii)	श्रीमती D (D की पत्नी) की वेतन से आय	2,40,000
iii)	D की अवयस्क पुत्री S की नृत्य से आय	2,50,000
iv)	अपने नृत्य की आय में से जमा राशि पर सुश्री S द्वारा प्राप्त ब्याज की राशि	45,000
v)	श्रीमती D की खाली जमीन से आय, यह जमीन उसके पति ने शादी से पूर्व उपहार स्वरूप दी थी।	30,000
vi)	एक ऐसे फर्म से श्री D के वयस्क पुत्र सुश्री J को प्राप्त वेतन जिसमें श्री D तथा श्रीमती D 10% के साझेदार है	75,000
vii)	उपरोक्त फर्म से श्री D का वेतन	60,000

viii)	उपरोक्त फर्म से श्रीमती D का वेतन	90,000
ix)	श्री D के अवयस्क पुत्र मास्टर H द्वारा लाटरी से प्राप्त राशि	70,000
x)	मे0 B.J Ltd. जिसमें श्री D तथा उनका अविभाजित हिन्दू परिवार 20% समता अंश पूँजी बराबर के अनुपात रखता है से श्रीमती D का वेतन	90,000
xi)	श्री D की मकान सम्पत्ति से आय	48,000
xii)	गत वर्ष में पति द्वारा दिये गये आभूषण के उपहार से श्रीमती D को अल्प कालीन पूँजी लाभ	50,000
xiii)	श्रीमती D को कृष्ण एण्ड कम्पनी से प्राप्त ब्याज, इस विनियोग में 40% राशि पति द्वारा उपहार की गयी थी	20,000
xiv)	श्रीमती D की 5,00,000 रू0 की सम्पत्ति अपने पति को बेचने से आय। इस सम्पत्ति का बाजार मूल्य 700,000 रू0 है।	1,20,000
xv)	मास्टर H द्वारा प्राप्त छात्रवृत्ति	12,000
xvi)	सुश्री S द्वारा अपने नृत्य शिक्षक से प्राप्त नकद उपहार	75,000
xvii)	अपनी पत्नी से प्राप्त मकान सम्पत्ति की आय के विनियोजन से श्री D द्वारा 10% की दर से अर्जित ब्याज	12,000
xviii)	श्री D द्वारा अपने अविभाजित हिन्दू परिवार को 5,00,000 रू0 का ऋण दिया गया जिस पर अविभाजित परिवार 5% ब्याज देता है जबकि ब्याज की बाजार दर 14% है।	25,000
xix)	फर्म का शुद्ध लाभ जिसमें श्री D तथा श्रीमती D प्रत्येक 10% के साझेदार है।	3,00,000

हल :

श्री D की कुल आय की गणना
(कर निर्धारण वर्ष 2020–21)

	रू0	रू0
मकान सम्पत्ति से आय		
अपनी निधि से प्राप्त सम्पत्ति से प्राप्त किराया	48,000	
पत्नी द्वारा अपर्याप्त प्रतिफल के साथ हस्तान्तरित सम्पत्ति से किराया जो कि पूर्ण प्रतिफल का अनुपातिक है। (रु. 1,20,000×5,00,000÷7,00,000)	85,714	1,33,714
व्यापर अथवा पेशे से आय		
व्यवसाय से आय		3,00,000
पूँजी लाभ से आय		
श्रीमती D को पति द्वारा उपहार में दिये गये आभूषण		50,000

से अल्प कालीन पूँजी लाभ		
अन्य स्त्रोतों से आय		
श्रीमती D को श्री कृष्णा कम्पनी से प्राप्त ब्याज परन्तु उसमें विनियोजित राशि का 40% उसके पति का है $\left(20000 \times \frac{40}{100}\right)$	8,000	
पत्नी से प्राप्त मकान सम्पत्ति के किराये का विनियोग करने से प्राप्त ब्याज (यह जोड़ी गयी आय (clubbed Income) की आय है	12,000	
अविभाजित हिन्दू परिवार से ब्याज 5,00,000रू. पर 5% की दर से (ब्याज की बाजार दर अप्रसांगिक है)	25,000	45,000
सकल कुल आय		5,28,714

श्रीमती D की कुल आय की गणना
(कर निर्धारण वर्ष 2020–21)

	रू0	रू0
वेतन से आयः		
उसके सेवायोजक से वेतन	2,40,000	
मे0 बी0जे0 लि0 से वेतन	90,000	3,30,000
मकान सम्पत्ति से आयः		
अपर्याप्त प्रतिफल के साथ D को हस्तान्तरित सम्पत्ति का अनुपातिक किराया (1,20,000×2,00,000÷7,00,000)	34,286	34,286
व्यवसाय अथवा पेशे से आय		
मि0 D को फर्म से प्राप्त वेतन	60,000	
श्रीमती D का फर्म से वेतन, दोनों साझेदार के रूप में उस जीवन साथी की आय में जोड़ी जायेगी जिसकी आय अधिक हो	90,000	1,50,000
अन्य स्त्रोतों से आय		
खाली जमीन से आय	30,000	
श्री कृष्ण एण्ड कम्पनी से ब्याज (60%)	12,000	
अवयस्क पुत्र मास्टर H की लाटरी से आय (सकल) (रू0 70,000×100÷70) 100,000		
घटाइयेः कर मुक्त धारा 10 (32) के अर्न्तगत 1,500	98,500	98,500

सुश्री S की नृत्य शिक्षक से नकद उपहार की आय	75,000		
मिस S को जमा पर ब्याज की राशि (सकल की जायेगी) 45,000×100÷90	50,000		
	1,25,000		
घटाइयः कर मुक्त धारा 10 (32) के अर्न्तगत	1,500	1,23,500	2,64,000
सकल कुल आय			7,78,286

वयस्क पुत्र J की कुल आय की गणना
(कर निर्धारण वर्ष 2020–21)

रु.

वेतन से आयः	
फर्म से वेतन	75,000
सकल कुल आय	75,000

अवयस्क पुत्री मिस S की कुल आय की गणना
(कर निर्धारण वर्ष 2020–21)

रु.

अन्य स्रोतो से आय :	
नृत्य प्रदर्षन से आय	2,50,000
सकल कुल आय	2,50,000

नोट :

1) धारा 10 (16) के अन्तर्गत छात्रवृत्ति कर मुक्त है।

2) धारा 10 (2 A) के अन्तर्गत फर्म से आय करमुक्त है।

3) जिस माता–पिता की आय अधिक होती है उसकी आय में अवयस्क की आय जोड़ी जाती है।

4) श्रीमती D ने अपने पति को मकान का हस्तान्तरण अपर्याप्त प्रतिफल के बदले में किया है। अतः ऐसे मकान की आय पति–पत्नी के मध्य हस्तान्तरित मकान के मूल्य एवं बाजार मूल्य के अनुपात में बाँटकर जोड़ी जायेगी।

5) मि0 D का बी0जे0 लि0 में सारवाह हित नहीं है (क्योंकि अविभाजित हिन्दू परिवार के हिस्से पर विचार नहीं किया जायेगा)।

अतः श्रीमती D का वेतन (बी0जे0 लिमिटेड) D की आय में नहीं जोड़ा जायेगा।

14.10 आयों का संकलन (AGGREGATION OF INCOME)

धारा 2 (45) के अन्तर्गत कुल आय से आशय उस कुल आय से है जो कर योग्य होती है तथा जिसकी गणना अधिनियम के प्रावधानों एवं बताई गयी विधियों के अनुसार की गयी हो। इसका आशय यह है कि करदाता की कुल आय में वह सभी आयें शामिल की जाती

है जिस पर उसकी कर देयता हो परन्तु कुछ परिस्थितियों में करदाता की कुल आय में उन आयों को भी शामिल किया जाता है जिस पर आयकर देय नहीं होता। गैर करयोग्य आयों को जोड़ने की प्रक्रिया आयों के संकलन के रूप में जानी जाती है। अधिनियम की धारा 66 के अनुसार 'कर' करदाता की कुल आय की गणना में वह सभी आयें भी शामिल की जायेंगी जिन पर काई आयकर देय नहीं होता। अधिनियम की धारा 86 के अनुसार 'व्यक्तियों के संघ' [Association of Persons (AOP)] अथवा व्यक्तियों के समूह [Body of Individuals (BOI)] की आय में करदता का भाग इस प्रकार की ही आय होता है। उसके इस भाग के जोड़ने सम्बन्धी नियम निम्न प्रकार हैः

i) यदि कोई करदाता व्यक्तियों के संघ (AOP) अथवा व्यक्तियों के समूह (BOI) का सदस्य है तो वह उसकी कुल आय में शामिल की जायेगी परन्तु यदि व्यक्तियों का संघ (AOP) अथवा व्यक्तियों के समूह (BOI) द्वारा अपनी आय पर कर देय है तो करदाता को अपने हिस्से की सदस्यता की आय जिसमें पारश्रमिक भी सम्मलित होगा पर आयकर की औसत दर से छूट प्राप्त होगी।

ii) जहाँ कोई करदाता व्यक्तियों के संघ अथवा व्यक्तियों के समूह का सदस्य होता है परन्तु वे (संघ अथवा समूह) अपनी कुल आय पर कर देने के लिये उत्तरदायी नहीं होते है तो करदाता व्यक्तियों के संघठन अथवा व्यक्तियों के समूह की आय में से अपनी हिस्से की आय पर छूट प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि करदाता कर देगा।

iii) यदि व्यक्तियों के संघ (A.O.P.) अथवा व्यक्तियों के समूह (B.O.I.) पर इस अधिनियम के अधीन कुल आय पर कर की अधिकतम सीमान्तर दर अथवा इससे भी अधिक दर से कर देयता है तो ऐसे व्यक्तियों के संघ (A.O.P.) अथवा व्यक्तियों के समूह (B.O.I.) के सदस्य करदाताओं का इनकी (A.O.P. अथवा B.O.I.) आय में हिस्सा सदस्य करदाताओं की आय में नहीं जोड़ा जायेगा। इस प्रकार इस दशा में व्यक्तियों के संघ (A.O.P.) अथवा व्यक्तियों के समूह (B.O.I.) की आय में करदाता का हिस्सा कर मुक्त होगा।

14.11 सारांश (भाग अ)

मानी गयी आय के अन्तर्गत नकद साख, अस्पष्ट विनियोग, आभूषण एवं अन्य विविध वस्तुओं को जो करदाता के स्वामित्व में है माना जाता है। इस श्रेणी में अस्पष्ट व्ययों, धन तथा हुन्डी पर लिये गये ऋण अथवा उनके भुगतान को भी सम्मिलित करते है।

जब अन्य व्यक्ति की निम्न आयें करदाता की कुल आय में जोड़ी जाती है तो इसे आयों को इकट्ठा करना कहते है :

1) सम्पत्ति का हस्तान्तरण किये बिना आय का हस्तान्तरण।

2) खण्डनीय हस्तान्तरण के अन्तर्गत हस्तान्तरित सम्पत्ति की आय।

3) जीवन साथी की आय :

   a) जीवन साथी को ऐसी संस्था से मिला हुआ वेतन, कमीशन आदि जिसमें करदाता का सारवान हित है।

   b) जीवन साथी को बिना पर्याप्त प्रतिफल के हस्तान्तरित की गयी सम्पत्ति से आय।

करदाता द्वारा बिना पर्याप्त प्रतिफल से पुत्र–वधू को हस्तान्तरित सम्पत्ति से आय। जीवन साथी के लाभार्थ बिना पर्याप्त प्रतिफल के किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य संघ को हस्तान्तरित की गयी सम्पत्ति से आय। अविभाजित हिन्दू परिवार को उसके किसी सदस्य द्वारा स्वयं की दी गयी सम्पत्ति की आय ऐसे सदस्य की आय में जोड़ी जायेगी जिसकी वह सम्पत्ति थी।

जीवन साथी अथवा पुत्र वधू द्वारा हस्तान्तरण से प्राप्त सम्पत्ति के विनियोग करने से प्राप्त आय का वह अनुपातिक भाग जो हस्तान्तरिती (जीवन साथी अथवा पुत्र वधू) का है, हस्तान्तरणकर्ता की आय में जोड़ा जायेगा।

एक अवयस्क संतान की आय उस माता अथवा पिता की आय में जोड़ी जायेगी जिसकी आय उन दोनों में अधिक होगी। यह नियम उस दशा में लागू होता है जब माता–पिता में वैवाहिक सम्बन्ध मौजूद हो। यदि वैवाहिक सम्बन्ध विद्यमान न हो तो अवयस्क की आय उस माता या पिता की आय है जोड़ी जाती है, जो उसकी (अवयस्क की) देख–भाल करता है। प्रत्येक अवयस्क बच्चे की आय या 1500 रू0 जो दोनों में कम हो कर–मुक्त होगी। एवं शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपंग अवयस्क संतान की आय माता अथवा पिता की आय में नहीं जोड़ी जाती है।

14.12 शब्दावली

खण्डनीय हस्तान्तरण : सम्पत्ति का खण्डनीय हस्तान्तरण किया गया हो तो ऐसी सम्पत्ति से उत्पन्न अथवा प्राप्त आय सम्पत्ति हस्तान्तरणकर्ता की मानी जायेगी।

मानी हुई आय : कुछ ऐसी आये एवं राशियाँ है जो प्रत्यक्ष रूप में करदाता की आयें नहीं है पर वे करदाता की आये मानी जाती हैं।

आपसी व्यवहार : आपसी हस्तान्तरण के अन्तर्गत ऐसे हस्तान्तरण को शामिल करते हैं जो आपस में एक दूसरे का प्रतिफल होते हैं तथा एक दूसरे से एक व्यवहार के साथ समझौते द्वारा इस प्रकार निकट रूप में जुड़े होते हैं कि वह इस व्यवहार का अंश बन जाते हैं।

स्पष्ट न किया गया विनियोग : ऐसे विनियोग जिनका लेखा उसने अपनी बही खाते में नहीं दर्शाया है तथा करदाता विनियोजित धन की प्रकृति एवं स्रोत का कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है।

बेनामी व्यवहार : जब कोई व्यक्ति किसी अवस्ताविक व्यक्ति अथवा नकली नाम के व्यक्ति से कोई व्यवहार करता है तो इसे बनामी व्यवहार कहा जाता है।

14.13 बोध प्रश्न (भाग 'अ') के उत्तर

क) 1) a) मानी गई आय b) हस्तान्तरण

c) धारा 60 d) धारा 63

2) a) असत्य b) सत्य

c) सत्य d) असत्य

3) a) i) श्रीमती रोनक b) ii) स्वयं के लिए

c) ii) हस्तान्तरित d) i) हस्तान्तरणकर्ता (ससुर)

14.14 स्वप्रश्न प्रश्न/अभ्यास (भाग- 'अ')

1) आय के मिलान से क्या आपका क्या आशय है? किन परिस्थितियों में एक व्यक्ति की आय दूसरे की आय मानी आती है।

2) अवस्यक के आय को जोड़ने के सम्बन्ध में प्रावधान बताये।

3) श्री राज एवं उसके परिवार के सदस्यों की आय का विवरण निम्न प्रकार है।

	रू.
1. स्वतः अर्जित आय	
i) व्यवसाय से	1,36,000
ii) प्रतिभूतियों पर ब्याज	35,200
2. पत्नी की आय :	
i) पिता द्वारा उपहार में दी गयी मकान सम्पत्ति का किराया	96,000
ii) 2011 में पति द्वारा उपहार में दी गयी प्रतिभूतियों पर ब्याज	36,600
3. वयस्क पुत्र की आय :	
i) वेतन से आय	2,40,000
ii) उसके (पुत्र) के जन्मदिन पर पिता द्वारा उपहार में दी गई मकान सम्पत्ति का किराया	36,000
4. उसके अवयस्क पुत्र की आय :	
(i) व्यवसायिक संस्था से वेतन	60,000
(ii) उसके पिता द्वारा बैंक में जमा FDR पर ब्याज	36,000
5. उसकी अवयस्क पुत्री की आय :	
i) माता द्वारा उसकी (पुत्री) के नाम पर किये गये विनियोग से ब्याज की आय	20,000
ii) उसके दादा द्वारा उपहार में दी गयी मकान सम्पत्ति से किराया	1,20,000

आयकर अधिनियम के आय को जोड़ने के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये, श्री रात और उसके परिवार के प्रत्येक सदस्य की आय की कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिये गणना कीजिये।

उत्तरः श्रीराज की सकल कुल आये रू0 3,44,800, श्रीमती राज की सकल कुल आय 67,200 रु., राज के वयस्क पुत्र की कुल आय रू0 2,65,200, अवयस्क पुत्र रू0 60,000

4) श्रीमती संध्या अग्रवाल एक डाक्टर है। उसने वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु निम्न विवरण सूचित किया है।

i) 70,000 रू0 प्रतिमाह की दर से वेतन

ii) 20,000 रू0 मासिक की दर से पारिवारिक पेंशन

iii) उसके अवयस्क संतान की आय 35,000 रू0

iv) अपने पति की मृत्यु के पश्चात उसके प्रमाणित भविष्य निधि में संचित राशि 9,00,000 रू0

v) पति की मृत्यु के पश्चात सरकार से प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि 2,00,000 रू0

vi) उसने अपने किराये पर उठे मकान को पुत्र की पत्नी को हस्तान्तरित कर दिया, मकान से किराये की आय 10,000 रू0 प्रतिमाह है।

उसकी कर निर्धारण वर्ष 2020–21 की कर योग्य आय की गणना कीजिये। उसने राज्य सरकार को 2 वर्ष के लिये 4000 रू0 का सेवायोजन कर का भुगतान किया।

उत्तरः कुल आय 11,78,500 रू0

5) एक परिवार की आय निम्न प्रकार है।

		रू0
i)	श्री किशोर की व्यापार से आय	2,07,000
ii)	श्रीमती किशोर की सेवाोजन की आय	1,10,400
iii)	श्री किशोर के पुत्र अमन की कम्पनी से ब्याज की आय विनियोग के लिये धनराशि उसके दादा से प्राप्त हुई थी। अमन अवयस्क है।	13,800
iv)	श्री किशोर के अवयस्क पुत्र अमन की सिनेमा में अभिनय से आय	82,800
v)	श्री किशोर की अवयस्क पुत्री ज्योती की आय	12,650

उपरोक्त में से किसकी आय में बाकी आये जोड़ी जायेगी और उसकी करदेयता को समझाइये तथा कर निर्धारण वर्ष 2020–21 हेतु श्री किशोर की कुल आय की गणना कीजिये।

उत्तरः श्री किशोर की कुल आय 2,30,450 रू0, श्रीमती K की कुल आय 1,10,400 रू0

उत्तर : मास्टर अमन की कुल आय 82,800 रू0:

नोट –

1. श्री किशोर एवं श्रीमती किशोर में से श्री किशोर की आय अधिक है अतः अवयस्क पुत्र एवं अवयस्क पुत्री की आय श्री किशोर की आय में जोड़ी जायेगी।
2. अवयस्क पुत्र किशोर की अभिनय से आय उसकी प्रतिभा एवं कौशल से अर्जित है। अतः इसे A की आय मानकर कर लगेगा।
3. श्रीमती किशोर की सेवायोजन की आय व्यक्तिगत है अतः इस पर उसके ऊपर कर अलग से लगेगा।

6) 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये निम्न विवरण से श्री राम एवं उनकी पत्नी श्रीमती सीता की सकल कुल आय की गणना कीजिये।

i) आभूषण का व्यवसाय करने वाली एक फर्म में श्री राम एवं श्रीमती सीता साझेदार है। उनके लाभ का हिस्सा क्रमशः 1,00,000 रू0 तथा 80,000 रू0 था।

ii) 31 अक्टूबर 2019 को अपर्याप्त प्रतिफल के बदले में श्री राम ने अपना एक मकान श्रीमती सीता को हस्तान्तरित किया। सम्पत्ति 5,500 रू0 प्रतिमाह के किराये पर उठी हुई है।

iii) श्री राम एवं श्रीमती सीता के नाम से 2 वर्ष पूर्व क्रमशः 50,000 रू0 एवं 60,000 रू0 के एक कम्पनी के 10% ऋण पत्र क्रय किये गये। इन ऋण पत्रों को क्रय करने हेतु अपनी आय में से 15000 रू0 श्रीमती सीता ने श्री राम को दिये।

iv) पिछले 10 वर्षो में श्री राम ने श्रीमती सीता को 5,00,000 रू0 हस्तान्तरित किये जिस पर उसने गत वर्षो में 2,50,000 रू0 का ब्याज कमाया। उसने गत वर्ष में 7,50,000 रू0 पर 9.5% की दर से ब्याज कमाया।

v) उसने 1,00,000 रू0 का एक ट्रस्ट को हस्तान्तरित किये तथा उस पर 10,000 रू0 की आय कमाई। इस राशि का प्रयोग वह अपने अवयस्क पुत्रों की शिक्षा पर करेगा।

vi) उसका 17 वर्षीय अवयस्क पुत्र मास्टर युग एक अन्य फर्म में निश्क्रिय साझेदार है तथा इस फर्म से उसने गत वर्ष में अपनी आय के हिस्से के रूप में 25,000 रू0 प्राप्त किये।

उत्तरः राम (सकल कुल आय) 86,450 रू., श्रीमती सीता (सकल कुल आय) 50,500 रू.

सहायक संकेतः

1) राम की सकल कुल आय G.T.I.: [(ii) किराया @ रू0 5500], 7 माह हेतु i.e. रू0 38,500 – प्रमाप कटौती @ 30% पर 38,500 + (iii) ब्याज @ 10% 35,000 रू0 पर (50,000-15000)+(iv) ब्याज @ 9.5% पर रू0 5,00,000 रू0 पर + (v) प्रन्यास ब्याज (10,000-1500)+(vi) कर–मुक्त]

2) श्रीमती सीता की सकल कुल आय [(ii) किराया @ रू0 5,500 5 माह हेतु i.e. रू0 27,500 – प्रमाप कटौती @ 30% पर 27,500 + (iii) ब्याज @ 10% रू0 75,000 पर अर्थात (60,000+15000)+ (iv) ब्याज @ 9.5%, 2,50,000 रू0 पर अर्थात (7,50,000-5,00,000)].

3) फर्म की आय में हिस्सा करमुक्त है।

भाग– 'ब'

(हानियों को पूरा करना और उन्हें आगे ले जाना)

14.15 आय के शीर्षक एवं आय के स्त्रोत (HEAD AND SOURCE OF INCOME)

जैसा कि पूर्व की इकाई में पहले वर्णित किया गया है कि एक करदाता की आय को निम्न पाँच आय के शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है :

1) 'वेतन' से आय।
2) मकान सम्पत्ति से आय।
3) व्यवसाय अथवा पेश के लाभ।
4) पूँजी लाभ।
5) अन्य स्त्रोतों से आय/अन्य साधनों से आय।

एक आय के शीर्षक के अन्तर्गत विभिन्न आय के स्त्रोत हो सकते है। जब विभिन्न आय के स्त्रोत एक प्रकार की आय के शीर्षक से सम्बन्धित होते है तो इन स्त्रोतो के लिये इसी आय का शीर्षक कहा जाता है। उदाहरण के लिये एक करदाता उप किरायेदार (Sub-tenant) से आय प्राप्त करता है, परामर्श से आय प्राप्त करता है, लाटरी से आय प्राप्त करता है तथा अधिकार शुल्क की आय किसी गत वर्ष में प्राप्त करता है। इनमें से प्रत्येक, आय, आय का स्रोत है परन्तु यह सभी आय अन्य साधनों से आय शीर्षक से सम्बन्धित है तथा यह सभी चारो आय अन्य साधनों से आय शीर्षक में आय के विभिन्न स्त्रोतों के रूप में जोड़ी जायेगी।

14.16 हानि की पूर्ति से आशय (MEANING OF SET OFF OF LOSSES)

एक करदाता के किसी आय के शीर्षक के अन्तर्गत विभिन्न आय के स्त्रोत हो सकते है परन्तु गत वर्ष में यह आवश्यक नहीं है कि उनमें से प्रत्येक स्त्रोत से आय उत्पन्न होगी। वास्तविकता यह है कि एक ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसमें आय के एक शीर्षक में, कुछ स्त्रोत हानि उत्पन्न करें जबकि कुछ अन्य स्त्रोत आय या लाभ प्रदर्शित करे। करदाता पर क्योंकि शुद्ध आय पर कर लगता है अतः इस प्रकार की हानियों को दूसरे स्त्रोतों की आय या लाभ से पूरा किया जाता है। हानियों का यह समायोजन हानियों की पूति करने के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार आय के एक शीर्षक के अन्तर्गत लाभ और दूसरे शीर्षक के अन्तर्गत हानि हो सकती है। इस प्रकार के एक शीर्षक की हानि को भी दूसरे शीर्षक के लाभ से पूरा किया (Set off) जा सकता है।

14.17 हानियों की पूर्ति सम्बन्धी प्रावधान (PROVISIONS REGARDING SET OFF LOSSESS)

आयकर अधिनियम के हानियों की पूर्ति सम्बन्धी प्रावधान निम्न प्रकार है :

14.17.1 अन्तर–स्त्रोत समायोजन (पूर्ति) (धारा 70) [Inter Source Adjustment (set off)]:

यदि किसी कर–निर्धारण वर्ष के अन्तर्गत किसी आय के शीर्षक में स्त्रोत विशेष के सन्दर्भ में शुद्ध परिणाम हानि हो तो ऐसी हानि को उसी आय के किसी दूसरे स्त्रोत से होने वाले

लाभ से पूरा किया जा सकता है। इसे अन्तर स्त्रोत समायोजन कहा जाता है। उदाहरण के लिये, यदि किसी करदाता की 4 मकान सम्पत्तियाँ है, उनमें से तीन सम्पत्तियों से शुद्ध कर–योग्य आय है परन्तु चौथी मकान सम्पत्ति से शुद्ध हानि है। करदाता इस एक मकान सम्पत्ति की हानि को शेष मकान सम्पत्तियों की आय से पूरा कर सकता है। इसी प्रकार यदि एक करदाता के विभिन्न प्रकृति के 4 व्यवसाय है। किसी वर्ष विशेष में उनमें से किन्हीं दो व्यवसायों में हानि और शेष दो व्यवसायों में कर–योग्य लाभ हो तो इन दो व्यवसायों की हानियों को शेष दो व्यवसायों के लाभ से पूरा किया जा सकता है।

अपवाद

i) **सट्टे की हानियों** को करदाता द्वारा संचालित केवल अन्य किसी सट्टे के व्यवसाय से होने वाले लाभ से ही पूरा किया जा सकता है।

ii) **कर से छूट प्राप्त स्त्रोत की हानि** को किसी अन्य स्त्रोत की आय से पूरा नहीं किया जा सकता। उदाहरणार्थ कृषि–हानि को किसी अन्य स्त्रोत की आय से पूरा नहीं किया जा सकता।

iii) **घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व एवं रख–रखाव की गतिविधियों से उत्पन्न हानि** किसी अन्य स्त्रोत की आय से पूरी नहीं हो सकती परन्तु उसी आय के स्त्रोत से इसे पूरा किया जा सकता है।

iv) अन्य व्यवसायों की हानियों को घुड़दौड़ एवं लाटरी आदि की जीत की राशि से पूरा नहीं किया जा सकता।

v) दीर्घकालीन पूँजी हानियों को केवल दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति के लाभों से पूरा किया जा सकता है। इसके लिये अल्पकालीन पूँजी लाभ का प्रयोग नहीं हो सकता।

vi) अल्पकालीन पूँजी हानि को किसी भी प्रकार की पूँजी सम्पत्ति के लाभों से (दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन दोनों से) पूरा किया जा सकता है।

vii) लाटरी आदि की हानियों को लाटरी की जीत की राशि से अथवा ताश के खेल जैसे अन्य खेलों की जीत की राशि से पूरा नहीं किया जा सकता।

viii) धारा 35 A.D. में सन्दर्भित विशिष्ट व्यवसाय की हानियों को केवल अन्य विशिष्ट व्यवसायों की आय में से ही पूरा किया जा सकता है।

14.17.2 अन्तर शीर्षक समायोजन (पूर्ति) (धारा 71)

यदि किसी कर–निर्धारण वर्ष में, किसी शीर्षक की आय की गणना का परिणाम हानि है, तो करदाता ऐसी हानि की पूर्ति किसी अन्य शीर्षक की कर योग्य आय में से करने का अधिकारी होगा। यद्यपि इस नियम के कुछ अपवाद भी है जो निम्न प्रकार है–

अपवादः

i) सट्टे के व्यापार की हानि को किसी अन्य आय से पूरा नहीं किया जा सकता।

ii) धारा 35 A.D. में संदर्भित विशिष्ट व्यवसायों की हानि को केवल उसी प्रकार के विशिष्ट व्यवसायों की आय से ही पूरा किया जा सकता है।

iii) पूँजी लाभ शीर्षक की हानियों को अन्य किसी शीर्षक की आय से पूरा नहीं किया जा सकता है।

iv) घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व एवं रख–रखाव से उत्पन्न हानि को किसी अन्य आय से पूरा नहीं किया जा सकता है।

v) व्यापार अथवा पेश की हानि को वेतन शीर्षक की आय से पूरा नहीं कर सकते।

vi) किसी भी कर–निर्धारण वर्ष में 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक के अन्तर्गत की हानि किसी भी अन्य आय के शीर्षक से अधिक से अधिक 2 लाख रूपये तक पूरी की जा सकती है।

vii) कर–मुक्त स्त्रोत की हानि को किसी भी कर योग्य आय से पूरा नहीं किया जा सकता है।

viii) लाटरी से हानि, शर्त से हानि, क्रास वर्ड पहेली (Puzzles) तथा जुआ की हानि को अन्य किसी भी शीर्षक की आय से पूरा नहीं किया जा सकता है और इसी प्रकार से उसी शीर्षक के अन्य स्त्रोत की आय से भी नहीं पूरा किया जा सकता है।

ix) किसी भी स्त्रोत की कोई भी हानि को घुड़दौड़, ताश के खेल, लाटरी आदि की आय से पूरा नहीं किया जा सकता।

14.17.3 सामान्य व्यवसाय या नगर स्टेट व्यवसायें की हानियों की पूर्ति

सामान्य व्यवसाय के अन्तर्गत सभी गैर–सट्टे के व्यवसायों को शामिल करते है। व्यवसाय अथवा पेशे की किसी भी हानि (सट्टे के व्यवसाय की हानि को छोड़कर) को उसी आय के शीर्षक के किसी अन्य स्त्रोत की आय से अथवा सट्टे के व्यवसाय की आय सहित अन्य शीर्षक की आय से पूरा किया जा सकता है परन्तु इसमें वेतन शीर्षक की आय सम्मलित नहीं होगी।

अवैध व्यवसाय की हानि को वैध व्यवसाय के लाभों से पूरा नहीं किया जा सकता है। यद्यपि इस प्रकार की हानियों (अवैध–हानियों) को अवैध व्यवसाय के लाभ से पूरा किया जा सकता है। गैर चालू व्यवसाय (बन्द व्यवसाय) की हाँनियों की पूर्ति की जा सकती है।

14.17.4 सट्टे के व्यवसाय की हानियों की पूति (धारा 71(1))

सट्टे के व्यवसाय से सम्बन्धित हानियों की पूर्ति करदाता द्वारा संचालित उसी प्रकार के दूसरे व्यवसाय (सट्टे का व्यवसाय) के लाभों से की जा सकती है। इस प्रकार की हानि की पूर्ति अन्य किसी भी शीर्षक की आय से नहीं की जा सकती।

14.17.5 विशिष्ट व्यवसायों की हानियों की पूर्ति (धारा 71A) (कर निर्धारण वर्ष 2010–11 से प्रभावी)

धारा 35 A.D. में संदर्भित किसी भी विशिष्ट व्यवसाय के सन्दर्भ में गणना की गयी हानि की पूर्ति यदि अन्य किसी विशिष्ट व्यवसाय में लाभ हो तो उससे ही केवल की जायेगी। इसकी (हानि की) पूर्ति अन्य किसी व्यवसाय की आय से नहीं की जा सकती है।

14.17.6 पूँजी लाभ शीर्षक के अन्तर्गत हानियों की पूर्ति

पूँजी हानियाँ (a) अल्पकालीन (b) दीर्घकालीन हो सकती है।

a) अल्पकालीन पूँजी हानियों की पूर्ति किसी भी पूँजी लाभ से की जा सकती अर्थात अल्पकालीन पूँजी लाभ अथवा दीर्घ्ज्ञकालीन पूँजी लाभ से।

b) दीर्धकालीन पूँजी हानि की पूर्ति केवल दीर्धकालीन पूँजी लाभ से ही की जा सकती है।

14.17.7 घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व एवं उनके रख–रखाव की हानियों की पूर्ति (धारा 74A(1))

किसी करदाता द्वारा, किसी कर–निर्धारण वर्ष में घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व एवं रख–रखाव की हानि को उसी प्रकार की गतिविधियों (घोड़ों के स्वामित्व एवं उनके रखरखाव) की आय से की जा सकती है। इस प्रकार की हानि को किसी अन्य स्त्रोत की आय से पूरा नहीं किया जा सकता।

14.17.8 लाटरी, शर्त, जुए, क्रास वर्ड पहेली, अथवा ताश के खेल आदि की हानियों की पूतिः

इस प्रकार की हानियों की पूर्ति किसी भी आय से, जिसमें लाटरी की जीत, क्रास वर्ड पहेली, घुडदौड तथा ताश के खेल से आय भी सम्मिलित है, से नहीं की जा सकती है।

14.17.9 साझेदारी फर्म की हानियों की पूर्तिः

फर्म करदाता की दशा में फर्म की हानियों को इसकी (फर्म की) स्वयं की आय से पूरा किया जा सकता है। हानि की पूर्ति के नियम वहीं होंगे जो गैर–फर्म करदाताओं की दशा में लागू होते है और इनका वर्णन इस इकाई में पूर्व में किया जा चुका है। कोई भी साझेदार फर्म की हानि में अपने हिस्से को, स्वयं की व्यक्तिगत आय से पूरा नहीं कर सकता।

14.17.10 व्यक्त्यिों के संघ (A.O.P.) अथवा व्यक्तियों के समूह (BOI) की हानियों की पूर्ति

व्यक्तियों के संघों अथवा व्यक्तियों के समूह की हानियाँ, उनकी स्वयं की आय से पूरी की जा सकती है। इनकी हानियों की पूर्ति के नियम सामान्य करदाता की भाँति ही होते है। व्यक्तियों के संघ (A.O.P.) अथवा व्यक्तियों के समूह (BOI) की हानियों मं इनके सदस्यों के हिस्से को, सदस्यों की स्वयं की आय से पूरा नहीं किया जा सकता।

14.18 हानियों को आगे ले जाना तथा हानियों की पूर्ति से आशय (MEANING OF CARRY FORWARD AND SET OFF OF LOSSES)

जैसा कि पूर्व के पृष्ठों में बताया गया है, हानियों की पूर्ति से आशय उसी वर्ष की आय से हानियों को पूरा करना होता है। यदि किसी कर–निर्धारण वर्ष की हानियों उसी वर्ष की आय से अधिक होती है तो उन्हें सम्पूर्ण रूप में उसी वर्ष में पूरा नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में जो हानियाँ पूरा नहीं हो सकी (हानियों का आय पर आधिक्य) उन्हें आगे ले जाया जाता है तथा न पूरी हो सकी हानियाँ (Not set off losses) को अगले वर्षो में पूरा किया जाता है परन्तु शर्त यह है कि हानियों का निर्धारण आयकर विवरणी के अनुसार धारा 139 (1) में दी गयी समय सीमा के अर्न्तगत अथवा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित समयानुसार किया जाना चाहिये। इस प्रक्रिया को हानियों को आगे ले जाना तथा उनकी पूर्ति करना कहते है। यदि आयकर विवरणी धारा 139 (1) के प्रावधानों में निर्धारित समय सीमा में न भी दाखिल की आये तब भी मकान सम्पत्तियों की हानियों को आगे ले जाया जा सकता है।

14.19 हाँनियों को आगे ले जाना तथा हाँनियों की पूर्ति सम्बन्धी प्रावधान (PROVISIONS REGARDING CARRY FORWARD AND SET OFF OF LOSSES)

आगामी वर्षो में पूर्ति हेतु सभी हानियों को आगे नहीं ले जाया जा सकता। आगामी वर्षो में केवल निम्न विशिष्ट हाँनियों को पूर्ति हेतु आगे ले जाया जा सकता है।

14.19.1 मकान सम्पत्ति से हानि [धारा 71(B)]

'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक के अन्तर्गत हानि किसी अन्य आय के शीर्षक की आय से 2 लाख रू0 तक की पूर्ति कर निर्धारण वर्ष में की जा सकती है। ऐसी हानि का अशोधित (न पूरा हुआ भाग) भाग को मकान 'सम्पत्ति से आय' शीर्षक की आय से पूरा करने हेतु अधिक से अधिक अगले 8 वर्षो तक आगे ले जाया जा सकता है।

14.19.2 सामान्य व्यवसाय/व्यापार की हानियाँ [धारा 72]

यदि सामान्य व्यवसाय की हाँनियों की सम्पूर्ण राशि उसी गत वर्ष में न पूरी की जा सके तब निम्न प्रावधानों के अन्तर्गत न पूरी की जा सकी हानि की राशि को आगे के वर्षो के लाभों से पूरा कारने हेतु आगे ले जाया जा सकता है।

- ऐसी न पूरी हो सकी हानियों को केवल व्यवसाय अथवा पेशे के लाभों तथा आयों से पूरा करने हेतु आगे ले जाया जा सकता है। अतः यदि न पूरी हुई हाँनियों को आगे के वर्षो में ले जाया जाता है तथा पूराा किया जाता है तो उसे व्यवसाय एवं पेशे के लाभों को छोड़कर अन्य किसी आय के शीर्षक से पूरा नहीं किया जा सकता है।
- ऐसी न परी हो सकी हानियों की पूर्ति को ऐसी व्यापारिक गतिविधियों की आय से भी पूरा किया जा सकता है जो व्यापार एवं पेशे के लाभ शीर्षक के अन्तर्गत न आती हो।
- ऐसी न पुरी हो सकी हानियों को उस कर–निर्धारण वर्ष से जिसमें प्रथम बार ऐसी हानि की गणना की गयी हो से अगले 8 कर निर्धारण वर्ष तक आगे ले जाया जा सकता है।
- हानि के उत्पन्न होने वाले समय में जो व्यक्ति उसका स्वामी था उसे ऐसी हानि को आगे ले जाने का अधिकार होता है। अतः यदि व्यापार नये स्वामी को हस्तान्तरित कर दिया गया हो तो ऐसे व्यापार के नये स्वामी द्वारा पूरी न हो सकी हानियों को आगे नहीं ले जाया जा सकता है।
- यदि व्यापार जिसकी हानि पूरी न हो सकी हो न भी चल रहा हो (बन्द हो गया हो) तब भी उसके बन्द होने से पूर्व की ऐसी हानियों को आगे ले जाया जा सकता है तथा व्यापार एवं पेशे के लाभ अथवा आय से पूरा किया जा सकता है।
- धारा (35 AD.) में सन्दर्भित विशिष्ट व्यापार की हानि को इसी प्रकार के अन्य व्यापार की आय से पूरा करने हेतु आगे के वर्षो में ले जाया जा सकता है।
- नैसर्गिक विपत्तियों जैसे बाढ़, चक्रावत आदि के कारण उत्पन्न हाँनियों के कारण यदि कोई व्यापारिक उपक्रम बन्द हो जाता है और बन्द होने के पश्चात 3 वर्ष के अन्दर पुर्नजीवित हो जाता है, तो ऐसे उपक्रम की हाँनियों को पुर्नजीवित व्यापार के लाभों से अथवा अन्य व्यापार के लाभ से पूरा करने हेतु उस वर्ष से जिसमें व्यापार पुनः प्रारम्भ किया जाता है अधिकतम 8 वर्षो तक आगे ले जाया जा सकता है।

- यदि ऐसी हानियों का विस्तृत विवरण धारा 139 के प्रावधानों के अनुसार आयकर विवरणी में न दिया गया हो तो ऐसी हानियों को आगे ले जाकर पूरा नहीं किया जा सकता। यद्यपि नई शर्तो के पूरा करने पर विवरणी दाखिल करने में विलम्ब को क्षमा किया जा सकता है।

14.19.3 संचित अथवा एकत्रित हानि (Accumulated Loss) तथा अशोधित ह्रास (Unabsorbed Depreciation)

व्यापारिक हानियों के अतिरिक्त (a) अशोधित ह्रास (b) वैज्ञानिक शोध पर किये गये अशोधित पूँजी व्यय तथा (c) परिवार नियोजन पर अशोधित व्यय जो कि यद्यपि आयकर विधान के अनुसार व्यापारिक हानियाँ नहीं है फिर भी इनको अनिष्चित काल तक आगे ले जाया जा सकता है। इन हाँनियों की पूर्ति 'वेतन' शीर्षक के अतिरिक्त किसी भी अन्य आय के शीर्षक से निम्न क्रम में की जा सकती है।

i) चालू वर्ष का ह्रास [धारा 21 (1)]

ii) मान्य सीमा तक चालू वर्ष में वैज्ञानिक शोध पर पूँजीगत व्यय एवं परिवार नियोजन पर व्यय।

iii) आगे लाये गये व्यापार अथवा पेशे की हानियाँ। [धारा 72 (1)]

iv) अशोधित ह्रास। [धारा 32 (2)]

v) वैज्ञानिक शोध पर अशोधित पूँजीगत व्यय। [धारा 35 (4)]

vi) परिवार नियोजन पर अशोधित व्यय। [धारा 21 (1) (ix)]

यह अनिवार्य है कि ऐसी सभी हानियों का विस्तृत विवरण आयकर विवरणी में होना चाहिये तथा विवरणी धारा 139 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत समय से दाखिल होनी चाहिये अन्यथा हानियों को आगे नहीं ले जाया जा सकता है। अशोधित ह्रास एवं संचित हानियों को आगे ले जाने के नियम विभिन्न परिस्थितियो में निम्न प्रकार है :

a) **एकीकरण की कुछ दशाओं में [धारा 72(A)]**

धारा 72 A (1) के अनुसार (i) जहाँ एक ऐसी कम्पनी का एकीकरण दूसरी कम्पनी के साथ हुआ है जिसका स्वामित्व एक औद्योगिक उपक्रम अथवा पानी के जहाज अथवा होटल का है अथवा (ii) जहाँ एक बैकिंग कम्पनी को एक विशिष्ट बैंक से एकीकरण हुआ है अथवा (iii) एक या एक से अधिक ऐसी सार्वजनिक कम्पनी अथवा कम्पनियाँ जो हवाई जहाज के संचालन में संलग्न है, एक या एक से अधिक सार्वजनिक कम्पनी से एकीकरण करती है अथवा ऐसी कम्पनी से एकीकरण करती है जो समान व्यवसाय में लिप्त हो, तो एकीकृत होने वाली कम्पनी की उस गतवर्ष की संचित हानियाँ एवं अशोधित ह्रास को जो एकीकृत होने वाले वर्ष का है आगे ले जाया जा सकता है। इस प्रकार हानि पूरा करने की कुछ शर्तो के अधीन एकीकृत (Ammalgamated) कम्पनी की हानियों एवं अशोधित ह्रास जो कि एकीकृत (Ammalgamated) कम्पनी का हो आगे ले जाकर पूरा कर सकती है। यदि धारा 72 (i) की शर्तो की पालन नहीं होती है तो अधिकृत कम्पनी को पूरा करने और आगे ले जाने का अधिकार नहीं होगा।

b) **अविलियन (Demerger) की कुछ दशाओं में [धारा 72(A)]**

धारा 72 A (4) के अन्तर्गत, एक उपक्रम के अविलियन की दशा में, अविलियन हुई कम्पनी की संचित हानि तथा अशोधित ह्रास की छूट को परिणामी कम्पनी (Resulting

Company) द्वारा आगे ले जायी जा सकता है और उसे पूरा किया जा सकता है। अविलियन हुई कम्पनी द्वारा परिणामी कम्पनी को ऐसी संचित हानियों तथा अशोधित ह्रास को हस्तान्तरित किये जाने पर, परिणामी कम्पनी द्वारा उसे आगे ले जाया जा सकता है तथा पूरा किया जा सकता है।

c) **उत्तराधिकार की दशा में एक फर्म या एकाकी व्यवसाय का कम्पनी द्वारा लिया जानाः**

धारा 72 A (6) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब किसी फर्म या एकाकी व्यक्ति का व्यवसाय एक कम्पनी द्वारा कुछ शर्तो को पूरा करते हुये ले लिया जाता है तब पूर्व के फर्म या एकाकी व्यक्ति के व्यवसाय की संचित हानि तथा अशोधित ह्रास को कम्पनी के उस वर्ष के लिये हानि एवं ह्रास की छूट हेतु माना जाता है जिस वर्ष में यह पुनर्गठन हुआ हो तथा हानि एवं अशोधित ह्रास को आगे ले जाने के प्रावधान तद–अनुसार लागू होंगे।

d) **उत्तराधिकार की दशा में एक निजी कम्पनी अथवा एक गैर सूचीबद्ध कम्पनी को सीमित दायित्व साझेदारी (LPP) द्वारा लिया जाना :**

धारा 72 A (6A) के अन्तर्गत यदि व्यवसाय के पुनर्गठन के कारण एक निजी कम्पनी अथवा गैर–सूचीबद्ध कम्पनी धारा 47 (xiii b) की शर्तो को पूरा करते हुये एक सीमित दायित्व साझेदारी के रूप में उत्तराधिकार प्राप्त करती है तो पूर्व की कम्पनी की संचित हानियों तथा अशोधित ह्रास को सीमित दायित्व साझेदारी का उस गत वर्ष की हानि एवं ह्रास की छूट माना जायेगा जिसमें ऐसा उत्तराधिकार हुआ हो तथा हानि को आगे ले जाने एवं हानि की पूर्ति तथा ह्रास के आगे ले जाने एवं उसकी पूर्ति सम्बन्धी अन्य प्रावधान सामान्य प्रकार से परिस्थिति अनुसार लागू होंगे।

e) **कुछ दशाओं में बैकिंग कम्पनी के एकीकरण की योजना [धारा 72(AA)]**

धारा 72 –A-A के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि किसी स्वीकृत एवं लागू योजना के आधीन एक बैकिंग कम्पनी का किसी दूसरी बैकिंग संस्था के साथ एकीकरण होता है तो, आयकर अधिनियमन के हानियों के आगे ले जाने तथा उनकी पूर्ति सम्बन्धी नियम सामान्य रूप में परिस्थिति अनुसार लागू होंगे।

f) **सहकारी बैंकों के व्यवसायिक पुनर्गठन की दशा में [धारा 72(AB)]**

धारा 72 AB के प्रावधानों के अधीन, यदि दो सहकारी बैंकों का एकीकरण होता है तो पूर्व की सहाकारी बैंक की संचित हानि एवं अशोधित ह्रास को उत्तराधिकारी (वाद वाली) सहकारी बैंक द्वारा संचित हानि एवं अशोधित ह्रास को आगे ले जाया जा सकता है तथा पूरा किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में हांनियों की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाकर पूर्ति करने से सम्बन्धित अधिनियम के सभी प्रावधान लागू होंगे।

14.19.4 सट्टे की हानियाँ [धारा 73]

यदि सट्टे के व्यापार की हानि की पूर्ति उसी कर निर्धारण वर्ष में सट्टे के अन्य व्यापार की आय से नहीं होती है तो पूरी न हो सकने वाली हानि को अगले वर्षो में सट्टे के व्यापार के लाभ से पूरा करने हेतु आगे ले जाया जा सकता है। इस प्रकार की न पूरी हुई हानि को जब हानि प्रथम बार आगणित की गयी थी तब से अधिकतम अगले 4 कर–निर्धारण वर्षो में आगे ले जाया जा सकता है।

14.19.5 विशिष्ट व्यवसायों की हानि [Losses of Specified Business] [धारा 73(A)]

धारा 73 A के अनुसार, यदि किसी कर निर्धारण वर्ष में, यदि विशिष्ट व्यवसाय के सम्बन्ध में किसी हानि की गणना की जाती है और ऐसी हानि का उसी कर निर्धारण वर्ष में किसी अन्य विशिष्ट व्यवसाय के लाभ से पूर्णतः अथवा आंशिक रूप में पूरा नहीं किया जा सकता है तो ऐसी न पूरी हो सकी हानि को आगामी वर्षो में ले जाया जा सकता है तथाः

i) करदाता द्वारा इसे किसी चालू विशिष्ट व्यवसाय के कर निर्धारण वर्ष हेतु कर योग्य लाभ से पूरा किया जा सकता है।

ii) यदि हानि की पूर्ति पूर्णतः नहीं की जा सकती है तो न पूरी हुई हानि को विशिष्ट व्यवसाय के लाभ से पूरा करने हेतु तब तक आगामी वर्षों में ले जाया जायेगा जब तक कि उसकी (हानि की) सम्पूर्ण राशि की पूर्ति न हो जाये।

14.19.6 पूँजी हानियाँ [Capital Looses] [धारा 74]

a) किसी गत वर्ष की न पूरी हो सकी अल्पकालीन पूँजी हानि को, दीर्घकालीन पूँजी लाभ अथवा अल्पकालीन पूँजी लाभ से पूरा करने हेतु जिस वर्ष हानि हुई थी उससे अधिक से अधिक 8 कर निर्धारण वर्षो तक आगे ले जाया जा सकता है।

b) किसी गत वर्ष की न पूरी हो सकी दीर्घकालीन पूँजी हानि को, दीर्घकालीन पूँजी लाभ से पूरा करने हेतु, जिस वर्ष हानि हुई थी उससे अधिक से अधिक 8 कर निर्धारण वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है।

14.19.7 घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व एवं उनके रख–रखाव की हानियाँ [Losses on Account of Owning and Maintaining Race Horses] [धारा 74A]

घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व एवं उनके रख–रखाव की न पूरी हुई हानियों को अधिक से अधिक उस कर निर्धारण वर्ष से जिसमें प्रथम बार हानि की गणना की गयी थी 4 कर निर्धारण वर्ष तक घुड़दौड़ के स्वामित्व एवं उनके रख–रखाव के लाभों से पूरा करने हेतु आगे ले जाया जायेगा बशर्ते कि घुड़दौड़ के घोड़ों का स्वामित्व और उनके रख–रखाव की गतिविधियाँ उस वर्ष तक जारी रहें जिसमें हानि पूरी की जाती है। यदि गतिविधियाँ बन्द कर दी जाती है तो ऐसी हानि को पूरा नहीं किया जा सकता।

14.19.8 फर्म की हानियाँ [Losses of Firm]

साझेदार द्वारा फर्म के लाभों में हिस्सा प्राप्त किया जाता है और यह करमुक्त होता है परन्तु फर्म की हाँनियों में साझेदारों का कोई हिस्सा नहीं होता। सामान्य रूप से साझेदारी फर्म की हानियों की पूर्ति और उन्हें आगे ले जाने सम्बन्धी नियम वही है जो सामान्य व्यवसाय हेतु होते है तथा उनका विवरण पूर्व के पृष्ठों में किया जा चुका है परन्तु कुछ मुख्य बिन्दु इस सम्बन्ध में निम्न प्रकार हैः–

i) फर्म केवल अपनी हाँनियों को पूरा कर सकती है तथा न पूरी हुई हाँनियों को पूरा करने के लिये आगे ले जा सकती है परन्तु फर्म साझेदारों की हानियों के सम्बन्ध में

ऐसा नहीं कर सकती है।

ii) फर्म की न पूरी की जा सकी व्यवसायिक हाँनियों को अगले 8 कर निर्धारण वर्षो तक व्यावसायिक लाभों/आयों से पूरा करने हेतु आगे ले जा जा सकता है।

iii) अशोधित ह्रास, वैज्ञानिक शोध पर पूँजीगत व्यय तथा परिवार नियोजन सम्बन्धी पूँजीगत व्ययों को बाद के कर निर्धारण वर्षो में तब तक आगे ले जाया जा सकता है जब तक ऐसे व्ययों/ह्रास की पूर्ति न हो जाये। सरल शब्दों में इन्हें आगे ले जाने की कोई समय सीमा नहीं है।

14.19.9 फर्म के संगठन में परिवर्तन होने पर फर्म की हानियाँ [Losses of Firm in Case of Change in Constitution] [धारा 78(1)]

निम्नलिखित में से किसी भी परिस्थिति में एक फर्म के संगठन में परिवर्तन हुआ माना जायेगा :

i) फर्म के किसी एक या अधिक साझेदारों की मृत्यु अथवा अवकाश ग्रहण हो जाने पर

ii) फर्म के एक या अधिक साझेदारों के दिवालिया हो जाने पर,

iii) फर्म में एक या अधिक साझेदारों का प्रवेश होने पर

iv) साझेदारों के लाभ विभाजन के अनुपात में परिवर्तन होने पर।

यदि किसी साझेदारी फर्म के संगठन में कोई परिवर्तन उपर्युक्त परिस्थितियों में से नं. (i) परिस्थिति में हुआ है तो अवकाश प्राप्त अथवा मृतक साझेदार के हिस्से की हानि को आगे ले जाने तथा उसकी पूर्ति करने का अधिकार समाप्त हो जाता है।

14.19.10 फर्म के उत्तराधिकार में परिवर्तन की दशा में हानियाँ [Losses in Case of Change in Succession of Firm] [धारा 78(2)]

यदि किसी फर्म की हानियाँ स्वामित्व परिवर्तन से पूर्व की अवधि से सम्बन्धित है तो इस प्रकार की हानियों को स्वामित्व परिवर्तन के पश्चात की अवधि में, नये स्वमी द्वारा आगे के वर्षो में ले जाकर पूरा नहीं किया जा सकता है।

14.19.11 विरासत में परिवर्तन के कारण व्यवसायिक उत्तराधिकार सम्बन्धी हानियों की दशा में [Losses in Case of Change in Succession in Business By Inheritance]

यदि उत्तराधिकार में परिवर्तन, विरासत में हुये परिवर्तन के कारण होता है तो उत्तराधिकार परिवर्तन से पूर्व की अवधि की हाँनियों को उत्तराधिकारी द्वारा आगे ले जाकर, उत्तराधिकार के परिवर्तन के बाद के वर्षो के लाभ से पूरा किया जा सकता है।

14.19.12 कुछ कम्पनियों की दशा में हानियाँ [Losses in Case of Certain Companies] [धारा 79]

i) एक ऐसी कम्पनी की दशा में जिसमें जनता का सारवान हित नहीं है और गत वर्ष में कम्पनी के अंशधारियों में परिवर्तन हो जाये तो गत वर्ष से पूर्व के वर्षो की हाँनियों को गत वर्ष के लाभों से पूरा किया जा सकता है परन्तु शर्त यह है कि जिस वर्ष में हानि हुई हो उस वर्ष के अन्तिम दिन 51% प्रतिशत का मताधिकार रखने वाले

अंशधारी पुराने ही होने चाहिये और परिवर्तन अल्प मताधिकार रखने वाले अंशधारियों में होना चाहिये।

ii) धारा 80-I AC के अन्तर्गत सन्दर्भित यदि कोई योग्य प्रारम्भिक कम्पनी (Eligible Start-up Company) जिसमें जनता का सारवान हित नहीं है की ऐसी हानियाँ है जो गत वर्ष से पूर्व के वर्ष में हुई हो तो उन्हें आगे ले जाया जायेगा और गत वर्ष की आय से पूरा किया जायेगा परन्तु शर्त यह है कि जिस वर्ष में हानि हुई हो उस वर्ष के अन्तिम दिन सभी मताधिकार रखने वाले अंशधारी

a) उक्त गत वर्ष के अन्तिम दिन भी अंशधारी बने रहे।

b) इस प्रकार की हानि कम्पनी को, कम्पनी के समामेलन के वर्ष के प्रारम्भ से 7 वर्षो की अवधि के मध्य होनी चाहिये।

अंशधारियों में परिवर्तन यह प्रावधान निम्न दशाओं में लागू नहीं होंगे।

i) अंशधारियों में परिवर्तन, अंशधारी अथवा अंशधारियों की मृत्यु के कारण हुआ हो।

ii) अंशधारियों में परिवर्तन किसी अंशधारी द्वारा अपने किसी सम्बन्धी को उपहार के रूप में अंशों के हस्तान्तरण के कारण, हुआ हो।

14.19.13 लाटरी, क्रासवर्ड पहेली, जुआ तथा शर्त इत्यादि के कारण हाँनियाँ [Losses of Lottery, Crossword Puzzles, Gambling and Betting Etc.]

इन हाँनियों को न तो आगे ले जाया जा सकता है और न ही इन हाँनियों की पूर्ति किसी भी आय से की जा सकती है।

14.19.14 व्यक्तियों के संगठन/संघ अथवा व्यक्तियों के समूह की दशा में हानियाँ [Losses in Case of Association of Persons (AOP) or Body of Individuals (BOI)]

व्यक्तियों के संघ (AOP) अथवा व्यक्तियों के समूह (BOI) की हाँनियों को इनके स्वयं के द्वारा पूरा करने हेतु आगे ले जाया जायेगा। इन्हें अपनी हाँनियों को सदस्यों के मध्य बाँटने का अधिकार नहीं है। अन्य शब्दों में इनके सदस्यों को अपनी व्यक्तिगत आय से इन हानियाँ को पूरा करने का अधिकार नहीं है। अन्य शब्दों में व्यक्तियों संघ अथवा व्यक्तियों के समूह की हाँनियाँ यदि इन्हीं की आय के किसी शीर्षक की आय से पूरी नहीं की जा सकती तो इनके सदस्यों को अपनी व्यक्तिगत आय से ये हानियाँ पूरा करने का अधिकार नहीं है।

14.19.15 बोनस अनावृत्त (Bonus stripping) के कारण उत्पन्न हाँनियाँ [Losses Arising in Case of Bonus Stripping] [धारा 94(8)]

बोनस अनावृत एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक सूचीबद्ध कम्पनी की इकाईयों (Units) का क्रय–विक्रय का व्यवहार इस प्रकार किया जाता है जिससे ऐसी अल्पकालीन पूँजी हानि होती है जिसे अन्य किसी पूँजी लाभ से समायोजित किया जा सकता है।

बोनस अनावृत के अन्तर्गत, अंशधारियों द्वारा कम्पनी के अधिलाभांश (Bonus) की घोषणा से पूर्व इकाईयाँ क्रय कर ली जाती है। बोनस इकाईयों के कम्पनी द्वारा निर्गत किये जाते ही विनियोक्ता द्वारा अधिलाभांश (Bonus) से पूर्व की इकाईयां को बेच दिया जाता है। इसके

फलस्वरूप अल्पकालीन पूँजी हानि हो सकती है। बाद में वे एक वर्ष बाद अधिलाभांश इकाईयों (Bonus Units) का भी विक्रय कर देते है। इस स्थिति में अंशधारियों को द्विस्तरीय लाभ हो सकता है :

i) मूल इकाईयों (अधिलाभांश से पूर्व की) के विक्रय से उत्पन्न होने वाली अल्पकालीन पूँजी हानि को किसी भी पूँजी लाभ से पूरा किया जा सकता है।

ii) अधिलाभांश इकाईयों के विक्रय से उत्पन्न दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर 10% की कर से छूट (कमी) का लाभ उठाया जा सकता है।

बोनस अनावृत की प्रथा को रोकने के दृष्टिकोण से धारा 94 (8) को जोड़ा गया है। इस धारा के अनुसार यदि कोई विनियोक्ता रिर्कोड तिथि (जिस तिथि को अधिलाभांश इकाई का आवंटन किया गया हो) के पश्चात 9 माह की अवधि में सभी अथवा कुछ मूल इकाईयों को बेचता है या हस्तान्तरित करता है परन्तु अधिलाभांश की सभी या कुछ इकाईयों को अपने पास रोके रखता है तो कर योग्य आय की गणना करते समय ऐसे विक्रय या हस्तान्तरण से होने वाली किसी हानि पर ध्यान नहीं दिया जायेगा तथा उक्त हानि को (जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता) अधिलाभांश इकाईयों की क्रय की लागत या प्राप्त करने की लागत माना जायेगा। इस प्रकार मूल इकाईयों पर होने वाली हानि को अंशधारियों द्वारा अन्य पूँजी लाभों से पूरा नहीं किया जा सकेगा।

14.19.16 हानियों की विवरणी [Return of Losses] [धारा 74]

जब तक कि करदाता द्वारा धारा 139 (3) के प्रावधानों का पालन करते हुये निर्धारित तिथि अथवा बढ़ाये गये अनुमोदित समय के अन्दर आगणित हानि की विवरणी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जाती तब तक किसी भी हानि को आगे नहीं ले जाया जा सकता है और न ही ऐसी हानि की पूर्ति की जा सकती है। यद्यपि कुछ शर्तो को पूर्ण करने पर विवरणी के निर्धारित समय सीमा के बाद अथवा स्वीकृत समय सीमा के बाद भी प्रस्तुत किया जा सकता है और विलम्ब को क्षमा किया जा सकता है।

14.19.17 पूर्ति क्रम [Order of Set off]

जब करदाता ह्रास, पूँजी व्यय तथा आगे लायी गयी हानियों इत्यादि के सम्बन्ध में कटौती मांगने का अधिकारी हो, तो कटौती का क्रम निम्न प्रकार होगा–

i) वर्तमान वर्ष का ह्रास (धारा 32 (1))।

ii) अनुमोदित सीमा तक वैज्ञानिक अनुसंधान तथा परिवार नियोजन पर पूँजीगत व्यय।

iii) आगे लाये गये व्यवसाय अथवा पेशे की हॉनियाँ (धारा 72 (1))।

iv) अशोधित ह्रास (धारा 32 (2))।

v) वैज्ञानिक अनुसंधान पर अशोधित पूँजी व्यय। [धारा 35(a)]

vi) परिवार नियोजन पर अशोधित पूँजीगत व्यय। [धारा 36 (i) (ix)]

बोध प्रश्न (भाग B)

क) 1) निम्न वाक्यों में रिक्त स्थान भरिये :

i) हॉनियों की पूर्ति से आशय ..... .वर्ष की आय से पूर्ति करने से है।

ii) किसी एक शीर्षक के ही अन्तर्गत एक स्त्रोत की हॉनियों की पूर्ति दूसरे स्त्रोत के आय से करने पर इसे ..... कहा जाता है।

iii) ऐसी व्यवसायिक हाँनियों जो उसी कर निर्धारण वर्ष में किसी भी आय से पूरी न की जा सके तो उन्हें .....वर्षो तक पूरा करने हेतु आगे ले जाया जा सकता है।

iv) जिन पूँजी हाँनियों की पूर्ति उसी कर निर्धारण वर्ष की अन्य आयों से न की जा सके उन्हें पूरा करने हेतु ..... वर्षो तक आगे ले जाया जा सकता है।

v) अल्पकालीन पूँजी हानि की पूर्ति ..... से की जा सकती है।

2) बताइये निम्न कथन सत्य है अथवा असत्य है :

i) सट्टे के व्यवसाय की हाँनियों नियमित व्यवसाय के लाभों से पूरी की जा सकती है।

ii) गैर–सट्टे (नियमित) के व्यवसाय की हाँनियों को सट्टे के व्यवसाय के लाभों से पूरा किया जा सकता है।

iii) जब अन्तर स्त्रोत समायोजन समाप्त होते है तो अन्तर शीर्षक समायोजन प्रारम्भ होते है।

iv) गैर कानूनी व्यवसाय की हाँनियों को आगे नहीं ले जाया जा सकता है।

v) यदि एक सट्टे का व्यवसाय बन्द कर दिया जाता है तो इसकी आगे लायी गयी हाँनियों को किसी अन्य सट्टे के व्यवसाय के लाभ से पूरा करने हेतु आगे नहीं ले जाया जा सकता है।

vi) वर्ष 2013–14 में प्राकृतिक आपदाओं के कारण बन्द हुये व्यवसाय की हाँनियों को आगे ले जाया जा सकता है।

3) निम्न में से सही उत्तर बताइये :

i) मकान सम्पत्ति से आय शीर्षक की चालू वर्ष की हाँनियों को निम्न किस आय से पूरा किया जा सकता है?

a) वेतन से आय। b) गैर–सट्टे के व्यवसाय से आय।

c) सट्टे के व्यवसाय की आय d) उक्त सभी आयों से।

ii) सट्टे की हानि को पूरा करने हेतु कितने वर्षो तक आगे ले जाया जा सकता है:

a) 4 वर्ष (b) 8 वर्ष

c) 2 वर्ष (d) 10 वर्ष

iii) निम्न शीर्षक में हानि को आय से पूर्ति नहीं की जा सकती है।

a) मकान सम्पत्ति से आय (b) पूँजी लाभ शीर्षक से आय

c) व्यावसाय एवं पेशे से आय (d) इनमें से कोई नहीं

iv) मकान सम्पत्ति की हानि को कितने वर्षो तक पूरा किया जा सकता है :

a) अगले 4 वर्षो में (b) अगले 8 वर्षो में

c) अनिश्चित कालीन (d) पूरा नहीं किया जा सकता।

उदाहरण 1

श्री X जो कि एक व्यक्ति करदाता है, कर निर्धारण वर्ष 2020–21 हेतु निम्न सूचनायें प्रदत्त करता है:

	रू0		रू0
वेतन शीर्षक के अन्तर्गत आय	+2,00,000	खाद्यान का व्यवसाय	+1,00,000
प्रतिमूर्तियों पर ब्याज	-50,000	पेठा व्यवसाय	-1,50,000
मकान सम्पत्ति से आय:		सट्टा व्यवसाय	-50,000
मकान 'A' (किराये पर उठा)	+2,00,000	**कर योग्य पूँजी लाभ**	
मकान 'B' (किराये पर उठा माना गया)	-1,00,000	अल्पकालीन लाभ	+1,00,000
मकान 'C' (स्वयं के रहने हेतु उधार की पूँजी पर ब्याज हेतु)	-50,000	अल्पकालीन हानि	-2,00,000
व्यवसाय एवं पेशे की आय		दीर्घकालीन लाभ (भूमि एवं भवन)	+2,00,000
		अन्य स्त्रोतों से आय:	
कपड़े का व्यवसाय	+1,00,000	लाश के खेल से आय	+1,00,000
		घुड़दौड़ के घोड़ो के रख–रखाव से आय	- 50,000

X की कर योग्य आय की गणना कीजिये :

हल :

श्री X की कर योग्य आय की गणना (कर निर्धारण वर्ष 2020–21)

विवरण		हानि (रू0)	लाभ (रू0)
वेतन से आय			2,00,000
मकान सम्पत्ति से आय	रु.		
मकान 'A' (किराये पर उठा)	+ 2,00,000		
मकान 'B' (किराये पर उठा माना गया)	- 1,00,000		
मकान 'C' (स्वयं के रहने हेतु)	- 50,000		50,000
व्यवसाय अथवा पेशे की आय :			
कपड़े का व्यवसाय	+ 1,00,000		
खाद्यान्न व्यवसाय	+ 1,00,000		
पेठा व्यवसाय	- 1,50,000		50,000
सट्टा व्यवसाय की हानि		50,000	

पूँजी लाभ			
अल्पकालीन पूँजी लाभ	+ 1,00,000		
अल्पकालीन पूँजी हानि	- 2,00,000		
दीर्धकालीन पूँजी लाभ	+ 2,00,000		1,00,000
अन्य स्त्रोतो से आयः			
ताष का खेल	+ 1,00,000		
घटाइयेः प्रतिभूति के ब्याज की हानि	- 50,000		50,000
घोड़ों का रख–रखाव (हानि)		50,000	
हानि आगे ले गये		1,00,000	
करयोग्य आय		-	4,50,000

नोट :

1) 50000 रू0 की सट्टे व्यवसाय की हानि को सट्टे के व्यवसाय के लाभ से ही पूरा कर सकते है।

2) घुड़दौड़ के घोड़ों सम्बन्धी हानि (50,000 रू0) उसी प्रकार के स्त्रोत की आय से पूरा लिया जा सकता है।

3) 2,00,000 रू0 की अलपकालीन पूँजी हानि को अल्पकालीन एवं दीर्धकालीन पूँजी लाभ से पूरा किया गया है।

उदाहरण 2

निम्न सूचनाओं से श्री महेश की कर निर्धारण वर्ष 2020–21 हेतु कर–योग्य आय की गणना कीजिये।

	विवरण	रू0
i)	वेतन से आय	4,00,000
ii)	मकान सम्पत्ति से आय	80,000
iii)	धारा 35 A.D. में संदर्भित विशिष्ट व्यवसाय की हानि	(-) 60,000
iv)	व्यवसायिक हानि	(-) 3,80,000
v)	अल्पकालीन पूँजी हानि	(-) 1,20,000
vi)	दीर्घकालीन पूँजी लाभ	4,80,000

हल :

कुल आय की गणना (कर निर्धारण वर्ष 2020–21)

विवरण		रू0	रू0
वेतन से आय			4,00,000
मकान सम्पत्ति से आय		80,000	
घटाइये पूरी की गई व्यवसायिक हानि		(-)20,000[2]	60,000
व्यवसायिक हानि		3,80,000	
धटाइयेः पूंजी लाभ से पूर्ति (480000 रू.–1,20,000रू.)	3,60,000		
मकान सम्पत्ति की आय से पूर्ति	20,000	3,80,000	शून्य
(विशिष्ट व्यवसाय की हानि नहीं घटा सकते)		(-) 60,000	
पूँजी लाभ से आय :			
दीर्घकालीन पूँजी लाभ		4,80,000	
घटाइयेः अल्पकालीन पूँजी हानि		1,20,000	
		3,60,000	
घटाइयेः व्यवसायिक हानि की पूर्ति		3,60,000	शून्य
सकल कुल आय			4,60,000
घटाइयेः धारा 80 के अर्न्तगत कटौतियाँ			शून्य
		कुल आय	रु. 4,60,000

नोट :

		रु.
1)	दीर्घकालीन पूँजी लाभ	4,80,000
	घटाइये : अल्पकालीन पूँजी हानि	1,20,000
		3,60,000
	दीर्घकालीन पूंजी लाभ की शेष राशि से व्यवसायिक हानि पूरी की जायेगी	3,60,000
	शेष	शून्य

2) व्यवसायिक हानि का शेष 20,000 रू0 (3,80,000–3,60,000) मकान सम्पत्ति की आय से पूरा होगा।

3) व्यवसायिक हानि की पूर्ति वेतन की आये से नहीं की जा सकती है।

उदाहरण 3

श्री शमीम के निम्न आय एवं हानियों के विवरण से उसकी कर निर्धारण वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 हेतु कुल आय की गणना कीजिये।

	विवरण	2019-20 (रू0)	2020-21 (रू0)
i)	व्यवसाय की लाभ एवं हानि	- 1,02,000	+ 20,000
ii)	दीर्घकालीन पूँजी लाभ	+ 36,000	+ 24,000
iii)	सरकारी प्रतिमूर्तियों पर ब्याज	+ 30,000	+ 36,000
iv)	मकान सम्पत्ति से आय	+ 24,000	+ 24,000
v)	अन्य स्त्रोतों से आय	+ 6,000	+ 8,000
vi)	कोल्ड चेन सुविधा की स्थापना एवं संचालन से आय (धारा 35 A.B. के अन्तर्गत विशिष्ट व्यवसाय)	- 50,000	+ 35,000

हल :

श्री शमीम की कुल आय की गणना (कर निर्धारण वर्ष 2019–20)

विवरण		हानि (रू0)	लाभ (रू0)
मकान सम्पत्ति से आय		-	24,000
व्यवसाय अथवा पेशे की आय		-1,02,000	-
विशिष्ट व्यवसाय से आय		-50,000	-
दीर्घकालीन पूँजी लाभ			36,000
अन्य स्त्रोतों से आय	**रू0**		
सरकारी प्रतिभूतियों से आय	30,000		
अन्य स्त्रोतों की आय	6,000		36,000
			96,000
घटाइयेः चालू वर्ष की व्यावसायिक हानि			-1,02,000
विशिष्ट व्यवसाय की हानि को विशिष्ट व्यवसाय के लाभ से ही पूरा किया जायेगा अतः इसे आगे ले जाया जायेगा।		-50,000	
व्यावसायिक हानि आगे ले गये			-6,000

कर निर्धारण वर्ष 2020–21

	रू0	रू0
मकान सम्पत्ति से आय	-	24,000
व्यवसाय अथवा पेशे से आय	20,000	-
घटाइयेः वर्ष 2019–20 की हानि की पूर्ति	-6,000	14,000
विशिष्ट व्यवसाय की आय	35,000	
घटाइयेः वर्ष 2019–20 के विशिष्ट व्यवसाय की हानि को आगे लाकर पूरा किया	-50,000	
विशिष्ट व्यवसाय की शेष हानि आगे ले गये	-15,000	
दीर्घकालीन पूँजी लाभ		24,000
अन्य स्त्रोतो से आयः		
सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	36,000	
अन्य स्त्रोतों से आय	8,000	44,000
सकल कुल आय		1,06,000

नोट :

1) कर निर्धारण वर्ष 2019–20 की व्यवसायिक हानि उसी वर्ष में किसी भी आय शीर्षक से पूरी की जा सकती है परन्तु आगे ले जायो जाने के कारण वर्ष 2020–21 में केवल व्यवसायिक लाभ से ही पूरा कर सकते है।

2) विशिष्ट व्यवसाय (धारा 35 A.D.) की आगे लायी गयी हानि (50,000) वर्ष 2020–21 के विशिष्ट व्यवाय के लाभ से ही (35,000 तक) पूरी होगी और शेष न पूरी हुई हानि (15000 रू0) का आगे ले जायेगे।

उदाहरण 4

श्री शम्भू द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2020–21 हेतु अपनी आयों एवं हानियों की निम्न सूचनायें प्रदान की गयी हैः

	विवरण	रु.
i)	वेतन की कर योग्य आय	50,000
ii)	मकान सम्पत्ति से आय (षुद्ध)	16,000
iii)	निर्मित वस्त्र व्यवसाय का लाभ	40,000
iv)	सट्टे के लाभ	10,000
v)	दीर्घकालीन पूँजी लाभ	24,000
vi)	अल्पकालीन पूँजी लाभ	8,000
vii)	साझेदारी फर्म से लाभ का हिस्सा	7,800
viii)	चालू वर्ष का ह्रास	4,500

कर निर्धारण वर्ष 2016–17 से आगे लाये गये मद निम्न प्रकार है :

		रू.
i)	अशोधित ह्रास	5,000
ii)	सट्टे की हानि	15,000
iii)	दीर्धकालीन पूँजी हानि	15,000
iv)	अल्पकालीन पूँजी हानि	6,000

कर निर्धारण वर्ष 2020–21 हेतु श्री शम्भू की सकल कुल आय की गणना कीजिए।

हल :

श्री शम्भू की सकल कुल आय की गणना (कर निर्धारण वर्ष 2020–21)

विवरण		हानि (रू.)	लाभ (रू.)
1.	**वेतन से कर योग्य आय**		50,000
2.	**मकान सम्पत्ति से आय**		16,000
3.	**व्यवसाय से आय**		
	a) बगैर सट्टे की आयः		
	i) निर्मित वस्त्र व्यवसाय की आय	40,000	
	ii) धारा 10 (2) (A) के अर्न्तगत फार्म से लाभ–करमुक्त	–	
		40,000	
	घटाइयेः चालू वर्ष का ह्रास	(-) 4,500	
		35,500	
	घटाइयेः संशोधित ह्रास की पूर्ति आगे लायी गई	(-) 5,000	30,500
b)	**सट्टे से आयः**		
	सट्टे के व्यवसाय से लाभ	10,000	
	घटाइयेः लाभ की सीमा तक सट्टे की हानि की पूर्ति	10,000	शून्य
	सट्टे की हानि के शेष 5000 रू0 को आगे ले जाया जायेगा।		
4.	**पूँजी लाभः**		
	दीर्धकालीन पूँजी लाभ	24,000	
	घटाइयेः दीर्धकालीन पूँजी हानि	15,000	
		9,000	
	जोड़ियेः अल्पकालीन पूँजी हानि समायोजन के पश्चात अल्पकालीन पूँजी लाभ (8000–6000)	2,000	11,000
	सकल कुल आय	**रू.**	1,07,500

नोटः साझेदार के लाभ का हिस्सा कर–मुक्त है।

उदाहरण 5

श्री कपिल द्वारा प्रदत्त निम्न सूचनाओं के आधार पर उसकी कर निर्धारण वर्ष 2020–21 हेतु सकल कुल आय की गणना कीजिए।

विवरण	रू.
1. मकान सम्पत्ति से आय	30,000
2. निम्न छूटों की कटौती से पूर्व व्यवसाय से आय	52,000
i) चाल वर्ष का ह्रास	15,000
ii) वैज्ञानिक शोध पर चालू वर्ष का आयगत व्यय	10,000
3. सट्टे के व्यवसाय से आय	4,000

निम्न हानियों एवं छूटों को गत वर्ष से आगे लाया गया।

i) गत वर्ष 2007–08 तथा गत वर्ष 2016–17 की क्रमशः 10,000 रू0 तथा 12,000 रू0 की व्यवसायिक हाँनियों को आगे लाया गया।

ii) गत वर्ष 2010–11 का 12,000 रू0 तथा गत वर्ष 2016–17 का 10,000 रू0 का अशोधित ह्रास आगे लाया गया।

iiii) गत वर्ष 2015–16 को न पूरा हुआ वैज्ञानिक शोध का पूँजीगत व्यय 18,000 रू0 आगे लाया गया।

iv) कर निर्धारण वर्ष 2018–19 को 10,000 रू0 की सट्टे के व्यवसाय की हानि आगे लाये।

हल :

श्री कपिल की सकल कुल आय की गणना (कर निर्धारण वर्ष 2020–21)

विवरण	रु.	रु.	रु.
1. मकान सम्पत्ति से आय			30,000
2. व्यवसाय से आयः			
a) गैर सट्टे का व्यवसाय		52,000	
घटाइयेः			
i) चालू वर्ष का ह्रास	15,000		
ii) वैज्ञानिक शोध पर आयगत व्यय	10,000		
iii) 2016–17 की व्यवसायिक हानि	12,000		
iv) वर्ष 2010–11 का अशोधित ह्रास (घटाने हेतु समय सीमा नहीं)	12,000		
v) अशोधित ह्रास वर्ष 2016–17 (शेष लाभ की सीमा तक)	3,000	52,000	शून्य
b) सट्टे का व्यवसायः			
सट्टे के व्यवसाय का लाभ	4,000		

	घटाइेः 2018–19 हेतु सट्टा	(-)10,000		
	व्यवसाय हानि सट्टे की शेष हानि आगे ले गये	(-)6,000		
	हानि का अन्य शीर्षकों की आय से समायोजन			
i)	2016–17 का आशोधित ह्रास (10,000 रू0–3000 रू0)	7,000		
ii)	वैज्ञानिक शोध पर पूँजीगत व्यय		18,000	(-) 25,000
	सकल कुल आय			रु. 5,000

नोटः

1) 8 वर्ष की समय सीमा पूर्ण होने के कारण वर्ष 2007–08 की हानि अब पूरी नहीं की जा सकती है।

2) 4000 रू0 की व्यवसायिक हानि को पूरा करने हेतु वेतन की आय का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

उदाहरण 6

31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु श्री जेम्स की आय का विवरण निम्न प्रकार हैः

विवरण	रू0
मकान सम्पत्ति से आय (अगणित)	2,10,000
एकाकी व्यवसाय के लाभ एवं आय	25,000
व्यक्तियों के संघ के लाभ में हिस्सा जिस पर संघ ने कर चुका दिया है	15,000
आभूषण पर दीर्घकालीन पूँजी लाभ	10,000
अल्पकालीन पूँजी लाभ	22,000
अंशों के विक्रय पर दीर्घकालीन पूँजी हानि	(-) 22,000
एक भारतीय कम्पनी से लाभांश (अंशों को व्यापारिक स्कन्ध के रूप में रखा गया है)	6,500
गत वर्ष की हानि की मदों को आगे लायेः	
व्यवसायिक हानियाँ	(-) 42,000
मकान सम्पत्ति से हानि	(-) 260,000
वर्ष 2020–21 हेतु मि0 जेम्स की सकल कुल आय की गणना कीजिए।	

हल :

श्री जेम्स की सकल कुल आय की गणना (कर निर्धारण वर्ष 2020–21)

विवरण	रू.	रू.
मकान सम्पत्ति से आय :	2,10,000	
घटाइये : 2,00,000 रू0 तक मकान सम्पत्ति की आगे लायी गयी हानि (मकान सम्पत्ति की 60,000 रू. की हानि आगे ले जायी जायेगी)	2,00,000	
मकान सम्पत्ति से आय	10,000	10,000
व्यवसाय अथवा पेशे से आय		
एकाकी व्यवसाय से लाभ	25,000	
AOP के लाभ में हिस्सा	15,000	
	40,000	
घटाइये: AOP के अंश को छोड़कर आगे लाये गयी व्यवसायिक हानि कर योग्य व्यवसायिक लाभ सीमा तक 17,000 रू0 व्यवसायिक हानि (42000–25000) आगे ले जायी जायेगी	25,000	
	15,000	15,000
पूँजी लाभ :		
अल्पकालीन पूँजी लाभ	22,000	
आभूषण पर दीर्घकालीन पूँजी लाभ	10,000	
	32,000	
घटाइये : अंशों पर दीर्घकालीन पूँजी हानि जो कि दीर्घकालीन पूँजी लाभ से ही केवल पूरी होगी	10,000	
कर योग्य पूँजी लाभ	22,000	22,000
अन्य स्त्रोतों से आय		
व्यापारिक स्कन्ध के रूप में रखे गये अंशों पर लाभांश		करमुक्त
सकल कुल आय		47,000

नोट :

1) A.O.P. के लाभों से व्यवसायिक लाभ पूर्ण किये जा सकते है। व्यवसायिक लाभ केवल कर योग्य लाभों से पूरे हो सकते है।

2) स्कन्ध के रूप में रखे अंशों पर लाभांश धारा 10 (34) के अधीन करमुक्त है।

3) मकान सम्पत्ति की आय से मकान सम्पत्ति की 2,00,000 रू0 तक की हानि घटा सकते है। शेष न पूरी हो सकी हानि को मकान सम्पत्ति की आय से घटाने हेतु उस समय तक आगे ले जाया जायेगा जब तक वह पूरी न की जा सके।

4) 10,000 रू0 की दीर्धकालीन पूँजी हानि की पूर्ति की जायेगी तथा 12,000 रू0 का शेष आगे ले जाया जायेगा।

5) अल्पकालीन पूँजी लाभ (22,000 रू0) करदाता की आय में जोड़ा जायेगा।

14.20 सारांश (भाग ब)

हानियों की पूर्तिः

सट्टे की हानियों के केवल सट्टे के लाभों से ही पूरा किया जा सकता है। विशिष्ट व्यवसाय की हानि को केवल उसी प्रकार के व्यवसाय अर्थात विशिष्ट व्यवसाय के लाभ से ही पूरा किया जा सकता है। मकान सम्पत्ति से आय शीर्षक की 2,00,000 रू0 तक की हानि को किसी भी अन्य शीर्षक की आय से पूरा कर सकते है। अल्पकालीन पूँजी हानि को अल्पकालीन पूँजी लाभ एवं दीर्घकालीन पूँजी लाभ से पूरा किया जा सकता है। दीर्घकालीन पूँजी हानि को केवल दीर्घकालीन पूँजी लाभ से ही पूरा किया जा सकता है।

हानियों को आगे ले जाना एवं पूरा करना :

वह हानियाँ जो घटित होने वाले वर्ष में पूरी नहीं हो पाती उन्हें आगे के वर्षो में पूरा करने हेतु निम्न प्रावधानों के आधीन आगे ले जाया जा सकता है :

a) मकान सम्पत्ति की न पूरी हुई हानि को उस वर्ष के ठीक बाद के 8 वर्षो तक पूर्ति हेतु आगे ले जाया जा सकता है जिस वर्शा में हानि प्रथम बार आगणित की गयी थी।

b) व्यवसाय अथवा पेशे की न पूरी हुई हानि को पूरा करने हेतु 8 वर्षो तक आगे ले जाया जा सकता है तथा इसे सट्टे की आय अथवा लाभ से भी पूरा कर सकते है।

c) सट्टे के व्यवसाय की हाँनियों को सट्टे के व्यवसाय के लाभों से पूरा करने हेतु 4 वर्शो तक आगे ले जाया जा सकता है।

d) विशिष्ट व्यवसाय की हाँनियों को विशिष्ट व्यवसाय के लाभों से पूरा करने हेतु अनिष्चित काल तक आगे ले जाया जा सकता है। इसका आशय यह है कि जब तक ऐसी हानियों की सम्पूर्ण पूर्ति न हो जाय उन्हें आगे ले जाया जा सकता है।

e) न पूरी हुई अल्पकालीन पूँजी हानियों को अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन पूँजी लाभों से पूरा करने हेतु 8 वर्षो तक आगे ले जा सकते है।

f) न पूरी हुई दीर्घकालीन पूँजी हानियों को अगले 8 वर्षो तक केवल दीर्घकालीन पूँजी लाभों से पूरा करने हेतु आगे ले जाया जा सकता है।

g) घुड़–दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व एवं उनकी रख–रखाव की न पूरी हुई हानियाँ अगले 4 वर्षो तक इसी प्रकार की गतिविधियों के लाभ से पूरी की जा सकती है।

h) एक फर्म की हानियों को आगे ले जाने तथा पूरा करने के नियम वही है जो उपरोक्त (a) से (f) तक वर्णित है। एक साझेदार फर्म की अपने हिस्से की हानि को स्वयं की आय से पूरा नहीं कर सकता।

14.21 शब्दावली भाग 'ब'

1) **अन्तर स्रोत समायोजन** : किसी करनिर्धारण वर्ष के अन्तर्गत किसी आय के शीर्षक में स्रोत विशेष के सन्दर्भ में शुद्ध परिणाम हानि की उसी आय के किसी दूसरे स्रोत से होने वाले लाभ से पूरा किया जा सकता है।

2) **अन्तर शीर्षक समायोजन** : यदि किसी कर निर्धारण वर्ष में किसी शीर्षक की आय की गणना का परिणाम हानि है तो करदाता ऐसी हानि की पूर्ति किसी अन्य शीर्षक की कर योग्य आय में से करने का अधिकारी होगा।

3) **पूंजी हानियाँ** : किसी गत वर्ष की न पूरी हो सकी अल्पकालीन पूंजी हानि को दीर्घकालीन पूंजी लाभ अथवा अल्कालीन पूंजी लाभ से पूरा करने हेतु जिस वर्ष हानि हुई।

4) **अशोधित ह्रास** : आयकर अधिनियम की धारा 32(2) के अनुसार ह्रास का वो भाग जो व्यापार के किसी भाग से न घटाया जा सके क्योंकि व्यापार में उसे कोई आय नहीं हुई हो या कम आय हुई हो।

5) **बोनस अनावश्त** : बोनस अनावृत एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक सूचीबद्ध कम्पनी की इकाइयों का क्रयविक्रय का व्यवहार इस प्रकार किया जाता है जिससे ऐसी अल्पकालीन पूंजी हानि होती है।

14.22 बोध प्रश्नों के उत्तर (भाग 'ब')

क) 1) i) सामान्य ii) अन्तर स्रोत पूर्ति
iii) 8 वर्ष iv) 8 कर निर्धारण
v) दोनों दीर्घकालीन पूँजी लाभ और अल्पकालीन

2) i) असत्य ii) सत्य iii) सत्य iv) सत्य
v) सत्य vi) असत्य

3) a) D ii) A iii) C iv) B

14.23 स्वपरख प्रश्न/अभ्यास प्रश्न (भाग ब)

1) हानियों को पूरा करने के निम्नलिखित क्या प्रावधान है।

a) अल्पकालीन पूंजी हानि

b) दीर्घकालीन पूंजी हानि

c) लाटरी और ताश के खेले में हुई

d) सट्टा में हानि

2) अशोधित ह्रास क्या है? तथा अशोधित ह्रास को आगे ले जाने के क्या नियम हैं?

3) श्री जयराम कर निर्धारण वर्ष 2020–21 हेतु अपनी आय एवं हानि का निम्न विवरण प्रस्तुत करत हैः

	रू.
1) मकान सम्पत्ति से आय (अंगणित)	8,000
2) व्यक्तिगत व्यवसाय से लाभ एवं आय	25,000
3) A.O.P. से लाभ का हिस्सा (A.O.P. ने अधिकतम सीमान्त कर चुकाया)	10,000
4) अल्पकालीन पूँजी लाभ	8,000
5) दीर्घकालीन पूँजी लाभ	17,000
6) दीर्घकालीन पूँजी हानि	24,000
निम्न मदों को कर निर्धारण वर्ष 2019–20 से आगे लाया गया है:	
	रू.
1) व्यावसायिक हानि	30,000
2) मकान सम्पत्ति से हानि	10,000

श्री जयराम की सकल कुल हानि की गणना कीजिये तथा आगे लायी गयी हाँनियों का निस्तारण कीजिये।

उत्तर– सकल कुल आय 8000/–

4) श्री भूषण के द्वारा अपनी आय का निम्न विवरण दिया गया है। आप इससे उसकी कर निर्धारण वर्ष 2020–21 हेतु सकल कुल आय ज्ञात कीजिये।

	रू.
i) मकान सम्पत्ति से आय (आगणित)	22,000
ii) व्यक्तिगत व्यवसाय से आय एवं लाभ	68,750
iii) A.O.P. लाभ का भाग (A.O.P. ने कर नहीं भुगतान किया है)	13,750
iv) अल्पकालीन पूँजी लाभ	49,500
v) भवन विक्रय से दीर्घकालीन पूँजी लाभ	46,750
vi) अंशो के विक्रय से दीर्घकालीन पूँजी हानि	38,500
vii) अंशो पर लाभांश (व्यापारिक रहतिया की भांति रखे है)	27,500
viii) सट्टे का लाभ	22,000
ix) पिछले कर निर्धारण वर्ष से आगे लायी गयी हानियाँ:	
a) व्यवसायिक हानि	1,10,000
b) सट्टे की हानि	41,250
c) वसूल न हुआ किराया	27,500
x) दीर्घकालीन पूँजी हानि कर निर्धारण वर्ष 2016–17 हेतु	35,750
xi) दीर्घकालीन पूँजी हानि कर निर्धारण वर्ष 2009–10 हेतु	19,250

उत्तर : सकल कुल आय 71,500 रू0 अर्थात मकान सम्पत्ति की आय (22000)+ अल्पकालीन पूंजी लाभ 49500 रू0

संकेत [Hint] :

1) AOP लाभ के भाग पर AOP कर चुकायेगी।

2) अंशों पर आय (लाभांष) को व्यवसाय की आय माना जायेगा यद्यपि इस अन्य स्त्रोतों की आय के रूप में प्रदर्शित करेंगे।

3) वसूल न हुआ किराये की किसी स्त्रोत से भी पूर्ति नहीं की जा सकती है।

5) श्री एम0एस0 निगम ने गतवर्ष 2019–20 के लिये अपनी आय का निम्न विवरण प्रस्तुत किया है :

	रू.
1) गत वर्ष में व्यवसाय से आय	90,000
2) भवन से गत वर्ष में दीर्घकालीन पूँजी लाभ	70,000
3) लाटरी का इनाम	1,00,000
4) ताष के खेल की हानि	14,000
5) क्रिकेट पर दाँव लगाने से लाभ	18,000
6) घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से आय	18,000

निम्न हाँनियों एवं अशोधित मदों को गत वर्ष में आगे लायेः

	रू.
i) सट्टे की हानि 2016–17	14,000
ii) कपड़े के व्यवसाय की हानि 2014–15	30,000
iii) अशोधित ह्रास	18,000
iv) दीर्घकालीन पूँजी हानि 2016–17	25,000
v) चाँदी के व्यवसाय से हानि 2008	17,000
vi) घुड़ दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से हानि	22,000

चालू वर्ष का ह्रास 16000 रू0 जिसे उपरोक्त व्यवसाय के लाभ से नहीं घटया गया है। हानि की पूर्ति एवं उसे आगे ले जाने सम्बन्धी नियमों को ध्यान में रखते हुये निर्धारण वर्ष 2020–21 हेतु श्री एम.एस. निगम की सकल कुल आय की गणना कीजिये।

उत्तरः सकल कुल आय 1,89,000 रू0 व्यवसाय की आय 26,000 रू0, पूँजी लाभ 45,000 रू. अन्य स्त्रोतो से आय 1,18,000 रू.

6) एक व्यापारी ने 2019–20 के गत वर्ष हेतु निम्न विवरण प्रस्तुत किया

	रू.
i) व्यवसाय से हानि	1,00,000
ii) विशिष्ट व्यवसाय से हानि	35,000
iii) चालू वर्ष हेतु ह्रास की छूट	20,000
iv) मकान सम्पत्ति से आय (अंगणित)	2,00,000
v) पूर्व के वर्षो से आगे लायी गयी मदें :	
a) कर निर्धारण वर्ष 2018–19 हेतु व्यवसाय की हानि	1,20,000
b) कर निर्धारण वर्ष 2019–20 से सम्बन्धित अशोधित ह्रास 2019–20 कर निर्धारण वर्ष 2020–21 हेतु व्यापारी की सकल कुल आय की गणना कीजिए।	50,000

उत्तरः सकल कुल आय 30,000 रू0 अर्थात [मकान सम्पत्ति से आय 2,00,000– (व्यवसायिक हानि 1,00,000 + चालू ह्रास 20,000 + अशोधित ह्रास 50,000)]

श्री हरी प्रसाद कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के सन्दर्भ में अपनी आय का निम्न विवरण प्रस्तुत करते हैः

	रू.
व्यवसाय का लाभ	32,000
अल्पकालीन पूँजी लाभ	25,000
म्यूचल फण्ड इकाईयों से आय	28,000
दीर्घकालीन पूँजी लाभ (भूमि एवं भवन से)	7,500
घुड़ दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व एवं रख–रखाव से आय	25,000
क्रासवर्ड पहेली से आय	28,000
निम्न मदों को आगे लाया गयाः	
आगे लाई गयी व्यवसाय की हानि (कर निर्धारण वर्ष 2018–19 से)	37,000
अशोधित ह्रास (कर निर्धारण वर्ष 2018–19 से)	18,000
कर निर्धारण वर्ष 2016–17 की दीर्घकालीन पूँजी हानि	42,000
कर निर्धारण वर्ष 2018–19 का घुड़ दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व एवं उनके रख–रखाव सम्बन्धी हानि	35,000
कर निर्धारण वर्ष 2017–18 की सट्टे से हानि	20,000

श्री हरी प्रसाद की कर निर्धारण वर्ष हरी 2020–21 हेतु सकल कुल आय ज्ञात कीजिए।

उत्तरः सकल कुल आय 35000 रू0 [(25,000 के अल्पकालीन पूँजी लाभ + 28,000 पहेली की आय)– 18,000 अशोधित ह्रास]

8) एक निवासी करदाता द्वारा लेखा वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 एवं हेतु निम्न विवरण प्रदत्त किया जाता है:

2018-19	
	रू.
वर्ष 2017–18 में बन्द किये गये चाँदी के सट्टे के व्यवसाय की हानि आगे लाये	10,000
कपड़े के व्यवसाय का लाभ	2,35,000
20,000 रू0 का ह्रास घटाने से पूर्व आरा मशीन के व्यवसाय की आय	25,000
एक व्यक्तियों के संघ (A.O.P.) से आधा लाभ प्राप्त करने पर	28,500
प्रतिभूतियों पर ब्याज (सकल)	18,000
2019-20	
इस वर्ष में प्रारम्भ किये गये सोने के सट्टे के व्यवसाय का लाभ	50,000
कपड़े के व्यवसाय की हानि	10,000
चालू वर्ष का 30,000 रू0 का ह्रास लगाने से पूर्व आरा मशीन के व्यवसाय का लाभ	16,000
फर्म से आधे हिस्से का लाभ	1,00,000
विदेश में स्थापित व्यवसायिक उपक्रम का लाभ जो भारत में नहीं लाया गया	2,35,000
अप्रकट स्त्रोत की आय	20,000

कर निर्धारण वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 हेतु करदाता की सकल कुल आय की गणना कीजिए।

उत्तरः

1) कर निर्धारण वर्ष 2019–20 हेतु सकल कुल आय 2,58,000 [2,35,000 + (25,000-20,000) 5000+18000]. **संकेत**– A.O.P. द्वारा अधिकतम सीमान्तर दर से स्वयं कर दिया जायेगा। इसी प्रकार फर्म की आय पर फर्म कर देगी। अतः यह दोनों आये करदाता की सकल कुल आय में नहीं जोड़ी जायेगी।

2) कर निर्धारण वर्ष 2020–21 हेतु सकल कुल आय रू0 2,71,000 [(सोने के सट्टे के लाभ–चाँदी के सट्टे की हानि आगे लाये) = 40,000 + (विदेशी व्यवसाय का लाभ– (कपड़े के व्यवसाय की हानि + आरा व्यवसाय की हानि) अर्थात् 2,35,000 – (10,000 + 14,000 रू0 2,11,000 + अप्रकट स्त्रोत की आय रू0 20,000].